अध्याय 1

अंश एवं स्कंध
(Shares and Stocks)

■ अंश का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Share)

अंश का अर्थ (Meaning of Share): अंश का शाब्दिक अर्थ 'हिस्सा' या 'भाग' है। परंतु अंश-पूँजी वाली कंपनी के सन्दर्भ में इसका एक विशेष अर्थ है। एक कंपनी की अंश-पूँजी समान तथा निश्चित मूल्य के विभिन्न हिस्सों में विभाजित होती है और ऐसा प्रत्येक हिस्सा एक अंश कहलाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी कंपनी की पूँजी 50,00,000 है तथा इसे ₹ 100-100 के 50,000 हिस्सों में विभाजित किया गया है तो इस प्रत्येक हिस्से को अंश कहेंगे।

■ अंश की परिभाषा (Definition of Share)

भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(84) के अनुसार, ''अंश का आशय कंपनी की अंश-पूँजी के एक हिस्से से है और उसमें स्कन्ध (Stock) भी शामिल किया जाता है।'' [Share means share in the share capital of a company, and includes stock except where a distinction between the stock. - Section 2(84)]

कंपनी अधिनियम द्वारा दी गई परिभाषा अंश के अर्थ, स्वभाव व प्रकृति को स्पष्ट नहीं करती। अतः इसका अर्थ समझने के लिए हमें विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझ लेना होगा।

न्यायाधीश फरवैल के शब्दों में, ''एक अंश कंपनी में अंशधारी का हित है जिसका माप द्रव्य की एक निश्चित धनराशि है जो प्रथम तो दायित्व के आशय से तथा दूसरे हित के आशय से व्यक्त किया जाता है।'' (A share is the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money, for the prupose of liability in the first place, and of interest in the second. - Justice Farewell) इस प्रकार 'अंश' कंपनी में एक अंशधारी के हितों की व्याख्या और सीमा निश्चित करता है। प्रत्येक अंश के साथ कुछ अधिकार तथा दायित्व संलग्न रहते हैं जिनका पालन एवं प्रयोग अंशधारी द्वारा किया जाता है।

इसी प्रकार **न्यायाधीश लिण्डले** के शब्दों में, ''कंपनी संयुक्त पूँजी (सदस्यों द्वारा प्रदत्त) द्रव्य में सम्बोधित की जाती है और वह कंपनी की पूँजी है, वे व्यक्ति जो इसमें योगदान करते हैं अथवा जो इसके स्वामी होते हैं, कंपनी के सदस्य अथवा अंशधारी कहलाते हैं। पूँजी का वह आनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, अंश कहलाता है। (The common stock (contributed by members) is denoted in money and is the capital of the company, the persons who contributed it or to whom it belongs are members. The proportion of capital to which each member is entitled is his share. – **Justice Lindley**)

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि कंपनी की संयुक्त पूँजी का प्रत्येक हिस्सा एक अंश कहलाता है। अंशों को प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति कंपनी का अंशधारी बन सकता है। अंशों के आधार पर ही अंशधारी के दायित्व एवं अधिकार निर्धारित होते हैं।

■ अंशों की विशेषताएँ अथवा प्रकृति (Characteristics or Nature of Shares)

उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन तथा विश्लेषण से अंश की निम्नलिखित विशेषताएँ/प्रकृति प्रकट होती है:

1 **चल संपत्ति** (Movable Property): अंश या कंपनी में किसी सदस्य का अन्य हित चल संपत्ति होते हैं जो अंतर्नियमों में दी हुई विधियों के अनुसार हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

Scanned with CamScanner

2. **संख्या** (Number): अंश-पूँजी वाली कंपनी के प्रत्येक अंश के लिए एक पृथक् संख्या निर्धारित की जाती है। प्रत्येक अंश अपनी क्रम संख्या द्वारा ही पहचाना जाता है।

3. **अंशों का प्रमाण-पत्र** (Share Certificate): एक सदस्य का उसके अंशों पर स्वामित्व प्रकट करने के लिए कंपनी की सार्व मुद्रा (common seal) के अंतर्गत एक प्रमाण-पत्र निर्गमित किया जाता है जिसे अंश का प्रमाण-पत्र कहते हैं। **हजारी मल सोहन लाल बनाम सतीश चन्द्र घोष** (Hazari Mall Sohan Lal Vs. Satish Chander Ghosh) के विवाद मे यह निर्णय दिया गया कि जहा अश अमूर्त अधिकार होता है, अंश प्रमाण-पत्र इस अधिकार का प्रमाण होता है।

4. **अंशों का रजिस्ट्रेशन** (Registration of Shares): कंपनी सदस्यों का एक रजिस्टर रखती है जिसमें प्रत्येक अंशधारी के अंशों की संख्या, धारक का नाम, पता तथा अंशों पर भुगतान की गई राशि का उल्लेख होता है।

5. **अधिकार तथा हित** (Right and Interest): अंशधारी कंपनी में कुछ अधिकारों व हितों के स्वामी तथा कुछ दायित्वों के अधीन होते है। "अंश मुद्रा की राशि नहीं है वरन् एक ऐसा हित है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जाता है तथा विभिन्न अधिकारों व दायित्वों से बना है। **अधिकारों का पुलिंदा अंश है।**

6. **निष्क्रिय संपत्ति** (Passive property): अंश एक निष्क्रिय संपत्ति का चिह्न (symbol) है। सक्रिय संपत्ति तो कंपनी के नियंत्रण में होती है।

■ अंशों के प्रकार (Kinds/Types of Shares)

कंपनी अधिनियम के अनुसार कोई भी अंश पूँजी वाली सीमित कंपनी जिसका निर्माण इस अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ है, केवल दो प्रकार के अंशों का ही निर्गमन कर सकती है:

(i) समता या साधारण अंश (Equity or Ordinary Shares), तथा

(ii) पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)।

एक निजी कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक नहीं है, दोनों ही प्रकार के अथवा इनमें से किसी एक प्रकार के अंश निर्गमित कर सकती है।

• 1. समता या साधारण अंश (Equity or Ordinary Shares)

समता अंश को साधारण अंश भी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार, समता अंशों का आशय कंपनी के उन सभी अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। प्रत्येक अंशपूँजी वाली कंपनी की अंशपूँजी में समता अंशों का भाग सबसे अधिक होता है। सामान्यतः समता अंशों से आशय उन अंशों से है जिन पर लाभांश तथा समापन के समय पूँजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशों के बाद की जाती है।

पूर्वाधिकार अंशधारियों (यदि कोई हों) को एक निश्चित दर से लाभांश के भुगतान के पश्चात् शेष संपूर्ण लाभ पर समता अंशधारियों का अधिकार होता है। परंतु इन्हें लाभांश उसी दशा में मिलेगा जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने के पश्चात् कुछ लाभ शेष रह जाता है। यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने के पश्चात् कोई लाभ शेष नहीं बचता तो इन्हें लाभांश के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि ऐसे अंशों के द्वारा प्राप्त अंश पूँजी को **जोखिम पूँजी** (Risk Capital) कहा जाता है। समता अंशधारियों का भाग्य कंपनी की सफलता व असफलता के साथ जुड़ा हुआ है। यदि कंपनी असफल हो जाती है तो जोखिम समता अंशधारियों को ही सहन करनी पड़ती है और यदि कंपनी सफल हो जाती है तो इन्हीं अंशधारियों को सबसे अधिक लाभ होता है।

इसके अतिरिक्त समता अंशधारियों को दिए जाने वाले लाभांश की दर पहले निर्धारित नहीं होती है। इन्हें किस दर से लाभांश देना चाहिए, यह निश्चित करने एवं सिफारिश करने का एकमात्र अधिकार संचालकों को होता है। अतः विशाल लाभों के बावजूद यदि संचालक इन्हें कोई लाभांश देने की सिफारिश नहीं करते तो इन्हें कोई लाभांश नहीं मिलेगा। इसी प्रकार कंपनी के समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी लौटाने के बाद इनको पूँजी लौटाई जाएगी।

परंतु कंपनी के प्रबन्ध (Management) में समता अंशधारियों का विशेष महत्व है क्योंकि इनको मताधिकार (Voting) का अधिकार होता है तथा कंपनी के वास्तविक स्वामी यही होते है।

• 2. पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)

ये ऐसे अंश होते है जिनके स्वामियों को लाभांश लेने और कंपनी के समापन की दशा में अपनी पूँजी वापस पाने का अधिकार होता है। इस प्रकार इनका आशय ऐसे अंशों से है जो निम्न दो शर्तें पूरी करते हों:

(अ) लाभांश पाने का पूर्वाधिकार (Preferential right to Receive Dividend): ऐसे अंशधारियों को पूर्व निश्चित दर से लाभांश पाने का प्रथम अधिकार होता है। इन अंशों के स्वामी अन्य अंशों पर लाभांश दिए जाने से पूर्व एक निश्चित लाभांश पाने के अधिकारी होते हैं। इनकी लाभांश दर इनके निर्गमन के समय ही अन्तर्नियम की व्यवस्थाओं के अनुसार, निश्चित कर दी जाती है। वे इस दर से अधिक लाभांश पाने के अधिकारी नहीं होते भले ही कंपनी को कितने भी लाभ क्यों न हों? परंतु अन्तर्नियमों तथा उनके निर्गमन की शर्तों के अधीन उन्हें अतिरिक्त अधिकार भी प्रदान किए जा सकते है, जैसे अतिरिक्त लाभों में भाग लेने का अधिकार अथवा अंशों को समता अंशों में परिवर्तन कराने का अधिकार आदि। पूँजी की वापसी के संबंध में पूर्वाधिकार का आशय यह है कि जब कंपनी का विघटन होता है, उस समय कंपनी द्वारा विभिन्न लेनदारों को तथा अन्य बाहरी व्यक्तियों को जिन्हें कि कंपनी को भुगतान करना था, भुगतान करने के बाद यदि कोई रकम शेष बचती है, तो अन्य अंशधारियों की तुलना में सर्वप्रथम इन अंशधारियों की पूँजी को लौटाया जाएगा। इसके भुगतान के बाद बची हुई रकम में से ही अन्य प्रकार के अंशधारियों का भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त दोनों लक्षण संचयी प्रकृति के है अर्थात् जिन अंशों में ये दोनों विशेषताएँ पायी जाती हैं वे ही पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। यदि इनमें से एक विशेषता का भी अभाव है तो वे पूर्वाधिकार अंश नहीं कहे जा सकते अपितु सामान्य अंश ही कहलायेंगे।

■ पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार (Types of Preference Shares)

पूर्वाधिकार अंश भी अपने अधिकारों के अनुसार निम्न प्रकार के हो सकते है:

(i) **साधारण अथवा असंचयी पूर्वाधिकार अंश** (Simple or Non-Cumulative Preference Shares): इन अंशों पर अन्य अंशों की अपेक्षा सर्वप्रथम एक निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है परंतु लाभांश उसी वर्ष दिया जाएगा जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ होगा। जिस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होगा उस वर्ष इन्हें कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा तथा अगले वर्षों में लाभ होने पर पिछले वर्षों के लाभांश प्राप्त करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। संक्षेप में, उनको लाभांश अन्य अंशों की अपेक्षा पहले मिलता है, किन्तु संचय नहीं हो पाता अर्थात् पिछले बकाया लाभांश की माँग नहीं की जा सकती है।

(ii) **संचयी पूर्वाधिकार अंश** (Cumulative Preference Shares): इन अंशों पर भी निश्चित दर से अन्य अंशों की अपेक्षा पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि किसी वर्ष लाभ न होने के कारण इन्हें लाभांश नहीं मिले तो उस वर्ष के लिए लाभाश का उनका अधिकार समाप्त नहीं हो जाता वरन् अगले वर्षों के लिए स्थगित (संचित) हो जाता है और भविष्य में जब कभी कंपनी को पर्याप्त लाभ होता है तो उसमें से सबसे पहले इन्हें अपने लाभांशों की बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार मिलता है अर्थात् सर्वप्रथम इन्हे इनका संचित लाभांश दिया जाता है। इनके लाभांश का पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् ही बचे हुए लाभ में से अन्य अंशधारियों को लाभांश मिलता है।

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि यह कैसे पता चलेगा कि अंश संचयी है या असंचयी? इसके संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि पूर्वाधिकार अंश 'संचयी' माने जाते है, जब तक कि अंतर्नियमों की स्पष्ट व्यवस्था द्वारा वह 'असंचयी' घोषित नहीं कर दिए गए हों।

फोस्टर बनाम कोल्स (Foster Vs. Coles) के मामले में कंपनी ने संचयी पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। बाद में अंतर्नियमों में परिवर्तन करके संचयी शब्द हटा दिया गया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि क्योंकि कोई स्पष्ट विपरीत अभिप्राय नहीं था, अतः वह अब भी संचयी हैं।

(iii) **परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश** (Convertible Preference Shares): जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे (यदि चाहे तो) अपने अंशों को एक निश्चित समय के अन्दर अथवा एक निश्चित तिथि तक साधारण अंशों में बदल सकते हैं, उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते है।

Scanned with CamScanner

(iv) **अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश** (Non-Convertible Preference Shares): ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारी जिन्हें यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि वह एक निश्चित समय के अन्दर अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल सकें। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते है।

(v) **शोध्य या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश** (Redeemable Preference Shares): जिन पूर्वाधिकार अंशों का एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर दिया जाता है उन्हें 'शोध्य या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश' कहते हैं। साधारणतया अंशों के निर्गमन पर प्राप्त पूँजी की वापसी केवल कंपनी के समापन पर ही की जा सकती है लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित कंपनी अपने अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। ऐसे अंशों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात् अथवा कंपनी की इच्छा पर एक निश्चित समय का नोटिस देकर किसी भी समय किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम की धारा 55 के अधीन पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन तथा शोधन के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ है:

1. कंपनी इन अंशों का निर्गमन केवल उसी दशा में कर सकती है जब उसके अंतर्नियम में इस बात की व्यवस्था हो कि कंपनी शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है।
2. ऐसे अंशों का शोधन कंपनी के केवल ऐसे लाभों में से ही किया जा सकता है जोकि अन्यथा लाभांश देने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, अथवा ऐसे नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से किया जा सकता है जिनका निर्गमन शोधन के आशय से ही किया गया है। इस अधिनियम से पहले इन अंशों का शोधन संपत्ति को बेचकर उससे प्राप्त धन से किया जा सकता था।
3. इन अंशों का शोधन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक पूर्णदत्त (Fully paid) न हो जाएं।
4. यदि इन अंशों के शोधन पर प्रीमियम का भुगतान करना हो तो इसकी व्यवस्था शोधन के पूर्व कंपनी के लाभों में से अथवा अंश प्रीमियम खाते (Share Premium Account) में की जानी चाहिए।
5. यदि इन अंशों का भुगतान करने के लिए नए अंशों का निर्गमन नहीं किया गया है अर्थात् यदि ऐसे अंशों का शोधन कंपनी के लाभों में से किया गया है, तो शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि कंपनी को अपने ऐसे लाभों में से जोकि अन्यथा लाभांश देने के लिए तत्पर होंगे **'पूँजी शोधन संचित खाते'** (Capital Redemption Reserve Account) में जमा करनी होगी।

यहाँ यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि कंपनी शोध्य पूर्वाधिकार अंशों को सीधे तौर पर विमोचन न कर के शोध्य पूर्वाधिकार अंशपूँजी को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करती है। यह शोध्य पूर्वाधिकार अंशपूँजी का नयी अंश पूँजी द्वारा अथवा पूँजी शोधन संचित खाते द्वारा प्रतिस्थापन न करने की अनुमति देती है। इस कोष का प्रयोग पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिए किया जा सकता है, कंपनी द्वारा ऐसे अंशों का विमोचन (शोधन) करना कंपनी की अंश पूँजी में कमी करना नहीं माना जाएगा। कंपनी विमोचन (शोध्य) किए गए अंशों की अंकित राशि के बराबर नए अंश निर्गमित कर सकती है तथा इसे अंश पूँजी में वृद्धि नहीं माना जाएगा।

(vi) **अशोध्य या अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश** (Irredeemable Preference Shares): कंपनी के जिन अंशों का शोधन या विमोचन नहीं किया जा सकता उन्हें अशोध्य या अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।

(vii) **भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश** (Participating Preference Shares): इन अंशों को निर्धारित दर से लाभांश मिलने के पश्चात् कंपनी के बचे अतिरिक्त लाभों में से भी भाग बाँटने का अधिकार दिया जाता है। अतिरिक्त लाभ का आशय उस लाभ से है जो कंपनी के विभिन्न प्रकार के अंशधारियों को बाँटने के पश्चात् शेष रहते है। यह अधिकार भी स्पष्ट रूप से निर्गमन में उल्लिखित रहता है अन्यथा वे साधारण पूर्वाधिकार अंश ही कहलायेंगे।

(viii) **अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश** (Non-participating Preference Shares): ऐसे अंशों पर निश्चित दर से अन्य अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त होता है परंतु अतिरिक्त लाभ में से कोई भाग प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। ऐसे अंशों को 'अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश' कहते है।

(ix) **प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश** (Guaranteed Preference Shares): वे अंश जिन पर यह प्रत्याभूति (Guarantee) दी जाती है कि उन्हें एक निश्चित समय तक एक निश्चित दर से लाभांश मिलता रहेगा, 'प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश' कहलाते हैं। निश्चित समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् यह अंश भी साधारण पूर्वाधिकार अंशों की तरह हो जाते है।

इस प्रकार के अंश कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्गमित किए जाते है, जैसे निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन, प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन, कंपनी की कमजोर आर्थिक स्थिति में सुधार करना आदि। ऐसे अंश निर्गमित करने का मुख्य उद्देश्य अंशों में जनता का विश्वास उत्पन्न करना तथा उसकी खरीद को प्रोत्साहन देना है।

समता/साधारण अंशों तथा पूर्वाधिकार/अधिमान अंशों में अंतर
(Distinction Between Equity/Ordinary Shares and Preference Shares)

अंतर का आधार (Basis of Difference)	समता/साधारण अंश (Equity/Ordinary Shares)	पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)
1. लाभांश का अधिकार (Right of Dividend)	इनको पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद यदि लाभ शेष रहते है, तो लाभांश मिलता है।	इन्हें लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है अर्थात् इन्हें साधारण अंशों पर लाभांश मिलने से पूर्व लाभांश मिलता है।
2. पूँजी की वापसी (Return of Capital)	इन अंशों के अधिकारियों को पूर्वाधिकार अंशों की पूँजी वापस करने के बाद ही यदि शेष रहे तो पूँजी वापस पाने का अधिकार है।	इन्हें कंपनी के समापन की दशा में पूँजी वापस पाने का पूर्वाधिकार होता है।
3. लाभांश की दर (Rate of Dividend)	इसमें लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। कंपनी के लाभ की मात्रा कम होने पर लाभांश की दर कम व अधिक होने पर लाभांश की दर अधिक हो सकती है। यह भी सम्भव है कि लाभ न होने पर इन अंशों पर कोई लाभांश न मिले।	इसमें लाभांश की दर उसके निर्गमन के समय अंतर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार निश्चित हो जाती है। लाभांश की दर में कोई वृद्धि नहीं हो सकती चाहे कंपनी के लाभ कितने ही अधिक क्यो न हों।
4. लाभांश का संचय (Accumulation of Dividend)	इसमें लाभांश संचयी नहीं होता है। यदि किसी वर्ष लाभांश नहीं मिला है तो उन्हें यह लाभांश अगले वर्षों में नहीं मिलता।	किसी वर्ष लाभ न होने के कारण यदि इनको लाभांश नहीं मिलता है तो उनका लाभांश इकट्ठा होता रहेगा और जिस वर्ष लाभ होगा उस वर्ष पुराने वर्षों का लाभांश मिल जाएगा।
5. शोधन (Redemption)	इनका कंपनी के जीवन काल में कभी शोधन नहीं किया जा सकता। केवल कंपनी के समापन पर ही किया जाता है।	शोध्य पूर्वाधिकार अंशों को अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार एक निश्चित अवधि की सूचना के बाद शोधन किया जा सकता है।
6. मताधिकार (Voting Rights)	इन्हें मताधिकार सदैव प्राप्त होता है। इन्हें कंपनी प्रबन्ध में भाग लेने का पूरा-पूरा अधिकार होता है। ऐसा मताधिकार अंशों की आनुपातिकता में मिलता है।	पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल कुछ दशाओं में ही मत देने का अधिकार होता है। वे कंपनी के सभी प्रस्तावों पर मत नहीं दे सकते।
7. आवश्यकता (Necessity)	साधारण अंशों का निर्गमन प्रत्येक अंश पूँजी वाली कंपनी के लिए आवश्यक है।	इस प्रकार के अंशों का निर्गमन एक कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है।
8. प्रकार (Types)	साधारण अंश केवल एक ही प्रकार के होते है।	पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं।
9. अंकित मूल्य (Face Value)	इनका अंकित मूल्य कम रखा जाता है।	इनका अंकित मूल्य सामान्यतया अधिक रखा जाता है।

Scanned with CamScanner

[illegible] (Deferred Shares)

[illegible] (Disproportionate) मताधिकार प्राप्त [illegible] 'प्रबंध शेयर' (Management Shares) [illegible] (Promoters' or Founders' Shares) के नाम से भी [illegible]

[illegible] के अधिकार देने के संबंध में एक [illegible] जिसमें अधिक जोखिम था [illegible] फलस्वरूप अब कंपनी अधिनियम [illegible]

[illegible] (Independent Private Company) ही ऐसे अंश निर्गमित कर सकती।

[illegible]

[illegible] (Meaning and Definition) स्कन्ध का आशय चुकता अंशों की इकट्ठी रकम से है जिसे बाद में [illegible] किसी भी रकम को दूसरों को हस्तांतरित किया जा सके [illegible] "अंश का तात्पर्य कंपनी की अंश-पूँजी में से एक हिस्से से है और इसमें [illegible] अंतर न किया गया हो।" उक्त परिभाषा से अंश तथा [illegible] की व्यवस्था अंश तथा स्कन्ध पर समान रूप से लागू होती है जब तक [illegible]

[illegible] "स्कन्ध शब्द का प्रयोग केवल यह बताता है कि कंपनी ने अंशों का चुकता भुगतान प्राप्त [illegible] विभाजन किया जाए जो कि कुछ कारणों वश पहले सम्भव नहीं [illegible]

[illegible] स्कन्ध का आशय चुकता अंशों की इकट्ठी धनराशि से है जिसे बाद में किसी धनराशि के [illegible] बराबर बराबर भागों में विभक्त करना आवश्यक नहीं है।

[illegible] की विशेषताएँ (Characteristics of Stock)

(1) [illegible] जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती।

(2) [illegible] (Fully paid Shares) को ही स्कन्ध में परिवर्तित किया जा सकता है।

(3) [illegible] स्कन्ध में परिवर्तित करने का प्रावधान होना चाहिए।

(4) [illegible] यह जरूरी नहीं है, स्कन्ध कम या ज्यादा मूल्य के हो सकते हैं।

(5) [illegible] नहीं होती।

(6) [illegible] द्वारा कंपनी को आवेदन दिया जाना आवश्यक है।

(7) [illegible] प्रतिनिधित्व करते है।

(8) [illegible] (Stock Holder) को स्कन्ध की राशि के अनुपात मे लाभांश (Dividend) देती।

अंशों का स्कन्ध में परिवर्तन (Conversion of shares into stock)

जब कंपनी के अंशों पर पूर्ण भुगतान (Fully paid) प्राप्त हो जाता है तो उन्हें स्कन्ध में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः स्कन्ध का आशय चुकता अंशों की एकत्रित रकम से है जिसे बाद में किसी भी रकम के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है ताकि अंशों की किसी रकम को हस्तांतरित किया जा सके। इस प्रकार प्रत्येक स्कन्ध अंश होता है जबकि प्रत्येक अंश स्कन्ध नहीं हो सकता।

अंशों को स्कन्ध में परिवर्तित करने की वैधानिक व्यवस्थाएँ (Statutory Provisions of Conversion of Shares into Stock): अंशों को स्कन्ध में परिवर्तित करने की वैधानिक व्यवस्थाएं निम्नलिखित है:

(1) एक कंपनी अपने साधारण प्रस्ताव द्वारा (i) अपने पूर्णदत्त अंशों को स्कन्ध में बदल सकती है अथवा (ii) स्कन्ध को किसी भी मूल्य के पूर्णदत्त चुकता अंशों में पुनः परिवर्तित कर सकती है।

(2) स्कन्ध को उसी प्रकार हस्तांतरित किया जा सकता है जिस प्रकार पूर्णदत्त अंशों का हस्तांतरण किया जाता है। लेकिन संचालक-मण्डल स्कन्ध हस्तांतरण की एक न्यूनतम राशि निर्धारित कर सकता है जिससे कम राशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। परंतु यह न्यूनतम राशि उन अंशों के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होगी जिनसे स्कन्ध का निर्माण हुआ है।

(3) स्कन्धधारी को कंपनी की सभाओं में मत देने, लाभ पाने व अन्य मामलों में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि अंशधारियों को होते है।

(4) कंपनी के जो नियम पूर्णदत्त अंशों के बारे में लागू होते हैं वही स्कन्ध पर भी लागू होंगे।

(5) कंपनी प्रत्यक्ष अभिदान के लिए जनता को स्कन्ध प्रस्तुत नहीं कर सकती। वह केवल पूर्णदत्त अंशों को ही स्कन्ध में परिवर्तित कर सकती है।

अंशों को स्कन्ध में परिवर्तित करने की विधि (Procedure of Conversion of Shares into Stock)

अंशों को स्कन्ध में परिवर्तित करने के लिए निम्न विधि को अपनाया जा सकता है-

1. **अंशधारियों की सभा में साधारण प्रस्ताव पास करना** (To pass an ordinary resolution in the meeting of shareholders): कंपनी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूँजी है, यदि उसके अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था है, अपनी व्यापक सभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने सब अथवा कुछ पूर्णदत्त अंशों को स्कन्ध में एवं स्कन्धों को किसी भी मूल्य के अंशों में बदल सकती है। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में यह व्यवस्था न हो तो पहले एक विशेष प्रस्ताव द्वारा उनमें परिवर्तन करके यह अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए।

   अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

   "प्रस्तावित किया गया कि कंपनी के ₹ 100 के 8,000 पूर्णदत्त अंशों को स्कन्ध में परिवर्तित किया जाए और सम्बन्धित अंशधारियों को अंश प्रमाण-पत्रों के स्थान पर स्कन्ध प्रमाण-पत्र निर्गमित किए जाएं।"

2. **हस्तांतरण पुस्तकें बंद करना तथा अंशधारियों को सूचना देना** (To close the Transfer books and to inform the shareholders): अंशों को स्कन्ध में परिवर्तन करने का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् अंश हस्तांतरण की पुस्तक बन्द कर दी जाती है तथा कंपनी अंशधारियों को अपने अंश प्रमाण-पत्र कंपनी को समर्पण करने की एक सूचना देती है। अंश प्रमाण-पत्रों के समर्पण के उपरान्त कंपनी एक रसीद जारी करती है जिसके बदले में कुछ समय के पश्चात् स्कन्ध प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जा सकते है। स्कन्ध प्रमाण-पत्र प्राप्त करते समय कंपनी द्वारा जारी की गई रसीद लौटानी पड़ती है।

Scanned with CamScanner

3. **स्कन्ध प्रमाण-पत्र जारी करना तथा रजिस्टर बनाना** (To Issue Stock Certificate and to pre... Register): स्कन्ध प्रमाण-पत्र जारी करते समय सदस्यों के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जाती है तथा ... पुस्तक स्कन्ध रजिस्टर खोल दी जाती है। यह रजिस्टर उसी प्रकार खोला तथा रखा जाता है जिस प्रकार सदस्यों का ...

4. **परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देना** (Information of Conversion to the Registrar): अंशों का ... में परिवर्तन करने के पश्चात् 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है।

अंशों को स्कन्ध में परिवर्तित करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सदस्य उनका हस्तांतरण चाहे किसी भी धनराशि ... सकते हैं। अंश टुकड़ों में नहीं बेचा जा सकता लेकिन स्कन्ध टुकड़ों में बेचा जा सकता है जैसे ₹37.65।

अंश और स्कन्ध में अंतर
(Difference between Share and Stock)

अंतर का आधार (Basis of Difference)	अंश (Share)	स्कन्ध (Stock)
1. निर्गमन (Issue)	अंशों द्वारा सीमित कंपनी को पूँजी प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में ही अंश निर्गमित करने पड़ते हैं।	स्कन्ध प्रारम्भ में निर्गमित किए ही नहीं ... सकते। अंशों के पूर्णदत्त होने पर ... स्कन्ध में परिवर्तित किया जा सकता है।
2. अंकित मूल्य (Nominal Value	अंश का एक निश्चित अंकित मूल्य होता है।	स्कन्ध का कोई अंकित मूल्य नहीं होता ... इनका सुविधानुसार राशि में विभाजन किया जा सकता है।
3. पूर्णदत्त होना (Fully Paid-up)	अंश आंशिक अथवा पूर्णदत्त किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।	स्कन्ध सदैव पूर्णदत्त होते हैं।
4. हस्तांतरण (Transfer)	इसका हस्तांतरण केवल पूर्ण मूल्य में होता है।	इसका हस्तांतरण टुकड़ों में भी हो सकता है जैसे ₹37.65।
5. नियत संख्या (Definite Number)	प्रत्येक अंश की एक निश्चित क्रम संख्या होती है।	स्कन्ध की कोई निश्चित क्रम-संख्या नहीं होती।
6. रजिस्ट्रेशन (Registration)	अंशों के हस्तांतरण को कंपनी में रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है।	स्कन्ध का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है लेकिन, पूर्णदत्त अंशों के स्कन्ध ... परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है।
7. सदस्यता (Membership)	अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है तथा अंश प्रमाण-पत्र इसका प्रमाण होता है।	स्कन्ध धारक केवल कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए कंपनी के सदस्य माने जाते हैं।
8. व्यवस्थाएँ (Provisions)	संचालक मण्डल के प्रस्ताव के अनुसार अंशों का निर्गमन किया जाता है।	स्कन्ध के निर्गमन की व्यवस्था कंपनी के अंतर्नियमों में होनी चाहिए, तथा इसके निर्गमन के लिए कंपनी का साधारण प्रस्ताव आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

आवंटन संबंधी प्रावधान/व्यवस्थाएँ (Provisions Regarding Allotment)

कंपनी अधिनियम के अधीन एक निजी कंपनी द्वारा आबंटन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है परंतु एक सार्वजनिक कंपनी को अपने अंशों का आबंटन करने से पूर्व अनेक वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। अंशों एवं ऋण पत्रों के आबंटन पर लागू होने वाली व्यवस्थाओं का अध्ययन निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है :

सामान्य व्यवस्थाएँ (भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत)।

विशेष व्यवस्थाएँ (कंपनी अधिनियम के अंतर्गत)।

1. **भारतीय अनुबंध अधिनियम के सामान्य प्रावधान—व्यवस्थाएँ** (General Provisions of Indian Contract Act): एक वैध आबंटन भारतीय अनुबंध अधिनियम में 'प्रस्ताव की स्वीकृति' से संबंधित सामान्य व्यवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए:

   (i) **आबंटन अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए** (Allotment must be made by the Authorised Person): आबंटन कंपनी के अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। सामान्यत: संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके आबंटन किया जाता है। कभी-कभी संचालक-मंडल आबंटन करने का अधिकार 'आबंटन समिति' (Allotment Committee) अथवा प्रबंध संचालक या प्रबंधक को भी सौंप देता है परंतु अंतर्नियम की व्यवस्थाओं के अनुसार (बशर्ते कि अंतर्नियमों में ऐसा करने की अनुमति हो) ही ऐसा किया जा सकता है।

   (ii) **आबंटन उचित समय में किया जाना चाहिए** (Allotment must be made within Reasonable Time): अंशों का आबंटन आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट समय के भीतर कर देना चाहिए। यदि आवेदन-पत्र में कोई समय निर्दिष्ट न किया गया हो तो आबंटन उचित समय (अवधि) के भीतर कर देना चाहिए। उचित समय क्या है यह प्रत्येक मामले में तथ्य संबंधी प्रश्न है। यदि आबंटन में अनावश्यक देरी हो जाती है तो आवेदक अंश लेने से इन्कार कर सकता है। न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार आवेदन-पत्र और आबंटन के मध्य 5-6 महीने का अंतराल (Interval) अनुचित देरी माना गया है। रामसगेट विक्टोरिया होटल क बनाम मोनटेफायरे (Ramsgate Victoria Hotel Co. Vs. Montefiore) के विवाद में अंशों के आबंटन के लिए एक आवेदन-पत्र 28 जून को भेजा गया परंतु कंपनी ने अंशों का आबंटन 23 नवम्बर को किया। आवेदक ने अंश लेने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आवेदक इन अंशों के भुगतान के लिए दायी नहीं क्योंकि आबंटन अनुचित देरी से किया गया है।

   (iii) **आबंटन का संवहन होना चाहिए** (Allotment must be Communicated): केवल संचालक-मंडल द्वारा आबंटन का प्रस्ताव पारित कर देने मात्र से ही आवेदक अंशधारी के रूप में दायी नहीं बन जाता। एक बंधनकारी (Binding) अनुबंध का निर्माण करने के लिए आबंटन की सूचना उचित रूप से आवेदक को दी जानी आवश्यक है। यदि आवेदक को आबंटन की सूचना ठीक पते पर उपयुक्त टिकट लगाकर भेजी जाती है तो इसे पर्याप्त संवहन माना जाएगा। चाहे वह पत्र देर से पहुंचता है अथवा मार्ग में खो जाता है। यदि आवेदन-पत्र में संवहन की कोई विशेष रीति दी गई है तो उसका पालन करना चाहिए अन्यथा संवहन की सामान्य रीति अपनानी चाहिए। यदि डाकखाने को सूचना भेजने का माध्यम बनाया जाता है तो आबंटन-पत्र डाकखाने में छोड़ते ही आबंटन की सूचना पूर्ण मान ली जाती है, भले ही वह पत्र रास्ते में खो गया हो या बहुत देरी से आवेदक के पास पहुँचा हो। परंतु डाकखाने में पत्र छोड़ने को सिद्ध करने का दायित्व कंपनी पर होता है।

   (iv) **आवंटन पूर्ण एवं शर्तरहित होना चाहिए** (Allotment must be Absolute and Unconditional): आबंटन उन शर्तों को मानते हुए किया जाना चाहिए जिनका उल्लेख अंश आवेदन-पत्र में किया गया है। यदि शर्तों में कोई परिवर्तन किया गया है तो कंपनी और आवेदक के बीच कोई मान्य अनुबंध नहीं हो सकता जब तक कि आवेदक उस परिवर्तन की स्पष्ट रूप में अथवा निहित रूप में स्वीकृति नहीं दे देता। रमनभाई बनाम घासीराम

Scanned with CamScanner

(Raman Bhai Vs. Ghasi Ram) के विवाद में एक व्यक्ति ने 400 अंशों के लिए आवेदन इस शर्त पर किया कि उसे कंपनी की नई शाखा (Branch) में कोषाध्यक्ष (Treasurer) नियुक्त किया जाए। **मुम्बई उच्च न्यायालय** ने यह **निर्णय** दिया कि जब तक उसे कोषाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा उसे किया गया आबंटन व्यर्थ होगा तथा वह उससे बाध्य नहीं होगा।

यदि आवेदक को अंश बिना उसकी शर्त पूर्ण हुए आबंटित कर दिए गए हों तो उसे उन्हें तुरन्त अस्वीकार कर देना चाहिए। **हरगोपाल बनाम पीपल्ज बैंक ऑफ नोरदर्न इण्डिया लि०** (Hargopal Vs. People's Bank of Northern India Ltd.) के विवाद में, एक आवेदक की शर्त पूरी नहीं हुई थी और उसने अंशों को स्वीकार कर लिया, उसने इन अंशों को गिरवी भी रख दिया था। बाद में उसने अपनी शर्त पूर्ण कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया। **निर्णय** दिया गया कि अंशों को स्वीकार करने के बाद उसने अपनी शर्त पूर्ण कराने वाले अधिकार को खो दिया है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि अंशों तथा ऋणपत्रों के आवंटन पर लागू होने वाली उपर्युक्त सामान्य व्यवस्थाएँ सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार की कंपनियों पर लागू होती हैं। यदि उपर्युक्त सामान्य व्यवस्थाओं का पालन न करते हुए आवंटन किया जाता है तो आवंटन व्यर्थ होगा।

2. **कंपनी अधिनियम के वैधानिक प्रावधान/व्यवस्थाएँ या प्रतिवंध** (Statutory Provisions/Restrictions of the Indian Companies Act): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 39 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अपने अंशों का आबंटन कर सकती है:

(1) **न्यूनतम अभिदान** (Minimum Subscription): जब कंपनी ने अंशों को खरीदने के लिए जनता को प्रस्तावित किया है तो कंपनी उस समय तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकती जब तक कि अंशों की न्यूनतम बिक्री न हो जाए। अर्थात् कंपनी को न्यूनतम अभिदान राशि न प्राप्त हो जाए। न्यूनतम अभिदान राशि का अर्थ ऐसे न्यूनतम धन से है जिसका उल्लेख प्रविवरण में किया गया है तथा जो निम्न कार्यों के लिए पर्याप्त हैं:

(क) क्रय की गई या की जाने वाली संपत्तियों का मूल्य भुगतान करने के लिए, (ख) कंपनी द्वारा देय प्रारम्भिक व्यय तथा अभिगोपन कमीशन का भुगतान करने के लिए, (ग) उपर्युक्त किसी उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए, (घ) कार्यशील पूँजी के लिए, तथा (ङ) अन्य किसी आवश्यक व्यय के लिए, जिनका स्वभाव व उद्देश्य तथा प्रत्येक दशा में अनुमानित राशि का प्रविवरण में उल्लेख होना चाहिए। [धारा 39]

न्यूनतम अभिदान राशि के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ हैं:

(i) **केवल नकद धन** (Only Cash Amount): न्यूनतम अभिदान राशि में केवल नकदी के बदले निर्गमित किए गए अंशों को सम्मिलित किया जाता है अर्थात् नकदी के अतिरिक्त किसी और प्रतिफल के बदले में निर्गमित अंशों को न्यूनतम अभिदान राशि में सम्मिलित नहीं किया जाता, जैसे प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले में निर्गमित अंशों को न्यूनतम अभिदान राशि में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

(ii) **आवेदन-पत्र पर देय धन** (Amount payable on Application): अंशों को क्रय करने के लिए भेजे गए प्रार्थना-पत्र के साथ अंशों के अंकित मूल्य की कम से कम 5% धनराशि अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा होना केवल प्रथम आवंटन (First Allotment) के लिए ही आवश्यक है।

(iii) **प्रार्थना-पत्र पर प्राप्त राशि अनुसूचित बैंक में जमा करना** (To deposit application money in Scheduled Bank): अंशों के आवेदन-पत्रों से प्राप्त सभी धनराशि एक अनुसूचित बैंक में जमा की जायेगी और तब तक जमा की हुई रखी जाएगी जब तक कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र न मिल जाए और जहाँ यह प्रमाण-पत्र पहले ही मिल गया हो तो उस समय तक यह राशि अनुसचित बैंक में रखी जाती है जब तक कि न्यूनतम अभिदान की कुल राशि कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं कर ली जाती है।

Scanned with CamScanner

(iv) **आवेदन राशि लौटाना** (To return Application Money): यदि वर्णित न्यूनतम राशि का अभिदान नहीं किया गया है या आवेदन पर देय अन्य राशियाँ प्रविवरण जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा निर्दिष्ट की जाए, प्राप्त नहीं की जाती है तो उपधारा (i) के अधीन प्राप्त राशियों को ऐसे समय के भीतर और रीति में, जो निर्धारित किया जाए, वापस कर दिया जाएगा।

(v) **रेड-हेरिंग प्रविवरण फाइल करना** (Filing of Red-herring Prospectus): एक कंपनी जो अंशों (प्रतिभूतियाँ) के अंशदान के लिए जनता को निमंत्रण देने का इरादा रखती है। वह प्रविवरण के निर्गमन से पहले एक रेड-हेरिंग प्रविवरण जारी (निर्गमित) कर सकती है। रेड-हेरिंग प्रविवरण कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास अभिदान सूची खुलने या प्रस्ताव से कम से कम तीन दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा।

(vi) **अभिदान सूची खुलना** (Opening of Subscription List): प्रविवरण के निर्गमन की तिथि से पाँचवें दिन तक अथवा उस अधिक समय तक, जो प्रविवरण में निर्दिष्ट कर दिया गया हो, कोई आबंटन नहीं किया जा सकता पाँचवाँ दिन या अन्य बाद वाला निर्धारित दिन 'अभिदान सूची के खुलने का समय' (Time of opening of Subscription List) कहलाता है। यदि इन पाँच दिनों के अन्दर आबंटन कर दिया जाता है, तो आबंटन की वैधानिकता पर तो प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ऐसा करने पर कंपनी तथा कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो उसके लिए दोषी हो, दण्डित किया जा सकता है।

(vii) **अंशों का स्कन्ध विपणी में सूचीबद्ध करना** (Listing of Shares to be dealt in Stock Exchange): यदि प्रविवरण में यह उल्लिखित है कि प्रस्तावित अंशों अथवा ऋण-पत्रों को किसी एक अथवा अधिक स्कन्ध विपणी में व्यवहार करने की आज्ञा के लिए आवेदन किया गया है अथवा किया जायेगा तो प्रविवरण में उन स्कन्ध विपणियों का नाम भी दिया जाना चाहिए। अंशों का स्कन्ध विपणी में सूचीबद्ध किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

आवेदन पर प्राप्त राशि को जब तक स्कन्ध विपणी की आज्ञा (अनुमति) नहीं मिल जाती, अथवा अपील का निर्णय (निपटारा) नहीं हो जाता, बैंक में एक पृथक खाते में जमा रखा जाएगा तथा उसका प्रयोग आज्ञा मिल जाने पर आबंटन के समायोजन में अथवा आज्ञा न मिलने पर धन के वापस करने में किया जाएगा।

यदि स्कन्ध विपणी द्वारा आज्ञा अर्थात अनुमति प्रदान नहीं की गई है तो आवेदन-पत्र के संबंध में किया गया कोई भी आबंटन व्यर्थ होगा।

यदि इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई त्रुटि की जाती है तो कंपनी ऐसे जुर्माने से जो पाँच लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पचास लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो त्रुटि के लिए दोषी है ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अनियमित आवंटन एवं उसका प्रभाव (Irregular Allotment and its Effects)

यदि कोई आबंटन कंपनी अधिनियम की धारा 69 (न्यूनतम अभिदान) तथा धारा 70 (स्थानापन्न प्रविवरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना) की व्यवस्थाओं के विरुद्ध किया गया है तो ऐसा आबंटन अनियमित आबंटन कहलाता है। ऐसा निम्नलिखित दशाओं में होता है:

यदि कोई पब्लिक कंपनी अपने अंशों के विक्रय/अभिदान (Subscription) के लिए जनता को आमन्त्रित करती है और निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति किए बिना ही आबंटन कर देती है तो आबंटन अनियमित होगा:

(i) अंशों के अंकित मूल्य का कम-से-कम 5 प्रतिशत आवेदन-राशि के रूप में नकद प्राप्त नहीं करती है, या

(ii) न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं करती, या

(iii) आवेदन राशि को किसी अनुसूचित बैंक में जमा नहीं करती।

Scanned with CamScanner

2. जब पब्लिक कंपनी ने प्रविवरण के निर्गमन के बिना ही अंशों का आबंटन किया है और जिसने अंशों के प्र... आबंटन के कम-से-कम 3 दिन पहले प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजा है अथवा कंपनी ने स्कन्ध विप... अंशों के व्यवहार करने की अनुमति प्राप्त करने का कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया है अथवा आवेदन-पत्र दिया गया, परन्तु स्कन्ध विपणी ने अंशों को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।

■ आबंटन की विधि (Procedure of Allotment)

अंशों का आबंटन करने की विधि, संक्षेप में, निम्न प्रकार है:

1. **वैधानिक व्यवस्थाओं की पूर्ति** (Compliance with statutory provisions): अंशों के प्रथम आबंटन ... कंपनी अधिनियम द्वारा आबंटन पर लगाई सभी व्यवस्थाओं (प्रावधानों) का पूर्णत: पालन करना चाहिए।
2. **रेड-हेरिंग प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना** (Red-herring prospectus with the Registrar): कंपनी के रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण की एक प्रति भेजना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि अंश पूँजी वाली कोई कंपनी रे... हेरिंग प्रविवरण जारी करती है तो अंशों के प्रथम आबंटन से कम से कम 3 दिन पहले रेड-हेरिंग प्रविवरण की एक प्र... रजिस्ट्रार के पास भेजना भी (जमा कराना) कानूनी रूप से अनिवार्य है।
3. **आबंटन समिति की स्थापना** (Formation of Allotment Committee): यदि आवेदन 'निर्गमित किए जा... वाले अंशों की संख्या' से अधिक हो तो संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार एक आबंटन समिति की स्थापना की जा... है जो सभी आवेदन-पत्रों की जाँच, छटाई तथा श्रेणीयन करती है, और अंश आबंटन सूची तैयार करके निश्चित समय ... आबंटन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट संचालक-मंडल के सामने प्रस्तुत करती है।
4. **संचालक मंडल की सभा बुलाना** (Calling the Meeting of Board of Directors): आबंटन समिति ... रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संचालक मंडल की सभा बुलाई जाती है। इस सभा में संचालक एक प्रस्ताव पास कर... अपनी इच्छानुसार बिना कारण बताए, आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। अंत में अंशों का आबं... किया जाता है।
5. **अंश आवेदन तथा आवंटन सूची में प्रविष्टियाँ करना** (Making the entry into share application an... allotment list): अब अंश आवेदन तथा आबंटन सूची में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाती हैं। संचालक मंडल का अध्य... इस सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करता है और यह लिखता है कि आज के दिन अंशों का आबंटन किया गया।
6. **आवेदकों को सूचना देना** (Informing the Applicants): संचालक-मंडल आबंटन के प्रस्ताव में सचिव ... अधिकार प्रदान करता है कि स्वीकृत आवेदन-पत्रों की सूचना सम्बन्धित आवेदकों को दी जाए। जिन आवेदकों को कोई आबंटन नहीं किया जा सका है उन्हें **खेद-पत्र (Letter of Regret)** के साथ आवेदन पर प्रा... राशि भी लौटा दी जानी चाहिए।
7. **आबंटन राशि को प्राप्त करना** (Receiving the allotment money): आबंटन पत्र भेजे जाने के पश्चात् आबं... पर देय राशि प्राप्त की जाती है।
8. **अंश प्रमाण-पत्र तैयार करना** (Preparing share certificate): इसके पश्चात् आबंटन सूचियों से अंश प्रमाण-प... तैयार किये जाते है। यदि निर्गमन की शर्तों में इसके विपरीत कुछ न दिया हो तो आबंटन के तीन महीने के अन्दर आबंटन ... तथा आबंटन राशि जमा कराने की रसीद के बदले संबंधित अंशधारियों को अंश प्रमाण-पत्र भेज दिए जाते हैं।
9. **सदस्यों का रजिस्टर तैयार करना** (Preparing the register of members): अंशों के आबंटन के पश्चा... अंशधारियों के नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर (Register of Members) में लिख दिए जाते हैं और अंशधारी कं... के माननीय सदस्य बन जाते हैं।

इस प्रकार आबंटन संबंधी कार्यवाही पूरी हो जाती है।

Scanned with CamScanner

यदि रजिस्ट्रार को यह संतोष हो जाए कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उपर्युक्त निर्धारित 30 दिन का समय अपर्याप्त है तो वह कंपनी के आवेदन-पत्र पर (चाहे वह अवधि के पहले या बाद में) उस अवधि को जितना उचित समझे, बढ़ा सकता है।

■ अभिगोपन कमीशन (Underwriting Commission)

जनता को अंशदान के लिए प्रस्तावित अंशों, एवं ऋणपत्रों के जनता द्वारा लिए जाने के जोखिम से सुरक्षा जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में आजकल एक आम रिवाज हो गया है कि वे कमीशन के बदले अपने अंशों एवं ऋणपत्रों का उनके निर्गमन से पहले अभिगोपन करा लेती है। इस प्रकार अभिगोपन एक व्यक्ति अथवा सम्मिलित संस्था; जैसे- बैंक, वित्तीय संस्था होती है जो एक निश्चित कमीशन के बदले जिसे अभिगोपन कमीशन कहते हैं, निर्दिष्ट अंशों एवं ऋणपत्रों को जो जनता द्वारा नहीं लिए जाते, स्वयं लेने का ठहराव करते हैं। इस ठहराव को अभिगोपन ठहराव (Underwriting Agreement) कहते हैं।

अभिगोपन कमीशन का निम्नलिखित शर्तों के अधीन भुगतान किया जा सकता है:

(1) ऐसे कमीशन का भुगतान कंपनी के अंतर्नियमों के अंतर्गत अधिकृत होना चाहिए।

(2) कमीशन की दर अंशों पर 5% और ऋणपत्रों पर $2\frac{1}{2}\%$ या अंतर्नियमों में दी गई प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) कमीशन की दर या राशि प्रविवरण में दिखाई गई होनी चाहिए।

(4) प्रविवरण में अभिगोपकों द्वारा अभिगोपित अंशों की संख्या भी लिखी होनी चाहिए; और

(5) प्रविवरण के साथ अभिगोपकों के साथ हुए अनुबंध की एक प्रति भी रजिस्ट्रार के पास जमा (फाइल) की जानी चाहिए।

अभिगोपन कमीशन अभिगोपकों को कंपनी द्वारा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वह कंपनी के निर्गमित अंशों के बिकने की गारंटी कर देते हैं और जिसके फलस्वरूप कंपनी का निर्गमन सफल हो पाता है।

■ दलाली (Brokerage)

'दलाल' ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि विक्रेता तथा क्रेता के बीच अनुबंध कराने में सहायता करते हैं। जनता द्वारा अंश न खरीदे जाने की स्थिति में दलाल स्वयं उन अंशों को खरीद लेने का अनुबंध नहीं करते। वे तो विक्रेता तथा क्रेता के बीच केवल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। जितने अंशों का विक्रय कराने में वे सहायक होते हैं उतने अंशों पर उन्हें कमीशन दिया जाता है जिसे 'दलाली' कहते हैं। अतः दलाली उस कमीशन को कहा जाता है जो व्यावसायिक दलालों, अंशों के दलालों, बैंकर्स आदि को उनकी सेवाओं के बदले में दिया जाता है। 'दलाली' कंपनी के अंशों की व्यवस्था करने (Placing) के लिए दी जाती है। दलाली केवल उस व्यक्ति को दी जाती है जो दलाल का व्यवसाय करता है तथा उस व्यक्ति को जो कभी-कभी दूसरों को अंशदान करने के लिए प्रेरित करता है, दलाली नहीं दी जाती है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अभिगोपन कमीशन तथा दलाली दोनों अलग-अलग है। अभिगोपन कमीशन उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कंपनी के अंश निर्गमन के असफल होने की परिस्थिति में न बिके हुए अंशों को स्वयं क्रय करने की गारंटी देते हैं। जबकि दलाल कंपनी के निर्गमन से सम्बन्धित आवेदन-पत्र उन लोगों को भेजते हैं जो कि अपना पैसा देकर कंपनी के अंश खरीदना चाहें अर्थात यह व्यक्ति कंपनी के लिए विनियोजक की तलाश करता है।

■ अभिगोपन और व्यवस्था करना (Underwriting and Placing)

अभिगोपन तथा व्यवस्था करने में अंतर है। अभिगोपन समझौते में, अभिगोपक स्वीकार करता है कि यदि जनता को प्रस्तुत किए गए अंशों और ऋणपत्रों की एक निश्चित संख्या जनता नहीं लेगी तो वह स्वयं उन्हें ले लेगा और उनके लिए भुगतान कर देगा। लेकिन व्यवस्था करने के समझौते में एक व्यक्ति या फर्म कंपनी द्वारा देय कमीशन के बदले में कंपनी के अंश और ऋणपत्र खरीदने के लिए क्रेता ढूँढ़ता है। जितने अंशों या ऋणपत्रों की व्यवस्था करने का समझौता है अगर उतने के क्रेता नहीं मिलते तो, अभिगोपक की तरह, वह स्वयं शेष अंश या ऋणपत्र नहीं खरीदता। जितने अंशों और ऋणपत्रों के खरीददार वह ढूँढ़ पाएगा, उतनी राशि पर उसे कमीशन मिल जाएगा शेष पर नहीं।

Scanned with CamScanner

■ अंशों का निर्गमन (Issue of Shares)

अंशों के निर्गमन से आशय कंपनी द्वारा जनता को, कंपनी के अंश क्रय करने के लिए, आमंत्रित करने से है। प्रविवरण के निर्गमन के माध्यम से कंपनी जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है। एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को जनता को निर्गमित करके ही पूँजी प्राप्त करती है। कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निम्न प्रकार से कर सकती है:

(1) **अंशों का सम-मूल्य पर निर्गमन** (Issue of Shares at Par): जब कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन अंशों के नामांकित या अंकित मूल्य (Nominal or Face Value) पर किया जाता है तो इसे अंशों का सम-मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि अंश का अंकित मूल्य ₹ 100 है और निर्गमन मूल्य (Issue Price) भी ₹ 100 है अर्थात् यदि ₹ 100 का अंश ₹ 100 में ही निर्गमित किया जाए तो इसे सम-मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहेंगे। एक नई कंपनी अपने अंशों का प्रथम निर्गमन सम-मूल्य पर ही करती है।

(2) **अंशों का प्रव्याजि (प्रीमियम)पर निर्गमन** (Issue of Shares at Premium): सामान्यतः अंश अपने सम-मूल्य अर्थात् अंकित मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं परंतु कंपनी पर ऐसा कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है कि वह अपने अंश सम-मूल्य पर ही निर्गमित करे। एक सफल कंपनी, जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है और जिसने गत वर्षों में अधिक लाभांश घोषित किए हैं, अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है। कंपनी अधिनियम में यद्यपि प्रीमियम शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है परंतु व्यवहार में अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करना 'प्रीमियम पर निर्गमन' कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, अंशों के निर्गमन मूल्य का अंकित मूल्य पर जो आधिक्य होता है उसे प्रीमियम कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि अंश का अंकित मूल्य ₹ 100 है और निर्गमन मूल्य ₹ 120 है तो यह अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलायेगा और अंश के निर्गमन मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर अर्थात् ₹ 20 प्रीमियम कहलायेगा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के निर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कंपनी स्वेच्छानुसार जब चाहे इस प्रकार का निर्गमन करने के लिए स्वतंत्र है। इतना ही नहीं कंपनी एक ही प्रकार के अंशों पर विभिन्न दरों से प्रीमियम प्राप्त कर सकती है। कंपनी अधिनियम में प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन का अधिकार धारा 52 के अधीन दिया गया है। अतः यह एक सांविधिक अधिकार है और अंतर्नियमों में इसकी व्यवस्था आवश्यक नहीं है।

अंशों के निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग (Application of Premium received on Issue of Shares): जब कंपनी अपने अंशों को नकदी के बदले या अन्यथा प्रीमियम पर निर्गमित करती है तो अंशों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशि 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' में हस्तांतरित कर दी जाएगी तथा इसे कंपनी की 'प्रदत्त पूँजी' माना जाएगा और प्रदत्त पूँजी पर लागू होने वाले सभी प्रावधान इस पर भी लागू होंगे।

अंश प्रीमियम खाते की धनराशि का प्रयोग केवल निम्न कार्यों के लिए कंपनी द्वारा किया जा सकता है:

(i) बोनस शेयर निर्गमित करने के लिए,

(ii) कंपनी के प्रारंभिक व्यय की राशि को अपलिखित करने के लिए,

(iii) अंशों व ऋण-पत्रों के निर्गमन पर किये गए व्यय, अथवा निर्गमन पर दिए गया कमीशन की राशि को अपलिखित करने के लिए,

(iv) कंपनी के विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों (Redeemable Preference Shares) अथवा ऋणपत्रों के भुगतान पर देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए।

(v) धारा 68 के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपने स्वयं के अंश अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए।

उपर्युक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त यदि कंपनी किसी अन्य कार्य में अंशों के प्रीमियम का प्रयोग करती है तो यह माना जाएगा कि अंश पूँजी में कमी हुई है, जो कंपनी अधिनियम के अनुसार वर्जित है।

(3) **अंशों का बट्टे पर निर्गमन** (Issue of Shares at Discount): जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती है तो इसे अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि अंश का अंकित मूल्य ₹ 100 है

Scanned with CamScanner

और निर्गमन मूल्य ₹ 97 है तो अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहलायेगा और अंश के अंकित मूल्य और निर्गमन मूल्य का अंतर अर्थात् ₹ 3 बट्टा कहलायेगा। लेकिन, अपने अंशों के बाजार मूल्य (Market Price) से कम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करना बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं माना जाता है।

■ अंशों का बट्टे पर निर्गमन करने पर प्रतिबंध (Prohibition on Issue of Shares at Discount)

(1) धारा 54 के प्रावधानों के सिवाय एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं करेगी।

(2) कंपनी द्वारा बट्टे पर किया गया अंशों का निर्गमन व्यर्थ (Void) होगा।

(3) यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी जो त्रुटि के लिए दोषी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित होगा। [धारा 53]

■ परिश्रम समता अंशों का निर्गमन (Issue of Sweat Equity Shares)

बट्टे पर अंश निर्गमित करने का यह एक नया तरीका लागू किया गया है। यह नकद के स्थान पर किसी अन्य प्रतिफल के बदले अंश देने का ढंग भी है। इसके अंतर्गत नकद के स्थान पर प्रतिफल परिश्रम के रूप में दिया जाता है और उसके लिए समता अंश जारी कर दिए जाते हैं। इसीलिए इनका नाम स्वेट इक्विटी अर्थात् परिश्रम समता अंश रखा गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 54 में यह प्रावधान है कि एक कंपनी पहले से निर्गमित अंशों के किसी वर्ग के परिश्रम समता अंशों का निर्गमन कर सकेगी यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं।

(i) परिश्रम समता अंशों का निर्गमन कंपनी की व्यापक सभा में एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत होना चाहिए;

(ii) उस प्रस्ताव में यह बताया गया हो कि कितने अंश जारी किए जाएंगे, उनका मूल्य क्या होगा, किस श्रेणी के होंगे तथा किस श्रेणी के संचालकों तथा कर्मचारियों को दिए जाएंगें;

(iii) जिस तारीख (दिन) को कंपनी को व्यापार आरंभ करने का अधिकार या उससे निर्गमन के दिन पर कम से कम एक वर्ष बीत गया हो;

(iv) जिस कंपनी के समता अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है उसके परिश्रम अंशों का निर्गमन भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही होगा।

जिस कंपनी के समता अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है तो ऐसी कंपनी के अंशों का निर्गमन निर्धारित की जाने वाली मार्ग रेखा (नियमों) के अनुरूप होगा।

समता अंशों पर लागू होने वाली सभी सीमाएँ, प्रतिबंध तथा प्रावधान इस धारा के अंतर्गत निर्गमित परिश्रम समता अंशों पर भी लागू होंगे। [धारा 54]

■ बोनस अंशों का निर्गमन (Issue of Bonus Shares)

जब कंपनी अपने लाभों तथा आरक्षित निधि (Reserve Fund) को लाभांश के रूप में वितरित नहीं करती बल्कि उनका प्रयोग सदस्यों को पूर्णतः चुकता अंशों (Fully paid shares) के निर्गमन के लिए करती है तो ऐसे निर्गमित किए गए अंशों को बोनस अंश (Bonus Shares) कहा जाता है।

अतः बोनस अंशों के निर्गमन का अर्थ है लाभांश को नकद में न देकर अंशों के रूप में वितरित करना। बोनस अंश, विद्यमान समता अंशधारियों (existing equity shareholders) को उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। ऐसे अंशों के निर्गमन के फलस्वरूप कम्पनी के सदस्यों को कुछ अतिरिक्त पूर्णतः चुकता अंश प्राप्त हो जाते हैं और कम्पनी की निर्गमित अंश पूंजी बढ़ जाती है, परंतु इन अंशों को प्राप्त करने के लिए अंशधारियों को अलग से कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है क्योंकि इनका निर्गमन

Scanned with CamScanner

अंतर का आधार (Basis of Difference)	बोनस अंश (Bonus Shares)	अधिकार अंश (Right Shares)
1. अर्थ (Meaning)	बोनस अंश से अभिप्राय उन अंशों से है जो अंशधारियों को लाभों व संचय में से बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के निर्गमित किए जाते हैं। ये अंश लाभांश के बदले में दिए जाते हैं।	इन अंशों को विद्यमान अंशधारियों को प्राथमिकता देते हुए प्रतिफल के बदले में निर्गमित किया जाता है।
2. उद्देश्य (Purpose)	इन अंशों के निर्गमन करने का उद्देश्य नकदी के स्थान पर अंशों के रूप में लाभांश देना है।	इन अंशों के निर्गमन का उद्देश्य कंपनी की प्रार्थित पूँजी (Subscribed Capital) में वृद्धि करना है।
3. प्रतिफल (Consideration)	ये अंश विद्यमान अंशधारियों को बिना कोई प्रतिफल (अलग मूल्य) लिए निर्गमित किये जाते हैं।	इन अंशों के निर्गमन की दशा में आबंटित अंशों के संपूर्ण मूल्य का भुगतान प्राप्त किया जाता है।
4. प्रावधान (Provision)	इन अंशों को कंपनी अधिनियम की धारा 52, 55 तथा 123 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गमित किया जाता है।	इन अंशों को कंपनी अधिनियम की धारा 62 के प्रावधान के अंतर्गत जारी किया जाता है।
5. निर्गमन का अधिकार (Right to Issue)	बोनस अंशों को जारी करने का अधिकार कंपनी को तभी होता है जब उसके अंतर्नियम के द्वारा यह अधिकृत होता है।	अंश पूँजी वाली कंपनी को अपनी अनिर्गमित पूँजी (Unissued Capital) को विद्यमान अंशधारियों को जारी करने का स्वाभाविक अधिकार प्रदान होता है।

Scanned with CamScanner

अंश प्रमाण-पत्र तथा अंश अधिपत्र (Share Certificate and Share Warrant)

अंश प्रमाण-पत्र (Share Certificate)

■ अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition)

अंशों के आबंटन अथवा हस्तांतरण के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् प्रत्येक आबंटकी (Allottee) अथवा अंशधारी का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है। अंशधारी कितने अंशों का धारक है इसके समुचित प्रमाण के लिए कंपनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा (common seal) के अधीन एक प्रमाण-पत्र निर्गमित किया जाता है, जिसे **अंश प्रमाण-पत्र** (Share certificate) कहते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा **46** के अनुसार, ''एक अंश प्रमाण-पत्र (कंपनी की सार्वमुद्रा यदि कोई है, के अधीन निर्गमित या किन्हीं दो संचालकों या एक संचालक और एक कंपनी सचिव, जहां कंपनी ने कंपनी सचिव नियुक्त किया हो।) जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए हुए अंश निर्दिष्ट होते हैं और ऐसा प्रमाण-पत्र ऐसे अंशों के संबंध में स्वत्व का प्रत्यक्षतः प्रमाण (Prima Facie Evidence) होता है।'' (A certificate (issued under the common seal, if any, of the company or signed by two directors or by a director and the Company Secretary wherever the company has appointed a Company Secretary), specifying the shares held by any person, shall be prima facie evidence of the title of the person to such shares.)

एस०ए० शर्लेकर के अनुसार, ''अंश प्रमाण-पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किया गया अंशों के स्वामित्व का प्रलेख होता है। यह एक सदस्य द्वारा धारण किए हुए अंशों की संख्या को प्रदर्शित करता है।'' (A share certificate is a document of title to the share issued by the company under its common seal. It specifies the number of shares held by a member. **–S.A. Sherlekar**)

अतः उपरोक्त परिभाषाओं के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि एक अंश प्रमाण-पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा, यदि कोई है, के अधीन निर्गमित एक प्रमाण-पत्र है जिसमें अंशधारी द्वारा धारण किए हुए अंशों की संख्या निर्दिष्ट होती है। यह प्रमाण-पत्र अंश या स्कन्ध के संबंध में अंशधारी के अधिकार का उचित व लिखित प्रमाण होता है जो कंपनी की सार्वमुद्रा से दिया जाता है। अन्य शब्दों में, यह प्रपत्र इस बात का प्रमाण है कि उसमें वर्णित नाम का व्यक्ति कंपनी का स्वत्वधारी (Title Holder) सदस्य है तथा उसमें प्रमाणित देय राशि चुकता (paid-up) की जा चुकी है।

अंश प्रमाण-पत्र की विषय सामग्री (Contents of Share Certificate)

अंश प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है:

1. कंपनी का नाम।
2. कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता।
3. अंश प्रमाण-पत्र की क्रम संख्या।
4. अंशधारी का नाम, पता तथा उससे संबंधित विशेष विवरण।

Scanned with CamScanner

5. उनके द्वारा लिए गए अंशों की संख्या।
6. अंशों का क्रमांक (Distinctive number of shares)।
7. अंशों की श्रेणी (Classes of Shares)।
8. अंशों का अंकित मूल्य।
9. प्रत्येक अंश पर भुगतान की गई राशि।
10. अंश प्रमाण-पत्र के निर्गमन का दिन तथा तिथि।
11. उचित मुद्रांक (Revenue Stamp)।

प्रत्येक अंश प्रमाण-पत्र पर कम से कम दो संचालकों या एक संचालक तथा सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए और इस पर उ राशि का मुद्रांक लगा होना चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में एक सदस्य की हैसियत से लिखा गया है उसे आवंटन के दो महीने के अ तथा हस्तांतरण के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन-पत्र देने के एक महीने के अंदर अपने नाम में रजिस्टर्ड सभी अंशों के लिए एक प्रमाण-पत्र निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। यदि वह अपने अंशों के लिए एक से अधिक प्रमाण-पत्र चाहता है तो उसे प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिए निर्धारित शुल्क यदि अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए कंपनी एक से अधिक प्रमाण-पत्र निर्गमित करने के लिए बाध्य नहीं है और सभी संयुक्त-धारकों (Jointholders) में से किसी एक प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी (Delivery) उन सभी को सुपुर्दगी मानी जाएगी।

अंश प्रमाण-पत्र 'स्वत्व प्रलेख'(Document of title) नहीं है, क्योंकि इसके अधीन प्राप्त अधिकार केवल प्रमाण-पत्र बेचान (endorsement) तथा/या सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय नहीं है। अंश प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित अंशों के स्वामित्व का हस्ता करने के लिए कंपनी के पास संचालक मंडल की स्वीकृति के लिए उचित रूप में पूरा किया हुआ एक हस्तांतरण प्रलेख (Instrument Transfer) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अंश प्रमाण-पत्र का वैधानिक प्रभाव (Legal Effect of Share Certificate) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के अनुसार, एक अंश प्रमाण पत्र निम्नलिखित बातों के लिए **निश्चयात्मक प्रमाण** है:

(1) **स्वत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण-पत्र** (Prima Facie Evidence of Title): जब अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित किया जा तो इसके आधार पर यह माना जाता है कि अंशधारी का उन अंशों पर 'स्वत्व' है जिनका वर्णन उस अंश प्रमाण-पत्र में लेकिन अंश प्रमाण-पत्र का निर्गमन किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। फलस्वरूप कंपनी अंश प्रमाण में उल्लेखित धनराशि की वास्तविकता को अस्वीकार नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी एक अंश प्रमाण एक ऐसे व्यक्ति को निर्गमित करती है जिसका कोई स्वत्व नहीं है और कोई अन्य व्यक्ति ऐसे प्रमाण-पत्र के विश्वास अंशों को खरीदता है तो कंपनी बाद में यह नहीं कह सकती कि हस्तांतरणकर्ता को अंशों पर कोई स्वत्व नहीं है।

डिक्शन बनाम **केनावे एण्ड कंपनी** (Dixon vs. Kennaway & Co.) के मामले में 'अ' एक कंपनी का सचिव एक स्कन्ध दलाल (Stock Broker) 'ब' ने कंपनी के सचिव 'अ' को कंपनी के 300 अंशों को क्रय करने के आवेदन किया तथा मूल्य का भुगतान कर दिया। 'अ' के क्लर्क 'स' ने जिसके कंपनी में अपने कोई अंश नहीं थे को 300 अंश हस्तांतरित कर दिये। कंपनी ने हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन कर दिया और 'स' द्वारा अंश प्रमाण-पत्र किए बिना 'ब' को एक नया अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित कर दिया। न्यायालय से यह **निर्णय** दिया गया कि कंपनी अंश प्रमाण-पत्र की वैधता से इनकार नहीं कर सकती है। अतः उस पर **'ब'** की क्षतिपूर्ति का दायित्व होगा।

इस संबंध में यह बात महत्त्वपूर्ण है कि अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित करने वाला व्यक्ति कंपनी की ओर से अधि (अधिकृत) होना चाहिए और यदि कंपनी का कोई अधिकारी जिसे अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित करने का अधिकार नहीं यदि वह अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित करता है तो उसके लिए कंपनी दायी नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

(2) **मूल्य के भुगतान का प्रमाण माना जाना** (Estoppel as to Payment): अंश प्रमाण-पत्र इस बात का **निश्चयात्मक प्रमाण** होता है कि अंशधारी ने अंश प्रमाण-पत्र में उल्लेखित धनराशि का भुगतान कर दिया है। यदि अंश प्रमाण-पत्र में यह स्पष्ट है कि अंश पूर्णदत्त हैं तो कंपनी बाद में यह नहीं कह सकती कि अंश पूर्णदत्त नहीं हैं।

ब्लूमैंथल बनाम **फोर्ड** (Bloomenthal Vs. Ford) के मामले में 'ब' ने कंपनी को 10,000 पूर्णतः चुकता अंशों की जमानत पर 1000 पौण्ड उधार देना स्वीकार किया। कंपनी ने 'ब' के नाम में एक पौण्ड वाले 10,000 अंशों का एक अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित किया जिसमें यह लिखा था कि अंश पूर्णतः चुकता (fully paid) हैं। वास्तव में इन अंशों पर कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था। कंपनी के समापन पर 'ब' को अंशधारियों की सूची में सम्मलित किया गया। इस बात का पता चलने पर 'ब' ने अंशदाताओं की सूची से अपना नाम काट दिए जाने के उद्देश्य से आवेदन-पत्र दिया। यह **निर्णय** दिया गया कि कंपनी तथा उसका समापक/निस्तारक (Liquidator) अंशों के पूर्णतः चुकता होने के तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते और 'ब' का नाम अंशदाताओं की सूची से हटा देना चाहिए।

■ अंश प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित प्रावधान (Provisions Relating to Share Certificate)

अंश प्रमाण-पत्र के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

1. **अंश प्रमाण-पत्र का निर्गमन या सुपुर्दगी** (Issue or Delivery of Share Certificate): प्रत्येक कंपनी को अपनी सभी प्रतिभूतियों के आबंटन, हस्तांतरण तथा प्रेषण की दशा में निम्नलिखित समय सीमाओं के अंदर एक प्रमाण-पत्र सुपुर्द करना पड़ता है। बशर्ते कि कानून के किसी प्रावधान अथवा न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा इसके सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध न हो।

   (i) पार्षद् सीमानियम के अभिदान (Subscription) की दशा में कंपनी का समामेलन होने के दो महीने के अंदर,

   (ii) अंशों के आबंटन की दशा में आबंटन की तिथि से दो महीने के अन्दर।

   (iii) अंशों के हस्तांतरण अथवा प्रेषण की दशा में हस्तांतरण के लिए हस्तांतरण-प्रपत्र जमा कराने के तथा प्रेषण की दशा में प्रेषण की सूचना प्राप्त करने के एक महीने के अंदर।

   (iv) ऋणपत्रों के आबंटन की दशा में आबंटन की तिथि से 6 महीने के अंदर।

एक अंशधारी को उसके समस्त अंशों के लिए एक अंश प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जिसे वह कंपनी से निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। यदि वह एक से अधिक अंश प्रमाण-पत्र चाहता है तो उसे प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र के लिए **एक रुपया** शुल्क देना होगा। जब अंशों के संयुक्त स्वामी हैं, तो कंपनी केवल एक प्रमाण-पत्र देने के लिए बाध्य है और उनमें से किसी एक को उसकी सुपुर्दगी सभी को सुपुर्दगी मानी जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 निर्धारित समय में अंश-प्रमाण पत्र की सुपुर्दगी किए जाने के कंपनी के वैधानिक कर्तव्य पर बल देता है। कंपनी द्वारा निर्धारित समय में अंश प्रमाण-पत्र न दिए जाने पर आबंटकी (Allottee) अथवा हस्तांतरिती (Transfree), जैसी भी स्थिति हो, कंपनी को अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित करने का नोटिस दे सकता है। और यदि कंपनी इस नोटिस की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित नहीं करती तो अंशधारी राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण इस आवेदन पत्र को प्राप्त करने के पश्चात् कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 20 के तदानुसार अंश प्रमाण-पत्र की सुपुर्दगी करने का आदेश दे सकता है।

2. **अंश प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि का निर्गमन** (Issue of Duplicate Copy of Share Certificate): कोई भी कंपनी अपने अंशधारी को अंश प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि तब तक नहीं देगी जब तक वह इस बात की संतुष्टि नहीं कर लेती कि मूल प्रमाण-पत्र वास्तव में नष्ट हो गए हैं या खो गए हैं। इस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने के इच्छुक अंशधारी को इस संबंध में कंपनी के पास आवश्यक शुल्क सहित आवेदन करना होगा तथा अंश प्रमाण-पत्र खोने या नष्ट होने की परिस्थितियों का विवरण देते हुए वैधानिक घोषणा भेजनी होगी। इसके अतिरिक्त उसे कंपनी को एक क्षतिपूरक पत्र (Indemnity Bond) भी भरकर भेजना होगा ताकि प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि निर्गमित करने के कारण होने वाली संभावित हानि से कंपनी स्वयं को बचा सके।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त क्षतिपूरक-पत्र, शुल्क तथा घोषणा (Declaration) प्राप्त होने पर कंपनी जनसाधारण की सूचनार्थ विज्ञापन प्रसारित करेगी ताकि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति होने पर निर्धारित समय में कंपनी को सूचित कर सके। यदि विज्ञप्ति में उल्लिखित अवधि तक कोई आपत्ति नहीं की जाती तो कंपनी खोए हुए अथवा नष्ट अंश प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि सम्बन्धित अंशधारी को निर्गमित करेगी। इस प्रकार निर्गमित अंश प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि पर 'प्रतिलिपि' (Duplicate) शब्द अंकित किया जाना चाहिए तथा इसका उल्लेख सदस्य-रजिस्टर में भी किया जाना अनिवार्य है।

इस प्रकार यदि मूल अंश प्रमाण-पत्र खराब, गन्दे या कट-फट (Defected or Mutilated) गए हों अथवा उस पर अंकित शब्द मिट जाने के कारण स्पष्ट नहीं हैं, तो इसके बदले में कंपनी अंशधारी को उस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि दे सकती है। इसके अतिरिक्त किसी अंशधारी की मृत्यु अथवा दिवालियापन के कारण यदि अंश किसी व्यक्ति के अधिकार में जाएँ अथवा कोई व्यक्ति अपने प्रमाण-पत्र को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना चाहता हो तो उसे पूर्व प्रमाण-पत्र के बदले में कंपनी द्वारा नए प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

3. **आर्थिक दण्ड** (Penalty): यदि कंपनी ने कपट या धोखा देने के विचार से किसी अंश प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया है या उसकी प्रतिलिपि निर्गमित की है तो कंपनी पर प्रतिलिपि से सम्बन्धित अंशों के मूल्य के कम से कम पाँच गुणा, जिसे ऐसे अंशों के अंकित मूल्य के दस गुणा तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दस करोड़ रुपये, इनमें जो भी अधिक हो, जुर्माना लगाया जाएगा तथा प्रत्येक दोषी अधिकारी पर धारा 447 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

अंश अधिपत्र (Share Warrant)

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition): एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर्नियमों के अधीन तथा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर अपनी सार्वमुद्रा (Common seal), यदि कोई है, के अधीन पूर्णतः चुकता (fully paid-up) अंशों के लिए प्रमाण-पत्र निर्गमित कर सकती है। इस प्रमाण-पत्र को अंश अधिपत्र (Share Warrant) कहते हैं। एक अंश अधिपत्र अंशों के संबंध में एक आश्वासन है कि इसका वाहक एक अंशधारी है और कंपनी इसके वाहक के स्वामित्व को मान्यता देगी। एक 'अंश अधिपत्र' कंपनी की कॉमन सील, यदि कोई है, के अधीन कंपनी द्वारा निर्गमित एक अधिपत्र है जिसमें यह उल्लेख होता है कि अधिपत्र का वाहक उसमें निर्दिष्ट अंशों का अधिकारी है, और उस अधिपत्र में निर्दिष्ट अंशों पर भविष्य के लाभों को लाभांश चिटों (कूपन) के द्वारा अथवा अन्य रीति से भुगतान की व्यवस्था हो सकती है।

''अंश अधिपत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन, यदि कोई है, निर्गमित किया गया अंशों के स्वामित्व को दर्शाने वाला एक वाहक 'स्वत्व प्रलेख' (Document of Title) है। यह अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक संचालकों तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और इस पर उचित राशि का स्टाम्प होना चाहिए।''

अतः अंश अधिपत्र कंपनी की कॉमन सील, यदि कोई है, के अधीन निर्गमित प्रलेख है जो उसके वाहक को उसमें निर्दिष्ट अंशों का स्वामित्व प्रदान करता है। अंश अधिपत्र में अंशधारी का नाम नहीं लिखा जाता बल्कि इसका धारक ही उसका वैध स्वामी माना जाता है। इस प्रकार अंश अधिपत्र एक विनिमय साध्य प्रलेख है जिसे केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है।

■ अंश अधिपत्र की विषय सामग्री (Contents of Share Warrant)

एक अंश अधिपत्र में निम्नलिखित विवरण होता है:

1. कंपनी का नाम।
2. कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता।
3. अंश अधिपत्र की संख्या।
4. अंशों की संख्या।
5. अंशों की क्रम संख्या।
6. अंशों का अंकित मूल्य।

Scanned with CamScanner

7. अंश अधिपत्र के जारी होने की तिथि।
8. दो संचालकों के हस्ताक्षर या एक संचालक एवं एक कंपनी के सचिव का हस्ताक्षर।
9. कंपनी की कॉमन सील, यदि कोई है।

अंश अधिपत्र के निर्गमन की शर्तें (Conditions for issuing Share Warrant)

ऐसा अंश अधिपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही निर्गमित किया जा सकता है:

(i) यह अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही निर्गमित किया जा सकता है। इस प्रकार एक निजी कंपनी को अंश अधिपत्र निर्गमित करने का अधिकार नहीं है।

(ii) यह तभी निर्गमित किया जा सकता है जबकि कंपनी के अंतर्नियम ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करते हैं।

(iii) यह केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति से ही निर्गमित किया जा सकता है। यह जानना महत्त्वपूर्ण है। **कंपनी अधिनियम, 1956** से पहले अंश अधिपत्र निर्गमित करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व-सहमति की आवश्यकता न थी। अब उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी व्यवस्था है।

(iv) अंश अधिपत्रों का मूल रूप से निर्गमन नहीं किया जा सकता। केवल पूर्णतः चुकता (fully paid-up) अंशों के बदले में ही अंश अधिपत्र निर्गमित किए जा सकते हैं। यह इसके वाहक (Bearer) को इसमें लिखित अंशों का अधिकारी बनाता है। अंश अधिपत्र का वाहक केवल अंश अधिपत्र की सुपुर्दगी मात्र से ही इसमें लिखित अंशों का हस्तांतरण कर सकता है।

अंश अधिपत्र जारी करने का प्रभाव (Effects of the issue of Share Warrant)

अंश अधिपत्र जारी करने के निम्न प्रभाव होते हैं:

1. अंश अधिपत्र निर्गमित करने का प्रभाव यह होता है कि उसमें निर्दिष्ट अंशों का हस्तांतरण अधिपत्र की केवल सुपुर्दगी द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार यह एक विनिमय साध्य प्रलेख (Negotiable Instrument) बन जाता है।
2. अंश अधिपत्र जारी करने पर कंपनी उस व्यक्ति का नाम जिसके अंशों के लिए अंश अधिपत्र निर्गमित किए गए हैं, कंपनी रजिस्टर से काट देती है तथा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

अंश अधिपत्र के निर्गमन के पश्चात कंपनी सदस्यों के रजिस्टर में निम्न सूचनाएं प्रविष्ट कर देती है:

(i) अंश अधिपत्र निर्गमित करने का तथ्य।

(ii) अधिपत्र में निर्दिष्ट प्रत्येक अंश की क्रम संख्या देते हुए अंशों का विवरण।

(iii) अधिपत्र के निर्गमन की तिथि।

अंश अधिपत्र के वाहक को सदस्यता संबंधी सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते। यदि अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था हो तो उसे अंतर्नियमों में परिभाषित सीमा व कार्यों के लिए सदस्य माना जा सकता है। प्रायः उसके सदस्यता संबंधी अधिकारों को संक्षिप्त कर दिया जाता है, जैसे वह कंपनी के समापन के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता है, उसे साधारण सभाओं में उपस्थित होने, मतदान करने आदि के अधिकार भी नहीं दिए जा सकते हैं।

4. यदि अंतर्नियमों में संचालकों के लिए योग्यता अंशों (Qualification Shares) की व्यवस्था हो तो ऐसे अंशों की गणना करते समय अंश अधिपत्र में निर्दिष्ट अंशों की गणना नहीं की जाएगी।
5. अंश अधिपत्र को बिना समर्पण किए यदि किसी व्यक्ति का नाम कंपनी सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट करती है तो उसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को होने वाली क्षति के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी।
6. कंपनी की वार्षिक विवरणी (Annual return) में निर्गमित अंश अधिपत्रों का विवरण देना चाहिए।

Scanned with CamScanner

अंतर्नियमों की व्यवस्थाएँ (Provisions of the Articles)

कंपनी अधिनियम तथा पार्षद् अंतर्नियमों के अधीन अंश अधिपत्रों के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं है:

1. कंपनी अधिनियम तथा अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अधीन संचालक-मंडल किसी रजिस्टर्ड अंशधारी द्वारा [illegible] हस्ताक्षरित, साक्षी द्वारा प्रमाणित तथा टिकट युक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, उसके द्वारा अंश प्रमाण-पत्र [illegible] समर्पित करने के बाद पूर्णदत्त अंशों के संबंध में एक अंश अधिपत्र निर्गमित कर सकता है।
2. एक अंश अधिपत्र का वाहक किसी भी समय अधिपत्र को कंपनी के कार्यालय में जमा कर सकता है और जिस [illegible] अधिपत्र इस प्रकार जमा रहता है, किसी भी सभा के संबंध में जो कि अधिपत्र जमा किए जाने के स्पष्ट दो दिन [illegible] जायेगी जमा करने वाले व्यक्ति के सभा के संबंध में वे सभी अधिकार होंगे जैसे कि उसका नाम अधिपत्र में [illegible] अंशों के धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया गया था।
3. अंश अधिपत्र का वाहक अन्य सभी बातों के संबंध में इन अधिकारों एवं लाभों का अधिकारी होगा जैसा कि उक्त अधिपत्र में सन्नहित अंशों के धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में था।
4. संचालक-मंडल, समय-समय पर ऐसे नियम बना सकता है जिनके अधीन अधिपत्र के खराब हो जाने, खो जाने [illegible] नष्ट हो जाने की दशा में एक नया अधिपत्र निर्गमित किया जा सके।

अंश अधिपत्रों का समर्पण (Surrender of Share Warrant)

अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अधीन, अंश अधिपत्रधारी कभी भी अंश अधिपत्र का कंपनी को समर्पण करके सदस्यों के [illegible] में अपना नाम लिखवा सकता है। अंश अधिपत्रधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखने से पहले उसके अंशों से संबंधित अधि[illegible] रद्द (Cancel) किया जाना चाहिए अन्यथा ऐसा न करने के फलस्वरूप यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है तो कंपनी उसके [illegible] उत्तरदायी होगी। अंश अधिपत्रधारी अधिपत्र को कंपनी को समर्पण करके उसके बदले अंश प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।

अंश अधिपत्रों पर लाभांश (Dividends on Share Warrants)

कंपनी को यह अधिकार है कि वह अंश अधिपत्रों के साथ लाभांश कूपन (Dividend Coupon) जोड़कर लाभांश का भु[illegible] कर सकती है। कंपनी समाचार-पत्रों में ऐसे लाभांश कूपनों की क्रम-संख्या का विज्ञापन देती है जिन पर लाभांश का भुगतान किया जा[illegible] जो व्यक्ति उपयुक्त कूपन प्रस्तुत करता है उसे लाभांश का भुगतान कर दिया जाता है। कूपनों के साथ एक 'टेलन' (Talon) [illegible] किया जाता है जिसकी सहायता से लाभांश कूपन समाप्त हो जाने पर अतिरिक्त कूपन प्राप्त किए जा सकते हैं।

अंश प्रमाण-पत्र और अंश अधिपत्र में अंतर
(Difference Between Share Certificate and Share Warrant)

अंतर का आधार (Basis of Difference)	अंश प्रमाण-पत्र (Share Certificate)	अंश अधिपत्र (Share Warrant)
1. निर्गमन (Issue)	अंश प्रमाण-पत्र पूर्णदत्त तथा आंशिक-दत्त दोनों ही प्रकार के अंशों के लिए जारी किया जाता है।	यह केवल पूर्णदत्त अंश या स्कन्ध के बदले में जारी किया जाता है।
2. निर्गमन की शर्तें (Conditions of Issue)	अंश प्रमाण-पत्र प्रत्येक अंशपूंजी वाली कंपनी (निजी व सार्वजनिक) द्वारा जारी किए जाते हैं। इनको जारी करने के लिए विशेष अनुमति आवश्यक नहीं।	अंश अधिपत्र केवल अंश पूँजी वाली सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही उसके अंतर्नियमों के अधीन व केंद्रीय सरकार की [illegible] अनुमति से ही जारी किए जा सकते हैं।

Scanned with CamScanner

3. हस्तांतरण (Transfer)	प्रमाण-पत्र के धारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होना आवश्यक है। अतः इसका धारी सदैव कंपनी का सदस्य होता है।	यह विनियम साध्य प्रपत्र होता है अतः केवल सुपुर्दगी से ही इनका हस्तांतरण हो जाता है।
4. संचालक होने के लिए योग्यता अंश (Qualification Shares for Directors)	अंश प्रमाण-पत्र में लिखी हुई संख्या को संचालकों के योग्यता अंशों में सम्मिलित किया जाता है।	अंश अधिपत्रों में लिखी हुई अंशों की संख्या को संचालकों के योग्यता अंशों में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
5. सदस्यता (Membership)	अंश प्रमाण-पत्र उसमें लिखित अंशों का एक निश्चयात्मक प्रमाण है।	अधिपत्र निर्गमित करते समय अंशधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर से पृथक कर दिया जाता है और वह कंपनी का सदस्य नहीं रहता है। इसका धारी कंपनी का सदस्य केवल तब ही और उस सीमा तक ही माना जाता है जिसकी अंतर्नियम आज्ञा दें।
6. प्रकृति (Nature)	प्रमाण-पत्र में लिखित अंशों का हस्तांतरण उचित रूप से लिखित हस्तांतरण प्रपत्र द्वारा ही किया जाता है।	अधिपत्र अंशों के स्वामित्व के संबंध में कंपनी की ओर से एक आश्वासन है।
7. लाभांश कूपन (Dividend Coupon)	इसके साथ कोई लाभांश कूपन नहीं लगा होता है।	इसके साथ लाभांश कूपन लगा होता है।
8. लाभांश का भुगतान (Payment of Dividend)	अंश प्रमाण-पत्र के धारकों को लाभांश के भुगतान संबंधी सूचना व्यक्तिगत रूप से दी जाती है।	अधिपत्र पर लाभांश का भुगतान संलग्न कूपनों के द्वारा किया जाता है।
9. समापन के लिए आवेदन-पत्र (Application for Winding up)	अंश प्रमाण-पत्र के स्वामी को कंपनी समापन के लिए आवेदन पत्र देने का अधिकार होता है।	इसके धारी को कंपनी के समापन हेतु आवेदन पत्र देने का अधिकार नहीं होता है।

Scanned with CamScanner

अंशों का हस्तांतरण एवं प्रेषण
(Transfer and Transmission of Shares)

■ अंशों का हस्तांतरण (Transfer of Shares)

अर्थ (Meaning): अंशों के हस्तांतरण का अर्थ अंशों के धारक सदस्य द्वारा अंशों को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने से है। जब कंपनी का कोई अंशधारी अपने अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है तथा अंतर्नियमों में वर्णित विधि के अनुसार उन अंशों का रजिस्ट्रेशन क्रेता के नाम कराता है तो इसे अंशों का हस्तांतरण करना कहते हैं। जो व्यक्ति अंशों का हस्तांतरण करता है उसे हस्तांतरक (Transferor) तथा जिसके नाम में हस्तांतरण किया जाता है उसे हस्तांतरिती (Transferee) कहते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 के अनुसार कंपनी के किसी भी सदस्य के अंश अथवा अन्य हित (जैसे लाभांश) चल संपत्ति होते हैं, जिनका हस्तांतरण कंपनी के अंतर्नियमों में उल्लेखित व्यवस्थाओं के अधीन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक अंशधारी को अपने अंशों को हस्तांतरित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हस्तांतरण कंपनी अधिनियम के अधीन ही होना चाहिए। कंपनी के अंतर्नियम अंशों के हस्तांतरण पर वैध और उचित प्रतिबन्ध लगा सकते हैं तथा हस्तांतरण की विधि निश्चित कर सकते हैं।

एक सार्वजनिक कंपनी को यह अधिकार है कि वह अपने अंशों के हस्तांतरण पर वैध तथा उचित प्रतिबन्ध लगा सकती है। वैध तथा उचित प्रतिबन्ध क्या हैं यह एक तथ्य संबंधी प्रश्न है जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। **ओटारियो जोके क्लब बनाम मैक ब्रिज** (Outario Jokey club Vs. Mc Bridge) के मामले में कंपनी के अंतर्नियमों की यह व्यवस्था कि अंश हस्तांतरण से पूर्व अन्य अंशधारियों को उन्हें क्रय करने का अवसर मिलना चाहिए, अंश हस्तातंरण पर उचित और वैध प्रतिबन्ध माना गया, इसी प्रकार एक कंपनी के पार्षद् अंतर्नियम में यह व्यवस्था कि अंशधारी के दिवालिया हो जाने पर उसके द्वारा धारण किए हुए अंश अन्य सदस्यों को निर्दिष्ट मूल्य पर बेचे जाएंगे वैध प्रतिबन्ध माना गया।

■ अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध (Restriction on Transfer of Shares)

अंशों के हस्तांतरण पर साधारणतः निम्न चार प्रकार के प्रतिबंध होते हैः

1. पार्षद् अंतर्नियमों द्वारा प्रतिबंध (Restrictions by Articles of Association)
2. राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंध (Restrictions by National Company Law Tribunal)
3. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध (Restrictions by National Companies Act)
4. फैरा के अंतर्गत प्रतिबंध (Restrictions Under FERA)

इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार हैः

1. **पार्षद् अंतर्नियमों द्वारा प्रतिबंध** (Restrictions by Articles of Association): एक कंपनी अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। बशर्ते कि कंपनी के अपने पार्षद् अन्तर्नियम में यह वाक्य सम्मिलित कर लिया है। निजी कंपनियाँ प्रायः अपने सदस्यों के अंश हस्तांतरण करने के अधिकार पर कठोर प्रतिबंध लगाती हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (68) के प्रावधान से यह स्पष्ट है जो इस प्रकार है ''एक निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो अपने अंतर्नियम द्वारा इसके अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लागाती है।'' अंतर्नियम में पहले खरीदने का अधिकार (Right of Pre-emption) वाक्य हो सकता है जो यह व्यवस्था करता है

Scanned with CamScanner

अंश बाहरी व्यक्तियों को तभी हस्तांतरित किए जा सकते हैं जबकि विद्यमान अंशधारी उन्हें अंकित मूल्य पर क्रय करने से इनकार कर देते हैं। ऐसी दशाओं में अंशों को बाहरी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जबकि विद्यमान अंशधारी उन्हें स्वीकार करने (लेने) से इनकार कर देते है। कम्पनी अपने अंतर्नियम में विद्यमान अंशधारियों द्वारा उन्हें प्रस्तावित अंश लिए जाने की बाध्यता का प्रावधान कर सकती है।

2. **राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंध** (Restrictions by National Company Law Tribunal): राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण निम्नलिखित मामलों के अलावा साधारणतः कंपनी के संचालक मंडल के अंशों के हस्तांतरण करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है:

   (i) **दुर्भावना** (Malafide): कंपनी के हितों की रक्षा के लिए अंशों के हस्तांतरण को इनकार करने का अधिकार संचालक मंडल के पास होता है। इस अधिकार का प्रयोग संचालक मंडल द्वारा वस्तुतः कंपनी के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। परन्तु जब राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण को यह पता लगता है कि संचालक मंडल ने दुर्भावना अथवा अन्यायपूर्ण ढंग से अंशों को हस्तांतरण करने से इनकार किया है तो वह मामले में हस्तक्षेप कर सकता है तथा अंशों के हस्तांतरण करने का आदेश दे सकता है।

   (ii) **हस्तांतरण इनकार करने का कारण पर्याप्त न होना** (Reason for refusal to Transfer not being adequate): कंपनी अधिनियम संचालकों द्वारा अंशों को हस्तांतरण करने से इनकार करने के कारणों को प्रकट करना अनिवार्य करता है। न्यायाधिकरण कारणों की पर्याप्तता को ध्यान में रख सकता है तथा यदि संचालक मंडल द्वारा हस्तांतरण इनकार करने के कारणों से वह सहमत (संतुष्ट) नहीं हैं तो वह हस्तांतरण के इनकार करने को रद्द कर सकता है।

   (iii) **असम्बद्ध/भिन्न ध्यान** (Extraneous Considerations): अंशों के हस्तांतरण को इनकार करते समय संचालकों को केवल अंतर्नियम में दिए गए पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। अतः असम्बद्ध पहलुओं के आधार पर किया गया हस्तांतरण का इनकार रद्द कर दिया जाएगा। यदि संचालक उन कारणो को प्रकट नहीं करते हैं जिनके आधार पर उन्होंने हस्तांतरण इनकार किया है तो उनके विरुद्ध विपरीत अनुमान लगाया जाएगा तथा हस्तांतरण इनकार करना उचित नहीं माना जाएगा।

   (iv) **उचित समय** (Reasonable Time): यदि अंतर्नियम संचालकों को हस्तांतरण इनकार करना अधिकृत करते हैं तो उन्हें अपने इस अधिकार का प्रयोग उचित समय में कर लेना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 58 ने हस्तांतरण इनकार करने का 2 महीने समय उचित बताया है तथा 2 महीने से अधिक का समय स्पष्टतः अनुचित होगा।

3. **कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध** (Restrictions under Companies Act): कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 221 (1) न्यायाधिकरण को अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार का आदेश न्यायाधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में कर सकता है:

   (i) धारा 216 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संदर्भित किसी कंपनी के स्वामित्व के अनुसंधान/अन्वेषण (Investigation) के लिए।

   (ii) किसी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर कि अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाकर वास्तविक तथ्यों का पता लगाना आवश्यक है।

   जहाँ न्यायाधिकरण को यह विश्वास करने का कारण है कि कंपनी में अंशों के हस्तांतरण से संचालक मंडल का गठन इस प्रकार प्रभावित होगा कि वह आम जनता के हितों के विरुद्ध (विपरीत) होगा तो वह यह आदेश दे सकता है कि कंपनी द्वारा किया गया कोई भी अंशों का हस्तांतरण जो 3 वर्ष की अवधि के दौरान से अधिक नहीं है, व्यर्थ होगा।

Scanned with CamScanner

न्यायाधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन
धारा 56 (2) में अंशों अथवा प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर न्यायाधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी कंपनी के अंशों अथवा प्रतिभूतियों का निर्गमन अथवा हस्तांतरण उपधारा (1) के अंतर्गत न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन करके किया जाता है तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो दोषी है, जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 334 का प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा अथवा न्यायालय के निरीक्षण के अंतर्गत कंपनी के समापन में न्यायाधिकरण के आदेश के बिना अंशों का कोई भी हस्तांतरण नहीं हो सकता है। कंपनी के ऐच्छिक समापन की दशा में निस्तारक (Liquidator) की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अंशों का कोई भी हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।

एक निजी कंपनी में एक ध्यान देने योग्य अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध 'पहले क्रय करने का अधिकार' वाक्य (Right of Pre-emption Clause) होता है जो यह बताता है कि हस्तांतरणकर्ता को पहले अंश कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को प्रस्तावित करने चाहिए यदि वे उन्हें ठीक एवं उचित मूल्य पर क्रय करने के इच्छुक हैं।

4. **फैरा के अंतर्गत प्रतिबंध** (Restrictions under FERA): विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act–FERA) के अंतर्गत भारत में एक पंजीकृत कंपनी के अंशों के हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित दशाओं में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है:
   (i) जहाँ हस्तांतरिती (Transferee) भारत से बाहर रहता है चाहे वह भारतीय नागरिक हो।
   (ii) जहाँ हस्तांतरिती भारतीय नागरिक नहीं है चाहे निवासी या गैर-निवासी अथवा जहाँ हस्तांतरिती कोई कंपनी है जिसमें गैर-निवासी भारतीयों का 40% से अधिक हित है।
   (iii) जहाँ हस्तांतरणकर्ता भारत वर्ष से बाहर का रहने वाला है अथवा विदेशी नागरिक है इस बात की ओर ध्यान न देते हुए कि हस्तांतरिती भारतवर्ष का निवासी है अथवा भारतवर्ष के बाहर का निवासी है। इस दशा में हस्तांतरण तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक इसकी पुष्टि नहीं कर देता है।

उपरोक्त प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के होने पर जुर्माने द्वारा दंड की व्यवस्था है जो ऐसे व्यवहार में सन्निहित राशि के पाँच गुणा से अधिक नहीं, अथवा पाँच हजार रुपये, इनमें से जो अधिक हो जैसा कि प्रवर्तन निदेशक (Director of Enforcement) निर्धारित करे, होगा।

■ अंशों के हस्तांतरण की विधि (Procedure of Transfer of Shares)

एक कंपनी के अंश चल संपत्ति हैं, इसलिए इनका हस्तांतरण ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है तथा जिसे आबंटन पत्र अथवा अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित किया गया हो। एक मृत सदस्य का वैधानिक प्रतिनिधि अंशों का हस्तांतरण कर सकता है, चाहे उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में नहीं हो। लेकिन, मौखिक हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

अंशों का हस्तांतरण कंपनी के पार्षद् अंतर्नियमों में वर्णित विधि तथा **कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 108 से 111** के अधीन लगाए प्रतिबन्धों के द्वारा ही किया जा सकता है। अंशों के हस्तांतरण की विधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **हस्तांतरण प्रपत्र का पूरा करना** (Execution of Transfer Deed): अंशों के हस्तांतरण के लिए निर्धारित फार्म भरना चाहिए तथा उस पर हस्तांतरणकर्ता (Transferor) तथा हस्तांतरिती (Transferee) के हस्ताक्षर होने चाहिएँ। अंशों के वास्तविक हस्तांतरण के पूर्व-हस्तांतरण प्रपत्र को रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए जो इस पर प्रस्तुत करने की तिथि अंकित कर के लौटा देगा।

   कंपनी के अंशों के हस्तांतरण की रजिस्ट्री उस समय तक नहीं की जा सकती जब तक कि हस्तांतरणकर्ता तथा हस्तांतरिती लिखित तथा टिकटयुक्त हस्तांतरण-प्रपत्र कंपनी में जमा नहीं कर देते। हस्तांतरण-प्रपत्र में हस्तांतरिती का

Scanned with CamScanner

नाम, पता तथा पेशा आदि निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है और उसके साथ ही सम्बन्धित अंश प्रमाण-पत्र भी होने चाहिए। यदि ऐसा अंश प्रमाण-पत्र नहीं है तो आबंटन पत्र भेजना आवश्यक है।

2. प्रपत्र कंपनी के कार्यालय में जमा करना (Lodging the Deed in Company's Office): उपर्युक्त पूर्ण हस्तांतरण प्रलेख एवं अंश प्रमाण-पत्र निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ या तो हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरिती निश्चित तिथि की समाप्ति से पूर्व कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए। [धारा]

यदि सभी तरह से पूर्ण हस्तांतरण प्रपत्र, जिस पर हस्तांतरणकर्ता तथा हस्तांतरिती दोनों के हस्ताक्षर हो गए हैं, खो जाता है तो निर्धारित स्टाम्प लगा एक प्रार्थना पत्र हस्तांतरिती द्वारा कंपनी के कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए। प्रार्थना-पत्र पर संचालक मंडल विचार करेगा तथा सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाने पर, क्षतिपूर्ति की ऐसी शर्तों पर संचालक-मंडल उचित समझे, हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दे सकता है।

3. हस्तांतरण-प्रपत्र प्रस्तुत करना (Presentation of Transfer Deed): किसी हस्तांतरण को प्रभावशील करने पहले कंपनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हस्तांतरण प्रपत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 (1) निर्धारित निष्पादन की तिथि से 60 दिन पहले जमा कर दिया गया है। परन्तु कुछ कठिन (विशेष) दशाओं में केन्द्र सरकार को समय अवधि बढ़ाने का अधिकार है तथा इस अधिकार का प्रयोग क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) द्वारा किया जाता है।

4. वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा हस्तांतरण (Transfer by Legal Representative): किसी मृत सदस्य का कानूनी उत्तराधिकारी उन अंशों का जिनका कि मृत व्यक्ति धारक था, उसी प्रकार हस्तांतरण कर सकता है जैसे कि वह स्वयं कंपनी का सदस्य हो।

5. हस्तांतरण की सूचना (Information of Transfer): अंशों के हस्तांतरण की रजिस्ट्री के लिए आवेदन हस्तांतरणकर्ता अथवा हस्तांतरिती द्वारा, (दोनों में से किसी के भी द्वारा) दिया जा सकता है। यदि हस्तांतरित किए जाने वाले अंश आंशिक-दत्त (partly paid) हैं तथा हस्तांतरण के लिए आवेदन-पत्र हस्तांतरणकर्ता द्वारा दिया गया है, कंपनी हस्तांतरिती को 15 दिन की सूचना देगी। इस अवधि में यदि हस्तांतरिती कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता तो मानते हुए कि हस्तांतरिती हस्तांतरण के लिए सहमत है, अंशों की रजिस्ट्री कर सकता है। जब पूर्णदत्त (fully paid) अंश हस्तांतरित किए जाते हैं अथवा जब आवेदन पत्र हस्तांतरिती द्वारा दिया जाता है तब ऐसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती।

जब हस्तांतरण प्रपत्र हस्तांतरिती से प्राप्त होता है तथा अंश आंशिक दत्त (partly paid) है तो कंपनी हस्तांतरिती के पास अंशों पर बकाया राशि के भुगतान के लिए नोटिस भेजती है। सावधानी के तौर पर हस्तांतरणकर्ता करने की सूचना देना उपयुक्त (Advisible) होगा।

6. हस्तांतरण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ (Entries in the Transfer Register): यह पता लगाने के लिए कि हस्तांतरण प्रपत्र सही है, इसकी पूर्ण रूप से जाँच की जाती है। हस्तांतरण प्रपत्र की जाँच के लिए निम्नलिखित का किया जाना अनिवार्य है:

यदि अंशों का किसी समामेलित संस्था को हस्तांतरण किया जाना है तो यह निश्चित करना चाहिए कि:

(i) पार्षद् सीमानियम तथा पार्षद् अंतर्नियम हस्तांतरिती कंपनी का विनियोजन (Investment) करने का अधिकार देते हैं।

(ii) हस्तांतरिती समामेलित संस्था के संचालक मंडल ने इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव पारित कर लिया है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को इस मामले में व्यवहार करने का अधिकार दे दिया है;

(iii) समामेलित संस्था की ओर से हस्तांतरण प्रपत्र के निष्पादन करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का वैध अधिकार है।

Scanned with CamScanner

जहाँ हस्तांतरिती एक न्यास (Trust) अथवा साझेदारी फर्म है, अथवा व्यक्तियों का संघ है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:

(i) न्यास सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है अथवा नहीं। यदि यह पंजीकृत है तो न्यास एक समामेलित संस्था बन जाती है तथा अंशों का पंजीकरण न्यास के नाम हो सकता है। अन्यथा अंशों का पंजीकरण न्यास मंडल (Board of Trustees) के प्रस्ताव द्वारा अधिकृत एक अथवा अधिक न्यासियों (Trustees) के नाम होगा।

(ii) यदि अंशों का क्रय साझेदारी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ द्वारा किया जाता है तो साझेदारी फर्म की दशा में अंशों का पंजीकरण, एक अथवा अधिक साझेदार/साझेदारों के नाम में तथा व्यक्तियों के संघ की दशा में, एक अथवा अधिक पदाधिकारी के नाम में किया जाएगा। अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा अंश क्रय करने की दशा में अंशों का पंजीकरण कर्ता (Karta) के नाम किया जाएगा। जहाँ हस्तांतरिती अवयस्क है तो अंशों का हस्तांतरण अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। जहाँ अंश पूर्णदत्त है वहाँ अंशों का पंजीकरण अभिभावक (Gurdian) के माध्यम से अवयस्क के नाम करने की कोई समस्या नहीं है।

पूर्ण जाँच करने के बाद जाँच अधिकारी हस्तांतरण प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करता है तथा हस्तांतरण पत्र के विवरण को अंश हस्तांतरण रजिस्टर के प्रविष्ट कर लिया जाएगा।

7. **हस्तांतरण अनुमोदन** (Transfer Approval): कुछ समय अंतरों पर हस्तांतरण रजिस्टर हस्तांतरण प्रपत्रों तथा संलग्नो (Enclosures) सहित संचालक मंडल अथवा अंश हस्तांतरण समिति, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा होने पर सम्बन्धित प्राधिकारी हस्तांतरण को अनुमोदन करने के लिए अंश हस्तांतरण रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर देता है। हस्तांतरण के अनुमोदन की तिथि रजिस्टर में अंकित कर दी जाती है।

8. **हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन एवं नये अंश प्रमाण-पत्र का निर्गमन** (Registration of Transfer and issue of new Share Certificate): हस्तांतरण का अनुमोदन होने के पश्चात, कंपनी का सचिव हस्तांतरणकर्ता का रजिस्ट्रेशन करेगा तथा सदस्यों के रजिस्टर से हस्तांतरणकर्ता का नाम हटाएगा और उसके स्थान पर हस्तांतरिती का नाम लिख देगा (यदि वह नया सदस्य है) अन्यथा उसका पहला खाता ही समायोजित कर दिया जाता है। तत्पश्चात् हस्तांतरिती को नया अंश प्रमाण-पत्र तैयार करके भेज दिया जाता है। इस प्रकार हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

9. **हस्तांतरण से इनकार करना** (Refusal of Transfer): अंशों के हस्तांतरण की रजिस्ट्री करने से इनकार का हस्तांतरण प्रपत्र सुपुर्द किए जोने की तिथि से दो माह के भीतर हस्तांतरण कर्ता तथा हस्तांतरिती दोनों को लिखित में ले जाना आवश्यक है। इनकार करने का कारण भी उल्लिखित किया जाना चाहिए।

10. **अस्वीकृति के विरुद्ध अपील** (Appeal against Refusal): यदि कंपनी हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र (हस्तांतरण-प्रपत्र) प्राप्त होने की तिथि के 2 माह के भीतर हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन नहीं करती अथवा रजिस्ट्रेशन न करने के कारणों की सूचना नहीं देती तो पीड़ित पक्षकार (Aggrieved party) चाहे वह हस्तांतरणकर्ता हो अथवा हस्तांतरिती, राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण (Company Law Board) को अपील कर सकता है। राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण को की जाने वाली अपील कंपनी को इनकार की सूचना मिलने से 2 महीने के भीतर की जानी चाहिए। यदि कंपनी ने इनकार की सूचना नहीं दी तो अंश हस्तांतरण के आवेदन पत्र से तीन महीने के भीतर की जानी चाहिए। यह अपील लिखित होनी चाहिए तथा निर्दिष्ट शुल्क के साथ भेजी जानी चाहिए: राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण कंपनी, हस्तांतरणकर्ता तथा हस्तांतरिती सभी को अपने-अपने तथ्य रखने का समुचित अवसर प्रदान करेगा। यदि वह समझता है कि अस्वीकृति अनुचित है तो वह कंपनी को हस्तांतरण की रजिस्ट्री करने का आदेश दे सकता है जो उसे ऐसा आदेश मिलने की तिथि से 10 दिन के भीतर-भीतर प्रभावशाली करना होगा। यदि वह कंपनी के इनकार को उचित समझता है तो उस इनकार की पुष्टि करके अपील को रद्द कर सकता है। कंपनी विधि न्यायाधिकरण को यह अधिकार है कि वह कंपनी को अस्वीकृति के कारणों को प्रकट करने का आदेश दे सकता है और कंपनी द्वारा ऐसा न किये जाने पर कंपनी के विरुद्ध अर्थ लगा सकता है।

Scanned with CamScanner

■ अंशों का हस्तांकन अथवा पारेषण (प्रेषण) (Transmission of Shares)

अंशों के हस्तांकन का आशय अधिनियम के कार्यशील होने (Operation of Law) के कारण अंशों के अपने आप (Automatic) हस्तांतरण से है। जी. के. वैकनल के शब्दों में, **अंशों के हस्तांतरण से आशय कानून के लागू होने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंशों से संबंधित अधिकारों के हस्तांतरण से है।** (By transmission is meant the passing of the right to deal with shares from one person to another by act or operation of law. - G.K. Bucknall)

कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, दिवालिया हो जाने या पागल हो जाने की दशा में उस सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी को उसके अंशों का स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है। अंशों के स्वामित्व के इस प्रकार के हस्तांतरण को ही **'अंशों का हस्तांकन'** कहा जाता है।

किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, संयुक्त स्वामियों की दशा में जीवित स्वामी तथा एकाकी स्वामी की दशा में उसका उत्तराधिकारी, अंशों के अधिकारी होंगे। दूसरे शब्दों में, ऐसे स्वामी का अधिकार, जैसी भी दशा हो, जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों या उत्तराधिकारियों को चला जाता है। इसी प्रकार से, स्वामी के दिवालिया होने पर, उसके अंशों का अधिकार राजकीय प्रापक के लिए चला जाता है।

अंशों के हस्तांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम के अधीन **दो महत्त्वपूर्ण बातें हैं।** प्रथम, हस्तांकन में कंपनी में सदस्यों के रूप में रजिस्ट्री कराने के लिए लिखित तथा टिकटयुक्त प्रपत्र की आवश्यकता नहीं है, दूसरे, स्वामी के वैधानिक उत्तराधिकारी जिनके स्वामी की मृत्यु के कारण अंशों का अधिकार पहुँच गया है अंशों का हस्तांतरण कर सकते है यद्यपि वे कंपनी के सदस्य नहीं हैं। (धारा 56

■ अंशों के हस्तांकन से संबंधित वैधानिक प्रावधान (Statutory Provision Regarding the Transmission of Shares)

अंशों के हस्तांकन से संबंधित नियम या तो कंपनी के **पार्षद् अंतर्नियमों** में वर्णित होते हैं या **सारणी 'अ'** के नियम 25 से 28 तक लागू होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:

1. कंपनी के सदस्य की मृत्यु अथवा दिवालिया होने पर उसके वैध प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधित्व सिद्ध करने के लिए प्रमाण देना होता है।

Scanned with CamScanner

2. वैध प्रतिनिधि धारक की भाँति अपने को कंपनी के सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड करा सकता है या अंशों का हस्तांतरण प्रकार कर सकता है जैसा कि मृत अथवा दिवालिया सदस्य ने किया हो। इन दोनों ही दशाओं में संचालक-मंडल का अधिकार इस हस्तातरण की रजिस्ट्री को मना करने या रोकने का होगा जो कि उसे उस समय होता जबकि मृत दिवालिया सदस्य ने इसका हस्तातरण मृत्यु या दिवालिया होने से पहले किया होता।
3. यदि वह प्रतिनिधि अंशों के धारक की तरह रजिस्टर्ड होना चाहता है तो उसे इस इच्छा का विवरण देते हुए एक नोटिस कंपनी के पास भेजना चाहिए। परंतु यदि वह इन अंशों को हस्तातरित करना चाहता है तो उसे अंशों के हस्ता की कार्यवाही करनी चाहिए। हस्तातरण के अधिकार व रजिस्ट्री में वे ही नियम आदि लगेंगे जो उस समय लगते सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने से पहले यह कार्य किए गए होते।
4. मृतक या दिवालिया के वैधानिक उत्तराधिकारी के कंपनी द्वारा घोषित और अन्य लाभों के संबंध में वही अधिकार हो उसे तब मिलते है जब वह रजिस्टर्ड अंशधारी होता है। किंतु उसे कंपनी की सभा में उपस्थित होने तथा मत दे अधिकार नहीं होगा।

मृतक या दिवालिया सदस्य के वैधानिक प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे उन्हें हस्तांकित अंशों की रजिस्ट्री अपने न करवा ले या उनका हस्तातरण किसी दूसरे व्यक्ति को कर दे। यदि वे इन दो विकल्पों में से किसी को भी नहीं अपना तो कंपनी उनके पास एक नोटिस भेजेगी कि वे किसी एक विकल्प का चुनाव करें। यदि इस नोटिस के 90 दिन के अ कंपनी को उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी इनके लाभांश या बोनस या अन्य राशियों को तब तक सकती है जब तक वे इस नोटिस का पालन न करें।

इण्डियन कैमिकल प्रोडक्ट्स बनाम उड़ीसा सरकार (Indian Chemical Products Vs. Orissa Govt.) के म में मयूरभंज के महाराजा के पास 7,500 अंश थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उडीसा सरकार ने यह दावा किया कि स्वतंत्रता घोषित हो बाद विधान में परिवर्तन हुआ, अतः राजनियम के कार्यशील (Operation of Law) होने के कारण महाराजा के इन सभी अंशों मालिक उडीसा सरकार बन गई अर्थात् अंशो का हस्तांकन हो गया और इसके अतिरिक्त महाराजा ने हस्तांकन प्रलेख भी उड़ीसा स के नाम इन अंशो को लिख दिया फिर भी कंपनी के संचालक-मंडल ने इन अंशों की रजिस्ट्री उडीसा सरकार के नाम करने से मना कर दि कंपनी का कहना था कि संचालकों को रजिस्ट्री को रोकने का अधिकार है। न्यायालय का विचार है कि हस्तातरण और हस्तांकन में अंत हस्तांतरण में हस्तातरणकर्ता एवं हस्तातरिती दोनों के हस्ताक्षर हस्तांतरण-प्रलेख पर होने चाहिए लेकिन हस्तांकन राजनियम के कार्य होने पर (Operation of Law) होता है, अतः न्यायालय ने निर्णय दिया कि उड़ीसा सरकार के नाम इन अंशों के संबंध में रजिस्ट्री जाए।

■ अंशों के हस्तांकन की विधि (Procedure of Transmission of Shares)

अंशों के हस्तांकन की विधि प्रायः कंपनी के पार्षद् अंतर्नियमों में दी जाती है। कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर य उसका वैधानिक उत्तराधिकारी स्वयं को कंपनी के सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड नहीं करना चाहता है तो इसे अपने अधिकार का प्रमाण कंपनी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। कंपनी यदि प्रमाण-पत्र से संतुष्ट हो जाती है तो उसका नाम वह सदस्यों के रजिस्टर में 'केवल प्रतिनिधि' के रूप में लिख लेगी। यह उल्लेखनीय है कि यह वैध प्रतिनिधि अंशों की अदत्त मांगों को देने के लिए दायी न होगा। हाँ, य कंपनी चाहे तो ऐसी अदत्त मांगों का भुगतान वह कंपनी के सदस्य की संपत्ति से प्राप्त कर सकती है। इसके विपरीत यदि वह व्यक्ति स्व को कंपनी के अंशधारी के रूप में रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो वह इस आशय के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजेगा जिसके साथ वह अ प्रमाण-पत्र व वैधानिक प्रतिनिधि होने का अधिकार पत्र नत्थी कर देगा।

आवेदन-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कंपनी अन्य प्रलेखों के साथ संचालकों की सभा में आवेदन पत्र को प्रस्तुत करेगी। य संचालक इन प्रलेखों से संतुष्ट हो जाते है तो अंशों के हस्तातरण की सहमति दे देते है। उचित कार्यवाही करने के पश्चात् संचालक मृ सदस्य का नाम काट कर उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में नाम लिखते ही वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन जाता है व उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो अन्य सदस्यों को प्राप्त होते है। अब वह अदत्त मांगों को देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Scanned with CamScanner

... अन्य सभी राशियों को रोक सकता है।

अंशों के हस्तांतरण एवं हस्तांकन (पारेषण) में अंतर

(Difference between Transfer and Transmission of Shares)

अंशों के हस्तांतरण और हस्तांकन में समानता यह है कि दोनों ही दशाओं में मूल अंशधारी का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को ...त हो जाता है, किंतु इस समानता के होते हुए भी इन दोनों में अंतर निम्न प्रकार हैं:

अंतर का आधार (Basis of Difference)	अंशों का हस्तांतरण (Transfer of Shares)	अंशों का हस्तांकन (पारेषण) (Transmission of Shares)
. प्रकृति (Nature)	हस्तांतरण स्वेच्छा से (Voluntarily) किया जाता है।	अंशों का हस्तांकन राजनियम के कार्यान्वित (Operation of Law) होने के कारण होता है।

Scanned with CamScanner

2. परिस्थितियाँ (Conditions)	अंश हस्तांतरण के लिए किसी विशेष परिस्थिति के होने की आवश्यकता नहीं होती। अंशधारी कभी भी अंशों का हस्तांतरण कर सकता है।	हस्तांकन केवल विशिष्ट दशाओं में ही हो... जैसे मूल अंशधारी की मृत्यु, पागल... दिवालिया होने पर।
3. प्रतिफल (Consideration)	हस्तांतरण के पक्षकारों के मध्य प्रतिफल होना आवश्यक है।	इसमें किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं ... है।
4. हस्तांतरण प्रलेख (Transfer Deed)	अंतर्नियमों के अधीन, हस्तांतरण प्रलेख के बिना हस्तांतरण नहीं हो सकता है।	आवश्यक वैधानिक प्रमाण (Proof of Title); जैसे- इच्छा-पत्र (Probate... प्रशासन पत्र (Letter of administration... आदि सहित एक प्रार्थना पत्र ही पर्याप्त होता है... प्रलेख नहीं।
5. मुद्रांक (Stamp)	हस्तांतरण प्रलेख पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगाना आवश्यक है।	अंशों के हस्तांकन में स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।
6. अधिनियम की व्यवस्थाएँ (Provision of the Act)	अंशों का हस्तांतरण कंपनी अधिनियम की धाराओं तथा अंतर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार होता है।	कंपनी अधिनियम में हस्तांकन संबंधी विस्तृत व्यवस्थाएँ नहीं दी गई है। इस पर उत्तराधिकार नियम, दिवालियापन अधिनियम, आदि भी लागू होते हैं।
7. सदस्यता (Membership)	हस्तांतरण के लिए हस्तांतरणकर्ता को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक है।	हस्तांकन के अंतर्गत यदि किसी को अंश प्राप्त हो तो बिना सदस्य बने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है।

Scanned with CamScanner

■ याचना की विशेषताएँ (Characteristics of Call)

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से याचना की निम्नलिखित विशेषताएँ प्रकट होती है

(1) याचना अंशों पर अदत्त राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी की ओर से अपने अंशधारियों को दी गई सूचना है।

(2) याचना अंशों के आबंटन के पश्चात् ही की जाती है। अंशों के आवेदन पत्र के साथ भेजी जाने वाली तथा आबंटन पर जाने वाली राशि याचना नहीं कहलाती है।

(3) अंशों पर अदत्त राशि अंशधारियों पर कंपनी का ऋण होता है तथा याचना का भुगतान करना उनका दायित्व होता है।

(4) संचालकों को कंपनी के जीवन काल में याचना करने का अधिकार है और कंपनी के समापन पर सरकारी निस्तारक (Official Liquidator) को ऐसा अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(5) याचना का भुगतान करने में त्रुटि करने पर कानूनी कार्यवाही द्वारा राशि वसूल की जा सकती है अथवा अंशों का हरण (forfeit) किया जा सकता है।

(6) याचना के भुगतान का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब कंपनी के अंतर्नियमों में उल्लेखित विधि के अनुसार ही की जाती है।

■ याचना संवंधी नियम अथवा वैधानिक व्यवस्थाएँ (Rules or Legal Provisions regarding Calls)

कंपनी अधिनियम, अंतर्नियमों अथवा सारणी 'अ' की व्यवस्थाओं तथा न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर एक वैध याचना के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(1) समान आधार (Uniform basis): कंपनी अधिनियम की धारा 49 में यह व्यवस्था है कि "एक ही श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी अंशों के संबंध में समान आधार पर याचनाएं की जाएँगी।" अतः याचना की राशि व भुगतान के समय के बारे में एक ही श्रेणी के अंशधारियों के बीच कोई असमानता नहीं की जानी चाहिए। परन्तु धारा 91 में दी गई व्यवस्था के अनुसार, "एक ही अंकित मूल्य के अंशों को जिन पर भिन्न राशियों का भुगतान किया गया है, एक ही श्रेणी के अंश नहीं समझा जाएगा।" अतः याचना कुछ ही सदस्यों पर नहीं की जा सकती बल्कि उस प्रकार के सभी सदस्यों पर एक साथ ही की जाएगी।

(2) सारणी अ की व्यवस्थाएं (Provisions of Table 'A'): साधारणतया याचना संबंधी नियम कंपनी के अंतर्नियमों में दिए होते हैं लेकिन यदि कंपनी ने अपने अंतर्नियम नहीं बनाए है तो इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की सारणी 'अ' के नियम लागू होंगे जो निम्न प्रकार हैं:

(i) कोई भी याचना अंशों के अंकित मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

(ii) दो याचनाओं के मध्य कम से कम एक माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए।

(iii) याचना के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना दी जानी आवश्यक है जिसमें याचना का समय, स्थान तथा राशि लिखी होनी चाहिए।

(iv) याचना संचालन-मण्डल की इच्छा पर समाप्त अथवा स्थगित की जा सकती है।

(v) याचना प्रस्ताव की तिथि से देय हो जाती है भले ही वह भविष्य में किसी तिथि पर अथवा किश्तों में देय हो।

(vi) अंशों के संयुक्त अंशधारी याचनाओं के भुगतान के लिए संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) देय तिथि के बाद अदत्त याचनाओं पर अंतर्नियम में निर्धारित दर अथवा निर्गमन की शर्तों में निर्दिष्ट दर से ब्याज लिया जायेगा।

(3) अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित रीति (Mode prescribed by Articles): एक वैध याचना के लिए यह आवश्यक है कि याचना अंतर्नियम में दी गई रीति के अनुसार हो व इस कार्य के लिए संचालकों ने प्रस्ताव रखा हो जिसमें भुगतान

Scanned with CamScanner

समय व स्थान निश्चित हो। इसके विपरीत याचना अवैधानिक मानी जाएगी। **पायनियर अकाली वर्क्स** बनाम **अमीरूद्दीन** (Pioneer Akali Works Vs. Amiruddin) के मामले में कंपनी के संचालक प्रस्ताव में याचना की धनराशि तथा उसका समय और स्थान उल्लेखित करना भूल गए। यह निर्णय किया गया कि याचना दोषपूर्ण थी तथा यह दोष दूसरे सूचना-पत्र को निर्गमित करके दूर नहीं किया जा सकता था। यह महत्त्वपूर्ण है कि बाद में ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने पर याचना बाद की तिथि से वैध होगी। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि याचना के अवैध होने से अंशधारी द्वारा ऐसे प्रस्ताव तथा सूचना-पत्र पर आपत्ति करने के अधिकार का अंत नही हो जाता, और यदि संचालक उसके अंश जब्त करने की कार्यवाही करते हैं तो वह निषेधाज्ञा द्वारा ऐसा करने से रोके जा सकते हैं।

(4) **सद्भावपूर्ण** (In Good-faith) : याचना करने का अधिकार संचालकों को एक ट्रस्टी के रूप में होता है जिसका प्रयोग उन्हें सद्भावना से तथा कंपनी के हित में करना चाहिए। **एलेग्जैंडर** बनाम **ओटोमैटिक टेलीफोन कंपनी** (Alexander Vs. Automatic Telephone Co.) के मामले में यह निर्णय दिया गया कि यदि संचालक प्रस्ताव पास करने के बाद याचना करते हैं व अपने अंशों पर याचना का भुगतान नहीं करते तो वे ट्रस्ट खण्डन (विश्वास भंग) के दोषी माने जाएंगे।

(5) **अग्रिम याचना** (Call-in-Advance) : संचालक मण्डल को यह अधिकार होता है, कि वह किसी भी सदस्य से जो याचनाओं की अग्रिम राशि देना चाहे, याचनाओं पर अग्रिम राशि स्वीकार कर सकता है। इस अग्रिम राशि पर 6% तक ब्याज भी दिया जा सकता है। लेकिन, ऐसे अग्रिम भुगतान देने वाले अंशधारियों को इस अग्रिम राशि देने के आधार पर वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि यह धन वैधानिक तौर पर देय न हो जाए। हाँ, अंतर्नियमों में व्यवस्था होने पर कंपनी प्रत्येक अंश पर प्रदत्त राशि के अनुपात में लाभांश दे सकती है।

(6) **भुगतान नकद या अन्य प्रकार से** (Payment in Cash or other Kind) : याचना का भुगतान नकदी में या अन्य प्रकार से किया जा सकता है यदि इसका आशय कंपनी द्वारा रोकड़ प्राप्त करने के बराबर माना जाए। **ओरेगम गोल्ड माइनिंग क. ऑफ इण्डिया** बनाम **रोपर** (Ooregum Gold Mininig Co. Vs. Ropar) के मामले में एक कंपनी ने एक पेपर मिल 35,000 डॉलर में क्रय किया जिसका भुगतान नकदी में करना था। इसके बाद विक्रेताओं ने क्रेता कंपनी के अंश क्रय किए और इनकी याचनाओं का भुगतान न करके इस भुगतान के विक्रय मूल्य में से समायोजित करने को कहा। इस प्रकार के भुगतार को वैध माना गया। इस प्रकार कंपनी द्वारा देय राशि का समायोजन भी याचनाओं की राशि द्वारा हो सकता है। इसी प्रकार अंश की राशि का भुगतान संपत्तियों, सेवाओं और माल द्वारा किया जा सकता है।

(7) **अंशों का हस्तांतरण** (Transfer of Shares) : यदि अंशों पर याचना किए जाने के बाद परंतु याचना का भुगतान किए जाने से पूर्व किन्हीं अंशों का हस्तांतरण किया जाना है तो हस्तांतरणकर्ता ही ऐसी अदत्त याचनाओं (Unpaid Calls) का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। इसका आशय यह है कि जब अंशों का हस्तांतरण किसी याचना होने के बाद किया जाता हैं, तो उस याचना का दायित्व हस्तांतरिती को हस्तांतरित नहीं हो जाता। याचना का भुगतान ने होने पर संचालक हस्तांतरण की रजिस्ट्री करने से इंकार कर सकते हैं।

(8) **सदस्य का दिवालिया** होना (Insolvency of Member) : किसी सदस्य के दिवालिया घोषित हो जाने की तिथि पर ऐसी याचनाएं जिनका भुगतान नहीं किया गया है तथा शेष भावी याचनाओं के संबंध में उक्त सदस्य का अनुमानित दायित्व दिवालिया संबंधी कार्यवाही में प्रमाणित किया जा सकता है।

(9) **सदस्य की मृत्यु होना** (Death of Member) : याचना केवल सदस्य से ही की जानी चाहिए। एक मृतक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में है कंपनी का सदस्य माना जाएगा और अदत्त याचनाओं के लिए उसकी संपत्ति उत्तरदायी होगी। **न्यूज़ीलैंड गोल्ड एक्सट्रैक्शन क.** बनाम **पीकाक** (New zealand Gold Extraction Co. Vs. Peacock) के मामले में याचना एक ऐसे मृत व्यक्ति से की गई जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में था। यह निर्णय किया गया कि वह सदस्य है तथा उसकी संपत्ति इन याचनाओं के भुगतान के लिए दायी है।

(10) **माँग एवं संचालक** (Call and Director) : यदि कोई संचालक अपने अंशों पर याचनाओं की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि से 6 महीने के अन्दर नहीं करता तो उसे अपना पद छोड़ना होगा क्योंकि वह संचालक बनने के योग्य नहीं रहता।

Scanned with CamScanner

■ याचना अथवा माँग करने की विधि (Procedure for Making Call)

याचना करने के लिए प्रायः निम्न विधियाँ अपनाई जाती हैं:

(1) **संचालक-मण्डल की सभा** (Meeting of Board of Directors) : जब कभी कंपनी को अंशों के आवंटन के धन की आवश्यकता पड़ती है तो याचना करने के लिए एक संचालक सभा बुलाई जाती है। इस सभा में याचना के लि प्रस्ताव पास किया जाता है जिसमें माँगी गई धनराशि भुगतान की तिथि, स्थान तथा बैंकर का नाम आदि निर्दिष्ट हो चाहिए।

(2) **याचना की सूची तैयार करना** (Preparing the Call List) : याचना के संबंध में संचालक-मण्डल के प्रस्ताव व अन्य वैधानिक कार्यवाहियों को पूरा करने के पश्चात्, निम्नलिखित विवरण के अनुसार याचना सूची तैयार की जाती है

(i) सदस्यों के नाम तथा पते, (ii) आबंटित अंशों की संख्या, (iii) याचना पर देय राशि, (iv) भुगतान की कुल रा तथा अवधि, (v) बकाया राशि, यदि कोई हो, तथा सदस्य रजिस्टर की पृष्ठ संख्या।

(3) **सदस्यों के रजिस्टर को बंद करना** (Closing the Register of Members) : याचना संबंधी प्रस्ताव पास क संचालक-मण्डल इस आशय का भी प्रस्ताव पास करेगा कि अंशों का हस्तांतरण तथा सदस्यों का रजिस्टर एक निश्चि अवधि (प्रायः 15 दिन) के लिए बंद कर दिया जाए और इतने समय तक हस्तांतरणों की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।

(4) **याचना-पत्र भेजना** (Sending the Call-letter) : याचना सूची तैयार हो जाने तथा उसकी जाँच कर लेने के पश्च याचना-पत्र तैयार करके सदस्यों को उनके पतों पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाता है। इसके साथ ही, एक सूचना समा पत्रों में भी प्रकाशित करा दी जाती है। इस सूचना में संचालक-मण्डल के प्रस्ताव का उल्लेख होता है तथा प्रति अ याचना की राशि, याचना की तिथि, याचना का स्थान, भुगतान न करने पर ब्याज की दर, आदि का उल्लेख किया ज है। अंशधारियों को यह भी सूचना दी जाती है कि याचना राशि का भुगतान करते समय समस्त याचना पत्र बैंक को भेजें ऐसी सूचना भेजे जाने के अभाव में कंपनी सदस्यों के विरूद्ध अदत्त दायित्व का प्रवर्तन नहीं करा सकती है।

(5) **याचना राशि का भुगतान** (Payment of the Call Amount) : सदस्यों द्वारा याचना पर देय राशि बैंक में कंपनी नाम में इसी आशय के लिए खोले गए एक विशिष्ट खाते (Call Account) में जमा की जाती है। सदस्य भुगतान क समय माँग-पत्र बैंक के सामने प्रस्तुत करता है और बैंक उन्हें भुगतान की रसीद सहित वापस कर देता है तथा भुगतान सूचना कंपनी को भेज देता है।

(6) **याचना सूची में प्रविष्टियाँ** (To make entries in the call list) : बैंक से याचना के भुगतान की सूचना प्राप्त हो पर बैंक द्वारा भेजी गई याचना स्लिप की सहायता से कंपनी का सचिव याचना सूची में आवश्यक प्रविष्टियाँ कर देता है।

■ याचना का भुगतान न करने का प्रभाव (Effect of Non-payment of Call)

याचना राशि का भुगतान न करने के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं:

(1) यदि कोई संचालक याचना राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के **6 माह** तक नहीं करता है तो उसे अपना पद छोड़ पड़ेगा।

(2) याचना के लिए निर्धारित भुगतान तिथि याचना के भुगतान होने की तिथि तक की अवधि के लिए अंशधारी से अंतर्नि में निर्धारित अथवा निर्गमन की शर्तों के अनुसार ब्याज लिया जा सकता है।

(3) कंपनी द्वारा उचित सूचना दिए जाने पर भी अंशधारी द्वारा याचना का भुगतान न किए जाने पर कंपनी ऐसे अंशों को ज कर सकती है।

(4) याचना का भुगतान न करने पर अंशधारी अपने अंशों को कंपनी को लौटाने के लिए बाध्य होता है।

Scanned with CamScanner

अंशों का हरण (Forfeiture of Shares)

- **अंशों के हरण का अर्थ (Meaning of Forfeiture of Shares)**

अंशों के **'हरण'** का आशय अंशों पर किसी माँग (याचना), किश्त अथवा प्रीमियम की राशि का भुगतान न करने के कारण दण्ड के रूप में कंपनी द्वारा अंशों का अनिवार्य रूप से अपने अधिकार में लेना तथा सदस्यता का अंत करना है। (Forfeiture means compulsory taking up of shares and cessation of membership by the company due to non-payment of any amount of call instalment or premium.) जब इस प्रकार अंशों का हरण कर लिया जाता है, तो त्रुटि करने वाले अंशधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर से पृथक कर दिया जाता है और अंशों पर उसके द्वारा प्रदत्त राशि पर उसका अधिकार नहीं रहता।

Scanned with CamScanner

पूँजी एकत्रित करने के लिए कंपनी अंशधारियों पर याचनाएँ करती है। यदि कोई अंशधारी अपने अंशों पर की गई याचना भुगतान निरन्तर सूचनाओं के पश्चात् भी नहीं करता, तो संचालक-मण्डल एक प्रस्ताव पास करके ऐसे अंशों का हरण कर सक **भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013** अंशों के हरण के संबंध में कुछ नहीं बतलाता है। अतः वैधानिक रूप से कंपनी तब तक अं हरण नहीं कर सकती है जब तक कि कंपनी अंतर्नियमों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था न की गई हो। कंपनी के पार्षद् अंतर्नि अनुसार कंपनी द्वारा अंशों का अनिवार्य रूप से अपने अधिकार में लेना ही अंशों का हरण (Forfeiture of Shares) कहलाता है जिन अंशों का हरण किया जाता है उन्हें अपहरित अंश (Forfeited Shares) कहते हैं।

यद्यपि अंशों के हरण के संबंध में संविधान मौन है, "यह इस बात को निर्दिष्ट नहीं करता कि एक अंश पूँजी वाली कंप **'वार्षिक प्रत्याय'** (Annual Return) तैयार कर रजिस्ट्रार को भेजे जिसमें अपहरित अंशों की संख्या अलग उल्लेखित हो। इस स्पष्ट होता है कि कंपनी को **अंश हरण करने** का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और उसे इस अधिकार को अंतर्नियमों में व्यवस्था ही प्राप्त करना होता है। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है तो अंतर्नियमों में संशोधन करके इसकी व्यवस्था क सकती है।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर अंशों का हरण केवल याचनाओं और किस्तों का भु नहीं करने पर ही किया जा सकता है, **अन्य ऋणों का भुगतान नहीं करने पर हरण नहीं किया जा सकता है।** यदि ऋणों का भुगत करने पर अंशों के हरण का अधिकार अंतर्नियमों में दिया गया है तो वह अवैध होता है।

■ वैधानिक हरण की आवश्यक शर्तें अथवा नियम
(Essential Conditions or Rules for Valid Forfeiture)

अंशों का हरण करते समय कंपनी को असाधारण सावधानी का परिचय देना चाहिए क्योंकि इस संबंध में हुई तनि अनियमितता हरण को अवैध बना सकती है। संक्षेप में, वैधानिक हरण के संबंध में कंपनी अंतर्नियमों तथा विभिन्न मामलों में दि न्यायालयों के निर्णय के आधार पर निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण नियम हैं:

(1) अंतर्नियमों में व्यवस्था (Provision in the Articles of Association) : कोई भी कंपनी अंशों का हरण तब नहीं कर सकती जब तक कि अंतर्नियमों में इस संबंध में स्पष्ट रूप से व्यवस्था न कर दी जाए। अतः संचालकों अंतर्नियमों द्वारा अंशों के हरण करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

(2) हरण केवल याचना का भुगतान न होने पर (Forfeiture only on Non-payment of Call): अंशों का ह केवल याचनाओं के भुगतान न होने पर ही किया जा सकता है। यदि किसी अन्य कारणवश कंपनी अंश हरण करने प्रयत्न करती है तो यह अवैध होगा और कंपनी के अधिकारों से बाहर होगा। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में भी ऐसी व्यवस्था है कि अन्य किसी आधार पर भी (जैसे ऋण अथवा दायित्व आदि) अंश हरण किया जा सकता है तो वह व्य अवैध मानी जाएगी। **जे.एन. कुण्डू एण्ड कंपनी** बनाम **कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज** (J.N. Kundu Co. v Calcutta Stock Exchange) **के मामले में न्यायाधीश सिन्हा** ने कहा, **"सभी प्रकार का हरण पूँजी को करता है। केवल एक प्रकार का हरण- माँगों का भुगतान न करना - ही वैधानिक है क्योंकि** यह कंपनी **अधिकृत है। अन्य सभी प्रकार के हरण अवैधानिक व व्यर्थ हैं।"** यह उल्लेखनीय है कि यदि कंपनी ने अंशों का किसी अन्य कारण से किया है तो वह अवैध व अधिकारों के बाहर होगा। **होपकिनसन** बनाम **मोरटाईमर एण्ड क लिमिटेड** (Hopkinson Vs. Mortimer & Co. Ltd.) के मामले में कंपनी के अंतर्नियमों ने संचालकों को अधिकार दिया है कि वह किसी सदस्य के किसी भी दायित्व के लिए अंशों का हरण कर सकते हैं। यह निर्णय दिया गया ऐसा हरण अवैध है क्योंकि इसका परिणाम अनधिकृत रूप से कंपनी की पूँजी को कम करना है। इसी प्रकार अन्य कि दायित्व के लिए सदस्य के अंशों का हरण नहीं किया जा सकता।

(3) विश्वासाश्रित अधिकार (Fiduciary Right) : याचनाओं (माँगों) के अधिकार की भांति अंशों के हरण करने अधिकार भी संचालकों को एक ट्रस्टी के रूप में है जिसका प्रयोग उन्हें सद्भावना से तथा कंपनी के लाभ के लिए चाहिए। यदि संचालक इस अधिकार का प्रयोग कंपनी के लाभ के लिए नहीं करते हैं तो हरण निरस्त कर दिया जा

Scanned with CamScanner

एक्सपार्टो ट्रेडिंग कंपनी (Exparto Trading Company) के मामले में कुछ संचालकों ने अपने आपको केवल नियुक्ति योग्य बनाने के उद्देश्य से कुछ अंशों को खरीदा था। उन्होंने बाद में उन अंशों पर भुगतान नहीं किया और जब कंपनी आर्थिक संकट में पड़ी तो उन्होंने अंशों के हरण की प्रार्थना की तथा हरण कर दिया गया। यह निर्णय किया गया कि हरण अवैध था क्योंकि यह सद्भावना से तथा कंपनी के लाभ के लिए नहीं किया गया था। इसी प्रकार से अंतर्नियमों में यह व्यवस्था है कि यदि कोई अंशधारी कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही करता है तो उसके अंश हरण कर लिए जाएँगे, तो व्यर्थ है।

(4) **हरण से पहले की सभी आवश्यक शर्तें पूरी होना** (All Conditions Necessary Prior to Forfeiture must be Fulfilled) : कोई भी अंशों का हरण वैध नहीं माना जाएगा जब तक अंशों के हरण करने की प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं कर लिया जाता। इन आवश्यक शर्तों में वैधानिक माँग व उसके भुगतान में त्रुटि ऐसी शर्तें है जो कि वैधानिक हरण के लिए पहले पूरी होनी चाहिए।

(5) **उचित एवं वैध प्रक्रिया** (Proper and Valid Procedure) : अंश हरण करने का सामान्य ढंग यह है कि वह व्यर्थ होगा जब तक कि अंतर्नियों में उल्लेखित विधि का पूर्ण रूप से पालन न किया गया हो। इस संबंध में निम्नलिखित मामले महत्त्वपूर्ण हैं:

(i) यदि हरण करने की सूचना सदस्य को नहीं दी गई है तो हरण व्यर्थ होगा। **[Adoni Electric Co.]**

(ii) यदि अंशधारी को अदत्त माँग (याचना) का भुगतान करने की सूचना 14 दिनों से कम की दी जाती है (जैसे 13 दिन) तो हरण अंशधारी की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। **[Jawahar Mills Ltd. Vs. Official Receiver]**

(iii) हरण केवल संचालकों द्वारा ही किया जा सकता है। यदि हरण प्रबन्ध अभिकर्ता करते हैं तो वह व्यर्थ होगा। **[Balwani Gopal Vs. Ceremic Industries]**

(iv) हरण की सूचना देने से ही हरण नहीं हो जाता वरन् हरण वास्तव में उस समय प्रभावशाली होता है जबकि संचालक हरण करने का वास्तव में प्रस्ताव करते हैं और यह आवश्यक संख्या द्वारा स्वीकार किया जाता है। **[Prayan Prasad Vs. Gaya Bank]**

■ अंशों के हरण करने की विधि (Procedure for Forfeiture of Shares)

अंशों के विधिवत् हरण की विधि कंपनी के पार्षद् अंतर्नियमों अथवा सारणी 'अ' (Table 'A') के अंतर्नियम 29 से 33 के अनुसार निम्नलिखित हैं:

(1) **दोषी अंशधारियों की सूची तैयार करना** (Preparing list of defaulting Shareholders): याचना के भुगतान के लिए निर्धारित समय के अन्दर जिन अंशधारियों द्वारा याचना की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी का सचिव (Secretary) ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाता है और इस सूची को संचालक सभा में प्रस्तुत करता है।

(2) **रजिस्टर्ड सूचना भेजना** (Sending the Registered Notice) : कंपनी के पार्षद् अंतर्नियमों में या सारणी 'अ' में दिए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए संचालक सचिव को यह निर्देश देते हैं कि ऐसे अंशधारियों के पास एक रजिस्टर्ड सूचना भेजी जाए जिन्होंने अंशों पर याचना की धनराशि का भुगतान नहीं किया है। इस सूचना में अंशधारियों को यह लिखा जाता है कि एक निश्चित अवधि तक (जो कि नोटिस पहुँचने की तिथि से 14 दिन से कम नहीं होनी चाहिए) याचना की धनराशि, ब्याज व अन्य आवश्यक व्ययों का भुगतान कर दिया जाए।

(3) **भुगतान के लिए एक दूसरी अंतिम सूचना भेजना** (Sending another Last Notice for Payment) : प्रथम सूचना के बाद यदि अंशधारी एक निश्चित समय तक भुगतान नहीं करता तो उक्त आशय की एक दूसरी रजिस्टर्ड सूचना और भेजी जाती है जिसमें यह धमकी दी जाती है कि यदि एक निश्चित तारीख तक याचनाओं की राशि, इनका ब्याज (यदि कोई हो) तथा अन्य व्ययों का भुगतान नहीं किया गया तो अंशों का हरण कर लिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

(4) हरण के लिए प्रस्ताव पास करना (Passing Resolution for Forfeiture) : यदि दूसरी अन्तिम सूचना का अंशधारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे निर्धारित तिथि पर अदत्त राशि का भुगतान नहीं करते तो सचालक सभा में ऐसे अंशधारियों के अंशों के हरण के संबंध में एक प्रस्ताव पास करते है, जिसके आधार पर अंशों का हरण कर लिया जाता है और सचिव को हरण के प्रस्ताव और हरण की सूचना भेजने के लिए अधिकृत कर देते है।

(5) अंशधारी को हरण की सूचना भेजना (Sending the information of Forfeiture to Shareholder) : हरण का प्रस्ताव पास होने के बाद अंशधारी को यह सूचना प्रेषित कर दी जाती है कि उसके अंशों का हरण हर लिया गया है अतः अंश प्रमाण-पत्र (Share Certificate) लौटा दे। इस आशय की सूचना अखबारों में भी दी जाती है।

(6) प्राप्त राशि का अंश हरण खाते में हस्तांतरण करना (Transfer of amount in Share Forfeiture Account) : हरण किए हुए अंशों पर पहले की प्राप्त धनराशि को "अंश हरण खाते" में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(7) रजिस्टर से नाम हटाना (Removing the name from the Register) : सदस्यों के रजिस्टर से ऐसे अंशधारियों का नाम हटा दिया जाता है जिनके अंशों का हरण कर लिया गया है।

(8) हरण की लिखित घोषणा करना (Written Declaration of Forfeiture) : तत्पश्चात् कंपनी का कोई अधिकारी लिखित में यह घोषणा करता है कि किस-किस क्रम संख्या वाले अंशों का हरण किया गया है। यह घोषणा हरण का निश्चयात्मक प्रमाण मानी जाती है। घोषणा (सार्वजनिक सूचना) इस उद्देश्य से की जाती है कि इन अंशों का कंपनी तथा स्कन्ध विपणी (Stock Exchange) में किसी प्रकार का व्यवहार न हो।

■ अंशों के हरण का प्रभाव (Effect of Forfeiture of Shares)

अंशों के वैध हरण के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं:

1. अधिकारों पर प्रभाव (Effects on Rights) : अंशों के हरण के पश्चात् दोषी अंशधारी के निम्नलिखित अधिकार समाप्त हो जाते हैं:

(i) उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है क्योंकि अंशों के हरण के पश्चात् उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है।

(ii) अंशों पर भुगतान की गई राशि जब्त हो जाती है।

(iii) वह अंशों को प्रतिभूति अथवा अन्य रूप में प्रयोग नहीं कर सकता।

(iv) वह भविष्य में लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता।

2. दायित्वों पर प्रभाव (Effects on liabilities) :

(i) हरण किए हुए अंशों पर भावी याचनाओं के भुगतान का दायित्व समाप्त हो जाता है।

(ii) अंतर्नियमों में व्यवस्था न होने पर, हरण किए गए अंशों के संबंध में अंशधारी पर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

(iii) यदि हरण के एक वर्ष के अन्दर कंपनी का समापन हो जाता है तो दोषी अंशधारी उसी तरह उत्तरदायी होता है जिस तरह कंपनी की 'सूची 'ब' के अंशदाता' उत्तरदायी होते हैं।

(iv) हरण किए हुए अंशों पर प्राप्त राशि को 'हरण अंश खाते' में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(v) अंशों के हरण से कंपनी की अंशपूँजी में कमी नहीं मानी जाती है।

Scanned with CamScanner

हरण किए गए अंशों का पुनःनिर्गमन (Re-issue of Forfeited Shares)

कंपनी द्वारा जिन अंशधारियों के अंशों का हरण किया जाता है उन अंशों पर कंपनी का अधिकार हो जाता है तथा अंश कंपनी की संपत्ति हो जाते हैं। कंपनी अपनी इच्छानुसार या तो इन अंशों को रद्द (समाप्त) कर देती है या इनका पुनःनिर्गमन कर देती है।

अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर संचालक मण्डल हरण किए गए अंशों का पुनःनिर्गमन कर सकता है। जिस कंपनी में अंतर्नियम नहीं होते वहाँ इस संबंध में तालिका 'अ' (Table 'A') के नियमों का पालन किया जाता है, जिसके अनुसार कंपनी को अंशों के हरण की सार्वजनिक सूचना देनी होती है, संचालकों को इस आशय की वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है कि इन अंशों का हरण किन परिस्थितियों में तथा किस तिथि पर किया गया।

इसके अतिरिक्त संचालक मण्डल को हरण किए गए अंशों का पुनःनिर्गमन करने के लिए एक प्रस्ताव पास करना होता है। संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पास करने के पश्चात् हरण किए गए अंशों का निर्धारित शर्तों के अनुसार पुनः निर्गमन कर दिया जाता है।

हरण किए गए अंशों को कटौती (discount) पर भी निर्गमित किया जा सकता है, परंतु कटौती की राशि हरण किए अंशों पर प्राप्त राशि से अधिक नहीं को सकती है। कंपनी अपनी इच्छानुसार अंशों को अधिक कीमत पर भी बेच सकती है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हरण किए गए अंशों को खरीदने वाले नए क्रेता का स्वत्व (Title) हरण संबंधी किसी अनियमितता अथवा अवैधानिकता से प्रभावित नहीं होता भले ही मूल क्रेता द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने पर हरण अवैध ही क्यों न घोषित हो जाए।

सचिव नए अंशधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट (enter) कर देता है और एक नया अंश प्रमाण-पत्र तैयार करता है जिस पर अधिकृत दो संचालकों के हस्ताक्षर कराता है, कंपनी की सार्वमुद्रा (Common Seal) अंकित करता है तथा स्वयं हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार तैयार किया गया अंश प्रमाण-पत्र नए अंशधारी को निर्गमित कर दिया जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जो वार्षिक प्रत्याय (Annual Return) निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी उसमें यह उल्लेख होना अनिवार्य है कि प्रत्येक वर्ग के कुल कितने अंशों का हरण किया गया है और ऐसे हरण से कुल कितना धन प्राप्त हुआ है।

Scanned with CamScanner

क्रम संख्या (Sr. No.)	अंतर का आधार (Basis of Difference)	अंशों का हरण (Forfeiture of Shares)	अंशों का समर्पण (Surrender of Shares)
1.	अर्थ (Meaning)	यदि कोई अंशधारी अपने अंशो पर याचना का भुगतान नही करता है तो कपनी उसके अंशो का हरण कर सकती है।	जब कोई अंशधारी याचना राशि क भुगतान करने से पूर्व अपने अंश स्वेच्छ से कपनी को समर्पित कर देता है तो इ अंशो का समर्पण कहते है।
2.	उद्देश्य (Object)	हरण अंशधारी को याचना-राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का अन्तिम उपचार है।	समर्पण का उद्देश्य हरण सबंधी कार्यवा से छुटकारा पाना होता है।
3.	प्रतिफल (Consideration)	अंशो के हरण के बदले मे कोई प्रतिफल नही दिया जाता है।	अंशो के समर्पण के बदले में कंपनी द्वा अंशधारी को कुछ प्रतिफल दिय ज सकता है, जैसे चुकता पूंजी के कुछ भा को वापिस करना, अथवा अदत्त याचन या ब्याज से मुक्त करना।
4.	पूर्णतः चुकता (Fully paid-up)	पूर्णतः चुकता अंशो का हरण नहीं किया जा सकता।	कंपनी द्वारा कुछ दशाओं में पूर्णतः चुक अंशो का समर्पण भी स्वीकार किया ज सकता है। यह तभी सम्भव है जब अं के समर्पण से अंश पूंजी में कमी नहीं हो है।
5.	परिस्थितियाँ (Circumstances)	याचना की राशि प्राप्त न होने के अतिरिक्त कंपनी के अंतर्नियमो मे वर्णित अन्य कारणों से भी 'अंशों का हरण' किया जा सकता है।	अंशधारी अपने अंशो का समर्पण उ समय करता है जब वह अपने अद याचनाओं का भुगतान करने में असम पाता है।

Scanned with CamScanner

कंपनी की अंशपूँ
(Share Capital of Compa

■ अंशपूँजी से आशय (Meaning of Share Capital)

कंपनी अंशों को बेचकर जो धनराशि प्राप्त करती है वह कंपनी की अंशपूँजी कहलाती है। एक कंपनी में पूंजी से आ धनराशि से है जिसके द्वारा कंपनी का व्यवसाय आरंभ किया जाता है तथा कंपनी अपने व्यापार के लिए चल एवं अचल संपत्ति है। पूँजी का कंपनी के लिए विशेष महत्त्व है क्योंकि इसी के द्वारा वह सभी व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रियाएँ करती है। पूंजी आवश्यक विवरण प्रत्येक कंपनी के सीमानियम Memorandum में होता है तथा इसको प्राप्त करने के नियम अंतर्नियमों (Articles) में होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी की पूँजी न तो इतनी अधिक होनी चाहिए जिससे बेकार पड़ी रहे और पूँजी आधिक्य (Over-Capitalisation) के दोष उत्पन्न हों और न पूंजी इतनी कम हो कि पूंजी की व्यापार विकसित न किया जा सके और पग-पग पर पूँजी की न्यूनता (Under-Capitalisation) का अनुभव हो। अत: पूँजी उचित ही होनी चाहिए।

अत: अंशपूँजी का अर्थ कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों से एकत्रित की गई पूँजी से है। कंपनी के समामेलन के लिए का होना आवश्यक शर्त नहीं है यद्यपि अधिकतर कंपनियाँ पूँजी रखती हैं परंतु कंपनी का समामेलन बिना अंशपूँजी के भी हो कंपनी के लिए पूँजी तथा अंशपूँजी शब्द एक समान ही होते हैं। परंतु अंशपूँजी तथा ऋण पूँजी में अंतर होता है। अंशपूँजी परिसंपत्ति को प्रकट करती है जबकि ऋण-पूँजी उसकी देनदारियों को। यद्यपि पूँजी में अंशपूँजी तथा ऋण-पूँजी दोनों ही सम्मिल हैं। किन्तु व्यापार के सफल संचालन के लिए इनमें उचित अनुपात होना चाहिए।

यहाँ हमारा आशय केवल अंशपूँजी से है, जिसको कंपनी अधिनियम में अनेक रूपों से प्रयोग किया जाता है।

■ पूँजी का स्वभाव तथा पूँजी के रूप (Nature and Forms of Capital)

कंपनी अधिनियम में पूँजी शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, जो इस प्रकार है:

1. **अधिकृत या रजिस्टर्ड पूँजी** (Authorised, Nominal of Registered Capital): जिस पूँजी से कं रजिस्ट्री की जाती है उसे 'अधिकृत पूँजी' कहते हैं। (Authorised Capital is that capital with whi company is registered or incorporated) दूसरे शब्दों में, अधिकृत पूँजी से आशय उन अंशों के कुल मूल्य से है, जो कि कंपनी पार्षद् सीमानियम के अधीन जनता को निर्गमित करने का अधिकार रखती है। इसे **पूँजी** इसलिए कहते है क्योंकि इसके साथ कंपनी की रजिस्ट्री करायी जाती है। इसे अंकित पूँजी (No Capital) भी कहते हैं, क्योंकि यह सीमानियम में अंकित होती है। अधिकृत पूँजी का निर्धारण करते समय वर्तमान व भावी दोनों ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

2. **निर्गमित पूँजी** (Issued Capital): अधिकृत पूँजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय किए जाने के लिए प्रस्तु जाता है, कंपनी की निर्गमित पूँजी कहलाती है। (Issued Capital is that part of the authorised c which is actually offered to the public for sale.) सामान्यत: कंपनी अपनी संपूर्ण अधिकृत पूंजी समय में निर्गमित नहीं करती है वरन् उसका केवल एक भाग ही निर्गमित किया जाता है तथा शेष भाग आ पड़ने पर निर्गमित किया जाता है। जैसे- मान लीजिए कि किसी कंपनी की अधिकृत पूँजी ₹ 10 लाख है, जो

Scanned with CamScanner

10,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी अपने 5,000 अंश तक जनता द्वारा खरीदे जाने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करती है। यहाँ उसकी निर्गमित पूँजी ₹ 5 लाख (5,000 × 100) होगी।

3. **प्रार्थित पूँजी** (Subscribed Capital): यह निर्गमित पूँजी का वह भाग है जिसे जनता द्वारा ले लिया गया है। ("Subscribed Capital is that part of issued capital which is taken up and accepted by public.") यदि संपूर्ण निर्गमित पूँजी को जनता लेने के लिए तैयार हो जाए तो प्रार्थित पूँजी निर्गमित पूँजी के बराबर हो जाएगी। प्रत्येक कंपनी यह प्रयास करती है कि जितनी पूँजी वह निर्गमित करती है वह सब जनता द्वारा ले ली जाए।

व्यावहारिक रूप में प्राय: यह देखा गया है कि अच्छी कंपनियों के संबंध में उनके अंशों के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तावित संख्या से अधिक संख्या में जनता से क्रय आवेदन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में पूँजी को 'अधि-प्रार्थित' (Over-Subscribed) कहा जाएगा। यदि क्रय आवेदन कम संख्या के लिए प्राप्त हुए हैं तो पूँजी 'अल्प-प्रार्थित' (Under-Subscribed) कहलाएगी। निर्गमित पूँजी का वह भाग जो जनता द्वारा स्वीकार न किया जाए 'अप्रार्थित पूँजी' (Unsubscribed Capital) कहलाता है।

यदि जनता ने कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से अधिक अंशों की माँग की है तो भी कंपनी निर्गमित पूँजी से अधिक अंशों का आबंटन नहीं कर सकती। स्पष्ट शब्दों में, प्रार्थित पूँजी निर्गमित पूँजी से अधिक नहीं हो सकती।

4. **आवंटित पूँजी** (Allotted Capital): साधारणत: प्रार्थित पूँजी और आबंटित पूँजी एक ही हुआ करती है। निर्गमित पूँजी का जो भाग जनता ने लेने के लिए कंपनी को आवेदन किया है वह संपूर्ण भाग आबंटित नहीं किया जाता है तो जो भाग आबंटित किया जाता है वह आबंटित पूँजी और जो आबंटित नहीं किया जाता है वह अनाबंटित पूँजी कहा जाता है।

5. **याचित अथवा माँगी गई पूँजी** (Called up Capital): प्रार्थित पूँजी का वह भाग, जो संचालकगण कंपनी का व्यवसाय चलाने के लिए माँगते हैं, याचित अथवा माँगी गई पूँजी कहलाती है। प्राय: कंपनी द्वारा अंशों का संपूर्ण अंकित मूल्य एक ही बार नहीं माँगा जाता है अपितु आवश्यकतानुसार किश्तों में माँगा जाता है जिन्हें याचनाएँ (Calls) कहते हैं।

6. **न माँगी हुई या अयाचित पूँजी** (Uncalled Capital): आबंटित पूँजी के जिस भाग के लिए कंपनी द्वारा माँग नहीं की जाती है उसे न माँगी हुई पूँजी या 'अयाचित पूँजी' कहा जाता है।

7. **चुकता पूँजी** (Paid-up Capital): माँगी हुई पूँजी' का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, 'चुकता पूँजी' कहलाती है ("Paid-up Capital is the amount of money actually paid-up by the subscribers or Credited as so paid.") 'माँगी हुई पूँजी' का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा भुगतान करने से बाकी रह जाता है, उसे **बकाया राशि या बकाया माँगें** (Calls in Arrears) कहते हैं। कभी-कभी कुछ अंशधारी बार-बार भुगतान करने की असुविधा से बचने के लिए अपने अंशों का संपूर्ण मूल्य एक ही साथ अदा कर देते हैं। कंपनी को पूँजी का वह भाग जो माँगी हुई राशि से अधिक प्राप्त होता है, **अग्रिम माँग** (Calls in Advance) कहलाता है।

8. **स्थायी पूँजी** (Fixed Capital): इस पूँजी का आशय कंपनी की स्थायी संपत्तियों (जैसे-भूमि भवन, मशीन, फर्नीचर आदि) में लगी हुई पूँजी से है। स्थायी पूँजी को ब्लॉक पूँजी (Block Capital) तथा अचल पूँजी (Non-Circulating Capital) भी कहते हैं।

9. **कार्यशील पूँजी** (Working Capital): व्यवसाय को स्थापित कर लेने और स्थायी संपत्तियों को खरीद लेने के पश्चात् दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है; जैसे- कच्चा माल खरीदना, श्रमिकों को मजदूरी देना, टैक्स, किराया आदि का भुगतान करना, विज्ञापन और विक्रय-कला पर किए गए खर्चे। इन कार्यों के लिए जिस पूँजी की आवश्यकता होती है, उसे कार्यशील पूँजी कहते हैं। कार्यशील पूँजी को अल्पकालीन पूँजी (Short-Term Capital) या चल पूँजी (Circulation Capital) भी कहते हैं।

10. **कृत्रिम पूँजी** (Watered Capital): वह पूँजी जो कृत्रिम विधि से उत्पन्न की जाती है, जैसे– ख्याति (Good-will) खरीदने के लिए दिए गए धन को कृत्रिम पूँजी कहते हैं।

11. **साहसिक पूँजी** (Venture Capital): यह ऐसी वित्तीय पूँजी है जो उद्यमियों (Entrepreneurs) को अधिक जोखिमपूर्ण तथा अधिक शक्तिवर्द्धक (लाभ देने वाली) कंपनियाँ आरम्भ करने के लिए प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत प्राय: ऐसी कंपनियों के समता अंशों को क्रय करके धन विनियोजित किया जाता है जो नई प्रौद्योगिकी

Scanned with CamScanner

(Technology), निर्माण जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (Technology), बायोटैक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आदि में करते हैं। भारतवर्ष में प्रमुख साहसिक पूंजी विनियोजक है– SEQUOIA Capital India, Nort... Venture Capital Partnership, Cannon — Partners, NFCI Venture Capital Fund.

अंशपूँजी के प्रकार (Kinds of Share Capital)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार कंपनी की अंशपूँजी निम्न दो प्रकार की हो सकती है :

(1) समता अंशपूँजी, तथा

(2) पूर्वाधिकार अंशपूंजी।

(1) **समता अंशपूँजी** (Equity Share Capital): अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सन्दर्भ में समता अंशपूँजी से आशय समस्त अंशपूँजी से है जो पूर्वाधिकार अंशपूंजी नहीं है।

(2) **पूर्वाधिकार अंशपूँजी** (Preference Share Capital): पूर्वाधिकार अंशपूंजी का आशय कंपनी की अंशपूँजी से है जो निम्न शर्तों को पूरा करती है

(क) उस पर एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है,

(ख) कंपनी के विघटन पर पूर्वाधिकार अंशपूँजी का भुगतान पहले किया जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश व पूँजी के पुनर्भुगतान दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार प्राप्त होता है।

अंशपूँजी का परिवर्तन (Alteration of Share Capital)

एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी अथवा गारण्टी द्वारा सीमित कपनी जिसमें अंशपूंजी है, इनके पार्षद् सीमानियम में एक पूँजी होना आवश्यक है। जिसमें कंपनी की अधिकृत पूँजी तथा उसका निश्चित मूल्य के अंशों में विभाजन का उल्लेख होना आवश्यक है। कंपनी जोकि एक निश्चित अंशपूँजी से प्रारंभ होती है, बाद में उसकी वृद्धि (Increase) करने, किसी भी रूप में उसका पुनर्गठन (Reorganisation) करने अथवा उसमें कमी करने (Reduction) की आवश्यकता का अनुभव कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि अधिनियम के अधीन 'परिवर्तन' (Alteration) शब्द का प्रयोग अंशपूंजी की वृद्धि करने अथवा पुनर्गठन करने के लिए किया गया है।

- **अंशपूँजी में परिवर्तन के ढंग (Methods of Alteration in Share Capital)**

कंपनी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, अंशों द्वारा सीमित कंपनी अथवा गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंशपूँजी है, अंतर्नियमों द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत है तो निम्न प्रकार से पूँजी में परिवर्तन कर सकती है :

(1) अंशपूँजी में वृद्धि करके (Increase in Share Capital)।

(2) अंशपूँजी का एकीकरण तथा विभाजन करके (Consolidation and Division of Share Capital)।

(3) अंशों को स्टॉक में तथा स्टॉक को पुन: अंशों में परिवर्तित करके (Conversion of Shares into Stock & Reconversion)।

(4) अंशपूँजी का उप-विभाजन करके (Sub-division of Share Capital)।

(5) अंशों को रद्द करके (Cancellation of Share Capital)।

इन अधिकारों का प्रयोग कंपनी अपनी व्यापक सभा में कर सकती है उसके लिए केंद्रीय सरकार अथवा न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है। अंशों को रद्द करना, पूँजी में कमी नहीं मानी जाएगी।

(1) **अंशपूँजी में वृद्धि** (Increase of Share Capital): कंपनी ऐसी धनराशि से जोकि वह आवश्यक समझती है नये अंशों को निर्गमित करके अंशपूँजी की वृद्धि कर सकती है। इस प्रकार एक कंपनी जिसकी अधिकृत पूँजी ₹ 50 लाख है कि ₹ 100 प्रति अंश के 50,000 अंशों में विभाजित है, ₹ 100 प्रति अंश के 10,000 नये अंशों को जारी करके पूँजी में वृद्धि कर सकती है।

(2) **अंशपूँजी का एकीकरण तथा विभाजन** (Consolidation and Division of Share Capital): कंपनी अपनी सब अथवा कुछ अंशपूँजी का एकीकरण करके उनको वर्तमान मूल्य के अंशों की अपेक्षा अधिक मूल्य के अंशों में विभाजित कर सकती है, जैसे-₹ 10 के 10 अंशों को ₹ 100 के एक अंश में परिवर्तित कर सकती है।

(3) **अंशो का स्टॉक में तथा स्टॉक का पुन: अंशों में परिवर्तन** (Conversion of Shares into Stock and Reconversion): कंपनी किसी भी समय अपने समस्त अथवा कुछ पूर्णदत्त अंशों को स्टॉक में और फिर स्टॉक को किसी भी मूल्य के पूर्णदत्त अंशों में पुन: परिवर्तित कर सकती है।

(4) **अंशपूँजी का उप-विभाजन** (Sub-division of Share Capital): कंपनी अपने अधिक मूल्य के अंशों को कम मूल्य के अंशों में उप-विभाजित कर सकती है, जैसे ₹ 100 वाले अंश को ₹ 10-10 वाले अंशों में परिवर्तित करना, परन्तु ऐसे उप-विभाजन में प्रदत्त तथा अदत्त धनराशि का वही अनुपात रहना चाहिए जो कि मूल अंशों में था।

(5) **अंशपूँजी को रद्द करके** (Cancellation of Share Capital): कंपनी अपने अनिर्गमित अंशों अथवा ऐसे अंश जो निर्गमित तो किए गए हैं किन्तु जनता द्वारा प्रार्थित नहीं किए जाते, को रद्द करके अंशपूँजी में कमी कर सकती है। इससे होने वाली अंशपूंजी की कमी को कंपनी अधिनियम, 1956 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत पूँजी की कमी नहीं माना जाता है।

- **परिवर्तन के लिए वैधानिक प्रतिबंध (Legal Restrictions for Alteration)**

कंपनी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार अंशपूँजी में उपर्युक्त परिवर्तन निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है :

(i) **परिवर्तन निर्दिष्ट कंपनियों द्वारा** (Alteration by Specified Companies): पूँजी का परिवर्तन, अंशों द्वारा अथवा गारण्टी सीमित कंपनी जिसमें अंशपूँजी है, के द्वारा ही किया जा सकता है।

(ii) **अंतर्नियमों में व्यवस्था होना** (Provision in the articles of Association): परिवर्तन तब ही किया जा सकता है जबकि कंपनी के अंतर्नियमों में ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है। कंपनी के अंतर्नियमों में अंशपूँजी को परिवर्तित करने व उसकी रीति का उल्लेख होना चाहिए। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था न दी हो तो विशेष प्रस्ताव द्वारा इनकी व्यवस्था की जा सकती है और अंतर्नियमों में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। [Andrews Vs. Gas Meter Co.]

(iii) **साधारण प्रस्ताव पारित करना** (Passing of Ordinary Resolution): परिवर्तन व्यापक सभा में साधारण प्रस्ताव द्वारा ही प्रभावशील किया जा सकता है और उसके लिए न्यायालय के पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं।

परिवर्तन करने के लिए विधि (Procedure for Alteration)

(1) **साधारण प्रस्ताव की स्वीकृति** (Acceptance of Ordinary Resolution): अंशपूँजी में परिवर्तन के लिए व्यापक सभा में एक साधारण प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

(2) **रजिस्ट्रार को सूचना** (Information to Registrar): पूँजी में वृद्धि की दशा को छोड़कर अन्य दशाओं में इस प्रस्ताव के स्वीकार होने की सूचना रजिस्ट्रार को 30 दिन के अन्दर देनी चाहिए जिसमें किए गए परिवर्तनों को निर्दिष्ट करना चाहिए। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उस सूचना की प्रविष्टि करेगा और कंपनी के सीमानियम अथवा अंतर्नियमों में अथवा दोनों में आवश्यक परिवर्तन कर देगा। यदि सूचना देने में त्रुटि की गई है तो कंपनी तथा कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने त्रुटि की है, जुर्माने द्वारा दण्डित किया जायेगा जोकि त्रुटि की अवधि में ₹ 1,000 प्रतिदिन अथवा ₹ 5,00,000 रुपये, इनमें से जो भी कम हो, हो सकेगा। [धारा 64]

(3) **अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करने का प्रभाव** (Effect of Conversion of Shares into Stock): यदि एक अंशपूँजी वाली कंपनी ने अपने कुछ या सब अंशों को स्टॉक में बदला है और परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को दे दी है, तो इस अधिनियम की वे सब व्यवस्थाएँ जो केवल अंशों पर लागू होती है, इस स्टॉक के संबंध में लागू नहीं होंगी।

(4) **अंशपूँजी की वृद्धि की सूचना** (Notice of increase of Share): अंशपूँजी में वृद्धि की दशा में भी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास प्रस्ताव स्वीकार करने के 30 दिन के अन्दर उसकी सूचना देनी होगी। इस सूचना में उन शर्तों को देना होगा जिनके अधीन नए अंशों का निर्गमन किया गया है या किया जाएगा। उस पर रजिस्ट्रार सूचना की प्रविष्टि करेगा और

Scanned with CamScanner

कंपनी के सीमानियम अथवा अंतर्नियमों में अथवा दोनों में आवश्यक परिवर्तन कर देगा। यदि इस प्रकार सूचना ... की गई है तो कंपनी तथा कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने त्रुटि की है, जुर्माने द्वारा दण्डित किया जाएगा ... अवधि में ₹ 1,000 प्रतिदिन अथवा 5,00,000 रुपये, इनमें से जो भी कम हो, हो सकेगा।

■ अंशपूँजी में कमी करना (Reduction of Share Capital)

अंशपूँजी में कमी से आशय चुकता अंशपूँजी (Paid-up Capital) में कमी करना है। कंपनी अधिनियम सामान्यतया ... को ऐसा प्रत्येक कार्य करने से रोकता है जिससे कि कंपनी की अंशपूँजी में कमी होती हो। ऐसा करने का उद्देश्य कंपनी के ... सुरक्षा प्रदान करना है। उदाहरणार्थ, कोई भी कंपनी अंशपूँजी में से लाभांश नहीं बाँट सकती। लेकिन फिर भी कंपनियों को कुछ ... में अपनी अंशपूँजी में कमी करने की आवश्यकता अनुभव हो सकती है।

एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी अथवा गारन्टी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंशपूँजी है, एक विशेष प्रस्ताव पास करके तथा ... कंपनी विधान न्यायाधिकरण से इसकी पुष्टि कराकर अपनी अंशपूँजी में निम्न प्रकार से कमी कर सकती है:

(i) **नष्ट पूँजी को अपलिखित करके** (By Writing off lost Capital): कंपनी ऐसी प्रदत्त पूँजी (Paid up Capital) को जो अत्यधिक व्यापारिक हानियों के कारण समाप्त हो गई है अथवा जो विद्यमान किसी संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती, अपलिखित (रद्द) करके पूँजी में कमी कर सकती है।

(ii) **आधिक्य पूँजी को लौटाकर** (By Refunding surplus Capital): कंपनी अपनी किसी ऐसी प्रदत्त (चुकता) पूँजी को जो कंपनी की आवश्यकता से अधिक है अंशधारियों को भुगतान करके अपनी अंशपूँजी में कमी कर सकती है।

(iii) **अंशो पर देयता को समाप्त अथवा कम करके** (By Extinguishing or Reducing Liability on Shares): कंपनी ऐसे अंशों को जो पूर्णदत्त (Fully paid up) नहीं है उनके अदत्त (Unpaid) भाग को देयता को समाप्त अथवा कम करके अंशपूँजी में कमी कर सकती है।

लेकिन अंशपूँजी में यह कमी क्या पार्षद अंतर्नियमों द्वारा विशेष रूप से अधिकृत है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर कंपनी अधिनियम में नहीं है।

परन्तु ऐसी कोई कमी तब तक नहीं की जाएगी, यदि कंपनी पर इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या उसके पश्चात् उसके द्वारा स्वीकार किए गए किसी निक्षेप (Deposit) का भुगतान या उस पर देय ब्याज बकाया है। [धारा ...

● अंशपूँजी में कमी करने के लिए वैधानिक प्रतिबंध (Legal Restrictions for Reduction of Share Capital)

अंशपूँजी में कमी करने के लिए कुछ प्रतिबंध है। कमी इन प्रतिबंधों के अधीन ही की जा सकती है। ये प्रतिबंध निम्नलिखित हैं:

1. **निर्दिष्ट कंपनियों द्वारा** (By specified companies): अंशपूँजी में कमी अंशों द्वारा सीमित कंपनी या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंशपूँजी है, के द्वारा ही की जा सकती है।
2. **विशेष प्रस्ताव द्वारा** (By Special Resolution): अंशपूँजी में कमी विशेष प्रस्ताव स्वीकार करके ही की जा सकती है। अंशपूँजी में कमी करने के लिए विशेष प्रस्ताव को अंशपूँजी को कम करने वाला प्रस्ताव सम्बोधित किया गया है।
3. **राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टिकरण** (Confirmation by National Company Law Tribunal): अंशपूँजी में कमी करने के लिए प्रस्ताव का न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टिकरण किया जाना आवश्यक ...

■ कमी करने की विधि (Procedure for Reduction)

अंशपूँजी में कमी करने की निम्न विधि है:

(1) **विशेष प्रस्ताव पास करना** (To Pass Special Resolution): जब कंपनी अंशपूँजी में कमी करना चाहती है तो उसे इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ता है। बिना विशेष प्रस्ताव पास किए एक कंपनी अपनी अंशपूँजी में कमी नहीं कर सकती है।

(2) **न्यायाधिकरण से पुष्टिकरण के लिए आवेदन** (Application to the Tribunal for Confirmation): जब कंपनी अंशपूँजी में कमी करने का प्रस्ताव (विशेष प्रस्ताव) स्वीकार कर लेती है तो वह न्यायाधिकरण से कमी के पुष्टिकरण की आज्ञा के लिए आवेदन करती है।

न्यायाधिकरण उपधारा (1) के अधीन उसको किए गए, प्रत्येक आवेदन की सूचना, सूचीबद्ध कंपनियों एवं कंपनियों के लेनदारों की दशा में केंद्रीय सरकार, रजिस्ट्रार तथा प्रतिभूति विनियम बोर्ड (SEBI) को देगा और उस सरकार, रजिस्ट्रार तथा प्रतिभूति विनिमय बोर्ड तथा लेनदारों द्वारा उसको किए गए प्रतिवेदनों/अभ्यावेदनों (Representations) पर, यदि कोई हो, सूचना की प्राप्ति की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर विचार करेगा।

परन्तु जहाँ केंद्रीय सरकार, रजिस्ट्रार तथा प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या लेनदारों की ओर से उक्त अवधि के भीतर कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है वहाँ यह माना जाएगा कि उनको कमी के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

(3) **पुष्टिकरण की आज्ञा** (Order Confirming Reduction): यदि न्यायाधिकरण कंपनी के प्रत्येक ऐसे ऋणदाता के संबंध में आपत्ति उठाने का अधिकारी है, इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि या तो इस प्रस्ताव पर उसकी सहमति प्राप्त कर ली गई है या उसके ऋणों का भुगतान कर दिया है या उसका ऋण सुरक्षित कर दिया गया है, तो वह ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझता है, कमी के पुष्टिकरण की आज्ञा दे सकता है।

परन्तु अंशपूँजी की कमी के लिए कोई आवेदन, न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक कि ऐसी कमी के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तावित ऐसा कोई लेखा व्यवहार इस अधिनियम की धारा 133 या किसी अन्य उपबन्ध में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप नहीं है और कंपनी के अंकेक्षक द्वारा इस प्रभाव का कोई प्रमाण-पत्र न्यायाधिकरण के पास फाइल नहीं कर दिया गया है।

(4) **आदेश आज्ञा की रजिस्ट्री** (Registration of Order): परिवर्तन के पुष्टिकरण करने की आज्ञा की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर आज्ञा की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तथा न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत कंपनी की पूँजी की नई स्थिति का एक 'सूक्ष्म' रजिस्ट्रार को सुपुर्द करना होता है। इसके बाद रजिस्ट्रार आज्ञा तथा सूक्ष्म की रजिस्ट्री कर देता है, और ऐसा होने पर ही अंशपूँजी को कम करने का प्रस्ताव प्रभावशाली होता है। पूँजी की नई स्थिति के सूक्ष्म में अंशपूँजी की राशि, उन अंशों की संख्या जिनमें इन्हें विभाजित किया गया है, प्रत्येक अंश की राशि तथा वह राशि जो रजिस्ट्रेशन की तारीख को प्रत्येक अंश पर दी जानी समझी गई हो, प्रदर्शित किया जाता है।

■ कमी किए गए अंशों के संबंध में सदस्यों का दायित्व (Liability of Members in Respect of Reduced Shares)

उक्त रूप से पूँजी में कमी करने के उपरांत कंपनी का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व किसी भी अंश के संबंध में ऐसी माग (Calls) अथवा अंशदान के लिए दायी न होगा जोकि प्रत्येक अंश पर प्रदत्त धनराशि तथा सूक्ष्म में निर्धारित धनराशि के अंतर से अधिक है। परन्तु इसके निम्नलिखित दो अपवाद है:

(i) यदि कोई ऋणदाता जो आपत्ति करने का अधिकारी था तथा जिसका नाम माँग-सूची में सम्मिलित नहीं है और बाद में यह प्रमाणित करता है कि पूँजी में कमी होने से संबंधित कार्यवाही अथवा उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उसे जानकारी नहीं थी तथा यदि कंपनी का समापन होता तो कंपनी उसके ऋणो का भुगतान करने में असमर्थ होती तो ऐसी दशा में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो पूँजी में कमी करने की आज्ञा तथा उसके सूक्ष्म की रजिस्ट्री के दिन कंपनी का सदस्य था, उस ऋण के लिए दायी होगा। लेकिन यह दायित्व उसके अंशों के संबंध में मूल दायित्व से अधिक नहीं होगा अर्थात् जो कि पूँजी की कमी से पूर्व था।

Scanned with CamScanner

(ii) यदि कंपनी का समापन हो जाता है तो न्यायाधिकरण ऐसे ऋणदाताओं के आवेदन पर, जो यह प्रमाणित कर दें कि कमी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, समापन के समय दायी सदस्यों की एक सूची तैयार करके ऋण वापस करने को उसी प्रकार बाध्य कर सकता है जैसे कि समापन के समय दायी थे।

दण्ड (Penalty): यदि कंपनी का कोई अधिकारी जान-बूझकर ऐसे ऋणदाता का नाम छिपाता है जिसे आपत्ति का अधिकार है या उसके दावे की राशि एवं स्वभाव को गलत बताता है तो वह धारा 447 के अंतर्गत दायी होगा कम से कम 6 महीने का कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा तथा जुर्माना जो किए गए कपट की राशि से कम नहीं होगा।

■ पूँजी की कमी के कारण (Reasons for Reduction in Capital)

कंपनी प्रायः निम्नलिखित कारणों से अपनी पूँजी में कमी करती है:

(1) यदि कंपनी को अत्यधिक व्यापारिक हानि उठानी पड़ती है तो कंपनी अपनी पूँजी कम करके अपने व्यापारिक अच्छा बनाने की कोशिश करती है।

(2) **अधिक पूँजी का होना** (Over-Capitalisation) व्यापार के लिए हानिकारक है। जब कंपनी की पूँजी भावी आवश्यकताओं से अधिक हो जाती है तो उसे कम किया जा सकता है।

(3) यदि स्थाई संपत्तियों को अधिक मूल्य पर दिखाया गया है तो पूँजी में कमी करके इन्हें ठीक किया जा सकता है।

(4) **यदि कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में बनावटी संपत्तियाँ** (Fictitious assets) बहुत हो जाती है और चिट्ठा इनसे अच्छा तथा प्रभावशाली प्रतीत नहीं होता है तो पूँजी की कमी द्वारा इन बनावटी संपत्तियों को अपलिखित कर दिया जाता है।

■ अधिक अंशपूँजी का निर्गमन (Further Issue of Share Capital)

आशय (Meaning): अधिक पूँजी के निर्गमन का आशय अधिकृत पूँजी के उस भाग के निर्गमन करने से है जो अब तक निर्गमित न किया गया हो। बहुधा यह देखा गया है कि जब कंपनी शुरू होती है तो वह अपनी सभी अधिकृत पूँजी एक साथ निर्गमित करती है वरन् उसका वह भाग ही निर्गमित करती है जिसकी उसे आवश्यकता होती है और शेष भाग को या उसके किसी भाग को उस समय निर्गमित करती है जब उसे ऐसा करना आर्थिक कारणों से आवश्यक होता है। इस निर्गमन को ही अधिक पूँजी का निर्गमन कहते हैं।

दशाएँ (Conditions): एक कंपनी को अपने बढ़ते हुए व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए अथवा आधुनिकीकरण को अपनाने आदि कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है इसे पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक के अधीन अतिरिक्त अंशों के निर्गमन का निर्णय लेती है:

(i) जब पहले से निर्गमित पूँजी (Issued Capital) कंपनी की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) से कम है और प्रस्तावित अतिरिक्त पूँजी का निर्गमन अधिकृत पूँजी की सीमाओं के भीतर है।

(ii) जब पहले से निर्गमित अंशपूँजी कंपनी की अधिकृत पूँजी के बराबर है और अतिरिक्त पूँजी का निर्गमन अधिकृत पूँजी की सीमाओं के परे है।

दोनों ही दशाओं में अतिरिक्त अंशों का निर्गमन केवल तभी सम्भव है यदि ऐसा करने के लिए कंपनी अपने अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत हो। यदि अंतर्नियमों में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो सर्वप्रथम एक विशेष प्रस्ताव पास करके अंतर्नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यदि प्रस्तावित अतिरिक्त निर्गमन अधिकृत पूँजी की सीमाओं के भीतर है, तो अंतर्नियमों में अधिकार के अतिरिक्त संचालक मण्डल के प्रस्ताव की भी आवश्यकता होती है।

■ अंशों के अधिक निर्गमन के आबंटन की रीति (Manner of Allotment of Further Issue of Shares)

जब कंपनी अपने निर्माण के 2 वर्ष बाद अथवा निर्माण के बाद प्रथम आबंटन के 1 वर्ष के बाद (जो भी पहले हो) किसी भी समय अधिक अंशों का आबंटन करके कंपनी की प्रार्थित पूँजी में वृद्धि करना चाहती है तो उस समय ऐसे अधिक निर्गमन के संबंध में सबसे

कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को यह अधिकार होगा कि वे ऐसी अंशपूँजी का क्रय करें। उनके इस अधिकार को 'पूर्व क्रय का अधिकार' (Right of Pre-emption) कहते हैं तथा ऐसे अंशों को अधिकार अंश (Right Share) कहते हैं। इसके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 62 में दी गई शर्तों को पूरा करना होगा। ये शर्तें निम्नलिखित हैं:

(1) **विद्यमान समता अंशधारियों को प्रस्ताव** (Offer to existing equity share-holders): ऐसे नये अंश विक्रय हेतु सबसे पहले कंपनी के विद्यमान (वर्तमान) समता अंशधारियों को यथानुपात (Pro-rata) में अर्थात् उनके द्वारा अंशों पर भुगतान की हुई पूँजी के अनुपात में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) **प्रस्ताव की सूचना** (Notice of Offer): ऐसा प्रस्ताव वर्तमान अंशधारियों (सदस्यों) के पास एक नोटिस द्वारा भेजा जाता है। इस नोटिस में निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या तथा उस समय का उल्लेख किया जाता है जिसके अंतर्गत अंशधारियों को इन अंशों को लेने की स्वीकृति कंपनी के पास भेज देनी चाहिए। स्वीकृति देने की अवधि प्रस्ताव की तिथि से पंद्रह दिन से कम नहीं परन्तु 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि निर्दिष्ट अवधि में स्वीकृति नहीं आती है तो यह माना जाता है कि वर्तमान अंशधारी इन अंशों को नहीं लेना चाहते हैं।

(3) **अन्य व्यक्ति के पक्ष में अधिकार का त्याग** (Surrender of right in favour of other person): यदि कंपनी के पार्षद् अंतर्नियमों में इसके विपरीत व्यवस्था नहीं है तो एक अंशधारी पूर्ण अथवा आंशिक रूप में अपने इस अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग कर सकता है जिसका उल्लेख उसे अपने स्वीकृति-पत्र में कर देना चाहिए। यदि स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति अंशों को लेने से इनकार करता है तो अंशधारी को अपने इस अधिकार का पुनः किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करने का अधिकार नहीं होगा।

(4) **संचालक-मण्डल का अधिकार** (Right of board of directors): कंपनी द्वारा प्रस्तावित निर्दिष्ट अवधि के बीत जाने पर अथवा उससे पूर्व अंशधारी की इस संबंध में अस्वीकृति मिल जाने पर संचालक-मण्डल का यह अधिकार है कि वह ऐसे अंशों को किसी भी रीति से बेच सकता है जिसे वह कंपनी के हित में उचित एवं न्यायसंगत समझे।

धारा 62 की व्यवस्थाएँ निम्नलिखित दशाओं में लागू न होंगी:

(i) यदि कंपनी एक निजी कंपनी है।

(ii) निर्गमन की शर्तों के अधीन किसी ऋण अथवा परिवर्तनशील ऋण-पत्रों को अंशों में बदलने के लिए यदि अंशों का निर्गमन किया गया है। जिसके कारण प्रार्थित पूँजी में वृद्धि हुई है।

Scanned with CamScanner

■ सदस्यता के लक्षण अथवा जाँच (Elements or Test of Membership)

सदस्यता की उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कंपनी की सदस्यता के निम्न लक्षण हैं:

1. कंपनी के पार्षद् सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को कंपनी का सदस्य माना जाता है।
2. किसी अन्य व्यक्ति को कंपनी का सदस्य होने के लिएं यह आवश्यक है कि उसने इस संबंध में अपनी लिखित सहमति दी हो तथा उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज (लिख) कर लिया गया हो। यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी का सदस्य होने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी हो परंतु उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो तो ऐसा व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का नाम तो कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिख लिया गया है परंतु उस व्यक्ति ने उस कंपनी का सदस्य बनने के लिए अपनी लिखित सहमति नहीं दी है तो ऐसा व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य नहीं माना जाएगा।

अतः स्पष्ट है कि एक व्यक्ति कंपनी के अंशों को प्राप्त करने मात्र से ही कंपनी का सदस्य नहीं बन जाता, वरन् कंपनी का वैधानिक रूप से सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिख लिया गया हो और उसने कंपनी का सदस्य बनने के लिए अपनी लिखित सहमति कंपनी को दे दी हो। जैसे ही कंपनी का समामेलन हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं ही (Ipso facts) कंपनी का सदस्य मान लिया जाता है जिसने कंपनी के पार्षद् सीमानियम पर हस्ताक्षर किए हैं, भले ही उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज न हुआ हो और उसे अंशों का आबंटन न किया गया हो।

■ सदस्य तथा अंशधारी में अंतर (Distinction between Member and Shareholder)

'अंशधारी' से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो अंशों का धारक या स्वामी हो। जबकि 'सदस्य' से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा हुआ हो। सामान्य रूप से अंशधारी और सदस्य दोनों ही पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं और उनका एक ही अर्थ लगाया जाता है क्योंकि सामान्यतया यह समझा जाता है कि एक अंशधारी सदस्य भी होगा और एक सदस्य अंशधारी भी होगा। यह विचार देखने में तो ठीक लगता है लेकिन वैधानिक रूप से सत्य नहीं है क्योंकि यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो हमें कुछ ऐसी स्थितियों का पता चलता है जिसमें एक व्यक्ति कंपनी का अंशधारी होते हुए भी सदस्य नहीं होता है अथवा सदस्य होते हुए भी अंशधारी नहीं होता है। (A person may be a shareholder but not a member while a person may be a member but not a Shareholder.) उदाहरण के लिए, एक मृतक अंशधारी का वैधानिक उत्तराधिकारी अंशों के हस्तांकन (Transmission of Shares) द्वारा अंशधारी तो बन जाता है लेकिन जब तक अंश उसके नाम में हस्तांतरित नहीं कर दिए जाते वह कंपनी का सदस्य नहीं होता। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य तो है (क्योंकि उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में है) लेकिन वह अंशधारी नहीं है क्योंकि कंपनी बिना अंशपूँजी के हो सकती है और इसलिए कंपनी के सदस्य अंशधारी नहीं होंगे। अतः सदस्य व अंशधारी में निम्न अंतर किया जा सकता है:

(1) **बिना अंशपूँजी वाली कंपनी (Company without Share Capital):** एक असीमित दायित्व वाली कंपनी अथवा गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश-पूँजी नहीं है, में अंशधारी होने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ऐसी कंपनी अंश निर्गमित नहीं करती परंतु ऐसी कंपनी में सदस्य अवश्य होते हैं क्योंकि बिना सदस्यों के कंपनी का निर्माण ही नहीं हो सकता।

Scanned with CamScanner

(2) **अंश अधिपत्रधारी** (Share Warrant Holder): एक व्यक्ति जिसे कंपनी ने अंशों के बदले में अ जारी किया है वह कंपनी का अंशधारी तो होता है लेकिन सदस्य नहीं, क्योंकि उसका नाम सदस्यों के र दिया जाता है।

(3) **सदस्य की मृत्यु** (Death of Member): किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके अंश भी अन्य उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति कंपनी क लेकिन अंशधारी नहीं तथा उसका उत्तराधिकारी अंशधारी तो होता है लेकिन सदस्य नहीं जब तक हस्तांतरण वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम में नहीं कर दिया जाता है।

(4) **सदस्य का दिवालियापन** (Insolvency of Member): किसी सदस्य के दिवालिया हो ज राजकीय प्रापक को हस्तांतरित हो जाते हैं अर्थात् यह अंशों का अंशधारी बन जाता है लेकिन जब तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में नहीं लिख दिए जाते वह कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता।

(5) **अंशों का हस्तांतरण** (Transfer of Shares): एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने अंश दशा में हस्तांतरिती का नाम जब तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो जाता तब तक वह है, परंतु सदस्य नहीं।

■ सदस्य कौन हो सकते हैं? (Who may be Members)

कंपनी की सदस्यता अनुबंध से उत्पन्न होती है अतः ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम अनुबंध करने के योग्य है एक कंपनी का सदस्य बन सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 में यद्यपि सदस्यों की अयोग्य नहीं कहा गया है, लेकिन **कंपनी का सदस्य कौन हो सकता है** इसके संबंध में अधिनियम में निम्न व्यवस्थाएं हैं

(1) **व्यक्ति** (Individual): कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है, वह कंपनी का सद इसका आशय यह है कि वह वयस्क हो और अनुबंध की सभी शर्तों को समझने की योग्यता रखता हो अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति अथवा किसी राजनियम के अंतर्गत अनुबंध करने के अयोग्य के सदस्य नहीं हो सकते। इनके अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति एक कंपनी के सदस्य बन सकते हैं

(2) **साझेदारी संस्था** (Partnership Firm): एक साझेदारी संस्था फर्म के नाम से न अंश खरीद सकती की सदस्य बन सकती है। इसका कारण यह है कि फर्म का साझीदारों से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है साझीदारी फर्म साझेदारों के संयुक्त नाम से किसी कंपनी के अंश खरीद सकती है। ऐसी स्थिति में 'संयुक्त धारक' माने जाएंगे।

(3) **संयुक्त हिन्दू परिवार** (Joint Hindu Family): एक संयुक्त हिन्दू परिवार अपने कर्ता के द्वारा ही अंश खरीद सकता है। दूसरे शब्दों में, केवल कर्ता ही कंपनी का सदस्य बन सकता है।

(4) **निगम या कंपनी** (Corporation or Company): एक निगम अथवा कंपनी किसी दूसरी कंपनी सकती है। और उसकी सदस्य बन सकती है क्योंकि वह एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होती है। लेकिन सकती है जबकि उसे अपने अंतर्नियमों के अधीन यह अधिकार प्राप्त हो। परंतु एक सहायक कंपनी एक सदस्य नहीं हो सकती। इसी प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 67 द्वारा स्वीकृत कुछ सीमित एक कंपनी अपने स्वयं के अंश खरीदकर अपनी स्वयं की सदस्य नहीं बन सकती।

(5) **रजिस्टर्ड सोसाइटी** (Registered Society): एक रजिस्टर्ड सोसाइटी अपने नाम में किसी कंपनी सकती है बशर्ते कि उसके सीमानियम व अंतर्नियम उसे ऐसी आज्ञा देते हों।

(6) **दिवालिया** (Insolvent): एक दिवालिया किसी कंपनी का सदस्य हो सकता है यद्यपि उसका अंश रिसीवर के पास रहेगा। लेकिन यदि कंपनी के अंतर्नियम में दिवालिए के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा का सदस्य नहीं हो सकता।

Scanned with CamScanner

(7) **विवाहित स्त्री** (Married Woman): अन्य सामान्य व्यक्तियों की तरह विवाहित स्त्रियाँ कंपनी की सदस्य हो सकती हैं।

(8) **विदेशी व्यक्ति** (Foreigner): कोई विदेशी अथवा गैर-निवासी भारतीय, भारतीय रिजर्व बैंक की साधारण अथवा विशेष अनुमति लेकर एक भारतीय कंपनी के अंश क्रय कर सकता है तथा उसका सदस्य बन सकता है। परन्तु उसके देश के साथ युद्ध छिड़ जाने की स्थिति में वह विदेशी शत्रु बन जाता है तथा शत्रुता के दौरान उसकी मतदान शक्ति तथा सूचना प्राप्त करने का अधिकार आदि निलंबित (Suspend) कर दिये जाते हैं।

(9) **अवयस्क** (Minor): अनुबंध अधिनियम के अनुसार एक अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। **एक अवयस्क द्वारा किया गया अनुवंध पूर्णतया व्यर्थ है अत: एक अवयस्क कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता है** और न ही कंपनी का सदस्य हो सकता है और यदि कोई व्यक्ति संरक्षक के रूप में अवयस्क की ओर से अंश क्रय करता है तो ऐसी दशा में संरक्षक को सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, परंतु अवयस्क फिर भी उत्तरदायी नहीं होगा। **पिलानिअप्पा मुदालियर** बनाम **ऑफिसियल लिक्वीडेटर** (Pilaniappa Mudaliar Vs. Official Liquidator) के मामले में एक पिता द्वारा अपनी अवयस्क पुत्री की ओर से संरक्षक (Gauradian) की स्थिति में अंशों के खरीदने के लिए एक आवेदन पत्र कंपनी के लिए भेजा गया, और कंपनी ने पुत्री के नाम अंशों की रजिस्ट्री कर दी और उसकी अवयस्कता का विवरण रजिस्टर में दे दिया। कंपनी का समापन हो गया। यह माना गया कि व्यवहार व्यर्थ था और अवयस्क का पिता जिसने कि आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे अंशदायी की सूची में रखा जा सकता था। इसके विपरीत, यदि संचालक, अवयस्कता की जानकारी न रखते हुए, किसी अवयस्क के आवेदन-पत्र पर उसके लिए अंशों का आवंटन कर देते हैं और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट कर देते हैं, तो कंपनी उसकी अवयस्कता की जानकारी होने पर आबंटन को निरस्त कर सकती है और रजिस्टर से उसका नाम पृथक कर सकती है। अवयस्क भी अवयस्कता के काल में किसी भी समय आबंटन को निरस्त कर सकता है, परंतु इन दोनों ही दशाओं में कंपनी को वह सब धन अवयस्क को वापस करना होगा जो कि उसने आबंटित अंशों के संबंध में अवयस्क से प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त अवयस्क द्वारा अंशों से प्राप्त किए गए किसी लाभ को वापस करने का प्रश्न न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्णय किया जाएगा।

एक अवयस्क, वयस्क होने पर भी कंपनी की सदस्यता को निरस्त कर सकता है और कंपनी उसे अस्वीकार नहीं कर सकती चाहे उसने आवेदन-पत्र में कपटमय रूप से अपनी आयु को गलत प्रदर्शित किया था। लेकिन यदि उसने वयस्कता प्राप्त करने के बाद भी लाभांश प्राप्त किया है अर्थात् उसने जान-बूझकर कंपनी का अंशधारी प्रदर्शित किया है अथवा उन अंशों पर लाभांश प्राप्त करता है तो वह कंपनी का सदस्य माना जाएगा और एक सदस्य के रूप में दायी होगा। **जाफर बनाम दी क्रेडिट वैंक ऑफ इण्डिया** (Jaffer Vs. The Credit Bank of India) के मामले में एक कंपनी का अंशधारी अंशों के आबंटन के समय अवयस्क था। वयस्कता प्राप्त करने के बाद उसने लाभांश प्राप्त किए और अपना नाम रजिस्टर में सम्मिलित करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई। यह निर्णय किया गया कि वह अपने ऐसे व्यवहार से वयस्कता के समय अंशधारी होने से इनकार नहीं कर सकता।

एक अवयस्क को किया गया आंशिक दत्त अंशों (Partly paid Shares के हस्तांतरण को कंपनी अवयस्क के नाम से सदस्यों के रजिस्टर में लिखने से इनकार कर सकती है अर्थात् वह उसको सदस्य मानने से इनकार कर सकती है क्योंकि अंशों पर अदत्त भाग उससे नहीं माँगा जा सकता है. लेकिन एक अवयस्क हस्तांतरण द्वारा पूर्णदत्त अंशों का अंशधारी बन सकता है।

संचालकों को चाहिए कि वे अवयस्क के नाम से अंशों का आबंटन न करें क्योंकि उनके द्वारा अवयस्क को अंशों का आबंटन करने से यदि कंपनी को हानि होती है तो वे इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

संयुक्त धारक (Joint Holder): कंपनी के अंश दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप में भी खरीदे जा सकते हैं। पब्लिक कंपनी की दशा में प्रत्येक संयुक्त धारक को अलग सदस्य माना जाता है, परंतु प्राइवेट कंपनी में संयुक्त धारकों को एक ही सदस्य माना जाता है।

Scanned with CamScanner

कंपनी द्वारा अंश प्रमाण-पत्र सदस्यों के रजिस्टर में लिखे गए संयुक्त स्वामियों में से प्रथम लिखे गए व्यक्ति को किया जाता है। सयुक्त अंशधारी अंशों की याचना राशि (Call amount) के भुगतान के लिए संयुक्त व व्यक्तिगत से दायी होंगे। सभाओं के नोटिस भी सदस्यों के रजिस्टर में लिखे हुए सयुक्त स्वामियों में से प्रथम लिखे गए व्यक्ति को ही दिए जाएंगे और इसी प्रथम व्यक्ति को लाभांश का भुगतान भेजा जाएगा। प्रथम व्यक्ति कंपनी की सभाओं में सकता है परंतु बारी-बारी से (By rotation) अन्य संयुक्त अंशधारी भी सभा में भाग ले सकते है।

(11) कृत्रिम व्यक्ति (Fictitious Person): कंपनी अधिनियम की धारा 38 अंशों की ऐसी खरीद पर प्रतिबंध लगाती है कृत्रिम नाम से खरीदे जाएं। यदि कोई व्यक्ति कृत्रिम नाम से अंशो को खरीदने के लिए आवेदन पत्र भेजता है और उसके नाम अशो का आबटन कर देती है तो वह स्वय कपनी के सदस्य के रूप में दायी होगा और कंपनी के सभी के लिए वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य माना जाएगा। वह व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अश उसके नाम में नहीं। तरह का बिना नाम वाला सौदा बेनामी व्यवहार (Benami Transaction) हो जाता है।

(12) अंशों के बंधक पर ऋण देने वाला व्यक्ति (Mortgage of Shares): अंशो के बंधक पर ऋण देने वाला व्यक्ति अंशों के लिए सदस्य माना जा सकता है, यदि वह अंशों को इस शर्त पर लेता है कि ऋण का शोधन होने पर वह अंश कंपनी के मनोनीत व्यक्ति को हस्तांतरित कर देगा।

(13) बिक्री के लिए अंश (Placing of Shares): यदि कंपनी ने अंश किसी व्यक्ति को इसलिए दिए है कि वह इनको करेगा तो वह इन अशो का धारी माना जाएगा। इस संबंध में यह महत्त्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो कि कपनी के अंश बेचने का ठहराव करता है उन अंशों को खरीदने का ठहराव नहीं करता, और इसलिए वह कंपनी का सदस्य नहीं है। गोरीसन (Gorrisen) के मामले में एक व्यक्ति ने यह ठहराव किया कि उसको कंपनी का एजेण्ट नियुक्त करने के बदले (बदले) में वह कंपनी की ओर से एक हजार अंश बेचेगा। कंपनी ने उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में एक हजार अंश धारक के रूप मे लिख दिया। न्यायालय ने उसे अंशधारी नहीं माना। वास्तव में उसने अंशों को क्रय करने का ठहराव नहीं किया था, बल्कि ऐसे अन्य व्यक्तियों की खोज करने का ठहराव किया था जो कि अंशों को खरीदेंगे।

■ कंपनी का सदस्य बनने की विधियाँ
(Method/Modes/Ways of Acquiring Membership of a Company)

एक व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार से एक कंपनी का सदस्य हो सकता है:

(1) सीमानियम पर हस्ताक्षर करके (By Subscribing the Memorandum): कंपनी अधिनियम की धारा 2(... के अनुसार, **कंपनी के सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वालों के लिए यह माना जाएगा कि वह कंपनी के सदस्य होने के लिए सहमत हो गए हैं,** और कंपनी की रजिस्ट्री होने पर उनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट कर दिए जाएंगे। इसकी पुष्टि **यू.पी. ऑयल मिल्स** बनाम **जमना प्रसाद** (U.P. Oil Mills Vs. Jamna Prasad) के मामले में भी की जा चुकी है। इस प्रकार सीमानियम पर केवल हस्ताक्षर कर देने से ही यह माना जाता है कि उन्होंने सदस्यता स्वीकार कर लिया है। **कलेक्टर ऑफ मुरादावाद** बनाम **इक्विटी इन्शोरेन्स कंपनी** (Collector of Moradabad Vs. Equity Insurance Co.) के मामले में तो यहाँ तक फैसला हो चुका है कि इन व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इनके नाम अंशों का आबंटन किया जाए या उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाए।

(2) आवेदन तथा आवंटन द्वारा (By Application and Allotment): कंपनी अधिनियम की धारा 2(55) के अनुसार सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वालों के अतिरिक्त, 'प्रत्येक अन्य व्यक्ति जोकि कंपनी का सदस्य होने के लिए लिखित रूप में सहमत होता है (अथवा उसका ठहराव करता है) और जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया जाता है, कंपनी का सदस्य होगा।' इस प्रकार अन्य किसी रूप में कंपनी का सदस्य होने के लिए दो आवश्यकताएं हैं: **लिखित ठहराव तथा सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टि।**

जहाँ तक ठहराव का संबंध है उसके लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना आवश्यक है। इस संबंध में अंशों के लिए प्रार्थनापत्र एक प्रस्ताव है और कंपनी द्वारा अंशों का आबंटन करना उस प्रस्ताव की स्वीकृति है। अतः मात्र सदस्य

Scanned with CamScanner

रजिस्टर में नाम प्रविष्ट कर लेने से यह सिद्ध नहीं होता कि अंशों का आबंटन कर दिया गया है। अनुबंध तब तक पूर्ण नहीं हुआ माना जाता जब तक स्वीकृति का संवहन न हो जाए। प्रस्ताव उसी समय स्वीकृत हुआ माना जाता है जिस समय स्वीकृति पत्र डाक में छोड़ दिया जाता है, यद्यपि वह प्रस्तावक के पास नहीं पहुँचता है।

निकल्स के मामले में (Nicol's Case) इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था कि केवल अंशों का ठहराव कर लेने से ही कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं हो जाता जब तक कि उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में शामिल न किया जाए। इस मामले में एक व्यक्ति ने किसी कंपनी के साथ अंशों को खरीदने का ठहराव किया परंतु न तो उसे अंशों का आबंटन किया गया और न ही उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में शामिल किया गया। कुछ समय बाद कंपनी का समापन हो गया और कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सुधार करके उस व्यक्ति को अंशधारी के रूप में दायी ठहराने का प्रयत्न किया गया। यह निर्णय हुआ कि कंपनी के रजिस्टर में सुधार करके उसे अंशधारी के रूप में दायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उसने केवल अंशों को खरीदने का ठहराव ही किया था।

(3) **योग्यता अंश खरीदने को सहमत होने पर** (By agreeing to purchase Qualification Shares): कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, ''यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी का संचालक बनने हेतु योग्यता अंश लेने और उनका भुगतान करने के लिए लिखित सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा सहमति रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कर दी गई है तो उस व्यक्ति की स्थिति कंपनी के सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वालों जैसी ही होती है।'' अतः योग्यता अंश खरीदने की सहमति देने वाले व्यक्ति भी कंपनी के पंजीकृत होते ही सदस्य हो जाते हैं।

यह महत्त्वपूर्ण है कि सदस्य बनने का उपर्युक्त तरीका अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनियों की दशा में ही सम्भव है क्योंकि (i) बिना अंश-पूँजी वाली कंपनी, (ii) निजी कंपनी, या (iii) ऐसी किसी कंपनी पर, जो सार्वजनिक कंपनी बनने से पूर्व निजी कंपनी थी, लागू नहीं होती है।

(4) **अंशों के हस्तांतरण द्वारा** (By transfer of shares): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अनुसार कंपनी के अंश चल सम्पत्ति हैं और इन्हें अंतर्नियमों में दी हुई विधि के अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है। जब हस्तांतरण प्रलेख सभी तरह से पूर्ण करके कंपनी के पास भेज दिया जाता है तब कंपनी हस्तांतरणकर्ता का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा देती है तथा हस्तांतरिती का नाम उस रजिस्टर में प्रविष्ट कर देती है। उसी समय से हस्तांतरिती कंपनी का रजिस्टर्ड सदस्य बन जाता है।

(5) **अंशों के हस्तांकन अथवा उत्तराधिकार द्वारा** (By transmission of shares or succession): किसी सदस्य की मृत्यु, पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर उसका उत्तराधिकारी अंशों के हस्तांकन द्वारा कंपनी का अंशधारी बन जाता है और उसे अधिकार है कि वह कंपनी को सूचना दे कि उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाए, कंपनी उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिख लेती है और वैधानिक उत्तराधिकारी कंपनी का सदस्य बन जाता है। ये वैधानिक उत्तराधिकारी याचनाओं की राशि देने के लिए बाध्य है और लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अंशों के हस्तांतरण तथा हस्तांकन की दशा में एक व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य बनता है जब उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिख लिया जाता है।

(6) **प्रदर्शन अथवा अवरोध के सिद्धान्त द्वारा** (By holding out or doctrine of estoppel): यदि कोई व्यक्ति अपना नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखे जाने की अनुमति देता है, या अपने प्रदर्शन द्वारा (जैसे सभा में उपस्थित होकर अथवा लाभांश स्वीकार करके) प्रकट करता है, तो वह सदस्य माना जाएगा। इससे सदस्य के रूप में उसके दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं।

अवरोध के सिद्धान्त (Doctrine of estoppel) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह प्रदर्शित करता है कि वह कंपनी का सदस्य है, जबकि वास्तव में वह सदस्य नहीं है, तो उसे यह कहने से रोका जा सकता है कि वह सदस्य नहीं है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस व्यक्ति का नाम गलती से सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है तो जब तक वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य बने रहने की लिखित सहमति नहीं देता, अथवा उसने सदस्य की स्थिति स्वीकार नहीं की है अथवा इस रूप में कार्य नहीं किया है, तो उसे सदस्य नहीं माना जा सकता। परंतु इसके विपरीत यदि भूल से किसी व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख लिया जाता है और ऐसा व्यक्ति अपनी सहमति रजिस्टर में नाम रहने के लिए

Scanned with CamScanner

देता है, तो ऐसे व्यक्ति के दायित्व सदस्य की तरह हो जाते हैं। इसे गर्भित स्वीकृति द्वारा (By Acquiescence) सदस्यता भी कहते हैं।

(7) **अंश अधिपत्र का समर्पण करके** (By surrendering Share Warrant): जब कंपनी अंश अधिपत्र निर्गमित करती है तो जिन व्यक्तियों को ऐसे अंश अधिपत्र निर्गमित किए जाते हैं उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में से हटा दिया जाता है और वे व्यक्ति कंपनी के सदस्य नहीं रहते। लेकिन, यदि कंपनी के अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अधीन कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार, विधिवत रूप में कभी अपना अंश अधिपत्र कंपनी को समर्पित कर देता है तो कंपनी उसका नाम पुनः सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर लेती है और वह पुनः सदस्य बन जाता है।

■ सदस्यता का अंत (Termination or Cessation of Membership)

निम्नलिखित किसी भी ढंग से सदस्यता का अंत हो जाता है:

(1) अंशों के हस्तांतरण द्वारा (Transfer of Shares): जब कोई अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण अन्य किसी व्यक्ति को कर देता है तथा हस्तांतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है तो हस्तांतरणकर्ता की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि अंश हस्तांतरण के एक वर्ष के अन्दर कंपनी का समापन हो जाता है तो हस्तांतरणकर्ता कंपनी के उन दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा जो कंपनी ने उस समय किए थे जबकि वह सदस्य था और जिनका भुगतान वर्तमान अंशधारी ने नहीं किया है।

(2) अंशों का हरण (Forfeiture of Shares): अंशों का हरण तभी किया जा सकता है जबकि अंतर्नियमों में इसकी व्यवस्था हो। अंशों के हरण का आशय अंशों पर किसी माँग, किस्त अथवा प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण दण्ड के रूप में अंशों को अनिवार्य रूप से हरण करना तथा सदस्यता का अंत करना है। जब इस प्रकार अंशों का हरण कर लिया जाता है, तो त्रुटि करने वाले अंशधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर से पृथक कर दिया जाता है और अंशों पर उनके द्वारा प्रदत्त धनराशि पर उनका कोई अधिकार नहीं रहता। इस प्रकार इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

(3) अंशों का वैध समर्पण (Valid Surrender of Shares): समर्पण से आशय किसी अंशधारी द्वारा अपने अंशों को स्वेच्छा से कंपनी को त्यागना है। अंशों के समर्पण का परिणाम अंशपूँजी में कमी कर देना होता है, और इसलिए अवैधानिक है जब तक कि वह राजनियम की आवश्यकताओं का पालन करके नहीं किया गया है। कभी-कभी अंतर्नियमों के अधीन संचालकों को समर्पण स्वीकार करने का अधिकार दिया जाता है। वैधानिक रूप में अंशों का समर्पण स्वीकार हो जाने पर अंशधारी की सदस्यता का अंत हो जाता है।

(4) अनुवंध का परित्याग (Rescinding the Contract): प्रविवरण में मिथ्यावर्णन अथवा अनियमित आबंटन के आधार पर यदि कोई सदस्य अपने अनुबंध का परित्याग करता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। लेकिन यह नियम पार्षद् सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वालों पर लागू नहीं होता है।

(5) सदस्य की मृत्यु (Death of Member): एक अंशधारी की मृत्यु होने पर उसके अंश उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के अधिकार में आ जाते हैं और जब मृत अंशधारी के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिए जाते हैं तो मृत अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसी दशा में मृत व्यक्ति की सम्पत्ति माँगों के लिए उस समय तक दायी रहती है जब तक कि उसके अंश उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के लिए हस्तांतरित नहीं कर दिए जाते।

(6) सदस्य का दिवालिया होना (Insolvency of the Member) एक सदस्य के दिवालिया होने पर उसके अंशों के अधिकार सरकारी रिसीवर (Official Receiver) को प्राप्त हो जाता है जो उसके साथ उपयुक्त व्यवहार कर सकता है। जब वह इनकी बिक्री कर देता है तो दिवालिया की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

(7) पूर्वाधिकार का प्रयोग (Exercise of Lien): यदि किसी सदस्य के अंशों पर कंपनी को पूर्वाधिकार है तो इस अधिकार का प्रयोग करने पर कंपनी द्वारा अंशों की बिक्री अंतर्नियमों में दिए हुए अधिकारों के अनुसार की जा सकती है। इस प्रकार जब क्रेता का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है तो पुराने अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

Scanned with CamScanner

है ताकि मुख्य कार्यालय में रखे गए विदेशी रजिस्टर की प्रतियों में उसकी प्रविष्टि की जा सके। विदेशी रजिस्टर को प्रमुख रजिस्टर से अलग रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की शंका न हो।

यदि कंपनी किसी कारणवश रजिस्टर को समाप्त करने का निर्णय लेती है तो उसकी प्रविष्टियाँ या तो किसी अन्य रजिस्टर में जो विश्व के किसी भाग में रखा हो या मुख्य रजिस्टर में की जाएंगी।

■ सदस्यों के अधिकार (Rights of Members)

किसी कंपनी के अंश खरीदने के बाद कंपनी व अंशधारी के बीच में जिस अनुबंध की उत्पत्ति होती है उसके परिणामस्वरूप अंशधारी को पार्षद् सीमानियम व अंतर्नियम और सामान्य अधिनियम के अधीन कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। यह अधिकार निम्नलिखित हैं:

(अ) वैधानिक अधिकार (Statutory Rights): वह अधिकार जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों को प्राप्त होते हैं, वैधानिक अधिकार कहलाते हैं। ऐसे अधिकार सीमानियम व अंतर्नियमों की किसी भी व्यवस्था के अधीन छीने अथवा संशोधित नहीं किए जा सकते। कंपनी अधिनियम के अधीन, सदस्यों के अनेक अधिकार हैं। इनमें से कुछ अधिकार सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं; कुछ अधिकार सामूहिक रूप में। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम अल्पसंख्यक सदस्यों को भी कुछ अधिकार प्रदान करता है। सदस्यों के इन अधिकारों की समीक्षा निम्नलिखित तीन प्रमुख वर्गों में की जा सकती है:

1. सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार (Individual Rights of Members): सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार से आशय अधिनियम द्वारा सदस्यों को कंपनी के प्रति प्रदान किए गए उन अधिकारों से है जिन्हें वे अन्य सदस्यों को एकत्रित किए बिना स्वयं ही प्रयोग कर सकते हैं। सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों के कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं:

(i) अंश हस्तांतरण का अधिकार (Right to Transfer the Shares): कंपनी के प्रत्येक सदस्य को पार्षद् अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अधीन अपने अंशों को हस्तांतरण करने का अधिकार है।

(ii) निर्दिष्ट पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार (Right to inspect Certain Books): कंपनी के रजिस्टरों अथवा लेखों एवं रिकार्डों को देखने तथा उनमें दी गई जानकारी से स्वयं को अवगत कराने का अधिकार भी प्रत्येक सदस्य को प्राप्त है; जैसे-कंपनी के विनियोगों (Investment) का रजिस्टर, कंपनी के प्रभारों (Charges) का रजिस्टर, सदस्यों व ऋण-पत्रधारियों का रजिस्टर तथा संचालकों, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि का रजिस्टर।

(iii) प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने का अधिकार (Right to obtain Copies): कंपनी के प्रत्येक सदस्य को कुछ निर्दिष्ट प्रपत्रों की प्रतिलिपियाँ निश्चित समय के भीतर निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कंपनी के प्रत्येक सदस्य को वैधानिक रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, बिना किसी शुल्क के वैधानिक सभा से कम से कम 21 दिन पहले प्राप्त करने का अधिकार है, आदि।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में ऐसी विभिन्न दशाएं भी दी हुई हैं जिनमें कंपनी का दायित्व हो जाता है कि वह सदस्यों की प्रार्थना पर तथा कुछ निर्दिष्ट शुल्क प्राप्त करने पर, कुछ निर्दिष्ट प्रपत्रों की प्रतिलिपियाँ निर्दिष्ट समय के भीतर ही भेज दे। उदाहरण के लिए, प्रत्येक कंपनी का यह दायित्व है कि वह किसी सदस्य द्वारा माँग करने पर तथा प्रत्येक के लिए ₹ 1 शुल्क प्राप्त करने पर निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रतिलिपियाँ माँग से 7 दिन के भीतर ही भेज दे: सीमानियम, अंतर्नियम तथा अन्य निर्दिष्ट प्रपत्रों की प्रतिलिपि, अंश प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि, ट्रस्ट डीड की प्रतिलिपि आदि।

(iv) प्राथमिकता का अधिकार (Right of Pre-emption): यदि कंपनी नए अंश निर्गमित करके अपनी पूँजी बढ़ाने की योजना बनाती है तो उसके विद्यमान सदस्यों को अंश खरीदने के लिए प्रथम अधिकार प्राप्त है। [धारा 62]

(v) सभाओं संबंधी अधिकार (Right regarding Meetings): कंपनी की सभाओं से सम्बन्धित सभी अधिकार प्रत्येक कंपनी के सदस्य को प्राप्त हैं। जैसे, सभाओं में उपस्थित होने का अधिकार, सभाओं की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार, सभाओं में मतदान करने का अधिकार, सभाओं में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार आदि।

Scanned with CamScanner

(vi) **अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए नामांकित करने का अधिकार** (Right to nominate for Appointment of Auditor): कंपनी अधिनियम की धारा 139 के अनुसार यदि कंपनी ने अपनी आमसभा में किसी अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की है तो उसके सदस्य केंद्रीय सरकार से अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(vii) **निस्तारक की नियुक्ति के आवेदन का अधिकार** (Right to apply for Appointment of Liquidator): कंपनी के ऋणदाताओं द्वारा स्वेच्छा से समापन कराने की स्थिति में सदस्यगण न्यायालय में यह आवेदन कर सकते हैं कि उस कंपनी के लिए निस्तारक (Liquidator) की नियुक्ति की जाए।

(viii) **राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण में आवेदन का अधिकार** (Right of Application to National Company Law Tribunal): निर्दिष्ट प्रपत्रों की प्रतिलिपि देने अथवा उनका निरीक्षण कराने से इनकार करने पर, सदस्यों के रजिस्टर में सुधार करने के लिए अथवा अन्याय एवं कुप्रबंध की दशाओं में उपचार के लिए सदस्य को राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण में आवेदन करने का अधिकार है।

2. **सदस्यों के सामूहिक अधिकार** (Collective Rights of Members): सदस्यों के सामूहिक अधिकारों से आशय उन अधिकारों से हैं जो कि सदस्यों द्वारा केवल सामूहिक रूप से ही प्रयोग किए जा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से नहीं। ऐसे अधिकारों में कुछ अधिकार इस प्रकार के हैं जोकि केवल साधारण बहुमत से प्रयोग किए जाते है, कुछ अधिकार विशेष बहुमत से तथा कुछ अन्य अल्पमत से प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

(a) **साधारण बहुमत से प्रयोग किए जाने वाले अधिकार** (Rights enforceable by Simple Majority) साधारण बहुमत से प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों से आशय ऐसे अधिकारों से है जो कि एक साधारण प्रस्ताव पास करके सम्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे - अंश-पूँजी में वृद्धि, अंशों का पुनर्गठन, अंशों का स्कन्ध में व स्कन्ध का अंशों में परिवर्तन, संचालकों की नियुक्ति, अंकेक्षकों की नियुक्ति आदि।

(b) **विशेष बहुमत से प्रयोग किए जाने वाले अधिकार** (Rights enforceable by Particular Majority): सदस्य सामूहिक रूप से विशेष प्रस्ताव पारित करके निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं: (i)सीमानियम में परिर्वतन करना, (ii) अंतर्नियमों में परिवर्तन करना, (iii) अंशपूंजी का पुनर्गठन कराना तथा (iv) कंपनी का समापन करना, (v) कंपनी का अनुसंधान करना, अथवा (vi) कंपनी के प्रधान कार्यालय का स्थान परिवर्तित करना।

3. **अल्पसंख्यक सदस्यों के अधिकार** (Rights of Minority Members): साधारणतया कंपनी के अधिसंख्यक सदस्य ही कंपनी के निर्णयों को सामूहिक रूप से करने का अधिकार रखते हैं किंतु कंपनी अधिनियम में यह व्यवस्था भी है कि अन्याय एवं कुप्रबंध की स्थिति में अल्प-संख्यक सदस्य भी अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायालय एवं केंद्रीय सरकार से प्रार्थना करने का अधिकार रखते हैं। इस बात की संभावना होती है कि कंपनी के बहुसंख्यक सदस्य अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी आचरण (व्यवहार) करें। जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के मामलों में कुप्रबंध हो तथा अल्पसंख्यक सदस्यों के साथ अन्याय हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कंपनी के कम से कम एक सौ सदस्य या उसके सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य, इनमें से जो भी कम हो अथवा कोई एक या अधिक सदस्य, जो कंपनी की निर्गमित पूँजी के 1/10 भाग पर अधिकारी रखता/रखते हों, अन्यायपूर्ण आचरण तथा कुप्रबंध के विरुद्ध उपचार के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

4. **प्रलेखीय अधिकार** (Documentary Rights): इन अधिकारों में वे अधिकार शामिल हैं जो कि कंपनी के सीमानियम या अंतर्नियमों द्वारा एक सदस्य को प्राप्त होते हैं, जैसे- लाभांश पाने का अधिकार, समापन की दशा में सम्पत्तियों में भाग लेने का अधिकार आदि।

5. **कानूनी अधिकार** (Legal Rights): इन अधिकारों से आशय ऐसे अधिकारों से है जो कि एक सदस्य को देश के सामान्य नियमों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, जैसे- कपट की दशा में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार आदि।

Scanned with CamScanner

■ सदस्यों के अधिकारों में परिवर्तन (Variation of Members Rights)

कंपनी के सदस्यों के अधिकार कंपनी अधिनियम, पार्षद् सीमानियम, पार्षद् अंतर्नियम तथा अंशों के निर्गमन की शर्तों द्वारा निर्धारित होते हैं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अंशों के एक वर्ग विशेष को प्राप्त होते हैं जिन्हें वर्ग अधिकार (Class Rights) कहा जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 48 में यह प्रावधान है कि किसी वर्ग के अंशों से संलग्न अधिकारों में उस वर्ग के निर्गमित अंशों के कम से कम तीन चौथाई (3/4) धारकों की लिखित सहमति से या उस वर्ग के निर्गमित अंशों के धारकों की पृथक सभा में पारित किसी विशेष प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है

अधिकारों में परिवर्तन तभी किया जा सकता है:

(i) यदि इस प्रकार परिवर्तन करने का प्रावधान पार्षद् सीमानियम, अथवा पार्षद् अंतर्नियम में सम्मिलित है; अथवा

(ii) यदि कंपनी के अंश एक या अधिक स्कन्ध विपणी/विपणियों में सूचीबद्ध है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए प्रस्तावित परिवर्तन सूचीबद्ध ठहराव की शर्तों का अनुपालन करता है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 117 का अनुपालन करने के लिए कंपनी को सदस्यों के अधिकार परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले विशेष प्रस्ताव की प्रति, निर्धारित फार्म नं० 23 तथा अधिनियम की अनुसूची X के अंतर्गत इंगित (Indicated) की गई फीस के साथ उक्त प्रस्ताव पारित करने के 30 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देनी चाहिए।

(iv) परिवर्तन कंपनी के पार्षद् सीमानियम तथा पार्षद् अंतर्नियम की सभी छपी हुई प्रतियों में उल्लिखित होना चाहिए।

[धारा 48]

■ सदस्यों का दायित्व (Liabilities of Members)

सदस्यों के कुछ दायित्व कंपनी अधिनियम के अधीन हैं, तथा कुछ दायित्व कंपनी के अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। सदस्यों के प्रमुख दायित्व निम्नलिखित हैं:

(1) **अंशों के मूल्य का भुगतान करने का दायित्व** (Liability to pay the Price of the Shares): प्रत्येक व्यक्ति जिसने कंपनी के साथ सदस्य बनने का ठहराव किया है, पार्षद् सीमानियम के अंतर्गत अंशों के मूल्य का भुगतान करने के लिए दायी है।

यदि अनुबंध कपटपूर्ण मिथ्यावर्णन द्वारा प्रेरित होकर किया गया है तो वह एक निश्चित समय में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकारी होगा। मिथ्यावर्णन किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य के बारे में होना चाहिए। यह अंशधारी को प्रमाणित करना होगा कि उसने अनुबंध मिथ्यावर्णन से प्रेरित होकर किया था।

जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, तो प्रायः अंकित मूल्य का कुछ भाग प्रार्थना पत्र के साथ तथा शेष भाग कुछ किस्तों में माँगती है। **अपने अंशों के संबंध में कंपनी के सदस्यों का दायित्व उन 'माँगों' तक सीमित है जो कि माँगी नहीं गई हैं, इससे अधिक नहीं।** प्रत्येक अंशधारी का माँगने पर उस भाग को चुकाने का वैधानिक उत्तरदायित्व होता है जो कि अब तक माँगा नहीं गया है।

यह महत्त्वपूर्ण है कि अंतर्नियमों में वह विधि निर्दिष्ट होती है जिसके अधीन माँग की जाएगी, तथा माँग ठीक उसी विधि के अनुसार होनी चाहिए, अन्यथा वह अवैध होगी। **यदि माँग अवैधानिक है, तो अंशधारियों द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं।**

(2) **असीमित कंपनी में दायित्व** (Liability in Unlimited Company): यदि कंपनी असीमित दायित्व वाली है तो कंपनी के ऋणों का भुगतान करने के लिए प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत दायित्व होता है।

(3) **गारन्टी द्वारा सीमित कंपनी में दायित्व** (Liability in Company Limited by Guarantee): एक गारन्टी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व उसकी गारन्टी की सीमा तक होता है।

Scanned with CamScanner

(4) **सदस्यों की संख्या वैधानिक न्यूनतम से कम होने पर** (Liability in case of reduction of members below minimum): जब कभी कंपनी की सदस्य संख्या कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम रह जाती है और इस स्थिति में कंपनी महीने से अधिक तक व्यापार जारी रखती है तो उन सदस्यों का दायित्व असीमित हो जाता है।

(5) **हस्तांतरण पर दायित्व** (Liability on transfer): अंशों के हस्तांतरण पर, जब तक सदस्यों के रजिस्टर में हस्तांतरणकर्ता के स्थान पर हस्तांतरिती का नाम प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक हस्तांतरणकर्ता ही सदस्य के रूप में उत्तरदायी होगा।

(6) **कंपनी के समापन पर** (Liability on winding up of company) यदि अंशों के हस्तांतरण के एक वर्ष के भीतर कंपनी का समापन हो जाता है तो अंशों के वर्तमान धारक के साथ-साथ हस्तांतरणकर्ता का नाम भी अंशों की अदत्त राशि के संबंध में सूची 'ब' में लिखा जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उससे राशि वसूल की जाती है। इसी प्रकार, यदि अंशों के हस्तांतरण पूर्ण होने से पहले ही कंपनी का समापन हो गया है तो अंशों पर देय राशि हस्तांतरणकर्ता से वसूल की जाएगी।

(7) **सदस्य के रूप में दायित्व** (Liability as Member): यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी के साथ न तो सदस्य होने का समझौता किया है और न ही वह सदस्य बनना चाहता है, फिर भी उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया गया है और वह कोई भी आपत्ति नहीं करता, तो वह सदस्य के रूप में उत्तरदायी होगा।

(8) **सदस्यों की सहमति द्वारा दायित्व में वृद्धि** (Increasing the Liability with the Consent of Members): यदि अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार किसी सदस्य के दायित्व में वृद्धि होती है तो सदस्य की सहमति के पश्चात् उसका दायित्व होता है अन्यथा नहीं।

(9) **कृत्रिम नाम में अंश लेने पर** (Taking Shares in Fictitious Name) अंश लेने वाला व्यक्ति ही भुगतान, आदि के लिए उत्तरदायी होता है।

Scanned with CamScanner

कंपनी सभाएँ तथा प्रस्ताव
(Company Meetings and Resolutions)

■ सभाएँ (Meetings)

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition): 'सभा' से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मिलन। सामान्यतयः एक सभा के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि एक व्यक्ति सभा नहीं कर सकता। परंतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने मात्र को सभा की संज्ञा देना भी भूल होगी। अतः एक सभा का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पूर्व सूचना अथवा आपसी समझौते द्वारा किसी कार्य पर विचार-विमर्श करने व उसको करने के हेतु एकत्रित होने से है। (A 'Meeting' may be defined as the gathering together of two or more persons by previous notice or by mutual arrangement for the discussion and transaction of some business.) साधारणतः सभा पूर्व निर्धारित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए पूर्व सूचना देकर, निश्चित समय व स्थान पर बुलाई जाती है।

कंपनी के संदर्भ में सभा का अर्थ कंपनी के सदस्यों, संचालकों, लेनदारों तथा ऋणदाताओं का पूर्व सूचना या पारस्परिक समझौते के अनुसार किसी निश्चित स्थान तथा किसी निश्चित विषय पर निर्णय लेने के लिए एकत्रित होना है।

सभा की विभिन्न परिभाषाएँ निम्न प्रकार से दी गई हैं:

पी.के. घोष के शब्दों में, **''सभा का आशय सामान्य हित के किसी वैध व्यवसाय को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का साथ आना अथवा एकत्रित होना है।''** (Any gathering, assembly or coming together of two or more persons for the transaction of some lawful business of common concern is called meeting. **– P.K. Ghosh**)

के. किशोर के शब्दों में, **''एक सामान्य हित के लिए कार्यवाही करने के लिए पूर्व सूचना या आपसी समझौते द्वारा सदस्यों की कम-से-कम एक कार्यवाहक संख्या** (Quorum) **का इकट्ठा होना ही सभा है।''** (A concurrence or coming together of atleast a quorum of members by previous notice or mutual agreement for transacting business for a common interest is meeting. **– K. Kishore**)

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि **'सभा से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा एक कार्यवाहक संख्या का सामान्य उद्देश्य के लिए किसी वैध कार्य को करने के लिए किसी निश्चित स्थान पर, सभा की पूर्व सूचना देकर अथवा आपसी समझौते द्वारा एकत्रित होने से है।'**

■ कंपनी सभा की विशेषताएँ (Characteristics of a Company Meeting)

सभा की उपर्युक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित विशेषताएँ प्रकट होती हैं:

1. कंपनी सभा में (कुछ अपवादों को छोड़कर) कम-से-कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए जो कंपनी के सदस्य हों।
2. ये सदस्य कंपनी के किसी वैध कार्य पर निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुए हों।
3. सभा की सूचना सभा के होने से पूर्व सदस्यों को दी जानी चाहिए।

Scanned with CamScanner

4. यह सभा निश्चित स्थान, तिथि तथा समय पर होनी चाहिए।
5. सभा कंपनी अधिनियम के नियमानुसार होनी चाहिए।

■ एक व्यक्ति की सभा (One-Man Meeting

सभा के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक होती है। सामान्य राजनियम के अनुसार केवल एक व्यक्ति की सभा नहीं हो सकती है, परंतु कंपनी अधिनियम में इसके कुछ अपवाद हैं, अर्थात् कंपनी सभाओं से सम्बंधित कुछ ऐसी परिस्थितियाँ दी हुई हैं जिनमें एक व्यक्ति के उपस्थित होने पर भी सभा कर ली जाएगी और सभा का निर्णय वैधानिक माना जाएगा। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं

(1) **न्यायाधिकरण द्वारा बुलाई गई सभा** (Meeting Convened Tribunal): जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 97 या 98 के अंतर्गत न्यायाधिकरण ऐसी सभा बुलाता है अथवा बुलाने का आदेश देता है, तो उसे इस बात का आदेश देने का अधिकार है कि एक व्यक्ति (सदस्य) जो स्वयं व्यक्तिगत रूप में अथवा प्रति पुरुष (Proxy) द्वारा उपस्थित होगा, सभा मानी जाएगी।

(2) **स्थगित सभा में कार्यवाहक संख्या उपस्थित न होने पर** (Absence of Quorum in an Adjourned Meeting): यदि संचालकों द्वारा बुलाई गई किसी व्यापक सभा में सभा के समय से आधे घण्टे के भीतर कार्यवाहक संख्या (Quorum) उपस्थित नहीं है तो सभा एक सप्ताह के बाद उसी समय तथा उसी स्थान पर होने के लिए स्थगित (Adjourn) कर दी जाएगी और फिर कार्यवाहक संख्या के एकत्रित होने के लिए आधे घण्टे का समय दिया जाएगा। यदि इस समय के बीतने तक कार्यवाहक संख्या उपस्थित नहीं होती तो उपस्थित सदस्यगण कार्यवाहक संख्या होगी जो एक सदस्य भी हो सकता है।

(3) **न्यायालय द्वारा बुलाई गई सभा** (Meeting Convened by Court): यदि न्यायालय सभा को बुलाने का आदेश देता है तो यह भी आदेश दे सकता है कि एक सदस्य जो कि स्वयं या प्रतिपुरुष द्वारा उपस्थित होगा, एक वैध सभा मानी जाएगी।

(4) **अंशधारियों या लेनदारों की वर्ग सभाएँ** (Class Meetings of Share-holders or Creditors): यदि कंपनी के कई प्रकार के अंशों या लेनदारों में से किसी एक वर्ग या प्रकार के अंशधारियों या लेनदारों की संख्या केवल एक ही है अथवा किसी वर्ग के सभी अंश या ऋणपत्र केवल एक ही व्यक्ति ने खरीद लिए हैं तो इस प्रकार की सभा में केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित होगा और यह सभा वैधानिक रूप से मान्य होगी।

(5) **एक सदस्य वाली संचालक-मंडल की समिति की सभा** (Meeting of one-man committee of Board of Directors): तालिका 'अ' के 77 वें नियम के अनुसार संचालक-मंडल अपने कार्यों को एक समिति के सुपुर्द कर सकता है और इस समिति में सदस्यों की संख्या केवल एक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब इस समिति की सभा होगी तो उस व्यक्ति की उपस्थिति को ही उस सभा के आशय के लिए पर्याप्त माना जाएगा और सभा की कार्यवाही कानून की दृष्टि में वैध होगी।

(6) **कंपनी के दिवालिया घोषित हो जाने की दशा में** (In case of the Insolvency of the Company): यदि किसी कंपनी के दिवालिया घोषित किए जाने की दशा में केवल एक लेनदार द्वारा ही अपना ऋण प्रमाणित कर दिया जाए तो वह अकेला लेनदार ही सभा का आयोजन कर सकता है।

■ सभा का महत्त्व (Significance of Meeting)

कंपनी के अधिकांश विषयों का निर्णय सभाओं द्वारा होता है। सभाएँ अंशधारियों की भी हो सकती हैं और संचालकों की भी। कंपनी की नीति निर्धारण में इन सभाओं का बहुत अधिक महत्त्व है।

Scanned with CamScanner

■ कंपनी की सभाओं के प्रकार (Kinds of Company's Meetings)

एक कंपनी में निम्न चार प्रकार की सभाएँ हो सकती हैं:

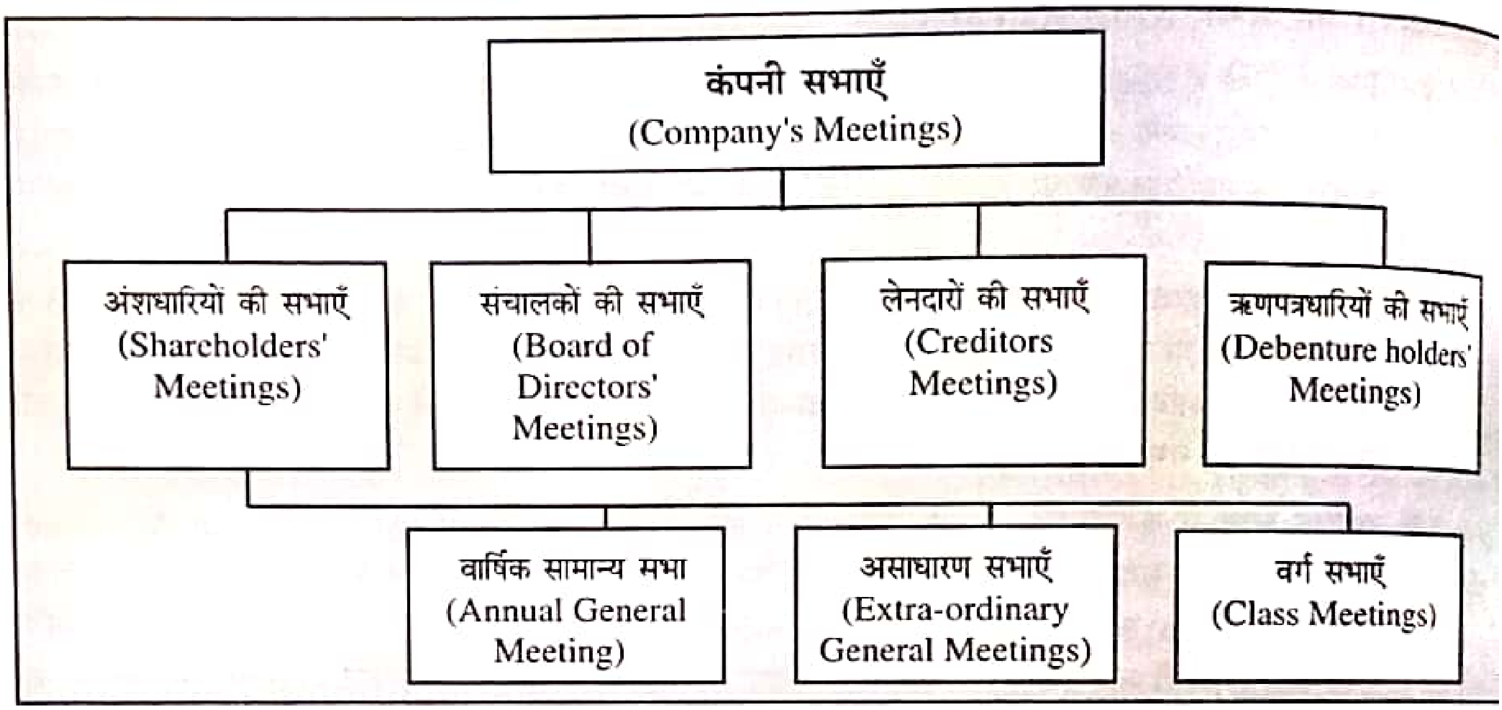

■ (अ) अंशधारियों की सभाएँ (Shareholders' Meetings)

कंपनी के वास्तविक स्वामी अंशधारी होते हैं, परंतु चूँकि वे स्थान-स्थान पर बिखरे रहने के कारण कंपनी का प्रबन्ध संचालन क में बहुधा परिस्थिति-वश असमर्थ रहते हैं, इसलिए संचालक उनके प्रतिनिधि के रूप में कंपनी का प्रबन्ध करते हैं। अंशधारियों को कंपनी के मामलों की सूचना मिलती रहे, इसके लिए अंशधारियों की सभा बुलाई जाती है यह सब सभाएँ व्यापक सभाएँ होती हैं क्यों यह समस्त सदस्यों के समूह की सभाएँ होती हैं। इन सभाओं को **''कंपनी की सभाएँ''** (Company's Meetings) भी कहा जाता है

अंशधारियों के हितों की रक्षा की दृष्टि से, कंपनी सभाओं को बुलाने तथा उनके संचालन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवश्यक प्रावधानों की व्यवस्था की गई है ताकि अंशधारी कंपनी के कुशल संचालन में भाग ले सकें। अंशधारियों की सभाओं को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है:

1. वार्षिक व्यापक सभा (Annual General Meeting)
2. असाधारण सभाएँ (Extra-ordinary General Meetings)

नोट: कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 165 के अंतर्गत वैधानिक सभा तथा वैधानिक रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान थे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यह धारा समाप्त कर दी गई है। अत: नये कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वैधानिक सभा का कोई प्रावधान नहीं है।

● 1. वार्षिक व्यापक सभा (Annual General Meeting)

अर्थ (Meaning): प्रत्येक कंपनी को अपनी अन्य सभाओं के अतिरिक्त एक साधारण सभा भी करनी पड़ती है जिसे वार्षिक व्यापक सभा कहते हैं। यह सभा सामान्य रूप में कंपनी द्वारा ही बुलाई जाती है परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायाधिकरण को सभा बुलाने का अधिकार है। कंपनी अधिनियम की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को वर्ष में एक बार, अन्य सभाओं के अतिरिक्त एक वार्षिक साधारण सभा बुलाना अनिवार्य है तथा सभा की सूचना में यह स्पष्ट उल्लिखित होना चाहिए कि यह एक वार्षिक व्यापक सभा है।

सभा के उद्देश्य एवं महत्त्व (Objects and Importance of the Meeting): वार्षिक व्यापक सभा का मूल उद्देश्य होता है कि वर्ष में कम-से-कम एक बार कंपनी के सदस्यों को सामूहिक रूप से एकत्रित होकर कंपनी के कार्य-कलापों की समीक्षा करने का अवसर मिले। अत: कंपनी के अंशधारियों की दृष्टि से वार्षिक सामान्य सभा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसी सभा में लाभांश की घोषणा

Scanned with CamScanner

की जाती है जिसमें सब अंशधारियों का ही हित होता है। कंपनी के गतवर्षों के कार्यों और आर्थिक स्थिति की पूरी-पूरी जानकारी इसी सभा के माध्यम से होती है। अंकेक्षक तथा संचालकों की रिपोर्ट को भी सभा के समय सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार कंपनी के सदस्य कंपनी की वर्षभर की उपलब्धियों तथा गतिविधियों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं । इस सभा में सदस्य अपने संबंध में कोई भी प्रस्ताव रख सकते हैं। यह स्मरणीय है कि कंपनी की वार्षिक व्यापक सभा में कंपनी का लेखा प्रस्तुत न किया जाना एक दंडनीय अपराध है तथा इस संबंध में अंशधारियों द्वारा अध्यक्ष (Chairman) से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है।

(i) **वार्षिक व्यापक सभा के कार्य** (Business Transacted in Annual General Meeting): कंपनी की वार्षिक व्यापक सभा अंशधारियों को एकत्रित होने तथा कंपनी के पिछले वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक सार्वजनिक स्थल अर्थात प्लेटफार्म (Forum) प्रदान करती है। अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत एक कंपनी की वार्षिक व्यापक सभा में किए जाने वाले कार्यों को दो शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (अ) सामान्य/साधारण कार्य, तथा (ब) विशेष कार्य।

(अ) **सामान्य/साधारण कार्य** (General Business): सामान्य कार्यों (कारोबार) में निम्नलिखित आते हैं:

(क) कंपनी के अंतिम खाते-चिट्ठा व लाभ-हानि पर तथा अंकेक्षण व संचालक रिपोर्ट पर विचार करना।

(ख) लाभांश घोषित करना।

(ग) पारी से रिटायर होने वाले संचालकों के स्थान पर नये संचालकों की नियुक्ति।

(घ) अंकेक्षकों की नियुक्ति व उनका पारिश्रमिक तय करना आदि।

(ii) **विशेष कार्य** (Special Business): उपर्युक्त सामान्य कार्यों के अतिरिक्त यदि वार्षिक सभा में कोई अन्य कार्य किए जाते हैं तो वे 'विशेष कार्य' कहलाते हैं। विशेष कार्यों के लिए व्यापक सभा की अनुमति आवश्यक होती है। वे कार्य निम्न हो सकते हैं:

(क) प्रबन्ध संचालकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति व पारिश्रमिक आदि।

(ख) अधिकृत अंश-पूँजी को बढ़ाना।

(ग) कंपनी के अंतर्नियमों को संशोधित करना आदि।

यदि सभा में कोई विशेष कार्य किया जाना हो तो उस सभा की सूचना (Notice) में उस कार्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए तथा उसमें यदि किसी संचालक अथवा प्रबन्धक का कुछ हित हो तो उसे भी स्पष्ट करना चाहिए। यदि इस प्रकार का कार्य किसी अन्य कंपनी को प्रभावित करता है और उस कंपनी में यदि कंपनी के किसी संचालक तथा प्रबन्धक के हित की मात्रा प्रदत्त अंश-पूँजी के बीस (20) प्रतिशत से अधिक हो तो उसे भी स्पष्ट करना चाहिए। यदि सभा में किसी प्रलेख का अनुमोदन किया जाना है तो उस समय तथा स्थान का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जहाँ पर उस प्रलेख की जाँच की जा सके।

वार्षिक व्यापक सभा के संबंध में वैधानिक व्यवस्थाएँ

(Statutory or Legal Provisions Regarding the Annual General Meeting)

वार्षिक व्यापक सभा के संबंध में वैधानिक व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं:

(1) **सभा बुलाने की समय अवधि** (Time Interval for Calling Meeting): कंपनी की दो वार्षिक सभाओं के बीच में 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। जहाँ तक कंपनी की प्रथम वार्षिक व्यापक सभा का संबंध है कंपनी उसे समामेलन के पश्चात् 18 महीने के अन्दर किसी भी समय बुला सकती है। यदि कंपनी ने इस अवधि में वार्षिक व्यापक सभा बुला ली है तो ऐसी दशा में कंपनी को अपने समामेलन के वर्ष में या उसके बाद आने वाले वर्ष में वार्षिक व्यापक सभा बुलाना आवश्यक नहीं है। कोई विशेष कारण होने पर कंपनी का रजिस्ट्रार प्रथम वार्षिक व्यापक सभा को छोड़कर अन्य किसी भी वार्षिक व्यापक सभा की अवधि अधिक-से-अधिक 3 माह के लिए बढ़ा सकता है।

कंपनी द्वारा वार्षिक व्यापक सभा बुलाना एक वैधानिक आवश्यकता है। कंपनी को प्रतिवर्ष इसे बुलाना आवश्यक है चाहे कंपनी के वार्षिक खाते तैयार हो पाये हों अथवा नहीं। इतना ही नहीं, कंपनी को यह सभा उस स्थिति में भी बुलानी आवश्यक है, जबकि पूरे वर्ष कंपनी का कार्य बन्द ही रहा हो।

Scanned with CamScanner

(2) **सभा की सूचना एवं स्थान (Notice and Place of Meeting):** इस प्रकार की सभा बुलाने के लिए प्रत्येक सदस्य को कम-से-कम 21 दिन की लिखित पूर्व-सूचना देनी आवश्यक है। परंतु 21 दिन से कम समय की सूचना भी इस सभा के लिए दी जा सकती है बशर्ते की इस सभा में वोट देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों की सहमति इसके लिए है।

[धारा 101]

कंपनी की वार्षिक व्यापक सभा व्यापारिक घण्टों के समय में, ऐसे दिन जोकि सार्वजनिक छुट्टी नहीं है तथा कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में अथवा उस गाँव, कस्बा अथवा नगर जिसमें रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित है किसी भी स्थान पर बुलाई जा सकती है। केंद्रीय सरकार किसी कंपनी को इन व्यवस्थाओं से मुक्ति दे सकती है।

एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर्नियमों द्वारा अपनी वार्षिक व्यापक सभाओं के लिए समय निश्चित कर सकती है या एक वार्षिक सभा में प्रस्ताव स्वीकार करके बाद की वार्षिक व्यापक सभा का समय निश्चित कर सकती है। इसी प्रकार एक निजी कंपनी प्रस्ताव स्वीकार करके वार्षिक व्यापक सभा का समय निश्चित कर सकती है।

(3) **वार्षिक व्यापक सभा न करने के परिणाम (Consequences for not holding the Annual General Meeting):** कंपनी द्वारा ऐसे सभा न बुलाने के दो परिणाम होते हैं:

(i) **न्यायाधिकरण द्वारा सभा बुलाना (Calling the Meeting by Trubunal):** यदि कंपनी धारा 96 की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक व्यापक सभा करने में त्रुटि करती है तो न्यायाधिकरण कंपनी के किसी भी सदस्य की प्रार्थना पर ऐसी सभा बुला सकती है या बुलाने का आदेश दे सकती है तथा सभा की कार्यवाही से संबंधित निर्देश भी दे सकती है। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों में यह निर्देश भी हो सकता है कि यदि उक्त सभा में एक भी सदस्य, चाहे व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के द्वारा, उपस्थित होगा, तो भी सभा वैध मानी जायेगी।

[धारा 98]

न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसरण में की गई वार्षिक व्यापक सभा अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की वार्षिक व्यापक सभा मानी जाएगी।

(ii) **अर्थ दंड (Penalty):** यदि कंपनी स्वयं अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा सभा के निर्देश पर भी 'सभा बुलाने में त्रुटि करती है' तो कंपनी तथा उसके प्रत्येक अधिकारी पर ₹ 1,00,000 तक अर्थ दंड हो सकता है। त्रुटि जारी रहने पर ₹ 5,000 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थ दंड लगाया जा सकता है। [धारा 99]

■ असाधारण व्यापक सभा (Extra-ordinary General Meeting)

अर्थ (Meaning): वैधानिक सभा एवं वार्षिक व्यापक सभा के अतिरिक्त कंपनी में जो भी अंशधारियों की सभा बुलाई जाती है उसे असाधारण व्यापक सभा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अंशधारियों की वे सभाएँ जो दो वार्षिक व्यापक सभाओं के बीच किसी विशेष कार्य के लिए बुलाई जाती है, उन्हें असाधारण व्यापक सभा कहा जाता है।

असाधारण सभा कब बुलाई जा सकती है?
(When an Extra-ordinary General Meeting may be called?

असाधारण सभाओं को बुलाने की आवश्यकता उस समय प्रतीत होती है जबकि कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ जाता है जिसके लिए वार्षिक व्यापक सभा के समय तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। असाधारण व्यापक सभा निम्न परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है:

1. कंपनी के पार्षद सीमानियम तथा पार्षद अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए।
2. ऋण-पत्र निर्गमित करने के लिए।
3. अंश-पूँजी में वृद्धि, कमी अथवा पुनर्गठन के लिए।
4. काई अन्य आवश्यक कार्य।

ऐसी सभाएँ वर्ष के दौरान कितनी ही बार बुलाई जा सकती हैं।

Scanned with CamScanner

ऐसी सभाएँ कौन बुला सकता है? (Who may call such Meetings?)

ऐसी सभाएँ संचालकों द्वारा अपनी इच्छा से, अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा माँग करने पर अथवा स्वयं माँग कर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा बुलाई जा सकती हैं।

(1) **संचालकों द्वारा** (By the Directors): यदि कंपनी के अंतर्नियम ऐसा अधिकार प्रदान करते हैं, तो संचालक अपनी इच्छा पर असाधारण व्यापक सभा बुला सकते हैं। सारणी अ के अंतर्नियम 48 के अनुसार, संचालक-मंडल, जब कभी उचित समझता है, एक असाधारण व्यापक सभा बुला सकता है। संचालकों द्वारा ऐसी सभा किसी ऐसे विशेष अथवा आवश्यक कार्य को करने के लिए बुलाई जाती है जिसको आने वाली वार्षिक सभा से पहले किया जाना आवश्यक है।

जब यह सभा संचालकों द्वारा बुलाई जाती है तो इसके लिए कम से कम 21 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। यह सभा विशेष कार्यों के लिए बुलाई जाती है। अतः इस सभा के नोटिस के साथ सभा के कार्यों का विवरण भी दिया जाना आवश्यक है। यदि सदस्यों की स्वीकृति किसी प्रपत्र पर प्राप्त करनी हो तो नोटिस के साथ इसकी भी सूचना भेजनी चाहिए कि उस प्रपत्र को सदस्य कब और किस स्थान पर देख सकते है। यद्यपि इस सभा की सूचना 21 दिन पहले भेजना आवश्यक है परंतु निम्नलिखित दशाओं में यह सूचना 21 दिन से कम समय के लिए भी दी जा सकती है:

(i) अंश-पूँजी वाली कंपनी में उस सभा में मत देने का अधिकार रखने वालों के 95 प्रतिशत भाग पर अधिकार रखने वालों ने अपनी स्वीकृति ऐसा करने के लिए दे दी हो।

(ii) बिना अंशपूँजी वाली कंपनी की दशा में कम से कम 95 प्रतिशत मत देने वाले सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी हो।

(2) **संचालकों द्वारा सदस्यों की माँग पर** (By the Directors on requisition of the Members): यदि संचालक कंपनी असाधारण व्यापक सभा नहीं बुलाते हैं तो निम्नलिखित सदस्य भी कंपनी के संचालकों को इस सभा को बुलाने के लिए बाध्य कर सकते हैं:

(a) अंश-पूँजी वाली कंपनी की दशा में चुकता पूँजी का 1/10 भाग रखने वाले ऐसे अंशधारी जिन्हें वोट देने का अधिकार है।

(b) ऐसी कंपनी जिसमें अंश-पूँजी नहीं है सदस्यों के 1/10 वोट देने के अधिकारी, सभा बुलाने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कंपनी के किसी अंश या अंशों के संयुक्त रूप से स्वामी होते हैं, तो इनमें से एक या अधिक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करना इस धारा के लिए सबके हस्ताक्षर किए जाने की तरह प्रभावशाली माना जाएगा।

उपर्युक्त सदस्य यदि कंपनी की असाधारण सभा को बुलाने की माँग करते है तो संचालकों के लिये सभा बुलाना आवश्यक है। माँग-पत्र में उन मामलों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिन पर विचार करने हेतु सभा बुलाने की माँग की गई है। इस पर माँग कर्ताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा इसे कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए। संचालक-मंडल को वैध माँग-पत्र जमा कराने की तिथि से 21 दिन के भीतर सभा बुलाने की कार्यवाही आरम्भ कर देनी चाहिए और ऐसी सभा बुलाने की सदस्यों को 21 दिन पूर्व उसकी सूचना भेज देनी चाहिए तथा माँग-पत्र जमा किए जाने की तिथि से 45 दिन के भीतर वास्तव में सभा बुला ली जानी चाहिए। [धारा 100]

(3) **स्वयं माँग कर्ताओं द्वारा** (By the requisitionists themselves): यदि संचालक-मंडल कंपनी के सदस्यों की असाधारण व्यापक सभा की वैधानिक माँग करने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर सभा बुलाने की कार्यवाही शुरू नहीं करते हैं व 45 दिनों के अन्दर यह सभा नहीं बुलाते हैं तो माँग करने वाले अंशधारी इस सभा को स्वयं बुला सकते हैं। माँग-कर्ताओं द्वारा बुलाई जाने वाली सभा माँग की तिथि से अधिक-से-अधिक 3 माह के अन्दर बुला ली जानी चाहिए। ऐसी सभा का आयोजन ठीक उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार संचालक-मंडल द्वारा सभा बुलाई जाती है। ऐसी सभा के आयोजन में जो भी उचित व्यय किया जाता है उसका कंपनी द्वारा माँग कर्ताओं को भुगतान किया जाना चाहिए तथा कंपनी यह राशि दोषी संचालकों से वसूल कर सकती है। **रचना बेलू स्वामी चेटियार बनाम मनिकाबेलू चेटियार** (Rachna Balu Swami Chatiyar Vs. Manika Balu Chatiyar) के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि

Scanned with CamScanner

माँग कर्ताओं द्वारा सभा बुलाने पर यदि उन्हें सभा के लिए कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय उपलब्ध न हो सके तो वे किसी अन्य स्थान पर सभा कर सकते है।

(4) **न्यायाधिकरण द्वारा** (By The Tribunal): यदि किसी कारणवश असाधारण सभा को बुलाना या उसमें कोई कार्य करना सम्भव प्रतीत न होता हो तो न्यायाधिकरण द्वारा या तो स्वयं अपनी इच्छा से या कम्पनी के किसी संचालक के आवेदन पर या मतदान का अधिकार रखने वाले कम्पनी के किसी सदस्य के आवेदन पर ऐसी सभा बुलाई जा सकती है। न्यायाधिकरण इस सभा के संबंध में कुछ आदेश भी दे सकता है। सभा करते समय इन आदेशों का पालन करना आवश्यक है। जब कभी न्यायाधिकरण द्वारा असाधारण सभा बुलायी जाती है तो इसे कम्पनी द्वारा बुलाई गयी सभा की तरह माना जाता है। यदि न्यायाधिकरण चाहे, तो यह भी निर्देश दे सकता है कि इस सभा में यदि एक भी सदस्य व्यक्तिगत रूप में अथवा प्रतिनिधि (Proxy) द्वारा उपस्थित होगा, तो भी सभा कर ली जाएगी। [धारा 98]

■ वर्ग सभाएँ (Class Meetings)

जो कम्पनी विभिन्न प्रकार के अंश निर्गमित करती है तो वह प्रत्येक प्रकार के अंशधारियों की सभा बुला सकती है। इन विभिन्न प्रकार के अंशधारियों की सभा को ही वर्ग सभाएं कहते है। ये ऐसी सभाएँ होती है जो किसी वर्ग-विशेष के अंशधारियों द्वारा अपने अधिकार या दायित्वों में परिवर्तन करने के लिए बुलाई जाती है। उदाहरणार्थ, एक प्रकार के अंशों को दूसरे प्रकार के अंशों में परिवर्तित करने के लिए, जैसे पूर्वाधिकार अंशों को साधारण अंशों में बदलने के लिए ये सभाएँ बुलानी पड़ती है। इन सभाओं में केवल उन्हीं अंशधारियों को भाग लेने का अधिकार होगा जो उस सभा से संबंधित हों। कम्पनी के अन्तर्नियमों में प्रायः इस प्रकार की सभाओं को बुलाने और उनकी कार्यवाही चलाने के लिए उपयुक्त नियम तथा व्यवस्थाएँ दी हुई रहती है। किसी भी वर्ग के अंशधारियों के अधिकार और दायित्वों में केवल कम्पनी के सीमानियम व अन्तर्नियमों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार तथा निर्दिष्ट सीमा तक ही परिवर्तन किया जा सकता है दूसरे शब्दों में, यह परिवर्तन उन अंशों के निर्गमन की शर्तों द्वारा निषिद्ध दशाओं में नहीं किया जा सकता है। यदि इन अधिकारों और दायित्वों में परिवर्तन किया जाता है, तो यह संशोधन संबंधित वर्ग के अंशधारियों की सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के रूप में अर्थात् तीन चौथाई बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है।

धारा 48 के अनुसार जहाँ कम्पनी की अंशपूंजी अंशों के विभिन्न वर्गों में विभाजित की जाती है, वहाँ किसी वर्ग के अंशों से संलग्न अधिकारों में उस वर्ग के जारी अंशों के कम से कम तीन-चौथाई धारकों की लिखित सहमति से या उस वर्ग के जारी अंशधारकों की पृथक सभा में पारित किसी विशेष द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 48 के प्रावधानों का अनुपालन करने में यदि त्रुटि की जाती है तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जिसने त्रुटि की है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो ₹ 5,00,000 तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

■ संचालकों की सभाएँ (Board of Directors' Meetings)

कम्पनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने सभी कार्य अपने संचालकों द्वारा निष्पादित करती है। कम्पनी के संचालक ही वास्तव में कम्पनी का प्रबन्ध करते है। कम्पनी की नीति, प्रबन्ध नियन्त्रण व अन्य महत्त्वपूर्ण बातों पर विचार संचालक-मंडल की सभाओं में किया जाता है। अतः कम्पनी के प्रबन्ध एवं संचालन सम्बन्धी कार्यों पर विचार-विमर्श करने के लिए संचालकों को नियमित रूप से मिलना आवश्यक होता है। संचालकों की इन नियमित सभाओं को ही संचालक-मंडल की सभाएँ कहते है। उन विषयों को छोड़कर जिनके बारे में निर्णय करने का अधिकार अंशधारियों को होता है, बाकी विषयों पर विचार करने के लिए संचालक-मंडल की सभाओं की मदद ली जाती है।

संचालकों से संबंधित सभाओं को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) संचालक-मंडल की सभाएँ।

(ब) संचालक समितियों की सभाएँ।

- **मंडल की सभाओं से संबंधित वैधानिक प्रावधान (Statutory provisions regarding Board's Meeting)**

संचालक मंडल की सभाओं के संबंध में कम्पनी अधिनियम में प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नलिखित है

(1) **सभा बुलाने का अधिकार** (Power to Convene the Meeting): संचालक मंडल की सभा किसी भी संचालक द्वारा बुलाई जा सकती है। जो भी संचालक सभा बुलाना चाहता है वह प्रबन्ध संचालक या कम्पनी सचिव को सभा के आयोजन के लिए कहता है। सामान्यतया प्रबन्ध संचालक या कम्पनी सचिव को सभा बुलाने के लिए अधिकृत कर रखा है।

(2) **सभाओं की अवधि** (Period of Meeting): कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी अपने समामेलन की तारीख से तीस (30) दिन के भीतर संचालक मंडल की एक सभा आयोजित करेगी तथा उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष अपने संचालक मंडल की कम से कम चार सभाएँ ऐसी रीति से आयोजित करेगी कि मंडल (बोर्ड) की दो क्रमवर्ती (Consecutive) सभाओं के बीच एक सौ बीस (120) दिन से अधिक का अन्तराल न हो।

बोर्ड की किसी सभा में संचालकों का भाग लेना या तो स्वयं या वीडियो कान्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य (Audio Visual) साधनों के माध्यम से हो सकेगा।

परन्तु केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि कम्पनी के किसी वर्ग अथवा कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत लाभ न कमाने वाले संघों (Non-profits Associations) को बोर्ड की सभी सभाओं के संबंध में छूट होगी।

(3) **सभा की सूचना तथा कार्य-सूची** (Notice and Agenda of the Meeting): बोर्ड की सभा होने की तारीख से कम-से-कम सात दिन पहले सभा की लिखित सूचना प्रत्येक संचालक को कम्पनी के पास रजिस्टर्ड उसके पते पर भेजी जाएगी और ऐसी सूचना दस्ती सुपुर्दगी (Hand Delivery) द्वारा या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक, माध्यम से भेजी जाएगी।

बोर्ड की कोई सभा अत्यावश्यक कामकाज के लिए कम समय की सूचना देकर भी बुलाई जा सकती है परन्तु शर्त यह है कि कम-से-कम एक संचालक, यदि कोई हो, सभा में उपस्थित होगा।

कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जिसका कर्तव्य इस धारा के अधीन सूचना देना है और जो ऐसा करने में असफल रहता है, पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने के लिए दायी होगा।

एक व्यक्ति कम्पनी, लघु कम्पनी तथा निष्क्रिय कम्पनी द्वारा इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन कर रही कम्पनी समझा जाएगा यदि संचालक मंडल (बोर्ड) की कम-से-कम एक सभा किसी कलेंडर वर्ष की प्रत्येक छमाही में की गई है और दो सभाओं के बीच का अंतराल नब्बे (90) दिन से कम का नहीं है।

कम्पनी अधिनियम के अधीन सूचना के साथ-साथ कार्यक्रम भेजना आवश्यक नहीं है परन्तु व्यवहार में ऐसा किया जाता है।

(4) **कार्यवाहक संख्या** (Quorum): कार्यवाहक संख्या से आशय पूर्णतः दक्ष और किसी भी हित से संबंध न रखने वाले संचालकों की उस न्यूनतम संख्या से है जिसके एकत्रित हो जाने पर ही एक वैध सभा हो सकती है। कम्पनी के पार्षद अन्तर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार संचालक-मंडल की सभाओं में कार्यवाहक संख्या निर्धारित की जा सकती है। यदि कम्पनी के पार्षद अंतर्नियमों में इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है तो सभा की कार्यवाहक संख्या कुल संचालकों की संख्या का 1/3 या 2 संचालक (जो भी दोनों में से अधिक हो) मानी जायेगी। यदि कुल संचालकों की संख्या का 1/3 करने से पूर्ण संख्या नहीं आती है तो उस खण्ड को एक मान लिया जायेगा। [धारा 174]

यदि कार्यवाहक संख्या के अभाव में संचालक-मंडल की सभा नहीं हो पाती तो यह सभा अगले सप्ताह उसी समय व उसी स्थान पर होगी। यदि वह दिन सार्वजनिक छुट्टी का दिन है तो वह सभा अगले कार्य दिवस पर होगी। [धारा 174]

कम्पनी अधिनियम की धारा 2(49) के अनुसार पब्लिक कंपनी के संचालक मंडल की सभा में वे संचालक जिनका उस सभा में विचाराधीन किसी विषय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निजी हित होता है, उस समय भाग नहीं ले सकते जब उस विषय

Scanned with CamScanner

पर विचार किया जा रहा हो। वे उस पर अपना वोट भी नहीं दे सकते है तथा कार्यवाहक संख्या के लिए उसकी उपस्थिति की गणना नहीं की जाएगी। यदि हितबद्ध संचालकों के कारण कार्यवाहक संख्या नहीं बनती है तो उन संचालकों की संख्या, जिनका कोई हित नहीं है, दो से कम होते हुए भी कार्यवाहक संख्या होगी।

(5) सभा का अध्यक्ष (Chairman of the Meeting): प्रत्येक सभा की अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष का होना आवश्यक है। कंपनी के अंतर्नियमों में अध्यक्ष का नाम दिया जा सकता है या अध्यक्ष संचालकों द्वारा निर्वाचित भी किया जा सकता है।

सभाओं में किए जाने वाले कार्य (Business to be transacted in the Meetings): संचालक मंडल की सभाओं में उन सभी कार्यों को किया जा सकता है जोकि कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परन्तु संचालक-मंडल द्वारा उन कार्यों को नहीं किया जा सकता जो कि कंपनी अधिनियम या कंपनी के पार्षद सीमानियम या पार्षद अंतर्नियम के अधीन कंपनी द्वारा अंशधारियों की साधारण सभा में ही किए जाने चाहिए। संचालक मंडल की सभा में कार्य करने की प्रक्रिया तथा तरीका प्रायः कंपनी के अंतर्नियमों में दिया हुआ होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 1 में दिए गए नियमनों में यह प्रावधान है कि संचालक मंडल की सभा में निर्णय बहुमत वोट के आधार पर लिए जाते हैं। पक्ष-विपक्ष की मत संख्या बराबर होने पर अधिकांशतया अंतर्नियमों द्वारा अध्यक्ष निर्णायक मत देने के लिए अधिकृत किया जाता है। परंतु ऐसे प्रावधान के न होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं दे सकता। जिन बातों (मामलों) पर बोर्ड की सभा में निर्णय लेना होता है, उन्हें प्रस्तावों के रूप में सभा में प्रस्तुत किया जाता है जो प्रस्तावित, समर्थित तथा उचित रूप से अनुमोदित होने चाहिएं। प्रस्ताव या तो सबा में या प्रसार अर्थात परिचालन द्वारा (By Circulation) पारित किया जा सकता है। कोई भी प्रस्ताव बोर्ड अथवा उसकी समिति द्वारा परिचालन द्वारा पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि इसका मसौदा (Draft) आवश्यक कागज-पत्रों सहित, यदि कोई है, सभी संचालकों अथवा समिति के सभी सदस्यों को परिचालित नहीं कर दिया जाता तथा उनके द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। एक बार जब कोई प्रस्ताव बोर्ड की सभा में पारित हो जाता है तो वह सभी संचालकों को बाध्य करने वाला (Binding) होता है चाहे उन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है अथवा विरोध में किया है।

(6) सभाओं के सूक्ष्म (Minutes of Meetings): संचालक मंडल की सभा की कार्यवाहियों का ब्यौरा रखने के लिए कंपनी द्वारा पृथक् पुस्तिका रखी जाती है जिसे 'सूक्ष्म पुस्तक' (Minutes Book) 'कार्यवाही विवरण पुस्तक' या 'मंडल की कार्यकृत पुस्तिका' कहते हैं। इसी पुस्तक में सभा की कार्यवाहियों का शुद्ध सारांश लिखा जाना चाहिए। सभा में उपस्थित संचालकों के नाम, सभा में अधिकारियों की नियुक्तियों का विवरण और पास किए गए प्रस्तावों का पूर्ण उल्लेख होना चाहिए। सूक्ष्म पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर क्रमगत संख्या लिखी होनी चाहिए। सचिव का यह कर्तव्य है कि वह सभा की समाप्ति के 30 दिनों के अन्दर कार्यवाही पुस्तिका में उस सभा की कार्यवाहियों का सूक्ष्म लिख ले और प्रत्येक पृष्ठ पर उस सभा या ठीक उसके बाद होने वाली सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करा लें। सूक्ष्म में, सभा में पारित किए गए प्रस्ताव पर असहमत संचालकों की टिप्पणी का भी उल्लेख होना चाहिए। [धारा 118]

धारा 118 के प्रावधानों के अनुसार रखे गए सभाओं के सूक्ष्म सभा में की गई कार्यवाहियों का प्रमाण होते हैं। सूक्ष्म पुस्तक का प्रयोजन अंशधारियों को इसके विषय में सही जानकारी प्रदान करना है कि उनके संचालक कब, क्या और क्यों कोई कार्य करते रहे है।

यदि किसी सभा के संबंध में, इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में त्रुटि की जाती है तो कंपनी पच्चीस हजार रुपये के जर्माने के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो त्रुटि के लिए दोषी है, ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

यदि कोई व्यक्ति जो सभा की कार्यवाही के सूक्ष्म से छेड़छाड़ का दोषी पाया जाता है, वह कारावास में, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

Scanned with CamScanner

संचालकों की समितियों की सभाएँ (Meetings of Director's Committees)

जो कंपनियां बड़ी होती हैं और कार्य अधिक होता है उन्हें विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए संचालक-मंडल की सभा बार-बार बुलानी पड़ती है। संचालकों के लिए बार-बार सभा में उपस्थित होना कठिन हो जाता है। इसलिए कंपनी के विभिन्न कार्यों के लिए संचालकों की विभिन्न समितियाँ बना दी जाती हैं ताकि जिस विषय पर विचार करना हो केवल उससे संबंधित समिति को बुलाया जाए। इन समितियों का निर्माण संचालक सभा द्वारा किया जाता है। ऐसी समितियाँ बनाने का अर्थ संचालकों द्वारा अपने अधिकारों को हस्तांतरित करना है। यह तभी सम्भव है जब कंपनी के अंतर्नियम इसकी इजाजत देते हों।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि संचालकों की समितियों की सभाएँ उन कंपनियों में होती हैं जो बहुत बड़ी हों परंतु साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उन कंपनियों में संचालकों की संख्या काफी होनी चाहिए क्योंकि यदि किसी कंपनी में दो या तीन ही संचालक होंगे तो समितियाँ बनाना उचित न होगा।

कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा संचालकों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वे अपने कुछ अधिकारों को अपनी समितियों को सौंप दें। इस प्रकार की समितियाँ संचालक-मंडल की ओर से तथा उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा के अंतर्गत काम करती हैं। ये समितियाँ दो तरह की हो सकती हैं:

(अ) स्थायी समितियाँ, तथा (ब) अस्थायी समितियाँ।

(अ) **स्थायी समितियाँ** (Permanent Committees): स्थायी समिति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कंपनी की कार्यकारी समिति है। इस समिति का मुख्य कार्य कंपनी का दैनिक प्रशासन करना है। यह समिति नियमित रूप से अपनी सभाएँ आयोजित करती है तथा उनमें प्रबन्ध सम्बन्धी निर्णय लेती है। संचालक-मंडल में से ही इस समिति के सदस्यों को चुना जाता है। इसका अध्यक्ष निर्देशक मंडल का अध्यक्ष ही होता है। अन्य सदस्य कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ होते हैं, जैसे वित्तीय, तकनीकी या विपणन संचालक आदि।

(ब) **अस्थायी समितियाँ** (Temporary Committees): संचालकों की अस्थायी समितियों में से कुछ प्रमुख समितियाँ 'आबंटन समिति', पुनर्गठन योजना समिति तथा वित्तीय समिति आदि हैं। ये समितियाँ विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श करने तथा उन पर अपनी विशेष राय देने के लिए बनायी जाती हैं। इनकी सिफारिशों पर संचालक-मंडल विचार करता है और अन्तिम निर्णय लेता है।

लेनदारों की सभाएँ (Creditors' Meetings)

जब कंपनी का पुनर्गठन पुनर्निर्माण होता है अथवा कंपनी अपने लेनदारों (ऋणदाताओं) के साथ ऋण के संबंध में कोई समझौता करना चाहती है तब लेनदारों की सभा करने की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में इन सभाओं को कंपनी की सभाएँ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये लेनदारों द्वारा ही आयोजित करायी जाती हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 391 में इन सभाओं के आयोजन के संबंध में व्यवस्थाएँ दी हुई है। इन्हें निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बुलाया जाता है:

1. लेनदारों के साथ किसी विवाद में समझौता करने के लिए या लेनदारियों को कम करने के लिए;
2. कंपनी के पुनर्गठन, एकीकरण आदि की योजनाओं पर कंपनी के लेनदारों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए; तथा
3. कंपनी के समापन के समय लेनदारों की अनुमति प्राप्त करने के लिए।

उपर्युक्त सभी दशाओं में सभा का उद्देश्य कंपनी के पुनर्गठन की योजना पर या उसकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने की योजना पर लेनदारों की सहमति प्राप्त करना है।

कंपनी के समापन की दशा में किसी लेनदार अथवा समापक (Liquidator) द्वारा आवेदन किए जाने पर न्यायालय संबंधित कंपनी को लेनदारों की सभा बुलाने का आदेश देता है।

ऋण-पत्रधारियों की सभाएँ (Debenture-holders' Meetings)

जो कंपनी ऋण-पत्र निर्गमित करती है वह ऋण-पत्रधारियों की सभाओं के बारे में भी योजना बनाती है। इन सभाओं से संबंधित नियम ऋणपत्र प्रलेख में दिये रहते हैं और ऋणपत्रों के पीछे भी छपे रहते हैं। यदि अंतर्नियमों में इन सभाओं के बारे में कोई नियम दिए हुए

Scanned with CamScanner

हों तो उनका पालन किया जाता है वरन् कुछ परिवर्तनों (फेलबदल) के साथ इन सभाओं पर वही नियम लगते है जो कंपनी की साधारण सभाओं पर लगते है। ऋण-पत्रधारियों की सभाएँ निम्नलिखित दशाओं में बुलाई जाती हैः

1. उनकी प्रतिभूति की शर्तों में परिवर्तन के लिए।
2. उनके अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए।

अतः ये सभाएँ नये ऋण पत्र निर्गमित करने, अथवा वर्तमान ऋण-पत्रधारियों को दिए जाने वाले ब्याज की दर में कोई संशोधन करने के लिए बुलाई जाती है। इन सभाओं के लिए किए जाने के संबंध में नियम तथा प्रक्रिया को ऋणपत्र न्यास संलेख (Debenture Trust Deed) के पीछे (Reverse) वर्णन होता है।

प्रस्ताव अथवा संकल्प (Resolutions)

प्रस्ताव अथवा संकल्प का अर्थ (Meaning of Resolutions)

जब सभा में कुछ प्रस्तावित किया जाता है तो उसे सुझाव (Motion) कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वह विषय जो सभा में विचार-विमर्श के लिए रखा जाता है; सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह आवश्यक है कि कोई भी सुझाव जो किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है, उसका समर्थन अर्थात अनुमोदन किसी दूसरे सदस्य द्वारा होना चाहिए। जब सुझाव पर विचार-विमर्श समाप्त हो जाता है तो अध्यक्ष उसे मतदान के लिए प्रस्तुत करता है, जोकि सभा द्वारा स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। स्वीकार (पास अथवा पारित) हो जाने के बाद वह प्रस्ताव अथवा संकल्प (Resolution) कहा जाता है। अतः प्रस्ताव किसी सभा में व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रति-पुरुष (Proxy) द्वारा उपस्थित सदस्यों का उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया निर्णय है। एक वैध प्रस्ताव उचित रूप से गठित तथा आयोजित सभा तथा आवश्यक कार्यवाहक संख्या के उपस्थित होने पर पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव के प्रकार (Kinds of Resolutions)

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्ताव तीन प्रकार के हो सकते हैः

1. साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution),
2. विशेष प्रस्ताव (Special Resolution),
3. विशेष सूचना वाले प्रस्ताव (Resolution Requiring Special Notice),

(1) साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolutions): साधारण प्रस्ताव से आशय एक ऐसे प्रस्ताव से है जो कि सभा में उपस्थित सदस्यों (यदि प्रति पुरुष सदस्यों को सम्मिलित करने की व्यवस्था है तो उन्हें भी सम्मलित करके) के साधारण बहुमत से अर्थात् कुल उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक मत से पास किया जाता है। साधारण बहुमत का आशय प्रस्ताव के पक्ष में आने वाले मतों के प्रस्ताव के विपक्ष में आने वाले मतों के ऊपर आधिक्य से है। उदाहरण के लिए, यदि सभा के 100 मतों (Votes) में से 51 मत प्रस्ताव के पक्ष में है तो प्रस्ताव पास हुआ माना जाता है। ऐसे प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष के निर्णायक मत (Casting Vote) की भी व्यवस्था है, यदि उसकी आवश्यकता हो अर्थात् यदि प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में मत बराबर है तो अध्यक्ष का निर्णायक मत भी शामिल किया जा सकता है। मतदान हस्त-प्रदर्शन द्वारा अथवा मतगणना द्वारा हो सकता है। मतदान अधिकारी व्यक्तियों द्वारा स्वयं उपस्थित रूप में, अथवा, यदि ऐसी व्यवस्था है, तो प्रतिपुरुष (Proxy) द्वारा भी किया जा सकता है।

ऐसे प्रस्ताव के लिए कोई पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि कंपनी के अंतर्नियम ऐसा करना आवश्यक नहीं कर देते। केवल यह आवश्यक है कि व्यापक सभा की वैधानिक रूप से सूचना दे दी गई हो। यह सूचना 21 दिन की होती है परंतु ऐसी सूचना में ऐसे प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं होता।

कंपनी अधिनियम के अनुसार जिन कार्यों के लिए साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है उसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित भागों में बाँटे जा सकते हैः

1. कंपनी का नाम बदलने के लिए यदि कंपनी किसी विद्यमान कंपनी के मिलते-जुलते नाम से समामेलित हो गई है। [धारा 16]

Scanned with CamScanner

2. अपनी अंशपूँजी में परिवर्तन करने के लिए। [धारा 61]
3. कंपनी के वार्षिक खाते (लाभ-हानि खाता एवं स्थिति विवरण) स्वीकार करने के लिए। [धारा 129]
4. अंकेक्षकों की नियुक्ति, उनका पारिश्रमिक निश्चित करना, उन्हें हटाने एवं उनके त्याग पत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। [धारा 139]
5. प्रविवरण में दिए गए अनुबन्धों की शर्तों में परिवर्तन करने के लिए। [धारा 27]
6. प्रथम संचालक की नियुक्ति करने के लिए जो पारी से अवकाश ग्रहण करेगा। [धारा 152]
7. अवकाश ग्रहण करने वाले संचालक की नियुक्ति द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। [धारा 152]
8. अवकाश ग्रहण करने वाले संचालक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को संचालक नियुक्त करने के लिए। [धारा 160]
9. संचालकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना। [धारा 197]
10. निर्धारित सीमा से अधिक निगमित विनियोजन करना। [धारा 186]
11. अंतर्नियमों की अनुपति होने पर एच्छिक समापन का अनुमोदन करना। [धारा 304]
12. एच्छिक समापन के लिए समापक अर्थात निस्तारक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक का अनुमोदन करना। [धारा 310]

(2) विशेष प्रस्ताव (Special Resolutions): **विशेष प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जोकि व्यापक सभा में सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।** इसके लिए अध्यक्ष के स्वतंत्र मत की व्यवस्था नहीं है। मतदान हस्त-प्रदर्शन द्वारा अथवा मतगणना द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। मतदान सदस्यों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अथवा प्रति पुरुष द्वारा (यदि ऐसी व्यवस्था है) किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, विशेष प्रस्ताव से तात्पर्य एक ऐसे प्रस्ताव से है जो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपुरुष (Proxy) द्वारा उपस्थित सदस्यों के मतों के कम से कम 75 प्रतिशत बहुमत द्वारा पास किया जाता है, तथा जिसके संबंध में सूचना सभा की तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व भेजी जानी चाहिए और सूचना में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि निर्दिष्ट प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में पास किया जाएगा। [धारा 114(2)]

विशेष प्रस्ताव एक ऐसी महत्त्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा समामेलित कंपनियाँ अपने ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्यों को करती है जो कि कंपनियों के हित में हैं अथवा हो सकते हैं। विशेष प्रस्ताव का आशय है कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य पर्याप्त रूप से सोच विचार कर तथा कंपनी के अधिक सदस्यों की सहमति से किया जा सके।

कंपनी अधिनियम में ऐसे कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिनको करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(i) कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए [धारा 13]
(ii) सीमानियम के उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने के लिए, [धारा 13]
(iii) अंतर्नियमों में परिवर्तन करने के लिए, [धारा 14]
(iv) अंश पूँजी को कम करने के लिए, [धारा 66]
(v) सदस्यों का रजिस्टर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सिवाय किसी अन्य स्थान पर रखना, [धारा 94]
(vi) कंपनी के समापन के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त करना, [धारा 271]
(vii) विशेष वर्ग के अंशों के अधिकार परिवर्तन करना, [धारा 48]
(viii) समता अंश के धारकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अधिक अंश (Further Share) निर्गमित करना। [धारा 62]

Scanned with CamScanner

(ix) कंपनी का ऐच्छिक समापन करना, [धारा 3

(x) अन्वेषण(Investigation) की माँग करने के लिए [धारा 2

(xi) कंपनी द्वारा ऋण एवं निवेश [धारा 1

(xii) समापन की दशा में, कंपनी तथा उसके ऋणदाताओं के बीच किसी प्रबन्ध योजना के लिए स्वीकृति देने के लिए [धारा 32

साधारण प्रस्ताव तथा विशेष प्रस्ताव में अंतर
(Difference between Ordinary Resolution and Special Resolution)

साधारण प्रस्ताव तथा विशेष प्रस्ताव में अंतर निम्न प्रकार से किया गया है:

क्रम संख्या (S. No.)	अंतर का आधार (Basis of Difference)	साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)	विशेष प्रस्ताव (Special Resolution)
1.	अर्थ या बहुमत (Meaning or Majority)	साधारण प्रस्ताव वह होता है जो कंपनी की साधारण सभा में बहुमत से पास किया जाता है। बहुमत का अर्थ है कम से कम 51 प्रतिशत मत उसके पक्ष में हों।	विशेष प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो व्यापक सभा में सदस्यों के 75 प्रतिशत (3/4) द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
2.	सूचना (Notice)	जब तक कंपनी के अंतर्नियमों में उचित व्यवस्था न हो तब तक सभा की सूचना में साधारण प्रस्ताव के स्वभाव का विवेचन आवश्यक नहीं है।	विशेष प्रस्ताव के लिए सभा की सूचना में विचार एवं स्वभाव का उल्लेख होना आवश्यक है।
3.	उद्देश्य (Objects)	जिन मामलों पर निर्णय लेने के लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, उनके निर्णय साधारण प्रस्ताव द्वारा लिये जाते हैं।	विशेष प्रस्ताव पास करने का उद्देश्य कंपनी से संबंधित महत्त्वपूर्ण विषयों पर अल्पसंख्यक सदस्यों के हित की रक्षा करना है।
4.	रजिस्ट्री (Registration)	सामान्यतः साधारण प्रस्ताव को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना आवश्यक नहीं होता है।	विशेष प्रस्ताव पास हो जाने पर उसकी एक प्रतिलिपि 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार के पास भेजना आवश्यक है

(3) **विशेष सूचना वाले प्रस्ताव** (Resolutions Requiring Special Notice): 'विशेष सूचना' का अभिप्राय पूर्व सूचना से है। कंपनी अधिनियम तथा कंपनी के पार्षद् अंतर्नियमों के अनुसार कुछ प्रस्ताव तभी पारित किए जा सकते हैं तथा वे तभी प्रभावशील होते हैं जब उनके बारे में पूर्व सूचना दे दी जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 115 के अनुसार जहाँ इस अधिनियम में या किसी कंपनी के अंतर्नियमों में दिए गए प्रावधन के अनुसार किसी प्रस्ताव की विशेष सूचना देना आवश्यक (अपेक्षित) है, वहाँ ऐसे प्रस्ताव को लाए जाने के आशय की सूचना, कंपनी को सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा जो कुल मतदान शक्ति के कम-से-कम एक प्रतिशत धारण करते हैं या ऐसे अंश धारण करते हैं जिनके कम-से-कम पाँच लाख रुपये की कुल ऐसी राशि, जो निर्धारित की जाए चुकता (प्रदत्त) की गई है। दी जाएगी और कंपनी ऐसी रीति से, जो निर्धारित की जाए, प्रस्ताव की सूचना अपने सदस्यों को देगी।

Scanned with CamScanner

सभाओं की विधि अथवा वैध सभा के लक्षण

(Meetings' Procedure or Requisites of a Valid Meeting)

■ सभा की वैधता (Validity of Meeting)

अंशधारियों की कोई भी सभा तभी वैध कही जा सकती है जब वह उचित ढंग से आयोजित की गई हो। कंपनी की सभाओं में कोई भी वैध कार्यवाही करने के लिए उसमें वैध सभा के आवश्यक लक्षण विद्यमान होने चाहिए। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सभा बुलाने अथवा उसके कार्य-संचालन में कोई भी अनियमितता न केवल सभा की कार्यवाही को अवैध कर देगी बल्कि उनमें लिए गए निर्णय भी निरर्थक, अमान्य तथा शून्य होंगे। कंपनी अधिनियम एक वैध सभा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं जो प्रत्येक सार्वजनिक तथा सार्वजनिक कंपनी की सहायक प्राइवेट कंपनी के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कंपनी के अंतर्नियमों में दिए गए नियमों को भी पूरा किया जाना चाहिए। इस संबंध में मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

(1) **सभा बुलाने का उचित अधिकारी (Proper Convening Authority):** वैध सभा की प्रथम शर्त यह होती है कि यह उचित अधिकारी द्वारा बुलाई जानी चाहिए। अंशधारियों की साधारण सभा को बुलाने के लिए संचालक-मण्डल ही उचित अधिकारी होता है जिसे उसके लिए मण्डल की सभा में एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। यदि संचालक-मण्डल द्वारा सभा नहीं बुलाई जाती तो माँगकर्ता या राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ऐसी सभा बुलाने के लिए उचित अधिकारी होंगे। यह ध्यान देने की बात है कि सभा बुलाने हेतु पारित किया गया प्रस्ताव मण्डल की वैध सभा में पारित किया जाना चाहिए अन्यथा साधारण सभा को बुलाने संबंधी सूचना ही अवैध होगी और सभा की कार्यवाही प्रभावशील नहीं होगी।

(2) **उचित सूचना (Proper Notice):** एक वैध सभा की दूसरी आवश्यकता यह है कि उसे बुलाने के लिए सभी सदस्यों को समुचित सूचना दे दी गई हो। उचित सूचना में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं:

(i) **सूचना की अवधि (Duration of Notice):** कंपनी अधिनियम की धारा 101 के अनुसार कंपनी की साधारण सभा (सदस्यों की सभा) के लिए चाहे वह वार्षिक सभा हो, या वैधानिक सभा या असाधारण सभा, सदस्यों को 21 दिन की पूर्वसूचना देना आवश्यक है। 21 दिन की गणना में सूचना प्राप्त होने का दिन तथा सभा करने का दिन शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित दशाओं में साधारण सभा 21 दिन से कम अवधि की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है:

(अ) वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting) की दशा में, सभा में मतदान का अधिकार रखने वाले सभी सदस्य सहमत हों,

(ब) अन्य किसी सभा की दशा में, यदि अंशपूंजी वाली कंपनी है तो इसकी कुल अंशपूँजी के 95% धारक (जिन्हें मत देने का अधिकार है) तथा बिना अंशपूंजी वाली कंपनी के 95% मताधिकार रखने वाले सदस्य इसके लिए सहमत हों।

कंपनी अधिनियम 1956 से पहले सूचना की अवधि 14 दिन थी।

Scanned with CamScanner

(ii) सूचना भेजने की विधि (Procedure to send notice): सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से दी जा सकती है या सदस्यों के रजिस्टर्ड पते पर डाक द्वारा भेजी जा सकती है। यदि उसका भारत में कोई रजिस्टर्ड पता नहीं है तो सूचना उस पते पर भेजी जानी चाहिए जो उसने कंपनी को सूचना भेजने के लिए दिया हो। यदि किसी सदस्य ने कंपनी को यह कहा हुआ है कि उसको दी जाने वाली सूचना सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अंतर्गत या रजिस्टर्ड भेजे और ऐसा करने के लिए उसने कंपनी के पास आवश्यक राशि जमा कर दी है तो कंपनी को चाहिए कि उन आदेशों के अनुसार ही सूचना भेजे।

यदि कंपनी के पास कुछ सदस्यों के पते न हों, तो कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय के क्षेत्र में प्रचलित किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन देकर यह औपचारिकता पूरी कर सकती है तथा इस प्रकार दिया गया विज्ञापन कंपनी के सभी सदस्यों के लिए सूचना (Notice) के समान माना जाएगा।

संयुक्त अंशधारियों की दशा में केवल एक सूचना उस संयुक्तधारी को दी जानी चाहिए जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सबसे पहले लिखा गया है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि एक स्थगित (Adjourned) सभा की दशा में कोई नई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कानून की दृष्टि में ऐसी सभा मूल सभा का चालू रूप ही मानी जाती है। परंतु यदि मूल सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है अथवा यदि मूल सभा में पूर्ण न किए जा सकने वाले कार्यों के अलावा कुछ अन्य नए कार्यों का भी स्थगित सभा में निष्पादन किया जाना है तो स्थगित सभा की सूचना मूल सभा की तरह ही देनी होगी। यह बात भी ध्यान देने की है कि यदि किसी उचित कारण से सभा को निर्दिष्ट स्थान पर आयोजित करना सम्भव नहीं है तो सभा किसी अन्य स्थान पर भी बुलाई जा सकती है बशर्ते कि सदस्य इसके लिए सहमत हों, तथा ऐसी सभा में किए गए कार्य वैध होंगे।

(iii) सूचना की विषय सामग्री (Contents or subject-matter of notice): कंपनी की सभा संबंधी प्रत्येक सूचना में सभा की तिथि, दिन, स्थान तथा समय आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और उस सभा में किए जाने वाले कार्यों का विवरण भी दिया जाना चाहिए। सभा से सम्बन्धित व्यक्तियों को सभा के कार्यक्रम (Agenda) के विभिन्न विषयों का विवरण इसलिए भेजा जाता है ताकि सभा के दौरान विचार-विमर्श करने से पहले वे उन पर भली-भाँति सोच विचार कर सकें। यदि सभा में कुछ विशेष कार्य किए जाने हैं तो प्रत्येक विशेष कार्य से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का 'विवरण-पत्र' (Explanatory Statement) सभा की सूचना के साथ संलग्न (Attach) किया जाना चाहिए और यदि किसी ऐसे कार्य में कंपनी के किसी संचालक, प्रबन्ध-संचालक अथवा मैनेजर का कोई व्यक्तिगत हित है तो इसका उल्लेख भी विवरण-पत्र में अवश्य किया जाना चाहिए। एक अंशपूंजी वाली कंपनी की सूचना में यह भी उल्लिखित होना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य को प्रति-पुरुष अर्थात् प्रॉक्सी (Proxy) नियुक्त करने का अधिकार है, जहाँ अधिनियम अथवा अंतर्नियमों के अधीन ऐसा करने की अनुमति है तथा एक प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। सभा की सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म को भी संलग्न करना चाहिए। कंपनी द्वारा सभा की सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जानी चाहिए। यदि त्रुटिवश कोई एक सदस्य भी सूचित किए जाने से छूट जाता है, तो वह सभा की वैधता को चुनौती दे सकता है। परंतु यदि सूचित न किए गए सदस्य के हित पर सभा के निर्णय का विशेष प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो, तो सभा की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

(iv) सूचना पाने के अधिकारी (Authorities to get notice): कंपनी अधिनियम की धारा 101 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति सभा की सूचना पाने के अधिकारी हैं:

(अ) कंपनी का प्रत्येक सदस्य (यदि संचालक मंडल की सभा हो रही है तो प्रत्येक संचालक)।

(ब) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी।

(स) किसी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर निस्तारक (Liquidator)।

(द) कंपनी का अंकेक्षक।

Scanned with CamScanner

(v) **संचालकों की सभाओं की सूचना** (Notice of the Meetings of Directors): धारा 173 के अनुसार संचालकों की सभा की सूचना भारत में रहने वाले प्रत्येक संचालक को उनके रजिस्टर्ड पते पर भेजी जानी चाहिए। ऐसे संचालक जो कुछ समय के लिए भारत के बाहर हों, तो उन्हें विदेश में सूचना भेजना आवश्यक नहीं है, परन्तु भारत में उनके रजिस्टर्ड पते पर सूचना अवश्य भेजनी चाहिए। सभा की सूचना में सभा की तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख होना चाहिए। संचालकों को सभा की सूचना उचित समय से पहले ही दी जानी चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण है कि अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि संचालकों की सभाएँ प्रत्येक महीने की अमुक तिथि को होंगी व एक निश्चित समय के पश्चात् होगी तो ऐसी स्थिति में सूचना भेजना आवश्यक नहीं है। परंतु फिर भी सामान्य प्रथा यह है कि सभी संचालकों को सभा का स्मरण-पत्र भेजा जाता है।

(3) **कार्यवाहक संख्या** (Quorum): एक वैध सभा की अगली आवश्यकता कार्यवाहक संख्या का उपस्थित होना है। कार्यवाहक संख्या से आशय सदस्यों की उस न्यूनतम संख्या से है जो सभा में उपस्थित होने चाहिए। कार्यवाहक संख्या प्रायः कंपनी के अंतर्नियमों में निश्चित की जाती है जो वैधानिक सीमा से अधिक तो हो सकती है मगर कम नहीं। कार्यवाहक संख्या में केवल ऐसे सदस्यों की गिनती की जाती है जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हो।

यदि कंपनी के अंतर्नियमों में विपरीत व्यवस्था (अधिक संख्या की व्यवस्था) नहीं है तो एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में 5 स्वयं उपस्थित सदस्य तथा एक निजी कंपनी की दशा में 2 स्वयं उपस्थित सदस्य कार्यवाहक संख्या होती है। कार्यवाहक गिनती करते समय केवल व्यक्तिगत रूप में उपस्थित ऐसे सदस्य ही गिने जाते हैं जिनको सभा में किए जाने वाले कार्य पर मतदान का अधिकार हो। प्रोक्सियों अर्थात् प्रतिपुरुष (Proxies) को कार्यवाहक संख्या में नहीं गिना जाता। इसके अतिरिक्त संयुक्त अंशधारियों को कार्यवाहक संख्या के लिए एक ही सदस्य माना जाता है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सभा का कार्य आरम्भ करते समय ही कार्यवाहक संख्या की उपस्थिति अनिवार्य है। सभा के दौरान या किसी प्रस्ताव पर मतदान लेते समय कार्यवाहक संख्या का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। इस सन्दर्भ में **हार्टले बियर्ड लिमिटेड** (Hartley Baird Ltd.) के वाद में यह निर्णय दिया गया था कि यदि किसी कंपनी की सभा की कार्यवाही के आरम्भ के समय कार्यवाहक संख्या रहती है परंतु कुछ समय बाद सभाकाल में ही सदस्यों के उठकर चले जाने से कार्यवाहक संख्या नहीं रहती है, तब भी सभा की मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा वह वैध होगी।

कंपनी की सभा के लिए निश्चित समय के आधे घण्टे के अन्दर यदि कार्यवाहक संख्या पूर्ण नहीं है और यदि यह सभा सदस्यों की माँग पर बुलायी जाने वाली सभा थी, तो सभा समाप्त मानी जायेगी परंतु अन्य दशाओं में यह सभा स्थगित (Adjourned) की जायेगी और अगले सप्ताह इसी दिन, इसी समय व इसी स्थान पर होगी या ऐसे स्थान व ऐसे समय पर होगी जिसे संचालक-मण्डल तय करेगा, यदि अगले सप्ताह भी सभा के समय के आधे घन्टे के अन्दर कार्यवाहक संख्या पूरी नहीं होती है, तो जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे उतनों को ही कार्यवाहक संख्या मान लिया जाएगा।

संचालकों की सभाओं की कार्यवाहक संख्या (Quorum of the Meetings of Directors): संचालकों की सभा की कार्यवाहक संख्या कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि उनकी सभा की कोई भी कार्यवाहक संख्या निर्धारित नहीं की जाती तो कुल संचालकों की संख्या का 1/3 भाग अथवा 2 संचालक (जो भी अधिक हो) कार्यवाहक संख्या (Quorum) माने जाएंगे। इस प्रकार से गणना करने में यदि कोई आंशिक भाग आए तो उसे पूर्ण मान लिया जाता है। जैसे यदि कंपनी के 8 संचालक हैं तो 1/3 की गणना 2-2/3 आती है तो इसे 3 मान लिया जाएगा। यदि किसी संचालक की मृत्यु से उनके सभा की कार्यवाहक संख्या पूरी नहीं हो पाती तो बचे हुए संचालकों की उपस्थिति से ही उनकी सभा की कार्यवाहक संख्या पूर्ण मानी जायेगी।

(4) **सभापति** (Chairman): एक वैध सभा का चौथा आवश्यक लक्षण यह होता है कि सभा की अध्यक्षता करने एवं उसकी कार्यवाही का संचालन करने के लिए एक सभापति होना चाहिए। कंपनी के अंतर्नियमों में किसी विपरीत व्यवस्था के अभाव में सभा में उपस्थित सदस्य हाथ उठाकर किसी भी व्यक्ति को सभा का सभापति चुन सकते हैं। (धारा 104)

Scanned with CamScanner

कंपनी के अंतर्नियम यदि इस बात की आज्ञा दें तो सभापति की नियुक्ति स्थायी रूप से भी की जा सकती है। प्रायः स्थायी सभापति का कार्यभार कंपनी के प्रबन्ध संचालक के द्वारा ही सम्भाला जाता है। कंपनी की सभा प्रारम्भ होने के 15 मिनट के अन्दर यदि स्थायी सभापति उपस्थित नहीं होता है तो यह कार्यभार उप-सभापति द्वारा सम्भाल लिया जाता है। यदि सभा में उप-सभापति भी उपस्थित न हो तो उपरोक्त रीति से सभापति का चुनाव कर लिया जाता है व सभा की कार्यवाही प्रारम्भ कर ली जाती है।

सभा का सभापति सभा की कार्यवाही चलाने तथा सभा में शान्ति बनाए रखने के लिए उचित व्यक्ति होता है। सभापति ही सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, मतगणना करता है व उसके परिणाम घोषित करता है। सभा के 'सूक्ष्म' को भी यह अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करता है।

सभापति सभा के सफल कार्य-संचालन के लिए उत्तरदायी है। उसे सभा में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभा की कार्यवाही सभा के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत हो, तथा सभा के सम्मुख उपस्थित प्रत्येक प्रश्न के संबंध में सभा की राय उचित रूप में जानी जाए। उसे निष्पक्ष ढंग से कार्य करना चाहिए और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

सभा के कार्य-संचालन के दौरान उठने वाले सभी विवादों को निबटाने के लिए सभापति अधिकृत होता है। परंतु जब तक सभा में कार्यवाहक संख्या उपस्थित न हो, या सभा में अव्यवस्था न हो, या सभा के कुछ कार्य करने शेष न रह गए हों, या सभा में उपस्थित सदस्य ऐसा निर्देश न दें, तब तक सभापति को समय से पहले सभा समाप्त करने या उसे स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि बिना किसी औचित्य के सभापति सभा को स्थगित कर देता है तो सभा दूसरा सभापति चुन सकती है और कार्यवाही चालू रख सकती है (**नारायनन चेतियार वनाम कालेश्वर मिल्स लि०**)। इसके अतिरिक्त, सभापति को सभा की कार्य-सूची में सम्मिलित किसी मामले पर चल रही बहस को रोकने का अधिकार नहीं है, हाँ, वह किसी सदस्य को अत्यधिक बोलने से रोक सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि किसी विषय के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने पर उस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभापति को निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार प्राप्त होता है बशर्ते कि अंतर्नियमों में इसके विपरीत व्यवस्था न की गई हो।

(5) सूक्ष्म (Minutes): **'सूक्ष्म' का आशय सभाओं में किए गए कार्यों का एक संक्षिप्त लेखा है। धारा 118 के अधीन सूक्ष्म से संबंधित निम्न व्यवस्थाएँ हैं:**

(i) प्रत्येक सभा की कार्यवाही की प्रविष्टि सभा की तिथि से 30 दिन के अन्दर-अन्दर सूक्ष्म पुस्तिका (Minutes Book) में हो जानी चाहिए।

(ii) सदस्यों व संचालक मण्डल की सभाओं के सूक्ष्म अलग-अलग पुस्तक के रूप में रखे जायेंगे, जिनके सभी पृष्ठों पर क्रमांक व हस्ताक्षर होने चाहिए तथा कार्यवाही के अन्तिम पृष्ठों पर हस्ताक्षर व तिथि होनी चाहिए। व्यापक सभा की दशा में हस्ताक्षर 30 दिन के भीतर उस सभा के अध्यक्ष द्वारा होने चाहिए तथा संचालक सभा अथवा उसकी समिति की सभा पर उस सभा अथवा उसके बाद की सभा के अध्यक्ष द्वारा हो सकते हैं।

(iii) संचालक मण्डल के सूक्ष्म में उपस्थित संचालकों के नाम तथा किसी प्रस्ताव पर असंतुष्ट संचालकों के नाम लिखे जाने आवश्यक हैं।

(iv) सभा का अध्यक्ष अपवादजनक विषय, सारहीन तथ्य अथवा कंपनी के हितों के लिए हानिकारक विषयों की प्रविष्टि सूक्ष्म में करने के लिए बाध्य नहीं है।

(v) यदि सभा के सूक्ष्म धारा 118 के प्रावधानों के अनुसार रखे गए हैं तो जब तक इसके विरुद्ध और कुछ सिद्ध नहीं कर दिया जाता यह माना जाएगा कि वह सभा विधिपूर्वक आयोजित की गई थी तथा इस सभा में लिए गए निर्णय

Scanned with CamScanner

(vi) उपरोक्त व्यवस्थाओं के अधीन रखे गए सूक्ष्म में की गई प्रविष्टि सभा में की गई कार्यवाहियों के लिए प्रमाण होगी।

(vii) कंपनी की साधारण सभा के सूक्ष्म कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय पर ही रखे जाते है। सदस्यों को सभाओं के सूक्ष्म प्रत्येक व्यावसायिक दिन, व्यावसायिक घण्टों में कम से कम दो घण्टे के लिए अन्तर्नियमों या साधारण सभा द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धो के अधीन सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाएँगे। यदि कोई सदस्य किसी सूक्ष्म की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहे तो निर्धारित शुल्क देकर 7 दिन के अदर नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। यदि किसी सदस्य को सूक्ष्म का निरीक्षण करने की अनुमति नही दी जाती या निर्धारित समय में उसे सूक्ष्म की प्रति नहीं दी जाती तो कपनी तथा प्रत्येक दोषी अधिकारी पर ₹ 500 तक आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है, तथा न्यायालय सूक्ष्म पुस्तक का निरीक्षण व प्रतिलिपि देने के आदेश दे सकता है।

■ मतदान तथा मतगणना (Voting and Poll)

'मत' शब्द से आशय किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष मे अधिकृत रूप से इच्छा या राय प्रकट करना है। सभा में विचाराधीन 'सुझाव' (Motion) अथवा प्रस्तावित सकल्प पर पर्याप्त बहस हो जाने के पश्चात् उस सुझाव के सबध मे सभा का निर्णय जानने के लिए सदस्यो के समक्ष मतदान हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अत: किसी भी विचाराधीन प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में सदस्यों अथवा सभा के मत (Sense of the meeting) जानने के लिए मतदान का सहारा लिया जाता है।

कपनी के अशधारियो के मतदान का अधिकार कपनी पार्षद अतर्नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। कपनी के अशधारियों को कंपनी की सभा मे भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार होता है तथा कपनी इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का अकुश अथवा प्रतिबन्ध नही लगा सकती है परतु सभी अशधारियो के समान मत नही हो सकते है। कंपनी उन सभी अशधारियों द्वारा मतदान पर प्रतिबन्ध लगा सकती है जिन्होने याचना (Call) का भुगतान न किया हो। इसी प्रकार यदि किसी अशधारी के पास कपनी के अधिक अश है तो उसे अधिक मत प्राप्त हो सकते है। विभिन्न प्रकार के अशधारियो के मताधिकार में भिन्नता हो सकती है। इस भिन्नता का आधार उनके द्वारा कंपनी की सभा में मतदान करने की कई प्रणालिया है। कंपनी के स्वरूप एव सभा की स्थिति के अनुसार इनमें से किसी भी प्रणाली का सहारा लिया जा सकता है। मतदान करने की प्रमुख प्रचलित प्रणालियाँ निम्न हैं:

(1) हस्त प्रदर्शन द्वारा मतदान,

(2) मतगणना द्वारा मतदान।

इन प्रणालियों का उल्लेखन निम्नलिखित है:

(1) हस्त-प्रदर्शन द्वारा मतदान (Voting by Show of Hands): मतदान की यह प्रणाली सबसे सरल है। कंपनी अधिनियम की धारा 107 के अनुसार किसी साधारण सभा में जब तक मतगणना (Poll) की माँग नहीं की जाती सभा में विचाराधीन विषयों पर हस्त-प्रदर्शन द्वारा निर्णय दिया जाता है। इस प्रणाली मे सभा का अध्यक्ष सभा में उपस्थित सदस्यों को पहले हाथ उठाने के लिए कहता है जो उस सुझाव के पक्ष में है तथा उनके हाथों को गिन लेता है इसके पश्चात् वह उन उपस्थित सदस्यों को हाथ उठाने के लिए कहता है जो सुझाव के विपक्ष में है तथा इन हाथों को भी गिन लेता है। यदि सुझाव के पक्ष वाले हाथ विपक्ष वाले हाथों से अधिक होते है तो सुझाव मान लिया जाता है। इसके विपरीत नहीं। आजकल प्राय: कंपनी की सभाओं में मतदान अधिकांश कार्यों में इसी प्रकार होता है।

(2) मतगणना द्वारा मतदान (Voting by Poll): यदि हस्त-प्रदर्शन द्वारा किए गए मतदान के परिणाम से सदस्य सन्तुष्ट नही है तो मतगणना की माँग की जा सकती है। हस्त-प्रदर्शन द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा से पहले भी मतगणना की माँग की जा सकती है। मतगणना की उचित माँग पर हस्त-प्रदर्शन द्वारा किए गए मतदान का पूर्व घोषित परिणाम रद्द हो जाता है। मतदान की इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने उसके पास अंश है। इस प्रणाली में प्रॉक्सी भी मतदान में भाग ले सकते हैं। अत: मतदान की इस प्रणाली में किसी सदस्य के पास अधिक संख्या में अंशों का होना तथा अन्य सदस्यों की प्राक्सियाँ होना दोनों ही महत्त्वपूर्ण है।

Scanned with CamScanner

मतगणना के संबंध में वैधानिक व्यवस्थाएँ (Legal Provisions regarding Poll)

मतगणना के संबंध में वैधानिक व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं:

(1) **मतगणना की माँग** (Demand for Poll): मतगणना की माँग निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है:

(अ) अंशपूँजी वाली किसी कंपनी की दशा में, व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रति-पुरुष (प्रॉक्सी) द्वारा, जहाँ अनुमति दी गई हो, उपस्थित तथा कुल मतदान शक्ति का कम से कम एक बटा दस (1/10) वाले या ऐसे अंश धारित करने वाले, जिन पर कम-से-कम पाँच लाख रुपये की राशि या ऐसी अधिक राशि, जो निर्धारित की जाए, चुका दी अर्थात् भुगतान कर दी गई हो, सदस्यों द्वारा, और

(ब) किसी अन्य कंपनी की दशा में व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिपुरुष द्वारा, जहाँ अनुमति दी गई हो, उपस्थिति तथा कुल मतदान शक्ति का कम-से-कम एक बटा दस (1/10) रखने वाले सदस्य या सदस्यों द्वारा मतदान के लिए की गई माँग उन व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने माँग की थी, किसी भी समय वापस ली जा सकती है।

(2) **मतगणना का समय** (Time of Poll): यदि मतगणना की माँग सभा के स्थगन (Adjournment) के लिए की गई है या अध्यक्ष (सभापति) के निर्वाचन (Election) के लिए की गई है तो मतदान उसी समय कराना आवश्यक है। किसी अन्य स्थिति में मतगणना की माँग करने के 48 घंटों के भीतर मतगणना हो जानी चाहिए।

यदि किसी कारणवश मतगणना उसी दिन पूरी न हो सके जिस दिन वह शुरू की गई है तो उसे दूसरे दिन चालू रखा जाएगा। अध्यक्ष को मतगणना समाप्त करने का अधिकार नहीं है।

मतगणना कंपनी के अंतर्नियमों तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार की जाती है। मतगणना के समय सदस्य के मत संबंधी अधिकार उसके द्वारा भुगतान की गई समता पूँजी (Equity Capital) के अनुपात में होते हैं।

(3) **मताधिकार के प्रयोग पर प्रतिबन्ध** (Restriction on exercise of Voting Right): कंपनी के अंतर्नियमों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि कोई भी ऐसा सदस्य अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा जिसने अपने अंशों पर देय माँग का भुगतान नहीं किया है अथवा जिन अंशों के संबंध में कंपनी को कोई पूर्वाधिकार (Lien) है और कंपनी ने ऐसे अधिकार का प्रयोग कर लिया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त एक सार्वजनिक कंपनी किसी भी अंशधारी को अन्य किसी भी दशा में मतदान के लिए नहीं रोक सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक है अपने किसी सदस्य को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से केवल इस आधार पर नहीं रोक सकती कि वह सदस्य मतदान कि तिथि से पहले किसी निर्दिष्ट अवधि तक अंशों का स्वामी नहीं रहा है। यदि वह ऐसा करती है तो यह व्यवस्था व्यर्थ होगी।

(4) **मतों का विभिन्न रूपों में प्रयोग करने के लिए सदस्य का अधिकार** (Right of Member to use his votes differently): कंपनी की सभा में जब एक सदस्य को एक से अधिक मत देने का अधिकार होता है तो जरूरी नहीं कि वह अपने सभी मतों का प्रयोग करे और यह भी जरूरी नहीं कि मतों का प्रयोग एक ही रूप में करे। अतः वह कुछ मत पक्ष व विपक्ष दोनों में दे सकता है।

उपर्युक्त धारा को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि एक सदस्य 20 अंशों का स्वामी है और एक अंश पर एक मत दिया जा सकता है, तो वह अपने 20 मतों में से जितने मत चाहे प्रयोग कर सकता है, अर्थात् वह 10 मत दे दे तथा बाकी न दे या 10 मतों में से 8 मत पक्ष में दे दे और 2 मत विपक्ष में दे।

(5) **मतगणना लेने की रीति** (Procedure of taking Poll): मतगणना की माँग आने पर अध्यक्ष मतदान का समय, स्थान तथा रीति निश्चित करेगा और यदि कंपनी की ओर से मतदान की व्यवस्था पूरी है तो तुरन्त कराया जा सकेगा। कंपनी का सचिव प्रत्येक सदस्य (जो मत देने का अधिकारी है) को एक मत-पत्र (Voting Card) देगा। सदस्य उसमें अपना नाम, धारित अंशों की संख्या, क्रमाँक तथा नाम, यदि वह प्रति-प्रतिनिधि है तो अपने नियुक्तिकर्ता सदस्य का नाम और

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में अपना मत आदि स्पष्ट रूप से अंकित करेगा। इसके लिए प्रायः छपे हुए मत-पत्र प्रयोग में लाए जाते हैं।

(6) **परिणाम** (Result): जब मतगणना की जाती है, तो सभा का अध्यक्ष मतगणना पर दिए गए मतों की जाँच करने व उस संबंध में उसे बताने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त करेगा। अध्यक्ष को ऐसे व्यक्तियों को परिणाम की घोषणा करने से पहले, हटाने तथा रिक्त स्थान पर अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। इन दोनों व्यक्तियों में से एक सदस्य होगा (जोकि कंपनी का एक अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं होना चाहिए), परंतु ऐसा व्यक्ति नियुक्ति के लिए इच्छुक होना चाहिए।

जाँचकर्ता (Scrutinisers) मत-पत्रों की जाँच करके और प्रस्ताव के पक्ष-विपक्ष में मतों की गणना करके उसका परिणाम अध्यक्ष को सौंपेंगे और फिर अध्यक्ष उसकी घोषणा करेगा। यह घोषणा सभा में अथवा विज्ञापन द्वारा की जा सकती है। अध्यक्ष की घोषणा अंतिम एवं निश्चयात्मक मानी जाएगी और मतगणना का परिणाम उस प्रस्ताव के संबंध में जिस पर मतगणना ली गई है सभा का निर्णय माना जायेगा।

■ प्रति-पुरुष/प्रति-प्रतिनिधि/प्रॉक्सी (Proxy)

'प्रति पुरुष' अथवा 'प्रति-प्रतिनिधि' का वस्तुतः अर्थ है: दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने का प्राधिकार। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105 में यह प्रावधान है कि कंपनी की सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने का अधिकार रखने वाला कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रति-प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का अधिकारी होगा। अतः प्रति-प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अन्य व्यक्ति की ओर से कंपनी की सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाता है। अधिक सामान्य रूप से इस शब्द का प्रयोग उस प्रपत्र के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रतिनिधि व्यक्ति को इस प्रकार कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। कंपनी के संबंध में प्रतिपुरुष विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। व्यावहारिक जीवन में कंपनी के सदस्य देश के कोने-कोने में फैले हुए होते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से सभा में उपस्थित होने में उन्हें कठिनाई अनुभव होती है। ऐसी दशा में वे सदस्य अपनी ओर से किसी व्यक्ति को प्रति-पुरुष नियुक्त करके सभा में भाग लेने के लिए भेज देते हैं ताकि उनका सभा में प्रतिनिधित्व हो सके।

कंपनी का प्रत्येक सदस्य जो सभा में उपस्थित होने व मतदान का अधिकारी है अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिपुरुष नियुक्त कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिपुरूष कंपनी का सदस्य ही हो, किसी गैर-सदस्य को भी इस कार्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे प्रतिपुरुष को नियुक्त करने वाले के स्थान पर बैठक में उपस्थित होने एवं मत देने का अधिकार होता है किंतु उसे सभा में भाषण देने का अधिकार नहीं होता। ऐसा अधिकार-पत्र लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं कंपनी होने की दशा में उस पर कंपनी की सार्व मुद्रा अंकित होनी चाहिए। ऐसा नियुक्ति पत्र अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी दिया जा सकता है।

प्रतिपुरुष से संबंधित वैधानिक व्यवस्थाएँ (Statutory Provisions relating to Proxy): प्रतिपुरुषों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएँ हैं:

1. यदि कंपनी के अंतर्नियमों में कोई अन्य व्यवस्था न हो तो:
   (i) एक बिना अंश पूँजी वाली कंपनी के सदस्यों को प्रतिपुरुष नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।
   (ii) एक निजी कंपनी में एक सदस्य को अपने अंशों के लिए एक से अधिक प्रतिपुरुष नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।
   (iii) सभा में प्रस्तुत सुझाव पर केवल मतगणना (Poll) पर ही मतदान करने का अधिकार है, हस्त-प्रदर्शन, विभाजन व अन्य प्रणालियों द्वारा मतदान में मत देने का अधिकार नहीं है।
2. प्रत्येक अंश पूँजी वाली कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों को सभा की सूचना भेजते समय इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि कोई भी सदस्य जिसे सभा में भाग लेने व मत देने का अधिकार है वह प्रतिपुरुष नियुक्त कर सकता है। प्रतिपुरुष को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। यदि इस नियम का पालन नहीं किया गया है तो प्रत्येक दोषी अधिकारी को ₹5,000 तक आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

3. जिस प्रपत्र (Instrument) द्वारा प्रतिपुरुष नियुक्त किया जाता है उसे लिखित होना चाहिए तथा उस पर नियुक्तकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। व्यावहारिक जीवन में कंपनियाँ प्रतिपुरुष-पत्र को छपवाकर रखती है और कंपनी की सभा की सूचना के साथ ही उसे प्रत्येक सदस्य के पास भिजवा देती हैं। जो सदस्य अपनी जगह प्रतिपुरुष को नियुक्त करना चाहता है वह इस प्रतिपुरुष पत्र को भरकर, उस पर स्टैम्प लगाकर व अपने हस्ताक्षर करके कंपनी को भेज देता है। यहाँ यह लिखना अनावश्यक न होगा कि यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की सदस्य है व प्रतिपुरुष नियुक्त करना चाहती है तो ऐसी दशा में उस कंपनी की सील (Seal) उस प्रतिपुरुष-पत्र पर लगानी आवश्यक होगी।

4. प्रतिपुरुष की नियुक्ति संबंधी प्रपत्र कंपनी में सभा के निश्चित समय से कम-से-कम 48 घण्टे पूर्व जमा कर देने चाहिए। सभा में मतदान की स्थिति में मतदान के 24 घण्टे पूर्व जमा करना आवश्यक है। प्रत्येक सभा के लिए अलग-अलग प्रपत्र होना चाहिए।

5. कंपनी के अधिकारियों ने जान-बूझकर यदि केवल कुछ सदस्यों को ही प्रतिपुरुष नियुक्त करने के लिए आमन्त्रित किया है तो ऐसी दशा में प्रत्येक दोषी अधिकारी पर ₹ 1,00,000 तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। परंतु यदि कोई सदस्य कंपनी के संचालकों से यह लिखित प्रार्थना करता है कि उसे उन व्यक्तियों की सूची भेजी जाए जो प्रतिपुरुष बनने को तैयार हों व संचालक उस सदस्य को ऐसी सूची निःशुल्क भेज देते हैं तो उपरोक्त अर्थदण्ड ऐसे अधिकारी पर नहीं लगाया जा सकता है जिसने यह सूची भेजी है। (धारा 105)

6. कंपनी का वह प्रत्येक सदस्य जिसे कंपनी की सभा में मत देने का अधिकार है कंपनी को 3 दिन की सूचना देकर कंपनी में जमा प्रतिपुरुष पत्रों का निरीक्षण सभा शुरु होने से 24 घण्टे पहले से सभा समाप्ति तक किसी भी समय कंपनी के काम के घण्टों में कर सकता है।

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रति-प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐसे सदस्यों के लिए जिनकी संख्या 50 से अधिक नहीं है तथा ऐसे अंशों की संख्या, जो निर्धारित की जाए, की ओर से कार्य करेगा। पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

प्रति-प्रतिनिधि से संबंधित उपरोक्त प्रावधान एक बिना अंशपूँजी वाली कंपनी तथा एक निजी कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक नहीं है, लागू नहीं होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 में यह भी प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार ऐसी कंपनियों के वर्ग अथवा वर्गों को निर्धारित कर सकेगी जिनके सदस्यों को प्रति-प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

संचालक (Director)

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition): एक कंपनी केवल राजनियम के अधीन निर्मित एक व्यक्ति है। वह एक कृत्रिम व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं। इसलिए वह अपने कार्यों को अपने एजेंटों अथवा अपने द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों के द्वारा ही निष्पादित कर सकती है। जिन व्यक्तियों के द्वारा वह अपने कार्यों को निष्पादित करती है उन्हें **'संचालक'** कहते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (34) के अनुसार संचालक से आशय किसी कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किसी संचालक से है। एक सार्वजनिक कंपनी के संचालकों का, उस कारोबार में जो कंपनी कर रही है अथवा करने जा रही है, निपुण होना अनिवार्य नहीं है। परंतु एक कंपनी के संचालक-मंडल में व्यावसायिक प्रशासन के विभिन्न अंगों के विशेषज्ञ; जैसे- लेखे, वित्त, कानून, प्रशासन तथा कुछ कंपनी के व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति होते हैं।

वेब्स्टर (Webster) **शब्दकोश** के अनुसार, संचालक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया जाता है। चूँकि एक कंपनी में बहुत से अंशधारी होते हैं और वे सभी प्रबंध में भाग नहीं ले सकते, अतः कंपनी का प्रबंध कुछ चुने हुए व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, जिन्हें **संचालक** कहा जाता है। ये व्यक्ति प्रभावशाली, विद्वान, व्यापारिक कार्यों में कुशल तथा धनवान होते हैं।

Scanned with CamScanner

■ संचालक-मंडल (Board of Directors)

अधिनियम की धारा 149 के अनुसार, सामूहिक रूप से संचालकों को 'संचालक-मंडल' (Board of Directors) या फिर 'मंडल' ही कहा जाता है। यह 'मंडल' कंपनी की सर्वोच्च प्रशासकीय इकाई होती है। इस मंडल को कंपनी के शरीर का 'मस्तिष्क' जा सकता है क्योंकि कंपनी के सभी कार्य इसी के माध्यम से पूरे होते हैं। सारांशतः यही कहा जा सकता है कि 'संचालक-मंडल' कंपनी नीति बनाता है, प्रबंध की व्यवस्था करता है, निर्णय लेता है। इसलिए इसे कंपनी की प्रमुख एवं सर्वोच्च इकाई माना जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में यह प्रावधान है कि:

प्रत्येक कंपनी का एक संचालक-मंडल होगा। जिसके संचालक के रूप में व्यक्ति होंगे और उनकी संख्या–

(अ) सार्वजनिक कंपनी की दशा में न्यूनतम तीन संचालक, निजी कंपनी की दशा में न्यूनतम दो संचालक तथा एक व्यक्ति कंपनी की दशा में एक संचालक होगी।

(ब) संचालकों की अधिकतम संख्या पंद्रह (15) होगी।

परंतु कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् पंद्रह से अधिक संचालक नियुक्त कर सकती है। तथा किन्हीं कंपनियों के वर्ग या वर्गों में, जो निर्धारित किए जाएँ, कम से कम एक स्त्री संचालक होगी।

प्रत्येक कंपनी कम से कम एक ऐसा संचालक रखेगी जिसने भारत में पूर्व कैलैंडर वर्ष में से कम से कम एक सौ ब्यासी (182) दिन की अवधि के लिए निवास किया हो। प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र संचालक (Independent Director) के रूप में होंगे और केंद्रीय सरकार अन्य सार्वजनिक कंपनियों के वर्ग या वर्गों की दशा में स्वतंत्र संचालकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकेगी। एक कंपनी के संबंध में स्वतंत्र संचालक से आशय प्रबंध-संचालक से भिन्न कंपनी के एक ऐसे पूर्णकालिक (Whole-time) संचालक या नामांकिकी (Nominee) संचालक से है जो बोर्ड (मंडल) की राय में सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है तथा जिसके पास सुसंगत (Relevant) विशेषज्ञता और अनुभव है तथा जो कंपनी या उसकी सूत्रधारी, सहायक या सहयुक्त कंपनी का प्रवर्तक (Promoter) नहीं है या नहीं था जो ऐसी कंपनी में प्रवर्तकों या संचालकों का रिश्तेदार नहीं है और न ही उसका कंपनी से कोई स्थानीय अर्थात् आर्थिक संबंध है।

धारा 152 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई स्वतंत्र संचालक किसी कंपनी के बोर्ड में पाँच अनुवर्ती (Consecutive) वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा। किन्तु आपवादिक मामलों में कंपनी द्वारा और बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति के प्रकटन (Disclosure) द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करने पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। चक्रानुक्रम द्वारा अर्थात् पारी से संचालकों की सेवानिवृत्ति (Retirement of director by rotation), स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति को लागू नहीं होगी।

अधिनियम की धारा 150 स्वतंत्र संचालकों के चयन का तरीका तथा प्रक्रिया और ऐसे संचालकों के डाटा बैंक के रख-रखाव (Maintenance) का वर्णन करती है। धारा 151 छोटे अंशधारियों (Small Shareholder's) द्वारा निर्वाचित संचालक की नियुक्ति का प्रावधान करती है। एक सूचीबद्ध कंपनी के पास ऐसे छोटे अंशधारियों द्वारा निर्वाचित एक संचालक इसके बोर्ड में होगा।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए छोटे अंशधारियों से आशय एक ऐसे अंशधारी से है जिसके पास बीस हजार रुपये अथवा ऐसी अन्य राशि, जो निर्धारित की जाए, से अधिक से अंश नहीं है।

'एक व्यक्ति कंपनी की दशा में एक व्यक्ति सदस्य होने के नाते अर्थात् कारण प्रथम संचालक माना जाएगा जब तक कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (1) के प्रावधानों के अनुसार संचालक अथवा संचालकों की नियुक्ति उचित रूप से नहीं कर दी जाती है।

■ केवल व्यक्ति ही संचालक हो सकते हैं (Only Individuals can be Directors)

धारा 152 के अनुसार किसी भी समामेलित संस्था, संगठन अथवा फर्म को कंपनी का संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता और केवल व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक संचालक को व्यक्तिगत रूप से कंपनी की ओर से कार्य करना पड़ता है तथा संचालक के रूप में किए गए कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यदि कोई समामेलित संस्था, संगठन अथवा फर्म कंपनी का संचालक है तो संचालक के रूप में किए गए कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

Scanned with CamScanner

कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति नहीं करेगी जब तक कि उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 के अंतर्गत संचालक पहचान संख्या (DIN) का आबंटन नहीं कर दिया गया हो।

संचालक पद की संख्या पर प्रतिबंध (Restriction on Number of Directorships)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् एक ही समय में बीस (20) कंपनियों से अधिक कंपनियों में संचालक के रूप में पद धारण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही 20 कंपनियों का संचालक है और वह किसी अन्य कंपनी में संचालक नियुक्त किया गया है तो उसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 द्वारा निर्धारित संख्या बीस का संचालक बने रहने के लिए शेष कंपनियों से संचालक पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए अन्यथा उसकी नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी तथा व्यर्थ होगी।

धारा 165 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति अधिकतम बीस कंपनियों का संचालक, जिसमें वैकल्पिक संचालक भी सम्मिलित है, हो सकता है परंतु इन 20 कंपनियों में सार्वजनिक कंपनियों की संख्या दस (10) से अधिक नहीं हो सकती है। सार्वजनिक कंपनियों में संचालक पद की सीमा की गणना करते समय ऐसी निजी कंपनियों में संचालक पद को जो किसी सार्वजनिक कंपनी की या तो सूत्रधारी कंपनी है या सहायक कंपनी है, सम्मिलित किया जाएगा।

इस धारा में यह भी प्रावधान है कि एक कंपनी व्यापक सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनियों की संख्या 20 से कम निर्दिष्ट कर सकती है जिसमें एक व्यक्ति संचालक के रूप में कार्य कर सकेगा।

संचालकों की योग्यताएँ (Qualifications of Directors)

कंपनी अधिनियम में संचालक के लिए कोई शैक्षणिक या अंशों के धारण संबंधी कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा एक भ्रम प्रचलित है कि संचालक कंपनी का अंशधारी होना ही चाहिए। परंतु ऐसी बात नहीं है। जब तक कि अंतर्नियमों में कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो, एक संचालक का कंपनी का अंशधारी होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अंतर्नियमों में प्रायः संचालकों के योग्यता अंशों की व्यवस्था की जाती है। अतः कंपनी का संचालक बनने से संबंधित नियम निम्न प्रकार हैं:

कोई भी व्यक्ति एक सार्वजनिक कंपनी का, जिसमें अंशपूँजी है, संचालक नियुक्त होने के योग्य नहीं होगा जब तक कि—

(i) उसे संचालक पहचान संख्या (DIN) आबंटित नहीं की गई है;

(ii) उसने अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर संचालक के रूप में कार्य करने की अपनी लिखित एवं हस्ताक्षरित सहमति निर्धारित तरीके से कंपनी के रजिस्ट्रार को सुपुर्द नहीं कर दी है;

(iii) उसने कंपनी से योग्यता अंश लेने एवं उसके लिए भुगतान करने के लिए पार्षद् सीमानियम पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए हैं;

(iv) उसने कंपनी में योग्यता अंश यदि कोई हैं, लेने तथा उनका मूल्य चुकाने का लिखित दायित्व (Written undertaking) रजिस्ट्रार के पास भेज दिया है;

(v) उसने रजिस्ट्रार के पास ऐसा **शपथ-पत्र** (Affidavit) भेज दिया गया हो कि उसके योग्यता अंश उसके नाम में रजिस्टर्ड हैं। केवल एक व्यक्ति ही संचालक नियुक्त किया जा सकता है।

संचालकों की अयोग्यताएँ (Disqualifications of Directors)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 में कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का उल्लेख है जिनके कारण किसी व्यक्ति को किसी कंपनी का संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, निम्नलिखित व्यक्ति किसी कंपनी के संचालक पद पर नियुक्त किए जाने के अयोग्य हैं:

1. यदि किसी उचित न्यायालय ने उसे अस्वस्थ मस्तिष्क का अथवा पागल घोषित कर दिया हो और यह निर्णय अभी लागू हो।
2. एक ऐसा दिवालिया जिसे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई हो।
3. एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया हो और उसका आवेदन-पत्र विचाराधीन (pending) हो।

Scanned with CamScanner

■ संचालकों की नियुक्ति (Appointment of Directors)

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी समामेलित संस्था, संघ अथवा फर्म को कंपनी का संचालक नियुक्त सकता। केवल व्यक्ति ही संचालक नियुक्त हो सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंश हैं (यदि अंतर्नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था है) तथा धारा 164 के अंतर्गत नियुक्ति के कंपनी का संचालक नियुक्त किया जा सकता है।

संचालकों की नियुक्ति निम्न में से किसी एक विधि द्वारा की जा सकती है:

1. **पार्षद् सीमानियम के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा** (By the Signatories of the Memorandum of As कंपनी के **प्रथम संचालकों** (First Directors) की नियुक्ति **प्रवर्तकों** (Promoters) द्वारा की जाती है औ अंतर्नियमों में दिये जाते हैं। यदि अंतर्नियमों में संचालकों का नाम नहीं दिया गया है और न ही नियुक्ति की

Scanned with CamScanner

इसमें उल्लिखित है तो सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ही उस समय तक संचालक माने जाएंगे जब तक कि संचालकों की नियुक्ति कंपनी की साधारण सभा में न कर दी जाए। इस प्रकार कंपनी की प्रथम व्यापक सभा में निवृत्त होने वाले प्रथम संचालकों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।

2. **अंशधारियों द्वारा कंपनी की साधारण सभा में** (By the Shareholders in the General Meeting of the Company): कंपनी के प्रथम संचालकों की कार्य-अवधि कंपनी की प्रथम साधारण सभा तक होती है। इन संचालकों की नियुक्ति व पुनः नियुक्ति तभी की जा सकती है जबकि अंतर्नियम में इस बारे में व्यवस्था हो, अन्यथा पहली साधारण सभा में सभी संचालकों को अवकाश ग्रहण करना पड़ता है और उनके स्थान पर नए संचालक नियुक्त किए जाते हैं।

यदि अंतर्नियम में हर वर्ष साधारण सभा में सभी संचालकों के अवकाश ग्रहण के बारे में न कहा जाए तब एक सार्वजनिक कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी के संचालकों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई (2/3) संचालक बारी-बारी से अवकाश ग्रहण करेंगे (Retirement of directors by rotation) और शेष एक तिहाई (1/3) संचालकों को **'पदेन या स्थायी संचालक'** (Ex-officio Director) कहा जाता है। प्रथम साधारण सभा के बाद वाली हर वार्षिक साधारण सभा में अवकाश ग्रहण करने वाले संचालकों में से (जो कि सभी संचालकों का कम से कम 2/3 हों) एक तिहाई (1/3) ऐसे संचालकों को प्रति वर्ष बारी बारी से अवकाश ग्रहण करने चाहिए जो अपनी पिछली नियुक्ति के समय से सबसे अधिक समय तक इस स्थान पर हों। परंतु संचालक यदि ऐसे हों जिनकी नियुक्ति एक ही दिन हुई हो तो उनके आपसी अनुबंध से या लाटरी डालकर यह निर्णय किया जाएगा कि किन-किन संचालकों को अवकाश ग्रहण करना है।

अवकाश ग्रहण करने वाले संचालक पुनः चयन के लिए योग्य होते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाले संचालकों के रिक्त स्थान को, उसी सभा में उसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को संचालक के पद पर नियुक्त करके भरा जा सकता है। यदि अवकाश ग्रहण करने वाले संचालकों के स्थान पर कोई नई नियुक्ति नहीं हो पाती तो सभा अगले सप्ताह उसी दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। यदि स्थगित सभा में भी रिक्त स्थान नहीं भरा जाता है, तो अवकाश ग्रहण करने वाले को ही पुनर्नियुक्त समझा जाएगा या समझे जाएंगे परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसा नहीं होगा:

(क) यदि उसकी पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव मूल या स्थगित सभा में अस्वीकार हो चुका है।

(ख) यदि अवकाश ग्रहण करने वाले संचालक ने लिखित रूप में कंपनी या संचालक-मंडल को, अपनी पुनः नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा लिखित रूप में प्रस्तुत कर दी है।

(ग) यदि पुनः नियुक्ति के लिए वह अयोग्य है या अयोग्य माना जा चुका है।

(घ) यदि उसकी पुनः नियुक्ति के लिए एक विशेष या साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता है।

(ङ) यदि दो या दो से अधिक संचालकों की नियुक्ति के लिए केवल एक ही प्रस्ताव है।

वार्षिक व्यापक सभा (Annual General Meeting) में अवकाश ग्रहण करने वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भी संचालक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है मगर शर्त यह है कि उसने या उसका नाम प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति ने सभा से कम-से-कम 14 दिन पूर्व इस आशय की लिखित सूचना तथा सूचना के साथ ₹ 1,00,000 कंपनी को भेज दिए हों। यह रकम वापस लौटा दी जाएगी यदि वह व्यक्ति संचालक निर्वाचित हो जाने में सफल हो जाता है। इस संबंध में कंपनी का भी यह कर्तव्य है कि सभा की तिथि से 14 दिन पहले तक इस प्रकार की सूचना प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से या सभा की तिथि से 14 दिन पूर्व संचालक पद पर खड़े होने वाले प्रत्याशी की सूचना को दो समाचार-पत्रों में विज्ञापित कर दें। ये समाचार पत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्र में प्रचलित हों और उनमें से एक समाचार-पत्र क्षेत्रीय भाषा का तथा दूसरा अंग्रेजी भाषा का होना चाहिए। **[धारा 257]**

उपरोक्त व्यवस्थाएँ एक स्वतंत्र निजी कंपनी पर लागू नहीं होंगी।

धारा 264(1) के अनुसार, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम संचालक पद के लिए प्रस्तावित किया गया है, को संचालक की तरह कार्य करने के लिए अपनी लिखित सहमति कंपनी के पास प्रस्तुत करनी होगी। लेकिन यह सहमति अवकाश ग्रहण करने वाले संचालक को देने की आवश्यकता नहीं है।

Scanned with CamScanner

संचालक को अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर संचालक के रूप में कार्य करने की अपनी लिखित सहमति रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिए।

प्रत्येक संचालक की नियुक्ति के लिए अलग-अलग प्रस्ताव होना चाहिए, अन्यथा प्रस्ताव शून्य (व्यर्थ) माना जाता है, लेकिन यदि सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी हो तो एक ही प्रस्ताव द्वारा दो या दो से अधिक संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है।

3. **संचालक-मंडल द्वारा नियुक्ति** (Appointment by Board of Directors): संचालक-मंडल निम्नलिखित दशाओं में संचालक की नियुक्ति कर सकता है:

   (i) **आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति** (Appointment in Case of Casual Vacancy): ऐसे संचालक का स्थान जिसकी नियुक्ति वार्षिक व्यापक सभा में की गई है यदि सामान्य अवधि से पहले ही आकस्मिक कारण से रिक्त हो जाता है तो संचालक-मंडल अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकता है। लेकिन इस प्रकार नियुक्त संचालक का कार्यकाल पुराने संचालक की शेष अवधि तक ही रहेगा। संचालक का स्थान मृत्यु, त्यागपत्र, दिवालियापन, अयोग्यता अथवा पद स्वीकार न करने के कारण रिक्त होता है।

   (ii) **अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति** (Appointment of Additional Directors): अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर संचालक-मंडल अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। परंतु (i) इनका कार्यकाल अगली वार्षिक साधारण सभा तक होगा, तथा (ii) संचालकों तथा अतिरिक्त संचालकों की कुल संख्या अंतर्नियम में निर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

   (iii) **वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति** (Appointment of Alternative Directors): किसी संचालक द्वारा राज्य में 3 माह तक अनुपस्थित रहने पर संचालक-मंडल व्यापक सभा द्वारा पास किए गए प्रस्ताव अथवा अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर एक वैकल्पिक संचालक नियुक्त कर सकता है जिसका कार्यकाल मूल संचालक से अधिक नहीं होगा। मूल संचालक के लौट आने पर ऐसे संचालक को पद का त्याग करना होगा।

   (iv) **नामनिर्दिष्ट/नामांकित संचालक की नियुक्ति** (Appointment of Nominee Directors): कंपनी के अंतर्नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड, उस समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के या किसी अनुबंध के अनुसार किसी संस्था द्वारा या सरकारी कंपनी में उसके अंशधारण के आधार पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी संचालक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

4. **आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्ति** (Appointment by Proportional Representation): साधारणतया कंपनी के संचालक साधारण बहुमत से नियुक्त किए जाते हैं और अल्पमत का बड़ा भाग भी अपना संचालक नियुक्त नहीं करा सकता। धारा 163 अल्पमत वाले अंशधारियों को संचालक-मंडल में प्रतिनिधित्व देकर उनकी सुरक्षा करता है।

   एक सार्वजनिक कंपनी अथवा उसकी सहायक निजी कंपनी के अंतर्नियमों में यह व्यवस्था की जा सकती है। संचालकों की कुल संख्या का 2/3 भाग इस पद्धति से नियुक्त किया जा सकता है। यह निर्वाचन **एकल हस्तांतरण योग्य मत अथवा संचयी मतदान** (Single transferable vote or cummulative voting) के द्वारा हो सकता है। ऐसी नियुक्तियां तीन वर्षों में एक बार की जाती हैं एवं आकस्मिक रिक्त स्थान धारा 262 के अनुसार भरे जाने चाहिएं।

■ संचालक की नियुक्ति पर मतदान (Voting on Director's Appointment)

एक सार्वजनिक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी में प्रत्येक संचालक की नियुक्ति व्यापक सभा में साधारण प्रस्ताव द्वारा की जानी चाहिए। इससे आशय यह है कि उम्मीदवार को एकत्रित रूप में (Enable) वोट नहीं डाल सकते, बल्कि एकल रूप में प्रत्येक उम्मीदवार को वोट डाला जाएगा। यदि एक ही प्रस्ताव से दो या अधिक संचालकों की नियुक्ति की जाती है तो ऐसी नियुक्ति व्यर्थ होगी परंतु सभा ने यदि सर्वसम्मति से यह निश्चय कर लिया है तो एक से अधिक व्यक्ति एक प्रस्ताव से ही निर्वाचित हो सकते हैं। ऐसी दशा में यह अनिवार्य होगा कि पहले उनकी नियुक्ति को अधिकृत करने वाला प्रस्ताव बिना उसके विरुद्ध मत के पारित किया जाए। यह प्रावधान उन निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते जो सार्वजनिक कंपनियों की सहायक कंपनियाँ नहीं है।

Scanned with CamScanner

संचालक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का अनुमोदन करने या नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट (Nominate) करने के लिए किसी प्रस्ताव को उसकी नियुक्ति के लिए नाम निर्देशन समझा जाएगा। [धारा 162]

■ संचालकों द्वारा पद-परित्याग अथवा स्थान रिक्त करना (Vacation of Office by Directors)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 167 (1) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में एक संचालक का पद रिक्त हो (माना) जाएगा यदि:

1. वह धारा 164 में निर्दिष्ट अयोग्यताओं में से कोई अयोग्यता उपगत (Incur) करता है;
2. वह बोर्ड से अनुपस्थिति की इजाज़त (अनुमति) प्राप्त करके या उसके बिना बारह (12) मास की अवधि के दौरान हुई संचालक बोर्ड की सभी सभाओं से स्वयं को अनुपस्थित रखता है;
3. वह ऐसे अनुबंध या ठहराव करने से, जिनमें वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध (Interested) है, संबंधित धारा 164 के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है;
4. वह किसी ऐसे अनुबंध या ठहराव में अपना हित प्रकट करने में असफल रहता है जिसमें वह धारा 184 के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है;
5. वह किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी आदेश द्वारा अयोग्य हो जाता है;
6. उसे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष (convicted) ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता (नीचता) संलिप्त है और उसके संबंध में कम से कम 6 महीने के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि उसके द्वारा धारित संचालक का पद उपरोक्त वर्णित अयोग्यताओं में से किसी अयोग्यता के कारण रिक्त हो गया है, संचालक के रूप में कार्य करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम का नही होगा, किंतु जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

कोई निजी कंपनी अपने अंतर्नियमों द्वारा किसी संचालक के पद की रिक्ति के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार का प्रावधान कर सकेगी।

धारा 167 में यह प्रावधान है कि जहाँ किसी कंपनी के सभी संचालक उपधारा (1) में निर्दिष्ट अयोग्यताओं में से किसी अयोग्यता के अधीन अपने पद रिक्त कर देते हैं, वहाँ प्रवर्तक (Promoter) या उसकी अनुपस्थिति में केंद्रीय सरकार अपेक्षित संख्या में संचालकों की नियुक्ति करेगी, जो उस समय तक पद धारण करेंगे जब तक व्यापक सभा में कंपनी द्वारा संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती। [धारा 167]

■ संचालकों का हटाया जाना (Removal of Directors)

• 1. कंपनी द्वारा हटाया जाना (Removal by the Company)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 169 में यह प्रावधान है कि कोई कंपनी किसी ऐसे संचालक को, जो न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया संचालक नहीं है, उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व विशेष सूचना तथा साधारण प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। कंपनी तथा संचालक के बीच कोई ऐसा अनुबंध जो साधारण प्रस्ताव द्वारा संचालक हटाए जाने को प्रतिबंधित करता हो, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण, व्यर्थ होगा। परंतु इस धारा के तीन अपवाद हैः

(अ) यदि वह अल्पसंख्यक सदस्यों की प्रार्थना पर कंपनी का अन्याय तथा कुप्रबंध रोकने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है;

(ब) यदि वह किसी निजी कंपनी में आजीवन काल के लिए पद रखने वाला संचालक है; अथवा

(स) यदि वह कंपनी में दो-तिहाई संचालक के पद पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना गया है;

Scanned with CamScanner

विधि (Procedure): धारा 169 के प्रावधान के अंतर्गत यदि किसी संचालक को उसका कार्य-काल समाप्त होने के पूर्व हटाया जाना है, तो निम्न विधि अपनाई जाती है:

(i) **विशेष सूचना** (Special Notice): किसी संचालक को हटाने के लिए प्रस्ताव की विशेष सूचना कंपनी को देना आवश्यक है। ऐसी सूचना कंपनी की सभा के 14 दिन पूर्व भेजनी चाहिए।

(ii) **प्रस्ताव की प्रतिलिपि संचालक को भेजना** (To send a Copy of the Resolution to the Director): इस धारा के अंतर्गत किसी संचालक को हटाने के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने के तुरंत पश्चात्, कंपनी को उसकी प्रतिलिपि संबंधित संचालक को भेजनी चाहिए। इस संचालक को कंपनी की सभा में इस प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार है।

(iii) **संचालक को स्पष्टीकरण का अधिकार** (Right of Clarification to the Director): हटाए जाने वाले संचालक को यह अधिकार भी है कि वह अपना लिखित स्पष्टीकरण कंपनी के पास भेज सके। यदि स्पष्टीकरण के देर से प्राप्त होने के कारण उसकी प्रतिलिपि सदस्यों को न भेजी जा सकी हो तो वह संचालक अपने स्पष्टीकरण को सभा में पढ़े जाने की माँग कर सकता है।

परंतु यदि इस स्पष्टीकरण में कोई ऐसा विवरण है, जिसमें किसी सदस्य की मान-हानि का प्रश्न है, तो न्यायालय उसके स्पष्टीकरण को अन्य सदस्यों के पास भेजने या सभा में न पढ़े जाने का आदेश दे सकता है।

रिक्त स्थान को भरना (Filling the Vacancy): हटाए जाने वाले संचालक के स्थान पर अन्य संचालक की नियुक्ति उसी सभा में, जिसमें संचालक को हटाया गया है, विशेष सूचना द्वारा हो सकती है। यदि उस सभा में इस रिक्त स्थान को नहीं भरा जाता तो इसे उसी विधि से भरा जाएगा जैसे आकस्मिक रिक्त स्थान को धारा 161 के अधीन भरा जाता है। परंतु हटाए जाने वाले संचालक को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

हटाए जाने वाले संचालक के स्थान पर नियुक्त किए जाने वाले संचालक का कार्य-काल पूर्व संचालक की अवधि तक ही रहेगा।

क्षतिपूर्ति (Compensation): इस प्रकार अलग हुए संचालक को कंपनी पर उस क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने का अधिकार है जो इस तरह समय से पहले हटाने से हुई हो।

2. **न्यायाधिकरण द्वारा हटाया जाना** (Removal by the Tribunal): यदि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की यह राय है कि कंपनी के क्रिया कलाप किसी संचालक द्वारा अन्याय व कुप्रबंध वाली रीति से चलाए जा रहे हैं तो न्यायाधिकरण कंपनी तथा प्रबंध संचालक अथवा किसी अन्य संचालक के बीच हुए अनुबंध को समाप्त (Terminate), रद्द (Set aside), अथवा संशोधित (Amend), कर सकता है।

इस प्रकार हटाये गए व्यक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी प्रबंधकीय पद को ग्रहण करने के अयोग्य हो जाते हैं। परंतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से इस अवधि में छूट मिल सकती है। इस प्रकार हटाये गए व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाती। [धारा 242]

Scanned with CamScanner

अन्य ऐसा व्यक्ति, जिसको उधार दिया गया है या उसके द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी उधार के संबंध में गारंटी या जमानत दे जाती है, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पाँच लाख रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

■ संचालकों की वैधानिक स्थिति (Legal Position of Directors)

एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार-बार मस्तिष्क में घूमता है कि संचालकों की कंपनी में क्या स्थिति है और कंपनी से उनका क्या संबंध है? संचालक कंपनी का प्रबंध संचालन करते हैं और उन्हें इस योग्य बनाने के लिए अधिनियम ने कुछ व्यापक अधिकार भी प्रदान किए हैं। इसलिए संचालकों और कंपनी के पारस्परिक संबंध को परिभाषित करना बड़ा ही कठिन कार्य है। इस संबंध में प्रायः दो मत हैं। **एक मत** के अनुसार वे कंपनी के **प्रन्यासी** (Trustee) **हैं और दूसरे मत के अनुसार** वे कंपनी के एजेण्ट हैं। उनका कंपनी के साथ एक विश्वासाश्रित संबंध होता है और ये अंतर्नियमों तथा अधिनियम द्वारा अधिकारों के अधीन कंपनी की पूँजी और सम्पत्तियों का प्रबंध करते हैं। विभिन्न निर्णय किए गए मामलों के अनुसार वे न तो कंपनी के कर्मचारी हैं और न उसके स्टॉफ के सदस्य ही।

किसी भी कंपनी में संचालकों की सही स्थिति का चित्रण तो सम्भव नहीं है परंतु उपयोगी दृष्टिकोणों के आधार पर इनकी स्थिति का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है:

1. **प्रन्यासी के रूप में संचालकों की स्थिति** (Position of Directors as Trustees): **योर्क एण्ड नोर्थ मिडलैंड रेल क. वनाम हडसन** (York and North Midland Rail Co. Vs. Hudson) के मामले में निर्णय देते हुए कहा गया है, ''संचालक वे व्यक्ति हैं जो अंशधारियों के हित के लिए कंपनी के मामलों का प्रबंध करने के लिए चुने जाते हैं। यह चुनाव एक विश्वास का पद है, और यदि वे इसे स्वीकार करते हैं तो उन्हें इसको तत्परता से निभाना चाहिए।'' इस प्रकार संचालकों का पद एक विश्वास का पद है। कंपनी की सारी सम्पत्तियाँ, पूँजी, धन-राशि तथा अन्य मामले उन्हें इसीलिए सौंपे जाते हैं कि वे उनका **प्रन्यासी** (Trustee) की भाँति प्रबंध करें। विश्वासाश्रित व्यक्तियों की भाँति कार्य करते हुए उनका कर्तव्य है कि वे अपने निजी हितों का ध्यान न रखें। यदि वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें संयुक्त व पृथक् दोनों तरह से दायी ठहराया जा सकता है। संक्षेप में निम्नलिखित मामलों के संबंध में संचालक कंपनी के प्रन्यासी माने जाते हैं: (i) अंशों का आबंटन करना, (ii) अंशों का हरण करना, (iii) याचना राशि की मांग करना, (iv) अंशों के हस्तांतरण को स्वीकार करना, तथा (v) कंपनी की सम्पत्ति अथवा धन का विनियोग करना।

   राम स्किल बनाम एडवर्ड (Ram Skill Vs. Edward) के विवाद में भी यह निर्णय दिया गया था कि ''संचालक कंपनी के प्राप्त धन के लिए **प्रन्यासी** (Trustee) माने जाते हैं तथा इसके लिए वे व्यक्तिगत तौर पर तथा संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।'' संचालकगण कंपनी के अंशों को आबंटन व हरण करने, माँग की राशि माँगने, अंशों का हस्तांतरण स्वीकारने तथा कंपनी की सम्पत्ति या धन का विनियोजन करने के अधिकारी होते हैं अतः उन्हें 'प्रन्यासी' कहा जा सकता है।

   यद्यपि कंपनी संचालक की स्थिति कंपनी के प्रन्यासी के रूप में है परंतु फिर भी वह वैधानिक रूप से पूर्ण प्रन्यासी नहीं है। **रिलैंड अलोटमैन्ट क.** (Re Land Allotment Co.) के मामले में न्यायाधीश **लिण्डले** ने कहा था, ''पूर्ण रूप में यद्यपि संचालक विश्वासाश्रित व्यक्ति नहीं हैं परंतु फिर भी वे हमेशा से उस धन के लिए विश्वासाश्रित व्यक्ति माने गए हैं जो कंपनी की ओर से उन्हें प्राप्त होता है तथा उनके नियंत्रण में है। यदि ऐसे धन का संचालकों ने दुरुपयोग किया है तो वे विश्वासाश्रित व्यक्ति के रूप में इसके लिए उत्तरदायी ठहराये गए हैं।'' इस मामले में कंपनी के संचालकों ने अंशधारियों से तो अंशों की प्रथम माँग की धनराशि प्राप्त कर ली, परंतु स्वयं अपने अंशों पर माँग का भुगतान नहीं किया और न ही इस तथ्य को अंशधारियों के सामने प्रकट किया। यह निर्णय किया गया कि संचालकों ने विश्वास-खण्डन किया है उन्हें भी अंशधारियों की भाँति अंशों की माँग का भुगतान करना होगा।

   यहां यह लिखना अनावश्यक न होगा कि संचालक कंपनी के लिए ही विश्वासाश्रित व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत अंशधारियों के लिए नहीं है। इसका निर्णय **परसिवल बनाम राइट** (Percival Vs. Wright) के मामले में किया जा चुका है। इस मामले में कंपनी के संचालक कंपनी को ऊँचे दामों में बेचने की बातचीत कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने बिना यह बात बताए एक अंशधारी से कुछ अंश खरीद लिए। मामला न्यायालय तक गया। यह निर्णय किया गया कि अंशों की खरीद वैधानिक है क्योंकि संचालक व्यक्तिगत अंशधारियों के लिए विश्वासाश्रित व्यक्ति नहीं।

Scanned with CamScanner

किन्तु, यदि संचालक अंशधारियों के हित का प्रतिनिधित्व कर रहे है तो वे अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होंगे। **ऐलेन बनाम हयात** (Allen Vs. Hayat) के मामले में संचालक एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ एकीकरण करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा करने के लिए अंशधारियों को समझाया कि वे अपने अंशो के अंकित मूल्य पर सौदा करने की अनुमति दें। उन्होंने ऐसा ही किया तथा इसके द्वारा कंपनी को बहुत लाभ हुआ। न्यायाधीशो ने यह निर्णय दिया कि इस लाभ के लिए संचालक अंशधारियों के प्रन्यासी की तरह थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार संचालक वैधानिक रूप से प्रन्यासी नहीं। क्योंकि प्रन्यासी अधिनियम के अनुसार, प्रन्यासी वह व्यक्ति है जिसे सम्पत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है, जो स्वामी की तरह व्यवहार करता है और उसका दायित्व **लाभाधिकारी** (Beneficiary) को केवल हिसाब देना होता है। जबकि कंपनी के संचालक कंपनी के **वैतनिक** (Salaried) कर्मचारी होते हैं तथा वे कंपनी के केवल धन-सम्पत्ति व अधिकारों के लिए प्रन्यासी हैं दायित्वों तथा ऋणों के संबंध में नहीं है।

संक्षेप में प्रन्यासी के रूप में संचालकों की स्थिति निम्न प्रकार है:

(i) वे कानून की दृष्टि में प्रन्यासी नहीं हैं।

(ii) संचालकों तथा कंपनी के बीच **विश्वासाश्रित संबंध** (Fiduciary Relation) होता है और उन्हें कंपनी की सम्पत्ति तथा धन के लिए प्रन्यासी माना जाता है।

(iii) वे उन्हें मिले अधिकारों के लिए प्रन्यासी के रूप में होते हैं। उन्हें इन अधिकारों का प्रयोग सत्यनिष्ठा से कंपनी तथा अंशधारियों की भलाई के लिए करना चाहिए न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए।

(iv) वे व्यक्तिगत अंशधारियों के लिए प्रन्यासी नहीं हैं।

2. **संचालक कंपनी के अभिकर्ता के रूप में** (Directors as Agent of the Company): आधारभूत रूप में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसलिए वह स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती। अतः कंपनी की ओर से संचालक कंपनी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते है। कंपनी के अंतर्नियमों व वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन संचालक जिस कंपनी के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए वे एजेण्ट कहे जाते हैं और कंपनी के साथ उनके संबंध एजेन्सी के कानूनों द्वारा शासित होते हैं।

फरगुसन बनाम विल्सन (Fergusson Vs. Wilson) के मामले में न्यायाधीश **लार्ड केर्न्स** ने निर्णय देते हुए कहा था, ''कंपनी वैधानिक दृष्टि से एक व्यक्ति है लेकिन वास्तव में व्यक्ति नहीं है। अतः वह स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती है। कंपनी अपना कार्य संचालकों द्वारा करती है जो उसके अभिकर्ता होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी व संचालकों का पारस्परिक संबंध नियोक्ता व अभिकर्ता की तरह है। जिस बात के लिए अभिकर्ता दायी होता है उसी बात के लिए कंपनी के संचालक दायी होते हैं। जहां दायित्व केवल नियोक्ता का होता है वहां दायित्व कंपनी का होगा। संचालक प्रत्येक अंशधारी के अभिकर्ता नहीं हैं।''

संचालकों ने जो कार्य अपने अधिकारों में रह कर किए हैं कंपनी उन कार्यों के लिए नियोक्ता के रूप में दायी होगी। संचालक व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं ठहराए जा सकते हैं जब तक उन्होंने कोई अनुबंध व्यसिंबंधिततगत रूप में न किया हो। इसका एक अपवाद है, यदि संचालक ने कोई अनुबंध अपने नाम पर किया है जोकि कंपनी के लिए है तो अन्य पक्षकार इस बात का पता लगते ही कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई संचालक ऐसा अनुबंध करता है जो कंपनी के अधिकारों में हो परंतु संचालकों के अधिकारों के बाहर हो तो ऐसी स्थिति में कंपनी नियोक्ता की तरह अनुबंध की पुष्टि करके उसे वैध घोषित कर सकती है।

3. **संचालक कंपनी के एक प्रबंध साझेदार के रूप में** (Director as a Managing Partner of the Company): संचालकों को कंपनी के प्रबंध साझेदारों के रूप में भी माना जाता है क्योंकि वे कंपनी के प्रबंध के कार्य संचालन के लिये पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ वे उस कंपनी के स्वयं अंश भी लेते हैं। इसलिये वे कंपनी के साझेदार भी हैं और कंपनी के प्रबंधकों को नियुक्त करने का अधिकार भी रखते हैं। अतः उनको कंपनी के प्रबंध साझेदार भी कहा जा सकता है।

Scanned with CamScanner

4. **संचालक कंपनी के एक अधिकारी के रूप में** (Director as an Officer of the Company): कंपनी अधिनियम के अनुसार, संचालक कंपनी का एक पदाधिकारी होता है। इसलिए यदि वह कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता है तो उसको कारावास की सजा अथवा आर्थिक दंड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

5. **संचालक कंपनी के एक कर्मचारी के रूप में** (Director as an Employee of the Company): संचालक और कंपनी के बीच उनकी नियुक्ति के संबंध में एक अनुबंध होता है जिसके आधार पर संचालक एक निश्चित समय तक कंपनी को अपनी सेवाएं समर्पित करते हैं और उसके बदले में वे कंपनी से पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संचालक को कंपनी का कर्मचारी माना जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion): उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि संचालक न तो कंपनी के एजेण्ट, न ही प्रन्यासी और न ही प्रबंधक साझेदार, न ही कर्मचारी और न ही वे कंपनी के अधिकारी होते हैं वरन् उसको विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका निभानी पड़ती है और उसके ये सभी रूप इकट्ठे ही होते हैं। सच तो यह है कि एक संचालक का कंपनी के साथ उन सभी अधिकारों एवं संपत्तियों के लिए जो उसके नियंत्रण में हैं, केवल विश्वासाश्रित संबंध होता है।

संचालकों की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा दायित्व (Powers, Duties and Liabilities of Directors)

संचालकों की शक्तियाँ अर्थात् अधिकार (Powers or Rights of Directors)

एक कंपनी स्वयं कार्य नहीं कर सकती है। अतः उसके कार्य संचालकों द्वारा किये जाते हैं जो उसके एजेण्ट माने जाते हैं। संचालक उन व्यक्तियों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें कंपनी विधान, सीमानियम अथवा अंतर्नियमों द्वारा दी गई होती है। जब यह शक्तियाँ एक बार संचालक-मंडल को सौंप दी जाती है तब केवल संचालक-मंडल इनका प्रयोग कर सकता है। जब संचालक-मंडल सौंपी गई शक्तियों की सीमाओं में रहकर इन्हें प्रयोग करता है तो कंपनी के अंशधारी इनके प्रयोग को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सिद्धांत कंपनी अधिनियम, 2013 को धारा 179 में सम्मिलित किया गया है।

(1) **संचालक-मंडल को सौंपी गई सामान्य शक्तियाँ** (General Powers visted in the Boad of Directors): कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी कंपनी का संचालक-मंडल ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्यों को करने का अधिकारी होगा जिनका प्रयोग या जिन्हें करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है। परंतु अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय संचालक-मंडल को कंपनी अधिनियम, सीमानियम तथा अंतर्नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखना होगा। संचालक-मंडल की शक्तियों के संबंध में दो प्रतिबंध हैं— प्रथम, संचालक-मंडल ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो कंपनी स्वयं सीमानियम के अंतर्गत नहीं कर सकती है तथा ऐसे अधिकारों से बाहर किए गए कार्य व्यर्थ होंगे।

द्वितीय, कंपनी की शक्तियों के अंतर्गत, कार्य करते हुए संचालक-मंडल की शक्तियाँ अंतर्नियमों तक सीमित है। यदि संचालक-मंडल कोई ऐसा कार्य करता है जो उनकी शक्ति से बाहर है परंतु कंपनी की शक्तियों के अंदर (अंतर्गत) है तो कंपनी व्यापक सभा में ऐसे कार्यों की पुष्टि (Ratify) कर सकती है। यदि अंशधारी व्यापक सभा में ऐसे कार्यों की पुष्टि नहीं करते हैं तो संचालक तृतीय पक्षकार के प्रति प्राधिकार के आश्वासन भंग करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होंगे।

(2) **संचालक-मंडल (बोर्ड) को सौंपी गई विशेष शक्तियाँ** (Specific powers vested in the Board): कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के द्वारा सौंपी गई सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त इस धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत बोर्ड की कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। बोर्ड इन शक्तियों का प्रयोग कंपनी की ओर से करेगा।

1. कंपनी के मामलों का निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन करना जिनमें प्रबंध संचालकों तथा प्रबंधकों द्वारा किये गए दिन-प्रतिदिन के प्रबंध संबंधी कार्य भी सम्मिलित हैं।
2. अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कंपनी की प्रार्थित पूँजी में वृद्धि करने के लिए निर्गमन के लिए उपलब्ध अंशों को बेचना।
3. समामेलन अर्थात् रजिस्ट्रेशन के एक महीने के अंदर प्रथम अंकेक्षकों की नियुक्ति करना।

Scanned with CamScanner

4. अंकेक्षक के दफ्तर में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति को भरना, यदि यह रिक्ति उसके त्यागपत्र देने के कारण नहीं हुई

5. अंतर्नियम द्वारा अधिकृत होने पर अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति करना।

6. संचालकों के दफ्तर में हुई रिक्ति को अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार भरना।

7. अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने अथवा कंपनी की व्यापक सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत होने पर वैक संचालकों की नियुक्ति करना।

8. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में ऐसी राशि से, जो बोर्ड उचित समझे, योगदान करना।

(3) केवल बोर्ड की सभा में प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ (Powers to be exercised only at Bo Meeting): निम्नलिखित शक्तियाँ संचालक-मंडल (बोर्ड) द्वारा अपनी सभाओं में प्रस्ताव पारित करके ही प्रयो जा सकती हैं:

1. अंशों पर अदत्त राशि के लिए अंशधारियों से याचना करना।

2. ऋण-पत्र जारी (निर्गमित) करना।

3. ऋण-पत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में ऋण लेना।

4. कंपनी के धन का विनियोग (Invest) करना।

5. ऋण देने की शक्ति।

बोर्ड किसी सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा संचालकों की किसी समिति, प्रबंध संचालक, प्रबंधक या कंपनी के अन्य कि

Scanned with CamScanner

■ कंपनी के संचालक-मंडल का निर्गमित सामाजिक दायित्व

(Corporate Social Responsibility of Company's Board of Directors)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत एक नया प्रावधान सम्मिलित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पाँच सौ करोड़ रुपये या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या एक हजार करोड रुपये या अधिक के आवर्त (Turnover) वाली या पाँच करोड़ रुपये अथवा अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी जो तीन या अधिक संचालकों से मिलकर बनेगी, जिसमें से कम से कम एक संचालक, स्वतंत्र संचालक होगा। समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कार्य-कलापों को कार्यान्वित करने के लिए नीति (policy) बनाएगी। बोर्ड द्वारा नीति का प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा। प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में [illegible] पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत (2%) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है। इन कार्य-कलापों का संबंध गरीबी मिटाना, शिक्षा का प्रवर्तन करना, लिंग समानता, [illegible] सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर कम करना, वातावरण शुद्धिकरण, सामाजिक निपुणता को बढ़ावा तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान आदि से है।

■ संचालकों के दायित्व (Liabilities of Directors)

संचालक कंपनी के प्रमुख अधिकारी होते हैं। उन्हें कंपनी की ओर से महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के उचित प्रयोग पर ही कंपनी का जीवन और भविष्य निर्भर रहता है। कंपनी अपने कारोबार में सफल होती है तथा अच्छा कार्य करती है यह संचालकों की कार्य प्रणाली पर निर्भर होता है। कंपनी के संचालन में प्रमुख अधिकारी होने के नाते वे अच्छे कार्य-प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं तथा उनके कुछ दायित्व भी होते हैं। जिनके लिए वे कंपनी, अंशधारियों तथा बाहरी व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी (Answerable) होते हैं।

संचालकों द्वारा कंपनी के प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों, जिन्हें अधिकार से बाहर किए गए कार्य कहते हैं, के लिए संचालकों के दायित्व उपगत होते हैं जिनके लिए वे व्यक्तिगत रूप से दायी होते हैं। ये अधिकारों से बाहर कार्य (Ultra-vire acts) यद्यपि कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत होते हैं परंतु यदि कंपनी द्वारा इन कार्यों का पुष्टिकरण नहीं किया जाता है तो ये कार्य संचालकों के प्राधिकार से बाहर हो जाते हैं।

कंपनी के संचालकों के दायित्व को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:

(अ) कंपनी के प्रति दायित्व (Liability towards Company)

(ब) वाह्य व्यक्तियों के प्रति दायित्व (Liability towards Outsiders)

(स) अपराधिक दायित्व (Criminal Liability)

(अ) कंपनी के प्रति दायित्व (Liability towards Company): निम्न स्थितियों में संचालक कंपनी के प्रति उत्तरदायी होते हैं

(1) **अधिकारों के बाहर किये हुए कार्यों के लिए दायित्व** (Liability for the Ultra-vire Acts): यदि कोई संचालक अपने अधिकारों से बाहर कोई कार्य करता है तो वह कंपनी के प्रति दायी होगा, उदाहरणतः पूँजी में से लाभांश बांटने पर संचालक कंपनी के प्रति दायी होते हैं क्योंकि पूँजी में से लाभ बांटना उनके अधिकार में नहीं है। लेकिन कंपनी अधिनियम की धारा 463 के अधीन, उन्हें इस संबंध में भी एक व्यापक सुरक्षा प्रदान की गई है कि यदि संचालक अपने अधिकारों से बाहर कोई कार्य करता है और न्यायालय उसे ईमानदारी तथा उचित रूप में किया गया कार्य मानता है तो उन्हें इस [illegible] जा सकता है।

(2) **लापरवाही के लिए दायित्व** (Liability for Negligence): संचालक यदि अपने कार्य को लापरवाही से करते हैं जिससे कंपनी को हानि होती है तो वे उस हानिपूर्ति के लिए दायी होंगे, उदाहरणतः यदि अंतर्नियम को ध्यान में रखे बिना अपने अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं। यदि संचालक अपना काम पूर्ण सावधानी से करते है परंतु फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता और न ही संचालक को दायी ठहराया जा सकता है। [illegible]

Scanned with CamScanner

इक्वीटेबल फायर इन्शोरेन्स क० (Re City Equitable Fire Insurance Co.) के विवाद में निर्णय दिया गया कि संचालक यदि अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है तो वह लापरवाही के लिए दोषी माना जाएगा। परन्तु यदि उन्होंने यथोचित सावधानी व सद्भावना से कार्य किया है और फिर भी कोई गलती या भूल हो जाती है तो फिर वे दायी नहीं होंगे। ऐसा निर्णय **लागूनाज नाइट्रेट क. बनाम लागूनाज नाइट्रेट सिन्डीकेट** (Lagunas Nitrate Co. Vs. Lagunas Nitrate Syndicate) के विवाद में दिया गया था। ऐसी स्थिति में संचालकों पर दुर्भाव सिद्ध करने का दायित्व आपत्ति करने वाले व्यक्ति का होगा।

(3) **विश्वास-खण्डन एवम् कर्तव्य-भंग के लिये दायित्व** (Liability for Committing a Breach of trust or Misfeasance): संचालक कंपनी के प्रति विश्वास-खण्डन तथा कर्तव्य-भंग के लिये भी उत्तरदायी है। यदि वे कंपनी के धन का दुरुपयोग करते है अथवा कोई गुप्त लाभ अर्जित करते है अथवा कंपनी के धन का 'अधिकारों से बाहर' कार्यों में व्यय करते है तो वे विश्वास खण्डन के दायी माने जायेंगे। इसी प्रकार यदि वे पूँजी में से लाभांश का भुगतान करते है तो भी वे विश्वास-खण्डन के लिये दायी होंगे। यदि कर्तव्य-भंग अथवा विश्वास-खण्डन का कोई मामला कंपनी के समापन काल में सामने आता है तो अधिनियम की धारा 340 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि न्यायालय उन्हें कंपनी की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दे सकता है, धनराशि लौटाने व जमा करने का आदेश दे सकता है। एक संचालक को जो इस प्रकार दायी ठहराया जाता है अपने अन्य साथी संचालकों के विरुद्ध, जो उसके ही बराबर दोषी है, सह-अंशदायी के अधिकार प्राप्त होते हैं।

(4) **कपट के लिए दायित्व** (Liability for Fraud): एक संचालक जो जान-बूझकर 'कपटमय प्रविवरण' को प्रकाशित करता है या अन्य किसी तरह से कपट का पक्षकार है या कपट का कार्य करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से दायी होता है। इसी प्रकार, यदि समापन की कार्यवाही के समय यह बात सामने आये कि कंपनी के कारोबार को कपटमय कार्य के लिए किया गया है तो न्यायालय कंपनी के दायित्वों व ऋणों के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से दायी ठहरा सकता है परंतु निर्दोष संचालक अपने सहसंचालकों के दोषों के लिए दायी नहीं होगा। [धारा 339]

(ब) बाह्य व्यक्तियों के प्रति दायित्व (Liability towards Outsiders): यदि संचालक अपने अधिकारों के अंदर कार्य करते है तो तृतीय पक्ष अथवा अंशधारियों के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं होगा। परंतु निम्नलिखित स्थितियों में वे तृतीय पक्ष के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे:

(1) **अधिकारों के बाहर किये हुए कार्यों के लिए दायित्व** (Liability for Ultra-vire Acts): यदि संचालक अपने अधिकारों के बाहर कार्य करते हैं और अन्य व्यक्तियों को ऐसा प्रकट करते है कि उनके कार्य अधिकारों के अंदर है तो वे तृतीय पक्षकार के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे। **वीक्स बनाम प्रोपर्ट** (Weeks Vs. Propert) के वाद में संचालक-मंडल तृतीय पक्ष से अपने अधिकारों से बाहर ऋण प्राप्त करते हैं लेकिन ऋण-प्राप्ति के समय ऐसा प्रकट करते है कि जैसे ऋण-प्राप्ति का अधिकार उनके अधिकारों के अंदर था। इसलिए वे ऋण-दाता जो सद्भावना से ऋण प्रदान करते है संचालकों से अपनी क्षतिपूर्ति करा सकते हैं। चूंकि गर्भित आश्वासन भंग होने के कारण ही संचालक तृतीय पक्षकारों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) **एजेन्ट के रूप में उत्तरदायित्व** (Liability as an Agent): संचालक कंपनी के एजेण्ट होते हैं। यदि वे अपने अधिकारों के बाहर कोई काम करते हैं या अन्य पक्षों से अपने नाम में कोई अनुबंध करते हैं तो वे/वह इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। जैसे **विवरण-पत्रिका** (Prospectus) में मिथ्या वर्णन के कारण अंशधारियों या ऋण-पत्रधारकों को कोई हानि होती है तो संचालक व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) **आवंटन के संबंध में दायित्व** (Liability in relation to Allotment): धारा 69(5) के अनुसार, यदि विवरण-पत्रिका के जारी होने के 120 दिनों के अंदर अंशों का आबंटन नहीं किया जाता है, तो अंशों से संबंधित आवेदन-राशि आवेदकों को वापस कर देना चाहिए। यदि ऐसी राशि प्रविवरण के निर्गमन के 130 दिन के अंदर नहीं लौटाई जाती है तो संचालक संयुक्त तथा पृथक् रूप से इस राशि को ब्याज सहित लौटाने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

Scanned with CamScanner

यदि संचालकगण धारा 69(5) तथा 70 की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते है तो इसके कारण होने वाली अंशधारियों की हानि की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व भी इन्हीं संचालकों का व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से होगा।

(4) **स्कन्ध विपणी से अनुमति न मिलने की दशा में दायित्व** (Liability for not getting Approval from Stock Exchange): धारा 40 के अनुसार, यदि प्रविवरण में ऐसा उल्लेख है कि, प्रस्तावित अंशों तथा ऋणपत्रों के किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणी में व्यवहार करने के लिए आवेदन किया जाएगा, तथा प्रविवरण के निर्गमन के 10 दिन के अंदर ऐसी प्रार्थना नहीं की गई है अथवा ऐसी प्रार्थना अस्वीकार कर दी जाती है, तो प्रविवरण के आधार पर प्राप्त प्रार्थनापत्रों के संबंध में किया गया आबंटन व्यर्थ होता है, और कंपनी को समस्त प्रार्थना राशि तुरंत लौटा देनी चाहिए। यदि ऐसी राशि 8 दिन के अंदर नहीं लौटाई जाती है तो संचालकों को इसे ब्याज सहित लौटानी पड़ेगी और इस संबंध में वे सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से दायी होंगे।

(5) **न्यूनतम अभिदान के अभाव में आवंटन पर दायित्व** (Liability in respect of Allotment without Minimum Subscription): धारा 39 के अनुसार यदि अंशों का आबंटन विवरण-पत्रिका में प्रकट की गई न्यूनतम अभिदान राशि को प्राप्त किये बिना ही कर दिया जाता है तो ऐसा आबंटन व्यर्थ होगा तथा संचालकगण इस प्रकार के आबंटन के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक आधार पर उत्तरदायी होंगे।

(स) अपराधपूर्ण दायित्व (Criminal Liability): **कंपनी अधिनियम की अवहेलना किए जाने पर और उन पर मुकदमा चलने पर उन्हें सजा** (Imprisonment) **या जुर्माना** (Fine) **या दोनों प्रकार का दंड दिये जा सकते हैं। इस प्रकार के मुख्य दायित्व इस प्रकार है:**

(1) यदि प्रविवरण में कोई मिथ्या कथन अथवा कपटमय कथन है तो कंपनी का **प्रत्येक संचालक (अधिकारी) जो ऐसे प्रविवरण** के निर्गमन के लिए उत्तरदायी है, धारा 447 के अंतर्गत दायी होगा। [धारा 34]

(2) यदि कोई संचालक लापरवाही अथवा जान-बूझकर किए गए किसी ऐसे कथन, वचन या भविष्यवाणी के लिए दोषी है जो झूठी, धोखा देने वाली अथवा भ्रमित करने वाली है अथवा बेईमानी से किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाता है तो वह धारा 447 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए दायी होगा। [धारा 36]

(3) यदि संचालक अंशों के आवेदन पर प्राप्त संपूर्ण राशि किसी अनुसूचित बैंक में जमा नहीं कराता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक हो सकती है अथवा जुर्माने द्वारा, जो ₹ 50,000 से कम का नहीं होगा, परन्तु जिसे ₹ 3,00,000 तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

(4) यदि कंपनी का लाभांश घोषित होने के 30 दिन के अंदर (जानबूझकर) लाभांश का वितरण नहीं किया हो, तो दोषी संचालक यदि वह त्रुटि जान बूझकर करता है, दो वर्ष की साधारण कैद (कारावास) तथा त्रुटि जारी रहने की दशा में ₹ 1,000 प्रतिदिन के जुर्मान द्वारा दंडित किया जा सकता है। तथा त्रुटि जारी रहने के समय तक कंपनी को 18 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। [धारा 127]

(5) यदि कंपनी के लाभ-हानि खाते तथा चिट्ठे को कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत करने में त्रुटि की जाती है तो कंपनी के संचालक ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास हजार (₹ 50,000) से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख (₹ 5,00,000) तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। [धारा 1..]

(6) इसी प्रकार कंपनी के लाभ-हानि खाते तथा चिट्ठे के साथ संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संचालक, जो त्रुटि के लिए दोषी है कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष हो सकती है या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। [धारा 1..]

(7) यदि संचालक 20 कंपनियों से अधिक का संचालक बना रहता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु प्रथम दिन के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन (दोष) जारी रहेगा, पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। [धारा 165]

(8) कंपनी के प्रत्येक संचालक को कंपनी द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले किसी अनुबंध में कोई हित या उससे कोई संबंध है, और वह ऐसे हित या संबंध को संचालक-मंडल की सभा में प्रकट नहीं करता है तो ऐसा संचालक ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। [धारा 1..]

Scanned with CamScanner

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 450 में यह प्रावधान है कि कंपनी का कोई संचालक या अन्य अधिकारी जो अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा उसके अधीन किसी नियम के उल्लंघन का दोषी है तथा जिसके लिए अधिनियम में कोई विशिष्ट दंड (Penalty) का प्रावधान नहीं है तो वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा और जहाँ उल्लंघन जारी रहता है वहाँ पहले दिन के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान त्रुटि जारी रहती है, अतिरिक्त जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

यदि कंपनी का कोई संचालक, ऐसी कंपनी में जिसका समापन किया जा रहा है, किन्हीं पुस्तकों, कागजों अथवा जमानत (प्रतिभूति) को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तन करता है, झूठी बनाता है अथवा छिपाता है या ऐसे कार्यों को करने में सहायता करता है तो वह सात वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा तथा जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

■ संचालकों का पारिश्रमिक (Remuneration of Directors)

संचालक कंपनी के अधिकारी व एजेण्ट होते हैं। वे अंशधारियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तथा कंपनी द्वारा कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किए जाते। तदनुसार, वे कंपनी के कर्मचारी/सेवक/नौकर नहीं होते और उन्हें तब तक पारिश्रमिक प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता जब तक उनके पारिश्रमिक के संबंध में अंतर्नियमों में कोई विशेष व्यवस्था न की गई हो अथवा अंशधारियों द्वारा इस संबंध में साधारण सभा में कोई प्रस्ताव पास न किया गया हो। लेकिन, सामान्यतया कंपनी के अंतर्नियमों में संचालकों के पारिश्रमिक के संबंध में व्यवस्था होती है जो **मानदेय** (Honorarium) के रूप में होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ने संचालकों के पारिश्रमिक के संबंध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन (बदलाव) किए हैं जो निम्न प्रकार हैं:

1. संचालकों को किसी पारिश्रमिक का भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इस संबंध में कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में कोई प्रावधान न हो अथवा इसके भुगतान की अनुमति (मंजूरी) कंपनी की व्यापक सभा में न दे दी हो। यदि पारिश्रमिक का भुगतान अंतर्नियमों अथवा व्यापक सभा के अधिकृत किए बिना कर दिया जाता है तो इसे वापिस माँगा जा सकता है तथा कंपनी के समापन की दशा में समापन अर्थात निस्तारक (Liquidator) इसे संचालकों से फिर से प्राप्त (Recure) कर सकता है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी कंपनी के संचालकों को जिसके अंतर्गत कोई प्रबंध-संचालक तथा पूर्णकालिक संचालक भी है, को देय पारिश्रमिक का निर्धारण या तो कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा या किसी प्रस्ताव द्वारा और यदि अंतर्नियमों में ऐसा अपेक्षित हो तो व्यापक सभा में कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा। पारिश्रमिक की राशि अथवा भुगतान की विधि (तरीका) अधिनियम की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार होगा।
3. यह धारा एक सार्वजनिक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा देय कुल अधिकतम पारिश्रमिक बतलाती है। इस धारा के अनुसार संचालकों या प्रबंधकों को देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक उस वित्तीय वर्ष के लिए उस कंपनी की धारा 198 में वर्णित रीति से गणना करके उन शुद्ध लाभों के ग्यारह प्रतिशत (11%) से अधिक नहीं होगा। यह प्रतिशत किसी बैठक फीस अर्थात संचालक-मंडल की बैठक (सभा) में शामिल होने की फीस को छोड़कर होगा।
4. यदि किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई लाभ नहीं है अथवा अपर्याप्त लाभ है तो कंपनी केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से कोई राशि, जो अधिकृत की जाए, न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में भुगतान कर सकती है। केंद्रीय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हानि अथवा अपर्याप्त लाभ होने की दशा में पारिश्रमिक के भुगतान के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है यदि प्रबंध-संचालक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 में संलग्न अनुसूची V में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की गई है।
5. यदि पारिश्रमिक का कमीशन के रूप में भुगतान प्रस्तावित है तो हानि होने की दशा में संचालक को कोई पारिश्रमिक नहीं देय होगा। कोई संचालक, बोर्ड या उसकी समिति की सभाओं में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो भी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए, उपस्थित होने के लिए फीस के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा। परंतु ऐसी फीस की राशि (रकम) उस राशि से अधिक नहीं होगी जो निर्धारित की जाए।

Scanned with CamScanner

6. किसी संचालक या प्रबंधक को पारिश्रमिक का भुगतान या तो मासिक भुगतान के रूप में या कंपनी के शुद्ध लाभों की ए... निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर अथवा अंशतः (partly) एक प्रकार से और अंशतः अन्य प्रकार से किया जाएगा।

7. कोई स्वतंत्र संचालक किसी स्टॉक विकल्प का अधिकारी (हकदार) नहीं होगा और उपधारा (5) के अधीन निर्धारित फी... के रूप में पारिश्रमिक, बोर्ड की अथवा अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) औ... लाभ संबंधी कमीशन, जैसा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए, प्राप्त कर सकेगा।

8. इस धारा के प्रयोजनों के लिए शुद्ध लाभों की गणना धारा 198 में निर्दिष्ट रीति से की जाएगी।

9. यदि कोई संचालक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पारिश्रमिक के रूप में कोई ऐसी राशि, जो धारा में निर्धारित सीमा से अधि... है या केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, लेता है या प्राप्त करता है तो जहाँ ऐसा अपेक्षित हो, वहाँ वह कंपनी को ऐसी राशि का भुगतान करेगा और ऐसी राशि के वापस होने तक उसे कंपनी के न्यास (Trust) में धारण करेगा।

10. कंपनी राशि की वसूली का जो उसे उपधारा (9) के अधीन वापस मिलनी है तब तक परित्याग (wave) नहीं करेगी ज... तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी अनुमति न दे दी जाए।

11. ऐसे मामलों में जहाँ लाभ न होने अथवा अपर्याप्त लाभों के आधारों पर अनुसूची (5) लागू होती है वहाँ किसी संचालक के पारिश्रमिक से संबंधित किसी ऐसे प्रावधानों का, जिसका उसकी रकम में वृद्धि करने का तात्पर्य या प्रयास है चाहे ऐसे प्रावधान का कंपनी के सीमानियम या अंतर्नियमों में या उसके द्वारा किए गए किसी अनुबंध में या उसके बोर्ड द्वारा पारि... किसी प्रस्ताव में समावेश हो अथवा नहीं तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा। जब तक कि ऐसी वृद्धि उस अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार न हो और यदि ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो जब तक केंद्रीय सरकार का अनुमोद... प्राप्त न कर लिया गया हो।

12. प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी बोर्ड की रिपोर्ट में कर्मचारी के माध्यिक (median) पारिश्रमिक के प्रति प्रत्येक संचालक के पारिश्रमिक का अनुपात और ऐसे अभ्य ब्यौरे, जो निर्धारित किए जाएँ प्रकट करेगा।

13. जहाँ किसी कंपनी द्वारा उसके प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक, प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्ती... अधिकारी या कंपनी सचिव की ओर से ऐसी किसी लापरवाही त्रुटि, कर्तव्य भंग या विश्वास भंग के विषय में जिसके लि... वे कंपनी के संबंध में दोषी हो सकते हैं, किसी दायित्व के विरुद्ध उनमें से किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए कोई बीमा लिय... जाता है, वहाँ ऐसे बीमे पर देय प्रीमियम को ऐसे किसी कार्मिक (Personal) को देय पारिश्रमिक के भाग रूप में न... समझा जाएगा।

परंतु यदि ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दिया जाता है तो ऐसे बीमे पर देय प्रीमियम को पारिश्रमिक का भागरूप (A... part) समझा जाएगा।

14. ऐसा कोई संचालक जो कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त करता है और जो कंपनी का प्रबंध या पूर्णकालिक संचालक है कि... सूत्रधारी कंपनी या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करने से कंपनी द्वारा बोर्ड की रिपोर्ट में इसका प्रकटीकरण किए जाने के अधीन रहते हुए, अयोग्य नहीं होगा।

यदि कोई व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। [धारा 197...

■ कुछ मामलों में पारिश्रमिक की ... Cases)

Scanned with CamScanner

कंपनी का समापन
(Winding Up of The Company)

■ समापन का अर्थ (Meaning of Winding Up)

समापन का आशय उस वैधानिक रीति से है जिसके द्वारा कंपनी का अंत हो जाता है। एक कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं होती। वास्तव में, उसका निर्माण अधिनियम द्वारा होता है और इसीलिए अधिनियम द्वारा ही उसका अंत होता है। समापन का मुख्य उद्देश्य कंपनी की संपत्तियों को बेचकर उसके ऋणों का भुगतान करना और आधिक्य धन को यदि कोई है, उसके अंशधारियों में उनके स्वामित्व के आधार पर बाँट देना है। प्रो. ग्रोवर के अनुसार, "कंपनी का समापन वह विधि है जिसके अनुसार कंपनी का जीवन समाप्त किया जाता है तथा उसकी संपत्ति को उसके लेनदारों तथा सदस्यों के लाभार्थ प्रयुक्त किया जाता है। समापक (Liquidator) के नाम से एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है जो कंपनी को अपने अधिकार में ले लेता है। समापक कंपनी की संपत्ति वसूल करता है, उसके ऋणों की अदायगी करता है तथा अंत में, शेष राशि को सदस्यों में (उनके स्वामित्व के आधार पर) वितरित कर देता है।"

साधारणयता एक कंपनी का समापन उसी समय किया जाता है जब वह अधिक आर्थिक कठिनाई में पड़ जाती है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे-कोई कंपनी भविष्य में हानि होने की सम्भावना से समाप्त कर दी जाए अथवा जब कंपनी को सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिए जाने का भ्रम हो। कंपनी को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता चाहे भले ही वह अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो। कंपनी का केवल समापन किया जा सकता है।

■ समापन और समाप्ति अर्थात् विघटन (Winding up and Dissolution)

साधारणत: समापन और समाप्ति दोनों शब्दों का एक ही अर्थ समझा जाता है परंतु वैधानिक दृष्टि से इन दोनों शब्दों में अंतर है। कंपनी का वैधानिक अस्तित्व कंपनी के समापन का आदेश देने के पश्चात् भी बना रहता है लेकिन समाप्ति पर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समापन और समाप्ति में मुख्य अंतर निम्न हैं:

1. कंपनी का समापन इसकी समाप्ति (विघटन) से पूर्व की कार्यवाही है। समाप्ति से पूर्व और समापन के पश्चात् कंपनी का वैधानिक अस्तित्व बना रहता है और न्यायालय में इसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु कंपनी की समाप्ति होने पर कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा रजिस्ट्रार द्वारा इसका नाम 'कंपनी के रजिस्टर' से काट दिया जाता है।
2. समापन पर समापक (Liquidator) के द्वारा समापन का संचालन किया जाता है। इसमें समापक द्वारा संपत्तियों की राशि वसूल की जाती है तथा उसका निर्धारित विधि के अनुसार वितरण किया जाता है। समाप्ति में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती।
3. समापक कंपनी के समापन पर कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है परंतु समाप्ति में इस प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता ।
4. समापन की अवस्था में लेनदार अपने दावों (Claims) को सिद्ध कर सकते हैं जबकि समाप्ति में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी विद्यमान ही नहीं रहती।
5. न्यायालय का आदेश कंपनी के समापन के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि समापन ऐच्छिक रूप से भी हो सकता है जबकि समाप्ति के लिए न्यायाधिकरण का आदेश अनिवार्य है।

Scanned with CamScanner

समापन के प्रकार (Modes of Winding Up)

एक कंपनी का समापन निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार किया जा सकता है:

I. **राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण के अंतर्गत अनिवार्य समापन** (Compulsory Winding up under, National Company Low Tribunal)

II. **ऐच्छिक समापन** (Voluntary Winding up)

I. **राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण के अंतर्गत अनिवार्य समापन** (Compulsory Winding up under, National Company Low Tribunal): राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण के द्वारा समापन अनिवार्य समापन भी कहलाता है। जिन परिस्थितियों में राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी का समापन किया जा सकता है उसका वर्णन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 के अंतर्गत किया गया है। ये निम्नलिखित है:

(1) **कंपनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा** (By Special Resolution of the Company): यदि कंपनी अपनी सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित कर लिया है कि कंपनी का समापन किया जाए तो कंपनी का समापन किसी भी कारण के लिए किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण कंपनी समापन के अपने अधिकारों का प्रयोग तभी करता है यदि कंपनी का समापन जनहित या कंपनी के हितों के विरुद्ध न हो।

साधारणतया इस आधार पर कंपनी का समापन नहीं किया जाता क्योंकि यदि इतनी संख्या में अंशधारी कंपनी के समापन के लिए तैयार हों तो वे एच्छिक समापन को प्राथमिकता देंगे। जिसमें पैसा तथा समय कम खर्च होता है।

(2) **जहाँ कंपनी ने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य किया है** (Where the Company has acted against National Interest): यदि कंपनी ने भारत की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबधो, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हितों 2013 की धारा 271 (स) के अंतर्गत न्यायाधिकरण को कंपनी को समापन करने का अधिकार है।

(3) **रूग्ण कंपनियों का समापन** (Winding up of Sick Companies): जहाँ कंपनी की ऋण की रकम के पचास प्रतिशत या अधिक भाग बनने वाले सुरक्षित लेनदार, कंपनी द्वारा उन्हें प्रतिभूति (जमानत) देने या प्रशमन (Compound) करने में असफल रहने पर, न्यायाधिकरण को कंपनी के समापन के लिए सुसंगत साक्ष्य के साथ आवेदन करते है तो न्यायाधिकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय (Chapter) (XIX), जिसका संबंध, रूग्ण कंपनियों के पुनरुज्जीव तथा पुनरुद्धार (Revival and Rehabilitation of Sick Companies) से है, के अंतर्गत कंपनी के समापन को पारित कर सकती है।

(4) **रजिस्ट्रार द्वारा समापन के लिए आवेदन करने पर** (Winding up on application made by Registrar): कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर यदि न्यायाधिकरण की यह राय है कि कंपनी के कार्यकलापों का संचालन कपटपूर्ण रीति से किया गया है या कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण और अवैधानिक प्रयोजन के लिए किया गया था या उसके निर्माण अथवा उसके कार्यकलापों के प्रबंध से संबंधित व्यक्ति, उसके संबंध में कपट, कर्तव्य भंग अथवा दुराचार के दोषी रहे है तथा यह उचित होगा कि कंपनी का समापन कर दिया जाए।

(5) **रजिस्ट्रार के पास वित्तीय ब्यौरे आदि फाइल करने में त्रुटि** (Default in filing with the Registrar Financial Statements etc.): जहाँ कंपनी ने ठीक पूर्ववर्ती (Previous) पाँच क्रमवर्ती (Consecutive) वित्तीय वर्षों के अपने वित्तीय ब्यौरे या वार्षिक विवरणी (Annual Return) को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में त्रुटि की है तो न्यायाधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है।

(6) **समय सीमा में व्यापार आरम्भ न करना या व्यापार निलम्बित करना** (Not to Commence business within time or suspend business): यदि कंपनी अपने समामेलन के एक वर्ष के भीतर व्यापार आरंभ नहीं करती या एक वर्ष के व्यवसाय स्थगित रखती है, तो न्यायाधिकरण इसके समापन का आदेश दे सकता है।

Scanned with CamScanner

न्यायाधिकरण का यह ऐच्छिक अधिकार है और वह तभी आदेश देता है यदि उसे विश्वास हो जाए कि कंपनी व्यापार नहीं करना चाहिए। परंतु यदि व्यापार का स्थगन अल्पकालिक है या व्यापार स्थगित अथवा देर से आरंभ करने का कारण उचित है और न्यायाधिकरण ऐसे कारण से संतुष्ट है तथा कंपनी द्वारा व्यापार शीघ्र आरम्भ करने की सम्भावना है तो समापन का आदेश नहीं दिया जाएगा।

(7) **ऋण-भुगतान में असमर्थता (Inability to pay debts):** यदि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है तो उसके समापन का आदेश दिया जा सकता है। धारा 271 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित स्थितियों में अपने ऋण चुकाने में असमर्थ मानी जाती है:

(i) यदि ₹ 1,00,000 से अधिक राशि के एक लेनदार ने भुगतान के लिए माँग की है तथा कंपनी इस माँग की तिथि के तीन सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं करती। परंतु ऋण वास्तविक तथा उचित होना चाहिए। अर्थात ऋण विवादास्पद (Disputed) नहीं होना चाहिए।

(ii) यदि किसी ऋणदाता ने कंपनी के विरुद्ध न्यायालय से डिक्री (Decree) प्राप्त कर ली हो और कंपनी उसका भुगतान करने में असमर्थ हो।

(iii) जब न्यायाधिकरण समस्त परिस्थितियों को देखकर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है। इस उद्देश्य के लिए न्यायाधिकरण कंपनी के सम्भावित एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाले दायित्वों को भी ध्यान में रखता है।

प्रार्थी के द्वारा कंपनी का व्यापारिक रूप से दिवालियापन (Commercial insolvency) सिद्ध किया जाना चाहिए। कोई कंपनी उस समय व्यापारिक दृष्टि से दिवालिया समझी जाती है जब वह अपने चालू दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है।

(8) **उचित तथा न्याय संगत (Just and Equitable):** यदि न्यायाधिकरण किसी कंपनी का समापन उचित तथा न्यायसंगत समझता है तो वह कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। इस शीर्षक के अंतर्गत न्यायाधिकरण को व्यापक अधिकार दिए गए हैं इसमें न्यायाधिकरण वह आधार शामिल कर सकता है जो उपरोक्त आधारों में नहीं आते। उचित तथा न्यायसंगत क्या है यह एक तथ्य संबंधी प्रश्न है जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

निम्नलिखित स्थितियाँ कंपनी के समापन के लिए उचित तथा न्यायसंगत समझी जाती हैं:

(i) जब कंपनी को लगातार हानि हो रही हो और भविष्य में लाभ की कोई सम्भावना न हो।

(ii) यदि कंपनी का उद्देश्य गैर कानूनी हो या कपटपूर्ण व्यापार करना हो।

(iii) यदि कंपनी की संपूर्ण अंशपूंजी नष्ट हो गई हो और पूँजी प्राप्त होने की कोई आशा न हो।

(iv) यदि कंपनी के प्रबंध में गतिरोध पैदा हो गया हो।

(v) यदि कंपनी के बहुसंख्यक अंशधारी कंपनी के अल्पसंख्यक अंशधारियों के प्रति आक्रमणकारी या दमनकारी नीति अपनाते हो।

(vi) यदि कंपनी केवलमात्र एक बुलबुला हो अर्थात् न वह कोई व्यापार कर रही हो और न ही उसकी कोई संपत्ति हो।

■ ऐच्छिक समापन की दशा में अनिवार्य आदेश

(Compulsory Order when there is Voluntary Winding Up)

उपरोक्त वर्णित आधारों के अतिरिक्त एक ऐसी कंपनी के संबंध में जिसका ऐच्छिक समापन किया जा रहा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 172 द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा राजकीय समादक द्वारा याचिका प्रस्तुत करने पर न्यायाधिकरण समापन का आदेश दे सकता है। ऐसी याचिका पर न्यायाधिकरण समापक का आदेश तभी दे सकता है जब न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाए

Scanned with CamScanner

है कि ऐच्छिक समापन समापक की अयोग्यता, उसके द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन न किए जाने तथा बहुसंख्यक अंशदायिओं द्वारा उसके बदले जाने की अनिच्छा (Unwilling to replace) के कारण ऐच्छिक समापन जारी नहीं रखा जा सकता है।

समापन के लिए आवेदन अथवा याचिका (Petition for Winding up)

न्यायाधिकरण अपने तौर पर कंपनी का समापन नहीं करता। इसके लिए न्यायाधिकरण को आवेदन करना पड़ता है। इस प्रकार न्यायाधिकरण को किए गए आवेदन को याचिका कहते हैं। धारा 439 के अनुसार निम्नलिखित के द्वारा कंपनी के समापन की याचिका दी जा सकती है:

(1) कंपनी द्वारा; अथवा

(2) किसी लेनदार अथवा लेनदारों द्वारा याचिका; अथवा

(3) किसी अंशदायी या अंशदायियों द्वारा, अथवा

(4) उपर्युक्त पक्षकारों द्वारा संयुक्त अथवा पृथक रूप से; अथवा

(5) रजिस्ट्रार द्वारा; अथवा

(6) केंद्र सरकार द्वारा

(1) **कंपनी द्वारा याचिका** (Petition by the Company): कंपनी स्वयं समापन के लिए याचिका दायर नहीं कर सकती। कंपनी की ओर से संचालक कंपनी के समापन हेतु न्यायाधिकरण को याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं यदि संचालकों को सदस्यों द्वारा कंपनी की व्यापक (साधारण) सभा में प्रस्ताव पारित करके ऐसा करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

साधारणतया कंपनी समापन के लिए आवेदन नहीं करती क्योंकि यदि कंपनी चाहे तो मात्र साधारण प्रस्ताव पारित करके धारा 304 के अधीन एच्छिक समापन कर सकती है।

(2) **किसी लेनदार अथवा लेनदारों द्वारा याचिका** (Petition by any Creditor or Creditors): किसी एक या अधिक लेनदारों द्वारा न्यायाधिकरण को कंपनी के समापन के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। 'लेनदार' शब्द केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जिसे याचिका की तारीख को ऋण देय है और जो तुरंत अदायदी माँग सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका कंपनी के विरुद्ध आर्थिक दावा है, चाहे वह दावा वास्तविक है अथवा संभावित, लेनदार है तथा ऐसा व्यक्ति कंपनी के समापन के लिए याचिका दायर कर सकता है। लेनदार शब्द में सुरक्षित लेनदार, ऋणपत्रधारी, ऋणपत्रधारियों के न्यासी, ऋण का प्रतिनिधि निष्पादक, मृत लेनदार का प्रतिनिधि इत्यादि शामिल होते हैं। यदि एक लेनदार की याचिका का अन्य लेनदारों द्वारा विरोध होता है तो न्यायाधिकरण समापन का आदेश देने से पहले उनकी इच्छाओं पर विचार कर सकता है। [धारा 272]

(3) **किसी अंशदायी अथवा अंशदायियों द्वारा याचिका** (Petition by any Contributory or Contributories): अंशदाता का आशय ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से है जो कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्ति हेतु अंशदान करने के लिए दायी होते हैं। इसमें पूर्ण प्रदत्त अंशों के अंशधारी भी शामिल हैं। किसी एक या अधिक अंशदायियों को कंपनी के समापन हेतु याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, भले ही वह पूर्णदत्त अंशों का धारक हो, या कंपनी के पास कोई भी संपत्ति न हो, या दायित्त्वों का भुगतान कर देने के उपरांत अंशधारियों में वितरण के लिए कंपनी की कोई संपत्ति न बची हो।

एक अंशदायी समापन के लिए याचिका दायर कर सकता है:

(i) यदि सार्वजनिक कंपनी की दशा में सदस्य संख्या 7 से कम हो जाए तथा निजी कंपनी में 2 से कम हो जाए।

(ii) यदि वह उन अंशों का मूल आबंटकी (Allottee) है।

Scanned with CamScanner

(iii) यदि वह याचिका दायर होने के पहले के 18 महीनों में कम से कम 6 महीने तक अपने नाम पर पंजीकृत अंशों का धारक रहा हो।

(iv) यदि उसे अंश किसी भूतपूर्व अंशधारी की मृत्यु के बाद मिले हों।

इस धारा का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सदस्य बनने से रोकता है जो मात्र कंपनी का समापन करने के उद्देश्य से अंश खरीदना चाहते है।

एक अंशदाता जिसने याचना (Call) की राशि का भुगतान नहीं किया है, समापन के लिए तब तक याचिका दायर नहीं कर सकता जब तक वह याचना की राशि का भुगतान न कर दे।

(4) **उपरोक्त सभी पक्षकारों द्वारा या उनमें से किन्हीं एक पक्षकार द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से याचिका (Petition by all or any of the Prior Parties Whether together or separately):** कंपनी, उसके लेनदार तथा/अथवा कोई अंशदाता संयुक्त रूप से भी कंपनी के समापन के लिए याचिका दायर कर सकते है।

(5) **रजिस्ट्रार द्वारा याचिका (Petition by Registrar):** रजिस्ट्रार कंपनी के समापन के लिए निम्नलिखित आधारों पर याचिका प्रस्तुत कर सकता है:

(i) यदि कंपनी समामेलन की तिथि के एक वर्ष के भीतर व्यापार शुरू करने में असमर्थ रहती है या सारा साल व्यापार निलम्बित (Suspend) कर देती है।

(ii) यदि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम संख्या से सदस्यों की संख्या घट जाती है।

(iii) यदि कंपनी ऋण-भुगतान करने में असमर्थ हो।

(iv) यदि न्यायाधिकरण की राय में समापन उचित एवं न्यायसंगत है।

उपरोक्त सभी दशाओं में समापन के लिए आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रार को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है अपनी अनुमति देने से पहले केंद्र सरकार कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार से अनुमति लेने के पश्चात् उचित समय में रजिस्ट्रार को आवेदन कर देना चाहिए अन्यथा न्यायाधिकरण उस स्वीकृति को वैध स्वीकृति मानने से इन्कार कर देगी।

वैधानिक सभा न करने या वैधानिक रिपोर्ट न भेजने की दशा में समापन के लिए आवेदन केवल रजिस्ट्रार या अंशदाता द्वारा ही किया जा सकता है। यह आवेदन उस तारीख के 14 दिन के भीतर कर देना चाहिए जिस तारीख को वैधानिक सभा होनी चाहिए थी।

(6) **केंद्र सरकार द्वारा याचिका (Petition by the Central Government):** धारा 224 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को न्यायाधिकरण के पास समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकती है। इस धारा के अनुसार यदि निरीक्षक द्वारा की गई जाँच के अनुसार (i) कंपनी का व्यापार लेनदारों, सदस्यों अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों को धोखा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, (ii) कंपनी के निर्माण अथवा प्रबंध से संबंधित व्यक्ति कंपनी अथवा उसके सदस्यों के प्रति कपट, कर्तव्यभंग अथवा अन्य किसी दुराचरण के दोषी है, तो केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को कंपनी के समापन हेतु याचिका प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

यदि कंपनी का समापन एच्छिक हो रहा हो तो सरकारी समापक (Official Liquidator) या धारा 272 द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा समापन के लिए याचिका दायर की जा सकती है। उपरोक्त याचिका पर न्यायाधिकरण तब तक समापन का आदेश नहीं देता जब तक उसे विश्वास न हो जाए कि एच्छिक समापन अंशधारियों का लेनदारों या दोनों के हित में चलाए रखना सम्भव नहीं है।

Scanned with CamScanner

■ राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण द्वारा समापन प्रारम्भ (Commencement of Winding up by National Company Law Tribunal-NCLT)

समापन का प्रारंभ न्यायाधिकरण द्वारा समापन का आदेश जारी करने की तिथि से न होकर उस तिथि से प्रारम्भ हुआ माना जाता है, जिस तिथि को न्यायाधिकरण में कंपनी के समापन हेतु याचिका प्रस्तुत की गई थी। यदि याचिका प्रस्तुत करने से पहले कंपनी ने ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पारित कर लिया है तो समापन, प्रस्ताव पारित करने की तिथि से ही प्रारम्भ हुआ माना जाता है। कंपनी के समापन का आदेश जारी होने तक कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की व्यवस्थाओं का उसी प्रकार पालन करना पड़ेगा जैसे कि एक वह कंपनी करती है जिसका समापन नहीं हुआ है।

याचिका के प्रस्तुतीकरण पर न्यायाधिकरण की शक्तियाँ/अधिकार (Powers/Rights of Tribunal on Presentation of the Petition):

(i) समापन की याचिका सुनने पर न्यायाधिकरण लागत व्यय रहित या लागत व्यय सहित याचिका अस्वीकार कर सकता है, अथवा

(ii) सशर्त या बिना किसी शर्त के सुनवाई स्थगित कर सकता है, अथवा

(iii) जैसा वह उचित समझे अंतरिम आदेश दे सकता है, अथवा

(iv) कंपनी के समापन का लागत व्यय रहित या व्यय सहित आदेश या कोई अन्य आदेश, जैसा वह उचित समझे दे सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई आदेश याचिका प्रस्तुत करने के 90 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि न्यायाधिकरण सामयिक समापक अर्थात् अस्थायी समापक (Provisional Liquidator) की नियुक्ति का आदेश देता है तो नियुक्ति करने से पूर्व कंपनी को इसकी सूचना देगा और जब तक न्यायाधिकरण उस सूचना को लिखित कारणों से उस सूचना को ठीक न समझे वह कंपनी को अपने अभिवदन करने अर्थात् पक्ष रखने (Representation) का उचित अवसर प्रदान करेगा।

■ समापन याचिका में सुने जाने के हकदार (अधिकारी) व्यक्ति (Persons, Entitled to be Heard in a Winding Up Petition)

समापन याचिका में याचिकाकर्ता, कंपनी, लेनदार, अंशदायी, रजिस्ट्रार तथा केंद्रीय सरकार न्यायाधिकरण द्वारा सुने जाने के हकदार अर्थात अधिकारी है। परंतु न्यायाधिकरण अपनी स्वेच्छानुसार समापन में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी सुन सकता है।

परंतु न्यायाधिकरण इस आधार पर समापन करने से इन्कार नहीं कर सकता कि कंपनी की संपत्तियाँ बंधक रखी हुई है या इसकी कोई संपत्ति नही है। यदि उचित तथा न्यायसंगत आधार पर समापन की याचिका दी गई है तो न्यायाधिकरण समापन आदेश देने से इन्कार कर सकता है। यही वह समझता है कि याचक (Petitioner) के पास और विकल्प है तथा वह उस उपचार को पाने के स्थान पर अनुचित रूप से कंपनी के समापन की माँग कर रहा है।

■ समापन आदेश के परिणाम (Consequences of Winding-up Order)

राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी के समापन के आदेश देने पर इसके परिणाम समापन आरम्भ की तिथि से आरम्भ होते है। समापन आदेश के विभिन्न परिणाम निम्नलिखित हैं:

(1) सरकारी समापन तथा रजिस्ट्रार को सूचना (Intimation to Official Liquidator and registrar): यदि न्यायाधिकरण कंपनी के समापन का आदेश देता है तो इसकी सूचना आदेश जारी करने के दो सप्ताह के अन्दर सरकारी समापक तथा रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिए।

(2) समापन आदेश की प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना (Copy of the Winding up Order to be filed with the Registrar): समापन का आदेश हो जाने पर कंपनी तथा याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आदेश की प्रमाणित प्रति आदेश के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करें। इन 30 दिनों की गणना करते समय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अवधि को शामिल नहीं किया जाता।

Scanned with CamScanner

समापन आदेश को प्रमाणित प्रति जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार कंपनी से संबंधित पुस्तकों में इसका विवरण रखेगा एवं राजकीय प्रपत्र (Official gazette) में अधिसूचना (Notification) जारी करेगा कि ऐसा आदेश दे दिया गया है।

(3) **कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभाव** (Effect on Officers and employees of the company): समापन आदेश को कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सेवामुक्त करने की सूचना मानी जाती है। परंतु यदि कंपनी का व्यापार चलते रहना है तो आदेश को सेवा मुक्ति की सूचना नहीं माना जाता। यदि कंपनी के किसी कर्मचारी का एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी के साथ सेवा अनुबंध है और वह अवधि कंपनी के समापन के आदेश की तिथि पर समाप्त नहीं हुई है तो समापन आदेश द्वारा सेवामुक्ति अन्यायपूर्ण सेवामुक्ति मानी जाएगी और सेवा के अनुबंध भंग की तरह क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा कर्मचारी कंपनी के साथ प्रतियोगिता न करने के अनुबंध से मुक्त हो जाएगा।

(4) **वादों पर प्रतिबंध** (Suits Stayed): यदि समापन आदेश जारी कर दिया गया है तो न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना कंपनी के विरुद्ध कोई भी वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसी प्रकार यदि समापन आदेश की तिथि को कोई वाद अर्विर्णित अर्थात् लम्बित (Pending) है तो न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना उस पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना की गई कोई भी कार्यवाही या दावा प्रभावहीन होगा। जब तक अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाएगी।

कंपनी का समापन आरंभ होने के बाद कंपनी द्वारा बिक्री के निष्पादन में (Execution of Decree) किसी संपत्ति के विक्रय को न्यायाधिकरण रद्द कर सकता है।

(5) **न्यायाधिकरण के अधिकार** (Powers of the Tribunal): न्यायाधिकरण को निम्नलिखित मामलों पर विचार करने या उनका निपटारा करने का अधिकार है:

(i) कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध कोई भी वाद या कानूनी कार्यवाही।

(ii) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई भी दावा।

'कोई भी दावा' कथन का अर्थ किसी भी ऐसे दावे से है जो वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय (Inforceable) है। एक दावा जो समापन याचिका प्रस्तुत करने की तारीख पर अवधि वर्जित (Time barred) हो गया है, एक वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय दावा नहीं है।

(iii) लेनदारों अथवा/या सदस्यों के साथ समझौते के लिए धारा 230 के अंतर्गत कोई आवेदन।

(iv) प्राथमिकता से संबंधित कोई प्रश्न अथवा कंपनी के समापन के दौरान उत्पन्न कोई प्रश्न अथवा समापन कार्यवाही से संबंधित कोई कानून या तथ्य।

(6) **अंकेक्षित खाते एवं पुस्तकें न्यायाधिकरण के पास भेजना** (Submission of Audited books and accounts to Tribunal): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 274(1) में यह अपेक्षित है कि समापन के आदेश के या सामयिक/अस्थायी समापक की नियुक्ति के 30 दिन के भीतर कंपनी के कार्यकलाप के बारे में एक विवरण पत्र समापक को दिया जाना चाहिए। इस विवरण पत्र पर किसी संचालक, प्रबंधक, सचिव या कोई अन्य मुख्य अधिकारी, या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायाधिकरण के आदेशानुसार समापक आदेश दे, के हस्ताक्षर होने चाहिए।

कंपनी का कोई भी लेनदार अथवा अंशदायी निर्धारित शुल्क का भुगतान करके कंपनी के कार्यकलाप के विवरण की जांच कर सकता है तथा उसकी प्रति प्राप्त कर सकता है। कंपनी को कार्यकलापों का विवरण आपत्तियों सहित समापक को 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है परंतु न्यायाधिकरण के संतुष्ट होने पर इस अवधि को 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है।

यदि कंपनी का कोई संचालक या अधिकारी कंपनी के कार्यकलापों का विवरण 30 दिन की निर्धारित अवधि में समापक को नहीं देता है तो कंपनी का संचालक या अधिकारी जो त्रुटि का दोषी है ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास का हो सकेगा या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

Scanned with CamScanner

(7) **समापन आदेश का प्रभाव** (Effect of Winding up Order): कंपनी के समापन का आदेश कंपनी के सभी लेनदारों तथा अंशदाताओं के पक्ष में इसी प्रकार प्रभावी होता है जैसे कि वह लेनदारों एवं अंशदाताओं की संयुक्त याचिका पर दिया गया है।

(8) **सरकारी समापक कंपनी का समापक होगा** (Official Liquidator to be liquidator of the Company): कंपनी के समापन के आदेश जारी होने पर सरकारी समापक ही कंपनी का समापक बन जाता है।

■ राजकीय सरकारी समापक (Official Liquidator)

अथवा

न्यायाधिकरण द्वारा समापन की प्रक्रिया (Procedure of Winding of by Tribunal)

समापक वह व्यक्ति है जो कंपनी की संपत्तियाँ बेचता है और प्राप्त राशि से लेनदारों एवं अंशदाताओं का भुगतान करता है।

सरकारी समापक की नियुक्ति (Appointment of Official Liquidator): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 275 में यह प्रावधान है कि समापन की याचिका प्रस्तुत करने के बाद एवं समापन के आदेश से पहले किसी भी समय न्यायाधिकरण सरकारी समापक को कंपनी का अस्थायी समापक नियुक्त कर सकता है। जैसे ही कंपनी के समापन का आदेश पारित किया जाता है, अस्थायी समापक ही कंपनी का समापक बन जाता है।

अस्थायी समापक की नियुक्ति से पहले राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण को ऐसी नियुक्ति की सूचना कंपनी को देनी चाहिए और उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उचित (पर्याप्त) अवसर प्रदान करना चाहिए। यदि न्यायाधिकरण उचित समझे तो वह ऐसी सूचना नहीं भेजेगा; लेकिन ऐसी दशा में सूचना न भेजने के विशेष कारणों का उल्लेखित करना आवश्यक है। सरकारी समापक अथवा अस्थायी समापक को दी जाने वाली फीस, जैसी भी स्थिति हो, कंपनी की संपत्तियों में से केंद्रीय सरकार को दी जाएगी।

कंपनी समापक के कर्तव्य (Duties of Company Liquidator): कंपनी समापक के कर्तव्यों में समापन की जाने वाली कंपनी की संपत्ति अपने नियंत्रण अर्थात् अभिरक्षा (Custody) में लेना, संपत्ति का विक्रय करके प्राप्ति धन से कंपनी के ऋणों का भुगतान करना तथा शेष धन को, यदि कुछ बचता है, अंशदायिओं में बाँटना सम्मिलित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 290 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि समापक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए कंपनी के समापन की कार्यवाही को संचालित करेगा। समापक के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

(1) **समापन की कार्यवाहियों को संचालित करना** (To Conduct the proceedings of winding-up): समापक का यह कर्तव्य है कि वह कंपनी के समापन की कार्यवाही का संचालन करे और इस संबंध में राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। कंपनी के साथ उसका विश्वासाश्रित संबंध होने के कारण उसका यह कर्तव्य है कि अपने पद से वह कोई गुप्त लाभ न कमाए।

(2) **कंपनी की संपत्तियाँ अधिकार में लेना** (To take Company's Property into custody): समापन आदेश होने पर समापक अथवा अस्थायी समापक को कंपनी की समस्त संपत्तियाँ मालभत्ते (effects) तथा कार्य योग्य दावों (Actionable Claims) को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। समापक की नियुक्ति तक (समापन के आदेश होने तक) कंपनी की समस्त संपत्तियाँ न्यायाधिकरण के संरक्षण में मानी जाती है।

(3) **याचनाएँ करना** (To Make Calls): कंपनी के ऋणों तथा दायित्वों का भुगतान करने तथा कंपनी के समापन की कार्यवाही से संबंधित व्ययों के लिए आवश्यक राशि जुटाने के लिए समापन अंशधारियों से अंशों पर अदत राशि के लिए याचना करेगा।

(4) **कंपनी के ऋणों का भुगतान करना** (To Pay Company's Debts): कंपनी समापक का यह कर्तव्य है कि कंपनी की शोधन क्षमता होने की स्थिति में कंपनी के ऋणों का पूर्ण भुगतान करे और जब तक कंपनी के ऋणों का पूर्ण भुगतान न हो जाए, कंपनी की आस्तियों (Assets) का अंशदायिओं को बाँटने में प्रयोग न करे।

Scanned with CamScanner

(5) **उचित पुस्तकें रखना** (To Maintain proper Books): समापक को प्रविष्टियाँ करने, सभाओं का विवरण लिखने तथा अन्य निर्देशित बातों के समावेश के लिए उचित पुस्तकें रखनी चाहिए। कोई भी लेनदार या अंशदायी या उनका एजेन्ट न्यायाधिकरण के नियंत्रण में इनकी जाँच कर सकता है।

(6) **लेखे प्रस्तुत करना** (To submit accounts): समापक अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम दो बार अपनी प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा। लेखे निर्धारित फार्म में होने चाहिए। उनकी दो प्रतियाँ होनी चाहिएं एवं उन्हें प्रमाणित किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण को उनका अंकेक्षण कराना चाहिए और इसके लिए समापक न्यायाधिकरण को आवश्यक अधिपत्र (Voucher), सूचनाएँ तथा पुस्तकें प्रस्तुत करेगा। अंकेक्षण के पश्चात् एक प्रति न्यायाधिकरण में रखी जाएगी एवं दूसरी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। कोई भी लेनदार अंशदाता या हित रखने वाला व्यक्ति इसकी जाँच कर सकता है।

यदि लेखे किसी समापनाधीन सरकारी कंपनी से संबंधित हैं जिसमें केंद्रीय सरकार अथवा/तथा एक या अधिक राज्य सरकार भी सदस्य हों तो समापक को ऐसे अंकेक्षित लेखों की प्रतियाँ केंद्रीय सरकार/प्रत्येक राज्य सरकार को भेजनी होती हैं। समापक को ऐसे अंकेक्षित लेखों को छपवाकर उसकी प्रतियाँ डाक द्वारा प्रत्येक लेनदार अथवा अंशदायी को भेजनी होती हैं।

(7) **निरीक्षण समिति की नियुक्ति** (Appointment of committee of inspection): न्यायाधिकरण कंपनी के समापन का आदेश देते समय अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय यह आदेश दे सकता है कि समापक के साथ कार्य करने के लिए एक 'निरीक्षण समिति' नियुक्त की जाएगी। समापक उपरोक्त निर्देश की तिथि के दो माह के भीतर निरीक्षण समिति की सदस्यता निश्चित करने के लिए कंपनी के लेनदारों की एक सभा बुलाएगा। लेनदारों की सभा के चौदह दिन के भीतर समापक समिति की सदस्यता के संबंध में लेनदारों की सभा में लिए गए निर्णय पर विचार करने के लिए अंशदायियों की एक सभा बुलाएगा। अंशदायियों की सभा लेनदारों की सभा के निर्णय को संशोधन सहित या बिना संशोधन के स्वीकृति दे सकती है या इसे रद्द कर सकती है।

(8) **अविर्णित समापन की सूचना देना** (To Submit Information in pending liquidation): यदि समापन का कार्य आरम्भ होने के एक वर्ष के भीतर समाप्त नहीं होता तो इस एक वर्ष के पश्चात् दो महीने के भीतर समापक को समापन संबंधी कार्यवाही एवं उसकी प्रगति आदि से संबंधित एक अंकेक्षित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। यदि समापन न्यायाधिकरण द्वारा हो तो यह न्यायाधिकरण को और यदि एच्छिक समापन है तो यह विवरण रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। जब यह विवरण न्यायाधिकरण को भेजा जाता है तो इसकी एक प्रति साथ-साथ रजिस्ट्रार के पास भेजी जाएगी।

(9) **बकाया राशि को अंशदायिओं को बाँटना** (To Distribute the Balance Amount to Contributories): जब लेनदारों के प्रति कंपनी के समस्त दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है तो समापक बची हुई (बकाया) आस्तियों को अंशदायिओं में बाँटने की अनुमति प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन करेगा। न्यायाधिकरण के उचित आदेश होने पर आधिक्य आस्तियों को हकदार अंशदारियों में बांटा जाएगा आधिक्य आस्तियों (Surplus Assets) को बाँटते समय समापक को कंपनी के पार्षद् नियम तथा अंतर्नियमों के प्रावधानों का ध्यान रखना चाहिए।

■ समापक की शक्तियाँ/अधिकार (Powers/Rights of Liquidator)

इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी के समापन में कंपनी समापक को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:

(i) कंपनी के नाम में तथा उसकी ओर से कोई वाद, अभियोजन या अन्य सिविल या दाण्डिक कानूनी कार्यवाही चलाना अथवा उसमें प्रतिरक्षा करना।

(ii) कंपनी के लाभकारी समापन के लिए जहाँ तक आवश्यक हो, कंपनी का व्यापार चलाना।

(iii) कंपनी की अचल तथा चल संपत्ति तथा वाद योग्य दावों को सार्वजनिक नीलाम या निजी अनुबंधों द्वारा बेचना;

Scanned with CamScanner

(iv) समस्त कंपनी उपक्रम को चालू व्यापार के रूप में बेचना।

(v) कंपनी की संपत्तियों को जमानत पर आवश्यक धनराशि प्राप्त करना।

(vi) अन्य ऐसे समस्त कार्य करना जो कंपनी के कारोबार के समापन के लिए तथा उसकी संपत्तियों के वितरण के लिए आवश्यक हों।

(vii) कंपनी के नाम पर या उसकी ओर से सभी कार्य करना तथा सभी प्रकार के विलेख लिखना

(viii) रजिस्ट्रार के यहाँ किसी शुल्क का भुगतान किए बिना कंपनी के सब अभिलेखों और विवरणियों का निरीक्षण करना;

(ix) किसी अंशदायी के दिवालिया होने की दशा में उसकी जायदाद के विरुद्ध कंपनी के किसी दावे को सिद्ध करना तथा दिवालिये की संपत्ति से लाभांश प्राप्त करना;

(x) कंपनी के नाम में तथा उसकी ओर से कोई विनिमय-पत्र, हुण्डी या प्रतिज्ञा-पत्र लिखना स्वीकार करना या पृष्ठांकित करना;

(xi) किसी मृत अंशदायी की संपत्ति से धन प्राप्त करने के लिए प्रशासन-पत्र (Letter of Administration) को अपने सरकारी नाम में प्राप्त करना तथा भुगतान प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करना;

(xii) किसी ऐसे कार्य को करने के लिए एजेण्ट नियुक्त करना, जिसे वह स्वयं करने में असमर्थ है;

(xiii) ऐसे समस्त कदम उठाना, कार्यवाहियाँ करना अथवा किसी कागज पत्र, विलेख, दस्तावेज, आवेदन, याचिका, शपथपत्र, बॉण्ड या प्रपत्र पर हस्ताक्षर, उसका निष्पादन या सत्यापन करना जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक हो:

(अ) कंपनी के समापन के लिए;

(स) आस्तियों (Assets) के वितरण के लिए; तथा कंपनी समापक के रूप में अपने कर्तव्यों और दायित्वों तथा कार्यों के निष्पादन में।

(xiv) न्यायाधिकरण को ऐसे आदेशों एवं निर्देशों के लिए आवेदन करना जो कंपनी के समापन के लिए आवश्यक हों।

कंपनी समापक द्वारा शक्तियों का प्रयोग न्यायाधिकरण के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए किया जाएगा। [धारा 290]

कंपनी समापक ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो न्यायाधिकरण इस निर्मित निर्दिष्ट करे।

समापक के दायित्व (Liabilities of Liquidator)

कंपनी का समापक लापरवाही के लिए उत्तरदायी होता है:

(i) यदि वह कंपनी की आस्तियों को दायित्वों (लेनदारियों) तथा संयोगिक दावों (Contingent Claims), जिनकी उसे सूचना है, का आयोजन किए बिना बांट देता है।

(ii) यदि वह न्यायालय से वैधानिक सलाह अथवा निर्देश लिए बिना कंपनी के संदिग्ध दावों के भुगतान में कंपनी की आस्तियों का प्रयोग करता है।

(iii) यदि वह किसी वैधानिक कर्तव्य को भंग करता है। ऐसे मामलों में वह लेनदार अथवा अंशदायी को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए दायी होगा।

एक समापक कंपनी की संपत्तियों एवं कोषों के लिए, जो उसके पास है, लेनदारों का न्यायी (Trustee) होता है। परंतु वह शब्द के पूर्ण अर्थ में न्यासी नहीं भी होता है, क्योंकि जब उसकी नियुक्ति होती है तो संपत्तियाँ एवं कोष कंपनी के नाम में होते हैं। अतः उसे प्रत्येक अंशदायी अथवा लेनदार के प्रति लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

■ समापन का आदेश देने के पश्चात्: राष्ट्रीय कम्पनी अधिनियम न्यायाधिकरण के अधिकार/शक्तियाँ (Rights/Powers of National Company Law Tribunal after winding up order)

कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा न्यायाधिकरण को कंपनी के समापन की कार्यवाही से संबंधित निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार धारा 271 द्वारा दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त हैं:

(1) **समापन कार्यवाही को रोकने का अधिकार** (Right to stay winding up proceedings): समापन आदेश देने के पश्चात् किसी भी समय न्यायाधिकरण सरकारी समापक या किसी लेनदार या अंशदायी के आवेदन पर समापन की कार्यवाही को रोक सकता है। आदेश देने से पहले न्यायाधिकरण सरकारी समापक को उन तथ्यों एवं मामलों के बारे में एक रिपोर्ट देने के लिए कह सकता है जो उसकी राय में आवेदन से संबंधित हों।

(2) **अंशदायियों की सूची तय करना** (Settlement of List of Contributories): न्यायाधिकरण को उन अंशदायियों की सूची तय करने जो कंपनी की संपत्ति में अंशदान के लिए दायी हैं तथा सदस्यों के रजिस्टर में संशोधन करने का अधिकार है।

(3) **ऋणों के भुगतान के आदेश का अधिकार** (Power to order payment of debts): न्यायाधिकरण किसी अंशदायी को आदेश दे सकता है कि वह अपने द्वारा याचना (Call) के अतिरिक्त कंपनी को देय राशि का भुगतान करे।

(4) **'माँगें' करने का अधिकार** (Power to make calls): न्यायाधिकरण सभी अथवा किसी भी अंशदायी से कंपनी के ऋणों, दायित्वों एवं समापन व्यय के भुगतान के लिए आवश्यक याचना राशि की माँग कर सकता है।

(5) **अंशदायियों के अधिकारों का समायोजन** (Adjustment of rights of Contributories): न्यायाधिकरण को अंशदायियों के परस्पर अधिकारों में समायोजन करने तथा संपत्तियों के किसी आधिक्य को उनके अधिकार रखने वालों में बाँटने का अधिकार है।

(6) **संपत्ति की सुपुर्दगी** (Delivery of Property): समापन आदेश के पश्चात् न्यायाधिकरण किसी भी अंशदाता, न्यासी, प्रापक, बैंकर, एजेण्ट या कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी को वह धनराशि, संपत्ति या पुस्तकें एवं प्रपत्र समापक को सौंपने के आदेश दे सकता है जिन पर प्रत्यक्षत: कंपनी का अधिकार है।

(7) **लेनदारों को निष्कासित करना** (Exclusion of Creditors): न्यायाधिकरण एक समय निर्धारित कर सकता है जिसमें लेनदार अपने ऋणों या दावों को प्रमाणित करेंगें और यदि वह उस निश्चित समय तक ऋणों या दावों को प्रमाणित नहीं करते तो इस कार्यवाही से पहले किए वितरण के लाभों से न्यायाधिकरण उन्हें वंचित कर सकता है।

(8) **खर्च के संबंध में अधिकार** (Power to order costs): यदि कंपनी की संपत्तियाँ दायित्वों का भुगतान करने में अपर्याप्त हों तो न्यायाधिकरण संपत्तियों में से समापन कार्यवाही की लागत एवं खर्चों की अदायगी को प्राथमिकता दे सकता है।

(9) **व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार** (Power to summon persons): अस्थायी समापक की नियुक्ति अथवा समापन आदेश के बाद न्यायाधिकरण कंपनी के किसी भी अधिकारी या किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करवा सकता है जिसके बारे में यह सन्देह हो कि उसके पास कंपनी की संपत्ति, पुस्तकें या कागज-पत्र हैं या वह कंपनी का ऋणी है या वह कंपनी के व्यापार, संपत्ति या कारोबार के बारे में महत्त्वपूर्ण सूचना दे सकता है।

न्यायाधिकरण ऐसे किसी बुलाए गए अधिकारी या व्यक्ति की शपथ पर बयान (जाँच) भी ले सकता है। न्यायाधिकरण उसे ऐसी पुस्तकें तथा कागजात प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है जो कंपनी से संबंध रखते हैं और जो उसके कब्जे में हैं। यदि पेश की गई पुस्तकों या कागजात पर, उनको पेश करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार के धारणाधिकार (Lien) का दावा करता है तो न्यायाधिकरण यह आदेश दे सकता है कि उपरोक्त रूप में पेश किए जाने से उसके धारणाधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Scanned with CamScanner

यदि बिना किसी उचित कारण के कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो न्यायाधिकरण उस व्यक्ति को अपने समक्ष साक्ष्य देने के लिए पकड़वाकर मंगा सकते है। यदि अपने साक्ष्य में वह यह स्वीकार करता है कि उसके पास कंपनी की संपत्ति है या वह कंपनी का ऋणी है तो न्यायाधिकरण उसे यह आदेश दे सकता है कि वह कंपनी की संपत्ति समापक के सुपुर्द कर दे अथवा ऋण का समापक को भुगतान कर दे। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों का पालन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सिविल कोड प्रोसिजर 1908 के अंतर्गत धनराशि के भुगतान अथवा संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए किया जाता है।

(10) प्रवर्तकों, संचालकों आदि का सार्वजनिक जाँच का आदेश देने का अधिकार (Power to Order public examination of promoters, directors, etc.): यदि सरकारी समापक यह रिपोर्ट देता है कि उसके विचार में किसी व्यक्ति ने कंपनी प्रवर्तन या निर्माण में कपट किया है, या कंपनी के किसी अधिकारी ने कंपनी के कारोबार के संचालन में कपट किया है, तो न्यायाधिकरण दोषी व्यक्ति को अपने समक्ष नियत तिथि पर पेश होने के लिए और सार्वजनिक जाँच के लिए आदेश दे सकता है।

सरकारी समापक जाँच में भाग ले सकता है। इस आशय के लिए यदि न्यायाधिकरण ने उसे विशेष रूप से अधिकृत किया है तो वह इस संबध में न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत कानूनी मदद भी ले सकता है। कोई लेनदार या अंशदायी भी व्यक्तिगत रूप से अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार या कानून पेशवर द्वारा, जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार है, जाँच में भाग ले सकता है।

जाँच की टिप्पणियाँ लिखित में ली जायेंगीं तथा जाँच किए जाने वाले व्यक्ति को वह पढ़कर सुनाई जाएँगी एवं इसके हस्ताक्षर लिए जायेंगे। इन टिप्पणियों का प्रयोग बाद में उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रमाण के रूप में किया जा सकता है तथा इन्हें किसी भी लेनदार अथवा अंशदायी के लिए समुचित समय पर निरीक्षण हेतु खुला रखा जाता है।

न्यायाधिकरण यदि उचित समझे तो जाँच का समय-समय पर स्थगन कर सकता है।

(11) फरार होने वाले अंशदायी की गिरफ्तारी का अधिकार (Power to arrest absconding contributory): यदि समापन का आदेश देने से पहले या बाद में न्यायाधिकरण को यह लगे कि कोई अंशदायी भारत छोड़ने वाला है या अन्य ढंग से गायब (फरार) होने वाला है या भुगतान अथवा जाँच से बचने के लिए अपनी किसी संपत्ति को हटाने या छुपाने वाला है तो न्यायाधिकरण उसे गिरफ्तार करा सकता है तथा उसके पास से सम्बद्ध पुस्तकें, कागजात एवं चल संपत्ति जब्त की जा सकती है।

(12) लेनदारों एवं अंशदायियों की सभायें (Meeting of creditors and Contributories): कंपनी के समापन से संबंधित सभी मामलों के लिए न्यायाधिकरण लेनदारों एवं अंशदायियों की सभायें उनके विचार जानने के लिए बुला सकता है।

(13) कंपनी के विघटन का आदेश देने का अधिकार (Power to order for the dissolution of the company): यदि कंपनी के समापन की कार्यवाही पूरी हो गई हो या न्यायाधिकरण की राय में समापक के लिए धन एवं संपत्ति की कमी के कारण आगे बढ़ना मुश्किल हो या अन्य किसी कारण से न्यायाधिकरण कंपनी के विघटन का आदेश दे सकता है।

न्यायाधिकरण विघटन का आदेश तभी देता है यदि उन परिस्थितियों में आदेश देना उचित एवं न्यायसंगत हो। न्यायाधिकरण के आदेश की तिथि से कंपनी का विघटन हो जाएगा। इस आदेश के 30 दिन के अन्दर समापक आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास भेजेगा जिसकी टिप्पणी रजिस्ट्रार अपनी पुस्तकों में दर्ज कर लेगा। यदि समापक न्यायाधिकरण के आदेश की प्रति रजिस्ट्रार के पास भेजने में उल्लंघन करता है तो उसे उल्लंघन जारी रहने तक 5,000 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड किया जा सकता है।

(14) कंपनी के विघटन को व्यर्थ घोषित करने का अधिकार (Power to declare the dissolution of the company void): यदि किसी कंपनी का विघटन कर दिया गया है तो न्यायाधिकरण विघटन की तिथि के दो वर्ष के अन्दर किसी भी समय कंपनी के समापक या कंपनी में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर विघटन के

Scanned with CamScanner

आदेश को शून्य घोषित करने वाला आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश जारी होने के बाद उपर्युक्त कार्यवाही को उसी प्रकार देखा जाता है जैसे कि उक्त कंपनी का विघटन हुआ ही न हो। आदेश के 30 दिन के अन्दर वह व्यक्ति जिसके आवेदन पर आदेश दिया गया है, आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा करायेगा जो इसे दर्ज कर लेगा। यदि ऐसा व्यक्ति प्रति जमा कराने में असफल रहता है तो उसे उल्लंघन जारी रहने तक ₹10,000 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड किया जा सकता है।

■ ऐच्छिक समापन (Voluntary Winding up)

जब किसी कंपनी का समापन राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बगैर उसके लेनदारों या सदस्यों द्वारा किया जाता है तो उसे ऐच्छिक समापन कहते हैं। ऐच्छिक समापन का उद्देश्य यह है कि कंपनी अर्थात् सदस्यों एवं लेनदारों को अपने मामलों का स्वयं ही न्यायाधिकरण में आए बिना निपटारा करने के लिए छोड़ दिया जाए। किंतु आवश्यकता पड़ने पर वे आदेशों व निर्देशों के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

■ ऐच्छिक समापन की परिस्थितियाँ (Circumstances of Voluntary Winding up)

धारा 304 के अनुसार एक कंपनी का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है:

(i) **साधारण प्रस्ताव पारित करके** (By Passing an ordinary Resolution): यदि अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित कंपनी के कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई हो अथवा यदि वह घटना घटित हो गई हो जिसके घटित होने पर अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी का विघटन कर दिया जाता है तो कंपनी अपने ऐच्छिक समापन के लिए एक साधारण प्रस्ताव पारित कर सकती है।

(ii) **विशेष प्रस्ताव पारित करके** (By Passing a Special Resolution): कंपनी किसी भी समय ऐच्छिक समापन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती है। यदि सदस्य ऐच्छिक समापन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करते हैं तो इसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं। अंतर्नियम भी इस वैधानिक अधिकार को नहीं छीन सकते।

ऐच्छिक समापन उसी दिन से प्रारंभ माना जाएगा जिस दिन ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव (साधारण अथवा विशेष, जैसी स्थिति हो) पारित किया जाता है।

ऐच्छिक समापन हेतु पारित किए गए प्रस्ताव की तिथि से 14 दिन के भीतर कंपनी को उस प्रस्ताव की सूचना सरकारी राजपत्र में और उस जिले में जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, चलने वाले किसी समाचार-पत्र में विज्ञापन द्वारा देनी चाहिए।

■ ऐच्छिक समापन के परिणाम (Consequences of Voluntary Winding up)

ऐच्छिक समापन के निम्नलिखित परिणाम होते हैं:

(1) **कंपनी के अस्तित्व पर प्रभाव** (Effect on Status of a Company): ऐच्छिक समापन के आरंभ होने पर कंपनी अपना व्यापार बंद कर देती है परंतु यदि कंपनी के लाभकारी समापन के लिए व्यापार जारी रखना आवश्यक हो तो उसे जारी रखा जा सकता है। कंपनी का सामूहिक अस्तित्व तथा सामूहिक अधिकार इसके विघटन तक जारी रहते हैं।

(2) **समापक की नियुक्ति पर मण्डल के अधिकारों की समाप्ति** (Board's Power to Cease on appointment of Liquidator): समापक की नियुक्ति पर संचालक मण्डल प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालकों एवं प्रबंधकों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं परंतु कंपनी साधारण सभा में या सदस्यों के ऐच्छिक समापन की दशा में समापक या निरीक्षण समिति का ऋणदाताओं के ऐच्छिक समापन की दशा में ऋणदाता, इनके अधिकारों के बने रहने की अनुमति दे सकते हैं।

(3) **कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हटाने की सूचना** (Notice of Discharge of the Officers and Employees of the Company): ऐच्छिक समापन कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हटाने की सूचना का कार्य नहीं करता परंतु कंपनी के दिवालिया होने पर यह कंपनी के कर्मचारियों के हटाए जाने का कार्य करेगा इससे कर्मचारियों के अवधि से पूर्व सेवा-समाप्ति के कारण क्षतिपूर्ति के अधिकार बने रहेंगे।

Scanned with CamScanner

यदि ऐच्छिक समापन का उद्देश्य कंपनी का सम्मिश्रण अथवा पुनर्निर्माण करना है तो ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव कर्मचारियों के हटाने की सूचना का कार्य नहीं करता।

समापन के प्रारंभ हो जाने के पश्चात् समापक कंपनी के समापन के लिए कर्मचारियों की नौकरी जारी रख सकता है परन्तु यह कंपनी एवं कर्मचारियों के बीच एक नया अनुबंध होगा (माना जाएगा)।

(4) **कार्यों पर रोक** (Stay of Actions): ऐच्छिक समापन की दशा में कंपनी के विरुद्ध कार्यों एवं कार्यवाहियों पर रोक की कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है परंतु धारा 322 के अंतर्गत एक आवेदन पर न्यायाधिकरण उन शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, वैधानिक कार्यवाहियों पर रोक लगा सकता है।

(5) **संपत्ति का बँटवारा** (Distribution of Property): कंपनी के समापन पर इसकी संपत्तियाँ पहले प्राथमिक भुगतान तथा बाद में अन्य दायित्वों के अनुपातिक भुगतान में प्रयोग की जाएगी। और जब तक अंतर्नियमों में विपरीत व्यवस्था न हो, आधिक्य को सदस्यों में कंपनी में उनके अधिकार एवं हित के अनुसार बांट दिया जाएगा।

(6) **समापन की अधिसूचना** (Notification of Liquidation): कंपनी या उसके समापक या रिसीवर या उसकी संपत्ति के प्रबंधक द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक बिल, आर्डर या व्यापारिक पत्र आदि पर इस आशय का एक बयान अवश्य होना चाहिए कि कंपनी का समापन हो रहा है। यह प्रत्येक प्रकार के समापन पर लागू होता है।

यदि उपरोक्त व्यवस्था का पालन करने में त्रुटि की जाती है तो कंपनी, कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, कंपनी का समापक या प्रापक (रिसीवर) या प्रबंधक जो जानबूझकर ऐसे दोष की अनुमति देता है या अधिकृत करता है, ₹5,000 तक के जुर्माने द्वारा दण्डित किया जा सकता है।

■ ऐच्छिक समापन के प्रकार (Types of Voluntary Winding-up)

ऐच्छिक समापन दो प्रकार का हो सकता है:

(1) सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन।

(2) लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन।

इन दोनों प्रकार के समापन की विस्तृत प्रक्रिया निम्नलिखित है:

• (1) सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन (Members Voluntary Winding up)

सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन तभी किया जा सकता है जब कंपनी शोध्य-क्षम अर्थात् संपन्न (Solvent) है तथा अपने समस्त दायित्वों का भुगतान करने में समर्थ है। यह सदस्यों द्वारा आरंभ किया जाता है तथा इसकी कार्यवाही उन्हीं के द्वारा चलाई जाती है समापन की यह विधि प्रयोग करने के लिए शोधन क्षमता (Solvency) की घोषणा करनी पड़ती है। सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन के लिए निम्नलिखित किया जाना अनिवार्य है:

(i) कंपनी के बहुसंख्यकं (Majority) संचालकों द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की वैधानिक घोषणा करना तथा इसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास फाइल करना।

(ii) कंपनी की असाधारण व्यापक सभा में साधारण अथवा विशेष प्रस्ताव, जैसी भी स्थिति हो, पारित करना तथा इसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास भेजना।

शोध्य क्षमता की घोषणा (Declaration of Solvency): यदि कंपनी का ऐच्छिक समापन किया जाना हो तो बहुसंख्यक (Majority) संचालकों द्वारा अपने मण्डल की सभा में यह घोषणा करनी पड़ती है कि कंपनी पर कोई ऋण नहीं है या कंपनी अपने ऋणों को पूर्ण रूप से भुगतान करने में समर्थ है। यह घोषणा शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

शोधन क्षमता की घोषणा को प्रभावी (Effective) होने के लिए निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है।

(i) ऐसी घोषणा कंपनी के ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पास होने के तुरंत (Immediate) पहले वाले 5 सप्ताहों में की हुई होनी चाहिए तथा समापन तिथि से पूर्व रजिस्ट्रार के समक्ष यह घोषणा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।

(ii) घोषणा के साथ कंपनी के अंतिम खातों (Final Accounts) के संबंध में अंकेक्षक की रिपोर्ट लगा (Attach) दी जानी चाहिए तथा इसमें निर्धारित अंतिम तिथि को कंपनी की संपत्ति एवं दायित्वों के संबंध में एक विवरण होना चाहिए।

(iii) यह घोषणा कि कंपनी का समापन किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को धोखा देने के लिए नहीं किया जा रहा है।

(iv) जहाँ कंपनी की कोई आस्तियाँ हैं वहाँ उसके साथ किसी रजिस्टर्ड मूल्यांकक (Valuer) द्वारा तैयार की गई कंपनी की आस्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट।

जहाँ कंपनी का समापन घोषणा करने के पश्चात् पाँच सप्ताह की अवधि के भीतर पारित प्रस्ताव के अनसरण में होता है किंतु उसके ऋणों का भुगतान नहीं किया जाता है या उसके संबंध में पूर्ण आयोजन नहीं किया जाता है, वहाँ जब तक विपरीत वर्णित न किया जाए यह माना जाएगा कि संचालक या संचालकों के पास अपनी राय व्यक्त करने के उचित अर्थात् मुक्तियुक्त (Reasonable) आधार नहीं थे।

इस धारा के अधीन ऐसी राय के लिए कि कंपनी ऐच्छिक समापन विक्रय की जाने वाली आस्तियों के आगमों (प्राप्त राशि) से अपने पूर्ण ऋणों का भुगतान करने में समर्थ होगी। मुक्ति युक्त आधारों के बिना घोषणा करने वाला कंपनी का कोई संचालक ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

- **सदस्यों के ऐच्छिक समापन में लागू होने वाले प्रावधान**
  (Provisions applicable to a Members Voluntary Winding up)

सदस्यों के ऐच्छिक समापन में लागू होने वाले प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 310 से 318 तक दिए हुए हैं। ये संक्षेप में निम्नलिखित हैः

(1) समापक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक (Appointment and Remuneration of Liquidator): जब संचालकों द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा कर दी जाती है तो कंपनी अपनी व्यापक सभा में केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए पैनल से किसी कंपनी समापक की नियुक्ति करेगी और कंपनी समापक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की सिफारिश करेगी। कंपनी द्वारा एक से अधिक समापकों की नियुक्ति की जा सकती है।

कंपनी समापक के रूप में नियुक्ति पर ऐसा समापक कंपनी और लेनदारों में उसकी नियुक्ति के संबंध में हित के विरोध या स्वतंत्रता की कमी यदि कोई हो, को प्रकट करते हुए नियुक्ति की तारीख के सात दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा फाइल करेगा और ऐसी बाध्यता (Obligation) उसकी नियुक्ति की पूरी अवधि में बनी रहेगी। [धारा 310]

कंपनी समापक को पद से हटाने तथा रिक्त पद को भरने की शक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 311 के अंतर्गत दी गई है जिनमें यह प्रावधान है कि धारा 310 के अधीन नियुक्त कंपनी समापक जहाँ उसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा की गई है वहाँ कपंनी द्वारा और जहाँ नियुक्ति लेनदारों द्वारा अनुमोदित या की गई है वहाँ ऐसे लेनदारों द्वारा हटाया जा सकेगा।

कंपनी समापक को हटाने से पहले, कंपनी या लेनदारों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, उसे उसके पद से हटाने के आधारों का कथन करते हुए लिखित में सूचना दी जाएगी। सूचना का उत्तर प्राप्त होने पर तीन चौथाई सदस्य अथवा तीन-चौथाई लेनदार, जैसी भी स्थिति हो, अपनी सभा में प्रस्ताव पारित करके समापक को उसके पद से हटा सकते हैं। [धारा 311]

Scanned with CamScanner

यदि धारा 310 के अधीन नियुक्त किसी समापक के पद पर मृत्यु, त्याग पत्र, हटाए जाने या अन्यथा कोई रिक्ति होती है तो, जैसी भी स्थिति हो, कंपनी या लेनदार उस धारा में निर्दिष्ट रीति से रिक्ति को भर सकेंगे।

(2) समापक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को दिया जाना (Notice of appointment of liquidator to be given to Registrar): कंपनी समापक अथवा समापकों की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को देगी। कंपनी समापक के कार्यालय में होने वाले प्रत्येक रिक्त स्थान एवं प्रत्येक ऐसे रिक्त स्थान को भरने के लिए नियुक्त समापकों के नामों तथा अन्य विवरण की सूचना भी देगी।

कंपनी द्वारा ऐसी सूचना संबंधित घटना के घटित होने के 10 दिन के अंदर दी जानी चाहिए।

यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधान का अनुपालन करने में त्रुटि करती है तो कंपनी तथा कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जिसने त्रुटि की है ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान त्रुटि जारी रहती है, पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा

(3) समापक की नियुक्ति होने पर वोर्ड की शक्तियाँ समाप्त होना (Board's Powers to Cease on Appointment of Liquidator): कंपनी समापक की नियुक्ति पर संचालक मंडल (बोर्ड) तथा प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक और प्रबंधक, यदि कोई हों, की सभी शक्तियाँ, रजिस्ट्रार को कंपनी समापक की ऐसी नियुक्ति की सूचना देने के प्रयोजन के सिवाए, समाप्त हो जाएगी। [धारा 313]

(4) ऐच्छिक समापन में कंपनी समापक की शक्तियाँ तथा कर्तव्य (Powers and duties of company liquidator in voluntary winding up):

(i) कंपनी समापक ऐसे कार्यों का पालन और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो समय-समय पर जैसी भी स्थिति हो, कंपनी या लेनदारों द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे।

(ii) कंपनी समापक अंशदायियों (Contributories) की सूची निर्धारित तय करेगा जो अंशदायियों के रूप में उसमें नामित व्यक्तियों के दायित्व का प्रथमदृश्त्या (Prima facer) साक्ष्य होगी।

(iii) वह ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो निर्धारित की जाए, नियमित और उचित लेखाबहियाँ रखेगा तथा लेखा विवरणी (Statement of Account) को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल करेगा। ऐसा न करने पर कंपनी समापक, इस प्रकार असफल रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। [धारा 316]

(iv) सदस्य, लेनदार तथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी लेखा बहियों का निरीक्षण कर सकेंगे।

(v) कंपनी समापक कंपनी के ऋणों का भुगतान करेगा तथा अंशदायिओं के बीच उनके अधिकारों का समायोजन करेगा।

यदि कंपनी समापक उपरोक्त वार्णित (iii) के सिवाय अधिनियम की धारा 314 के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा [धारा 314]

(5) समितियों की नियुक्ति (Appointment of Committees): जहां कंपनी के कोई लेनदार नहीं हैं, वहाँ ऐसी कंपनी अपनी व्यापक सभा में और जहाँ लेनदारों की सभा धारा 306 के अधीन हुई है। वहाँ ऐसे लेनदार उतनी समितियाँ नियुक्त कर सकेंगे जितनी वे ऐच्छिक समापन का पर्यवेक्षण (निगरानी) तथा कंपनी समापक को उसके कार्यों का निष्पादन करने में सहायता देने के लिए उचित समझे। [धारा 315]

(6) कंपनी समापक डाटा समापन की प्रगति पर रिपोर्ट देना (Company Liquidator to Submit report on progress of winding up): कंपनी समापक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो निर्धारित की जाए, सदस्यों और लेनदारों को कंपनी के समापन की प्रगति पर तिमाही रिपोर्ट देगा और जब कभी आवश्यक हो, सदस्यों और लेनदारों की सभा बुलाएगा और उन्हें ऐसे प्ररूप और रीति में जो निर्धारित की जाए, कंपनी के समापन की प्रगति से अवगत कराएगा।

Scanned with CamScanner

इस प्रावधान का अनुपालन करने में असफल होने पर कंपनी समापक प्रत्येक ऐसी असफलता के संबंध में, ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(7) **व्यक्तियों की परीक्षा के लिए न्यायाधिकरण को कंपनी समापक की रिपोर्ट देना** (Report of Company liquidator to Tribunal for examination of persons): जहाँ कंपनी समापक की यह राय है कि कंपनी के संबंध में किसी व्यक्ति ने कपट किया है तो वह तुरंत इसकी सूचना (रिपोर्ट) न्यायाधिकरण को देगा तथा न्यायाधिकरण, समापन की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 210 के अधीन अन्वेषण (Investigation) का आदेश देगा। [धारा 317]

(8) **अंतिम सभा एवं विघटन** (Final Meeting and Dissolution): कंपनी के कार्यकलापों के पूर्ण समापन के पश्चात्, यथाशीघ्र, कंपनी समापक यह दर्शाते हुए समापन की रिपोर्ट तैयार करेगा कि कंपनी की संपत्ति एवं आस्तियों का कैसे निपटारा (विक्रय) किया गया है। इसके पश्चात वह कंपनी की व्यापक सभा बुलाएगा तथा उसके समक्ष अंतिम समापन लेखे तथा समापन की समस्त कार्यवाही प्रस्तुत करेगा।

कंपनी समापक, सभा के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी के अंतिम समापन लेखे की प्रति भेजेगा और प्रत्येक सभा और उसकी तारीख के संबंध में एक विववरणी तैयार करेगा।

समापक कंपनी के विघटन का आदेश पारित करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष, ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाए, समापन से संबंधित बहियाँ और कागज पत्र के साथ अपनी रिपोर्ट के साथ आवेदन फाइल करेगा।

यदि न्यायाधिकरण कंपनी समापक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि समापन की प्रक्रिया उचित एवं न्यायसंगत रही है तो न्यायाधिकरण आवेदन की प्राप्ति के सात दिन के भीतर कंपनी का विघटन करने वाला आदेश पारित करेगा।

कंपनी समापक तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को आदेश की प्रति फाइल करेगा। रजिस्ट्रार न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति प्राप्त करने पर तुरंत राजपत्र में यह सूचना प्रकाशित करेगा कि कंपनी विघटित की जाती है।

यदि कंपनी समापक इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। [धारा 318]

- **(2) लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन (Creditor's Voluntary Winding-up)**

जब कंपनी के ऐच्छिक समापन की दशा में कंपनी के संचालक कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा करने में असमर्थ रहते हैं अथवा शोधन क्षमता की घोषणा करने के बाद भी ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उसे लेनदारों या ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन माना जाता है इस प्रकार यदि किसी ऐच्छिक समापन में शोधन क्षमता की घोषणा नहीं की जाती तो उसे 'लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन' कहा जाता है।

लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन में लागू होने वाले वैधानिक प्रावधान (Statutory provisions applicable in creditors' voluntary winding up): ऐच्छिक समापन के संबंध में लागू होने वाले प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 306 से 316 में दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:

(1) **लेनदारों एवं सदस्यों की सभाएँ** (Meetings of members and creditors): कंपनी को उसी दिन, जिस दिन साधारण सभा में ऐच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पारित किया जाना है, लेनदारों की एक सभा बुलानी चाहिए। लेनदारों की यह सभा अगले दिन भी बुलाई जा सकती है। साधारण सभा की सूचना भेजने के साथ ही डाक द्वारा लेनदारों को भी उनकी सभा की सूचना भेजनी चाहिए। लेनदारों की सभा की सूचना का विज्ञापन कम-से-कम एक बार राजकीय राजपत्र में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय वाले जिले में प्रचलित दो समाचार-पत्रों में दिया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

संचालक मण्डल लेनदारों की इस सभा में कंपनी की संपूर्ण स्थिति का विवरण प्रस्तुत करेगा तथा साथ ही लेनदारों की सूची तथा उनके दावों (Claims) की अनुमानित राशि का विवरण भी सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संचालक मण्डल अपने में से किसी एक को सभा की अध्यक्षता के लिए नियुक्त करेगा। इस प्रकार नियुक्त संचालक का सभा में उपस्थित होने तथा उसकी अध्यक्षता करने का कर्तव्य है।

जहाँ कंपनी के दो-तिहायी (213) लेनदारों की यह राय है कि:

(i) यह सभी पक्षकारों के हित में होगा कि कंपनी का ऐच्छिक समापन कर दिया जाए, वहाँ कंपनी का ऐच्छिक समापन कर दिया जाएगा,

(ii) यदि कंपनी ऐच्छिक समापन में विक्रय की जाने वाली आस्तियों की प्राप्त राशि से पूर्णतः अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ नहीं होगी और यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि यदि कंपनी का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा समापन कर दिया जाए तो यह सभी पक्षकारों के हित में होगा वहाँ कंपनी प्रस्ताव पारित करने के चौदह दिन के भीतर न्यायाधिकरण के समझ आवेदन फाइल करेगी।

धारा 306 के अनुसरण में लेनदारों की सभा में पारित किसी प्रस्ताव की सूचना उसके पारित किए जाने के दस दिन के भीतर कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को दी जाएगी।

यदि कंपनी इस धारा (306) के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई उल्लंघन करती है तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा कोई संचालक जिसने त्रुटि की है, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 307 में यह अपेक्षित है कि कंपनी ऐच्छिक समापन के लिए पारित प्रस्ताव की विज्ञापन द्वारा सूचना देगी।

ऐच्छिक समापन, धारा 304 के अधीन ऐच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव के पारित किए जाने की तारीख को प्रारंभ हुआ माना जाएगा।

इस प्रकार किए जाने वाले समापन का यह प्रभाव होगा कि कंपनी, समापन के प्रारंभ की तारीख से, जहाँ तक उसके कारोबार के लाभप्रद समापन के लिए अपेक्षित है, उसके सिवाय, अपने कारोबार को नहीं करेगी। परंतु कंपनी का निगमित स्वरूप (Corporate Status) तथा निगमित शक्तियाँ तब तक बनी रहेगी जब तक इसको विघटित (Dissolve) नहीं कर दिया जाता है।

(2) समापक की नियुक्ति (Appointment of Liquidator): कंपनी तथा लेनदार अपनी-अपनी सभा में समापक मनोनीत (Nominate) कर सकते हैं किंतु यदि लेनदारों तथा कंपनी द्वारा मनोनीत व्यक्ति भिन्न-भिन्न हों तो लेनदारों द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही कंपनी का समापक होगा। किंतु कंपनी का कोई सदस्य, संचालक अथवा लेनदार ऐसे मनोनयन (Nomination) के सात दिनों के भीतर न्यायाधिकरण को प्रार्थनापत्र देकर यह निवेदन कर सकता है कि कंपनी द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही कम्पनी का समापक होना चाहिए, अथवा न्यायाधिकरण को सरकारी निस्तारक या अन्य किसी व्यक्ति को कंपनी का समापक नियुक्त करना चाहिए।

यदि लेनदार किसी भी व्यक्ति को समापक के रूप में मनोनीत नहीं करते हैं तो कंपनी द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही कंपनी का समापक होगा। इसी प्रकार यदि कंपनी भी किसी भी व्यक्ति को समापक के रूप में मनोनीत नहीं करती है तो लेनदारों द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही कंपनी का समापक होगा। [धारा 310]

लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन की दशा में सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन की दशाओं की भांति न्यायाधिकरण द्वारा समापक को हटाया जा सकेगा। धारा 312 में यह अपेक्षित है कि कंपनी समापक की नियुक्ति के दस दिन के अंदर कंपनी इस नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को देगी।

Scanned with CamScanner

(3) **निरीक्षण समिति की नियुक्ति** (Appointment of Committee of Inspection): यदि लेनदार ऐसा करना आवश्यक समझे तो ऐच्छिक समापन का पर्यवेक्षण (निगरानी) करने तथा कंपनी समापक को उसके कार्यों के कुशल निष्पादन में सहायता देने के लिए एक निरीक्षण समिति नियुक्त कर सकती है।

निरीक्षण समिति अथवा यदि निरीक्षण समिति नहीं है तो लेनदार कंपनी समापक का पारिश्रमिक निश्चित करेंगे। ऐसा करने में असफल रहने पर न्यायाधिकरण पारिश्रमिक निश्चित करेगा। कंपनी समापक की नियुक्ति के पश्चात संचालक मंडल की शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। समापक द्वारा अपनायी जाने वाली समापन की प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसी कि सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन की होती है सिवाय इसके कि सदस्यों की सभा के अतिरिक्त लेनदारों की सभा भी बुलानी पड़ती है। [धारा 312]

(4) **कंपनी तथा लेनदारों की सभा** (Meeting of Company and Creditors): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 316 में यह अपेक्षित है कि यदि समापन की कार्यवाही एक वर्ष से अधिक चलती है तो समापक को समापन के प्रारंभ वाले वर्ष के अंत में एक साधारण सभा बुलानी चाहिए। इसी तरह उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के अंत में साधारण सभा बुलानी चाहिए। उसे सभा के समक्ष वर्ष के दौरान अपने कार्यों एवं व्यवहारों तथा समापन संचालन संबंधी सभी विषयों के बारे में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(5) **अंतिम सभा एवं विघटन** (Final Meeting and Dissolution): कंपनी के मामलों के पूर्णतया समापन पर समापक समापन का विवरण तैयार करेगा जिसमें यह दर्शायेगा कि समापन के कार्य का संचालन कैसे किया गया है एवं संपत्तियों का निपटारा कैसे किया गया है। समापक सभा के समक्ष ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए तथा तत्संबंधी अपने स्पष्टीकरण देने के उद्देश्य से कंपनी तथा लेनदारों की सभा बुलायेगा। अंतिम सभा की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर समापक को रजिस्ट्रार एवं सरकारी समापक के पास समापन के अंतिम लेखों की प्रतिलिपि एवं सभाओं के विवरणों की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए। यदि सरकारी समापक पूर्वोक्त लेखों एवं विवरणों की जांच करने के पश्चात् न्यायाधिकरण को सन्तोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो रिपोर्ट की तिथि से कंपनी विघटित मान ली जाती है। यदि सरकारी समापक असन्तोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो न्यायाधिकरण अपने विवेकानुसार कोई भी ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे।

यदि समापक कंपनी की व्यापक सभा तथा लेनदारों की सभा बुलाने में त्रुटि करता है तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। [धारा 318]

■ सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन तथा लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन में अंतर (Difference Between Members' Voluntary Winding Up and Creditors' Voluntary Winding Up)

अंतर का आधार (Basis of Difference)	सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन (Members' Voluntary Winding up)	लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन (Creditors Voluntary Winding up)
1. स्थिति (Position)	ऐसा समापन उस दशा में होता है जब कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ हो।	ऐसा समापन उस दशा में किया जाता है जब कंपनी अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो।
2. शोधन क्षमता की घोषणा (Declaration of Solvency)	इसमें संचालकों को कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा करनी पड़ती है।	इसमें ऐसी घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है।

Scanned with CamScanner

3. समापक की नियुक्ति (Appointment of Liquidator)	कंपनी साधारण सभा में समापक की नियुक्ति करती है।	सदस्यों एवं लेनदारों दोनों द्वारा अपनी अलग-अलग सभा में समापक की नियुक्ति की जाती है। यदि सदस्यो तथा लेनदारों द्वारा नियुक्त व्यक्ति अलग-अलग हों तो लेनदारों द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही समापक माना जाता है।
4. समापन की सभाएँ (Meetings of Winding up)	ऐसे समापन के लिए केवल सदस्यों की सभा ही बुलाई जाती है।	इसमें सदस्यों तथा लेनदारों दोनों की सभाएँ बुलाई जाती हैं।
5. समापन प्रस्ताव (Winding up Resolution)	इस प्रकार के समापन में केवल सदस्यों की सभा में ही साधारण अथवा विशेष प्रस्ताव, जो भी आवश्यक हों पारित करना पड़ता है।	इस प्रकार के समापन में सदस्यों तथा लेनदारों दोनों की ही सभाओं में समापन प्रस्ताव पारित करना पड़ता है।
6. निरीक्षण समिति (Committee of Inspection)	इसमें निरीक्षण समिति की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।	इसमें निरीक्षण समिति नियुक्त की जाती है।
7. समापक का पारिश्रमिक (Remuneration of Liquidator)	इसमें समापक का पारिश्रमिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा निश्चित किया जाता है।	इसमें समापक का पारिश्रमिक निरीक्षण समिति अथवा लेनदारों द्वारा निश्चित किया जाता है यदि लेनदार इसे निश्चित नहीं करते तो न्यायाधिकरण द्वारा इसे निश्चित किया जाता है।
8. नियंत्रण (Control)	इस प्रकार के समापन में सदस्यों का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है।	इस प्रकार के समापन में लेनदारों का नियंत्रण अधिक रहता है।
9. समापकों की संख्या (Number of Liquidators)	इसमें एक से अधिक समापकों की नियुक्ति की जा सकती है।	इस प्रकार के समापन में एक ही समापक की नियुक्ति का प्रावधान होता है।
10. संचालक मण्डल के अधिकार (Powers of Board of Directors)	समापक की नियुक्ति के बाद में यदि समापक तथा कंपनी चाहे तो संचालक मण्डल के अधिकार जारी रखें जा सकते हैं।	निरीक्षण समिति या लेनदार चाहे तो मण्डल के अधिकार जारी रख सकते हैं।
11. रिक्त स्थान भरना (Filling Vacancy)	समापक का पद खाली होने पर कंपनी की साधारण सभा इसे भर सकती है।	इसमें लेनदार समापक के रिक्त स्थान को भर सकते हैं।
12. वार्षिक सभा (Annual Meeting)	यदि समापन की कार्यवाही एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चलती है तो समापक को प्रति वर्ष सदस्यों की सभा बुलानी पड़ती है।	इस प्रकार के समापन में सदस्यों एवं लेनदारों दोनों की सभाएँ बुलाना आवश्यक है।
13. अंतिम सभा (Final Meeting)	समापन की कार्यवाही पूरी हो जाने पर केवल सदस्यों की अंतिम सभा बुलाई जाती है।	इसमें सदस्यों एवं लेनदारों दोनों की ही अंतिम सभा बुलानी पड़ती है।

Scanned with CamScanner

■ ऐच्छिक समापन पर लागू होने वाले सामान्य प्रावधान

(General Provisions applicable to Voluntary Winding up)

कंपनी अधिनियम, 2013 में कुछ सामान्य प्रावधान ऐसे है जो दोनों ही प्रकार के ऐच्छिक समापन अर्थात् सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन तथा लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन पर लागू होते है। इनमें से कुछ प्रावधान अग्रलिखित हैः

(1) कंपनी के कार्यकलापों का विवरण (Statement of Affairs of the Company): कंपनी अधिनियम में यह प्रावधान है कि संचालकों, प्रबंध या कंपनी के अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा उचित रूप से सत्यापित कंपनी के कार्यकलापों का विवरण कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। विवरण के निम्न का उल्लेख होना चाहिए:

(i) कंपनी की आस्तियाँ (Assets), हाथ में नकदी तथा बैंक में नकदी दोनों ही तथा विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ (Negotiable Securities);

(ii) कंपनी के ऋण तथा दायित्व;

(iii) कंपनी के लेनदारों के नाम तथा पते एवं उनके ऋण की राशि (रकम);

(iv) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, देनदारों आदि के पूर्ण विवरण (Detail) सहित;

(v) कोई अन्य सूचना जिसकी आवश्यकता हो।

(2) समापक को हटाना (Removal of Liquidator): कोई भी लेनदार अथवा कोई भी अंशदायी समापक की शक्तियों के संबंध में न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है। न्यायाधिकरण उचित आधार साबित होने पर समापक को हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को समापक नियुक्त कर सकता है। डॉ० हरीसिंह बनाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के मामले में कंपनी के ऐच्छिक समापन में दिल्ली उच्च न्यायालय में समापक को इसलिए हटा दिया था कि उसने धारा 553 (अब धारा 350) के अनुसार कंपनी का पैसा बैंक में जमा नहीं किया था और वह उचित सहयोग भी नहीं दे रहा था और न ही कंपनी के दावों के वसूलने में कोई रूचि (दिलचस्पी) ले रहा था तथा कंपनी के समापन की प्रक्रिया में पूर्व प्रबंध संचालक तथा समापक की सांठ-गांठ (Collusion) था।

अतः धारा 311 न्यायाधिकरण को कंपनी समापक को हटाने तथा हटाए गए समापक के स्थान पर राजकीय समापक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कंपनी समापक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक समापक को हटवाने की प्रार्थना इसलिए अस्वीकार (ठुकराई) की क्योंकि आवेदक दुर्भावना पूर्ण या तथा समापक का विरोध इसलिए कर रहा था कि समापक ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की थी और वह इसके परिणामों से डरता था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि समापक को हटवाने के लिए संदिग्ध या अस्पष्ट आरोप पर्याप्त नहीं हैं।

कंपनी समापक न्यायाधिकरण को यह रिपोर्ट कर सकता है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति ने कंपनी के प्रवर्तन अथवा निर्माण के संबंध में या निर्माण के बाद कंपनी के किसी अधिकारी में कपट किया है। न्यायाधिकरण ऐसे व्यक्ति की सार्वजनिक परीक्षा (Public Examination) कर सकता है।

(3) समापक की शक्तियाँ (Powers of Liquidator): ऐच्छिक समापन में कंपनी समापक की वही शक्तियाँ होती हैं जो न्यायाधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन में शासकीय समापक (Official Liquidator) की होती है। अंतर केवल यह है कि शासकीय समापक को कुछ शक्तियों के किए न्यायाधिकरण की स्वीकृति लेनी पड़ती है जबकि ऐच्छिक समापन में कंपनी समापक को या तो सदस्यों की स्वीकृति या लेनदारों की निरीक्षण समिति की स्वीकृति और यदि लेनदारों की निरीक्षण समिति न हो तो लेनदारों की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

अनेक प्रकार से कंपनी समापक न्यायाधिकरण की शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है; जैसे कि:

(i) अंशदायियों की सूची बनाने की शक्ति;

Scanned with CamScanner

(ii) कंपनी की व्यापक सभा बुलाने की शक्ति;

(iii) अंशों पर याचना करने की शक्ति। समापक की यह शक्ति इस बात से प्रभावित नहीं होती है कि कंपनी ने अंशों पर याचना की थी और कंपनी की याचना अवधि-वर्जित (Time-barred) हो गई थी। [धारा 314]

(4) लेनदारों तथा सदस्यों के नाम व्यवस्था (Arrangement with Creditors and Members): कोई ऐसी कंपनी जिसका समापन होने को है या होने के प्रक्रम (Course) में है उसके द्वारा अपने लेनदारों के साथ की गई कोई व्यवस्था (समझौता) सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी (Binding) होगा बशर्ते कि इसे कंपनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति दी गई हो तथा तीन-चौथाई मूल्य के लेनदारों ने इसे स्वीकार कर लिया हो।

कोई लेनदार या अंशदायी ठहराव (व्यवस्था) के पूरा होने से तीन सप्ताह के भीतर न्यायाधिकरण में इसके विरुद्ध अपील कर सकता है और इसके पश्चात न्यायाधिकरण व्यवस्था का संशोधन, उसमें परिवर्तन, उसकी पुष्टि अथवा रद्द, जैसा वह उचित व न्यायसंगत समझे, कर सकता है। [धारा 321]

(5) प्रश्नों का निर्धारण आदि करने के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन करने की शक्ति (Power is apply to the Tribunal to have questions determined etc.):

(1) कंपनी समापक या कोई अंशदायी या लेनदार न्यायाधिकरण को निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकेगा:

(i) कंपनी के समापन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न का निर्धारण अर्थात अवधारण करने या

(ii) याचनाएँ कार्यान्वित कराने, कार्यवाहियाँ रोकने या किसी अन्य विषय के बारे में उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने, जिनका प्रयोग न्यायाधिकरण उस दशा में करता यदि कंपनी न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त की गई होती।

(2) कंपनी समापक या कोई लेनदार या अंशदायी समापन के प्रारंभ के पश्चात् कंपनी की संपदा (Estate) के संबंध में क्रियान्वित की गई किसी कठिनाई (Distress) या निष्पादन को रद्द करने वाले आदेश के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

जहाँ न्यायाधिकरण समापन की जाने वाली कंपनी के विरुद्ध समापन कार्यवाही को रोकने का आदेश देता है तो ऐसे आदेश की एक प्रति तुरंत रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। [धारा 321]

(6) ऐच्छिक समापन का व्यय (Costs of Voluntary Winding up): समापन की कार्यवाही में किए गए सभी उचित लागत प्रभार तथा व्यय जिसमें समापक का पारिश्रमिक भी शामिल होगा, सुरक्षित लेनदारों के अधिकारों के अधीन रहते हुए सभी अन्य दावों से प्राथमिकता में कंपनी की आस्तियों में से भुगतान होंगे। समापन की कार्यवाही में प्रयोग होने वाले परिसर का किराया इस धारा के प्रयोजन के लिए उचित समापन व्यय माना गया है। [धारा 323]

(7) सभी प्रकार के ऋणों का कंपनी के विरुद्ध सबूत (प्रमाण) के रूप में स्वीकार करना (Debts of all descriptions to be admitted to proof against company): प्रत्येक समापन में (दिवालिया कंपनियों को छोड़कर जिन पर दिवालिया अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं) किसी आकस्मिकता (Contingency) पर देये सभी ऋण और कंपनी के विरुद्ध सभी वर्तमान और भावी, निश्चित और आकस्मिक दावे, निर्धारित या केवल क्षति के रूप में सांकेतिक ऐसे ऋणों या दावों के जहाँ तक हो सके मूल्य का आंकलन किए जाने पर जो किसी आकस्मिकता के अधीन हो या केवल क्षति के रूप में सांकेतिक हो या अन्य कारण से निर्दिष्ट मूल्य का नहीं हो, कंपनी के विरुद्ध सबूत के रूप में स्वीकार होगा। [धारा 324]

(8) न्यायाधिकरण विघटन को व्यर्थ घोषित कर सकता है (Tribunal may declare dissolution void): जहाँ किसी कंपनी का विघटन किया गया है जहाँ न्यायाधिकरण विघटन की तारीख के दो वर्ष के भीतर किसी भी समय कंपनी के समापक या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर, जिसका विघटन रद्द कराने में हित है, विघटन को व्यर्थ (शून्य) घोषित करने का आदेश कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

कंपनी समापक या वह व्यक्ति जिसके आवेदन पर आदेश किया गया था, उस आदेश के किए जाने के पश्चात् 30 दिन भीतर या ऐसे अधिक समय के भीतर जिसकी न्यायाधिकरण अनुमति दे, रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रमाणित प्रति फाइल करेगा। यदि कंपनी समापक या वह अन्य व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है तो कंपनी समापक या वह अन्य व्यक्ति जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान त्रुटि जारी रहती है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। [धारा 356]

(9) शासकीय समापक की नियुक्ति (Appointment of Official Liquidator): जहाँ कंपनी का समापन धारा 271 के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है वहाँ केंद्रीय सरकार उतने शासकीय समापकों, संयुक्त समापक तथा सहायक समापक की नियुक्ति कर सकेगी जो वह शासकीय समापक के कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे। इस प्रकार नियुक्त समापक केंद्रीय सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे तथा उनके वेतन एवं भत्ते केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाएँगे।

शासकीय समापक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा, जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे। वह समापन कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में, यदि न्यायाधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश किया जाए, जाँच या अन्वेषण का संचालन कर सकेगा।

शासकीय समापक अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर कंपनी के लेनदारों को अपने दावे साबित करने के लिए कहेगा और ऐसे दावों की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उनका निपटारा करेगा तथा वह लेनदारों के दावों की एक सूची तैयार करेगा तथा प्रत्येक लेनदार को उनके दावों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के साथ उसके लिए कारणों का उल्लेख करते हुए, सूचना दी जाएगी।

धारा 363 के अधीन शासकीय समापक के निर्णय से पीड़ित कोई लेनदार 30 दिन के भीतर केंद्रीय सरकार के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

केंद्रीय सरकार दावों के निपटारे के दौरान किसी भी समय, यदि आवश्यक समझे, मामले को आवश्यक आदेश के लिए न्यायाधिकरण को संदर्भित (Refer) कर सकती है। [धारा 359]

(10) कंपनी के विघटन का आदेश (Order of Dissolution of Company): शासकीय समापक, यदि उसे यह संतुष्टि हो जाती है कि कंपनी का अंतिम रूप से समापन हो गया है तो वह अंतिम रिपोर्ट

(i) धारा 364(i) के अधीन न्यायाधिकरण को कोई संदर्भित नहीं किए जाने की दशा में केंद्रीय सरकार को भेजेगा, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में केंद्रीय सरकार और न्यायाधिकरण को भेजेगा।

केंद्रीय सरकार या न्यायाधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी स्थिति के प्राप्त होने पर यह आदेश करेगा कि कंपनी विघटित कर दी जाए।

धारा 365(3) में यह प्रावधान है कि जब केंद्रीय सरकार या न्यायाधिकरण द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, कंपनी के विघटन का आदेश पारित कर दिया जाता है तो कंपनी रजिस्ट्रार कंपनियों के रजिस्टार से कंपनी का नाम काट देगा और इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगा।

यह बताना आवश्यक है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी के ऐच्छिक समापन से संबंधित धारा 360 से 365 तक के प्रावधान, नये प्रावधान है जिन्हें लेनदारों के हितों की सुरक्षा के लिए तथा समापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। [धारा 365]

— अंशदायी (Contributory)

Scanned with CamScanner

समापन के परिणाम (Consequences of Winding up)

समापन कई पक्षों को प्रभावित करता है समापन के परिणाम निम्नलिखित है:

(1) **अंशधारियों/सदस्यों के प्रति परिणाम** (Consequences as to Shareholders/Members): एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी के एक अंशधारी अपने द्वारा धारण किए गए अंशों के अंकित मूल्य की पूर्ण राशि देने के लिए दायी है। कंपनी के दिवालिया/समापन के पश्चात् भी उसका दायित्व बना रहता है लेकिन तब उसे अंशदायी (Contributory) कहा जाता है। 'अंशदायी' वर्तमान भी हो सकता है और भूतपूर्व भी। वर्तमान अंशदाता का दायित्व उसके अंशों के अदत्त मूल्य तक सीमित होता है। भूतपूर्व अंशदाता से तभी राशि मंगवाई जा सकती है यदि वर्तमान अंशदाता भुगतान करने में असमर्थ है।

गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में सदस्य अपने द्वारा दी गई गारंटी की सीमा तक अंशदान करने के लिए दायी है। समापन का उद्देश्य संपत्तियों को वसूल करना, दायित्वों का भुगतान करना एवं यदि कुछ शेष बचे तो उसे अंशधारियों को देना है। कंपनी के दायित्वों का भुगतान करने का कर्तव्य समापक का होता है। जिन व्यक्तियों ने कंपनी से कुछ लेना है उन्हें अपने दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिएं।

Scanned with CamScanner

लेनदार सुरक्षित (Secured) या असुरक्षित (Unsecured) हो सकते हैं। एक सुरक्षित लेनदार के पास तीन विकल्प होते हैं:

(i) वह समापन की कार्यवाही की उपेक्षा करके भुगतान के लिए जमानत पर निर्भर रह सकता है, या

(ii) वह जमानत को वसूल करके शेष राशि के लिए दावा कर सकता है, या

(iii) वह जमानत छोड़ सकता है एवं पूरी राशि के लिए दावा कर सकता है।

यदि सुरक्षित लेनदार जमानत को वसूल करता है तो उसे सम्भाल कर रखने के खर्च उसे समापक को देने चाहिए।

असुरक्षित लेनदारों के साथ समान व्यवहार किया जाता है एवं उन्हें समरूप (Pari Passu) भुगतान किया जाता है।

कंपनी की संपत्तियों को बेचकर धन राशि एकत्रित करने तथा लेनदारों की सूची तय करने के पश्चात् समापक, रक्षित लेनदारों के अधिकारों के अधीन, विभिन्न दावेदारों को निम्नलिखित क्रम में भुगतान आरम्भ करता है;

(1) समापन पर की गई सभी उचित लागतें तथा खर्च समापक के पारिश्रमिक सहित,

(2) पूर्वाधिकारी लेनदार,

(3) चल प्रभार द्वारा सुरक्षित लेनदार, तथा

(4) असुरक्षित लेनदार।

यदि इसके बाद कुछ अधिशेष बचता है तो वह अंशदायियों में उनके अधिकारानुसार बाँट दिया जाता है।

(2) **कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रति परिणाम** (Consequences as to Servants and Officers): समापन का आदेश कंपनी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हटाने का आदेश माना जाता है। इस प्रकार हटाया जाना उन्हें सेवा-अनुबंध के सभी दायित्वों से मुक्त कर देगा।

(3) **कंपनी के विरुद्ध कार्यवाहियों के संबंध में परिणाम** (Consequences as to proceedings against the Company): समापन के आदेश होने पर अथवा सरकारी समापक के अस्थायी समापक नियुक्त हो जाने पर कंपनी के विरुद्ध न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसी प्रकार समापन आदेश की तिथि पर यदि कंपनी के विरुद्ध कोई वाद अविर्णित (Pending) है तो उसे न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐच्छिक समापन की दशा में भी यदि न्यायाधिकरण उचित समझे तो कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगा सकता है।

(4) **लागत के संबंध में परिणाम** (Consequences as to Costs): यदि संपत्तियाँ दायित्वों का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं तो न्यायाधिकरण कंपनी की संपत्ति में से समापन की लागतों एवं व्ययों के भुगतान का आदेश दे सकता है। यह भुगतान प्राथमिकता के उस क्रम (Order) में किए जायेंगें जिसे न्यायाधिकरण उचित समझे।

(5) **दस्तावेजों के संबंध में परिणाम** (Consequences as to Documents): जब कंपनी के कार्यकलाप का समापन पूर्णत: कर दिया जाता है तथा कंपनी विघटित होने को होती है, तब कंपनी की एवं समापक की पुस्तकों एवं कागज-पत्रों का अंतिम निपटान निम्नलिखित प्रकार से किया जाना चाहिए:

(i) न्यायाधिकरण द्वारा समापन की स्थिति में न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार रीति से;

(ii) सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन की स्थिति में, कंपनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्दिष्ट रीति से; तथा

(iii) लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन की स्थिति में, निरीक्षण समिति या यदि कोई ऐसी समिति नहीं है तो लेनदारों द्वारा निर्दिष्ट रीति से।

यदि कंपनी के विघटन के 5 वर्ष बाद इन पुस्तकों एवं कागज-पत्रों में हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई पुस्तक या कागज-पत्र प्राप्य नहीं है तो इसके लिए कंपनी पर, समापक पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसकी अभिरक्षा में उपर्युक्त पुस्तकें एवं कागज-पत्र रखे गए थे, कोई भी दायित्व न होगा।

Scanned with CamScanner